# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 4 ] पंचम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 34वां दिवस [संख्या 7



सोमवार, दिनांक 5 नवम्बर, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजकर 2 मिनट पर विधान सभा, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन )

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

श्री बिरदाराम :

प्रश्न संख्या 112 :

( अनुपस्थित कृपया आगे देखिये )

श्री मोहम्मद गफ्फार अली ( जोहरी बाजार, जयपुर ) : अध्यक्ष महोदय, यह इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है और उसमें मारपीट हुई है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए इसका जवाब दिला दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : लास्ट में ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, यह विधायक से सम्बन्धित है इसलिये इसे ले लिया जाये तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : लास्ट में ।

नेक्स्ट, श्री मीठालाल।

## लालसोट कस्बे की जल योजना

113. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट ) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) कस्बे के लिए एक नई जल योजना काफी दिनों से राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? तथा इसे कब तक अन्तिम रूप देकर कार्यान्वित कर दिया जावेगा ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद): जी हां, ग्राम लालसोट, जिला जयपुर की एक नयी योजना राज्य सरकार द्वारा इस माह से स्वीकृत की गई है, व इसके लिए 75,000 रुपये का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है । कार्य प्रारम्भ करने के लिए निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी हैं ।

श्री मीठालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि यदि हां,

(श्री मीठालाल मीणा)

तो उसका ब्यौरा क्या है ? मेहरबानी करके यह तो बता दें।

**श्री चन्दनमल बैद** : पहले लालसोट की मूल योजना थी वह 1 लाख 58 हजार रुपये की थी और अब जो नयी योजना बनाई गई है वह 5 लाख 19 हजार रुपये की है। इस साल 75 हजार रुपये किये जायेंगे खर्च।

**श्री मीठालाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय योजना चाहे लालसोट की हो या दौसा की हो, लेकिन मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि जयपुर जिले में इस साल पैसा अलाट किया है वह 32 लाख 73 हजार है जब कि चूरू में 2 करोड़ 28 लाख की योजना है। लालसोट हो या दौसा हो उसमें 75 हजार रुपया ही लगाया है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न लालसोट का है और उसका जवाब दे दिया है। अगर सारी योजना के बारे में ही आप बहस करना चाहते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है। पिछली बार भी इस पर काफी बहस हो चुकी है और मैं जवाब दे चुका हूं और यों ही चलते रास्ते आरोप लगाये जाते हैं। उसका जवाब दे दिया गया है। अभी लालसोट का प्रश्न है और वह जवाब मैंने दे दिया है।

**श्री मीठालाल मीणा** : 75 हजार रुपये का ही प्रावधान कर रहे हैं जब कि यह योजना तीन साल से विचाराधीन थी और 75 हजार रुपये का प्रावधान रखा है लेकिन इस योजना को जल्दी से जल्दी क्यों नहीं करना चाहते हैं ? कितने साल में पूर्ण करा लेंगे ? साल में, डेढ़ साल में या दो साल में ?

**श्री चन्दनमल बैद** : इस साल अक्टूबर महीने में योजना मन्जूर हुई है और अक्टूबर के बाद अब इस साल में 75 हजार रुपया खर्च कर सकेंगे। इसलिए 75 हजार रुपया स्वीकृत किया है। अगली साल कितना खर्च कर सकेंगे वह अगली योजना के बाद ही तय हो सकेगा। लेकिन निश्चितरूप से इस योजना को पूरा किया जायेगा। किन्तु कितने साल में पूरा करेंगे यह इस पर निर्भर करेगा कि पंचवर्षीय योजना के लिए कितना रुपया मिलता है।

**श्री मीठालाल मीणा** : यह तो बता सकते हैं कि 5 साल में, 10 साल में या कितने साल में ?

**श्री चन्दनमल बैद** : यह तो मैं जवाब दे चुका हूं कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पंचवर्षीय योजना में शहरी जल प्रदाय योजना के लिए कितनी धनराशि मिलती है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 114

**श्री अध्यक्ष** : श्री सुखलाल सेणचा !

( अनुपस्थित कृपया आगे देखिये )

**श्री अमृतलाल गहलोत**

### मसूरिया हिल जोधपुर के लिये आवंटन राशि

115. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष जोधपुर में मसूरिया हिल को रमणीक स्थान

Page No.3



(श्री अमृतलाल गहलोत)

बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि के आवंटन के अभाव से इस वर्ष वर्षा से लगभग 50 हजार रुपये की हानि हुई है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(2) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है और उसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1973-74 में कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

**कृषि मन्त्री ( श्री शिवचरण माथुर ) :** (1) जी नहीं। मसूरिया हिल सड़क पर नुकसान हुआ है पर वह अत्यधिक वर्षा के कारण।

(2) पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं हुआ है।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं बताया।

**श्री शिवचरण माथुर :** यह तो मैंने निवेदन किया कि बरसात के कारण टूट गई है यह सत्य है।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** लेकिन यह सड़क पहले निर्माण की गई होती तो यह नौबत नहीं आती। अब कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

**कुछ माननीय सदस्य :** अध्यक्ष महोदय, आवाज साफ नहीं है।

**श्री शिवचरण माथुर :** ( माइक से आवाज साफ नहीं होने के कारण अश्रव्य )

**श्री अमृतलाल गहलोत :** बतायें कि कब पूरा होगा ?

**कुछ माननीय सदस्य :** आवाज साफ नहीं है।

**श्री शिवचरण माथुर :** ( अश्रव्य )

**श्री मीठालाल :** अभी तो देखते जायें अभी तो पहला दिन ही है। आवाज तो बहुत बदलेगी अभी।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** ( किशनपोल, जयपुर ) : आपकी आवाज भी गड़बड़ थी।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** यह आश्वासन दें कि यह योजना कब तक पूरी की जायेगी ?

**श्री शिवचरण माथुर :** यह सच बात है कि योजना पूरी नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि बहुतसी योजनायें हैं जो अभी तक अपूर्ण हैं। आगे आने वाले समय में इस बात पर ध्यान रखा जायेगा कि यह योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाये।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** ( जोधपुर ) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सारा का सारा कार्य आधे से अधिक पूरा हो गया और मसूरिया हिल के ऊपर लिंक रोड को बीच में अधूरा छोड़ दिया गया है और उस समय छोड़ दिया गया कि जब मन्त्री मण्डल में परिवर्तन हुआ। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि जो काम अधूरा छोड़ दिया गया और अधिक इनवेस्टमेंट किया गया वह व्यर्थ में चला गया और बरसात के कारण सड़क भी बह गई तो, इसको अब पूरा कराने के लिए प्रयत्न करेंगे और इस साल पूरा करा देंगे ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : मुख्य मंत्री महोदय की भावनाओं के संदर्भ में।

**श्री गुमानमल लोढा** : एक और निवेदन कर दूं कि इस कार्य को माथुर साहब ने प्रारम्भ किया था और सौभाग्य से माथुर साहब ही उत्तर दे रहे हैं तो अब तो माथुर साहब, माथुर साहब के कार्य को पूरा करेंगे।

**श्री शिवचरण माथुर** : मैं तो दूसरों का उत्तर दे रहा हूं। यह डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भंवरलाल भदादा।

**भीलवाड़ा जिले में ट्यूब वैल्स**

166. **श्री भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में कहां कहां और किस वर्ष ट्यूबवैल और आज दिन तक ये क्यों नहीं चालू किये गये हैं ?

(2) क्या अनुसंधान के तौर पर किये कार्यों को जन हितार्थ उपयोग नहीं किया जा सकता है ? यदि किया जा सकता है तो फिर इन नल कूपों का उपयोग जन हितार्थ कब प्रारम्भ किया जा रहा है ?

**जन स्वास्थ्य मन्त्री** (श्री चन्दनमल बैद) : (1) भीलवाड़ा जिले में 1970-71 में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कार्यक्रम के अन्तर्गत खेजड़ी हरड़ा, गुढा, गंगा का खेड़ा, हमीरगढ़, डोलीखेड़ा, देनाली, बिगोद, जमालपुल में तथा 1971-72 में अप्लाइड न्यूट्रेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत बनेड़ा, चमनपुरा, देवरिया खेड़ा (शाहपुरा) कंचन फार्म (शाहपुरा) गणेशपुरा में नलकूप बनवाये गये। सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के अन्तर्गत बनाये गये ट्यूब वैल्स विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने के कारण अभी तक कमीशन नहीं किये गये हैं। अप्लाइड न्यूट्रेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत बने ट्यूब वैल के लिए पंचायत समितियों के पास पर्याप्त प्रावधान नहीं होने से ए. एन. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत बने नलकूप कमीशन नहीं हो सके हैं।

(2) राज्य सरकार की नीति यह है कि इन नलकूपों को क्लस्टर नलकूपों की दरों पर बेच दिया जावे। अतएव यदि खरीददार उपलब्ध हो जावेंगे तो राज्य सरकार इन नलकूपों को बेचेगी ताकि वे उपयोग में आ सकें।

**श्री भंवरलाल भदादा** : ये काफी अर्से से ऐसे ही पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट का लाखों रुपया लग चुका है और इनका उपयोग नहीं हो रहा है।

( आवाज साफ नहीं होने से अश्रव्य )

**श्री चन्दनमल बैद** : कोई कृषक सहकारी समिति इन्हें खरीदना चाहें तो बेचने को तैयार हैं।

**श्री भंवरलाल भदादा** : आवाज नहीं आ रही है साहब।

**श्री चन्दनमल बैद** : बारह हजार गैलन प्रति घण्टे की दर से कम से कम दस घण्टे पानी चले तो उपयोगी हो सकता है लेकिन अभी सरकार उसको चलाती है तो यह घाटे का सौदा है। इस वास्ते कोई कृषि सहकारी समिति या कृषकों का समूह इन ट्यूब वैल्स को खरीदना चाहें तो बेचने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

## कोटा नगर में देशी शराब के ठेकों की नीलामी

117. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर की देशी शराब की दुकानों की सन 1972-73 में की गई नीलामी के परिणामस्वरूप कुछ देशी शराब की दुकानें ऐसे बिडर्स को दी गई, जो निविदाओं में उल्लिखित धन-राशि के अनुपात में द्वितीय अथवा तृतीय नम्बर के विडर्स थे ? यदि हां, तो किन किन को ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त देशी शराब की दुकानों के उपरोक्त आवंटन के विरुद्ध किसी एक व्यक्ति ने, जो दूसरे नम्बर का बिडर था तीसरे नम्बर वाले बिडर की दुकान आवंटित करने के विरोध में राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिट याचिका पर दिये गये हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तीसरे नम्बर के बिडर से दुकान वापिस लेकर दूसरे नम्बर वाले बिडर को दिलवा दी गई ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(4) क्या यह सही है कि तीसरे नम्बर के बिडर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का स्पष्टीकरण कराने निमित्त एक याचिका प्रस्तुत की जिस पर उच्च न्यायालय ने तीसरे बिडर के पक्ष में अपना निर्णय दिया ? यदि हां, तो उक्त निर्णय राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण किये जाने के बाद भी तीसरे नम्बर के बिडर की दुकान का चार्ज पूरे वर्ष तक नहीं दिलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

क्या यह सही है कि तीसरे नम्बर के बिडर ने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिस पर मुख्य मंत्री ने आबकारी विभाग को उक्त दुकान तीसरे नम्बर के बिडर को सुपुर्द करने के आदेश दिये ? यदि हां, तो ऐसा आदेश कब प्राप्त हुआ और उसका पालन क्यों नहीं किया गया ? कृपया उक्त ज्ञापन एवं मुख्य मंत्री के आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

आबकारी मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) सन् 1972-73 के वित्तीय वर्ष के लिये कोटा ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान को देशी शराब की (अ) श्रेणी की दुकानों की एकाकी विशेषाधिकार पर उठाने के लिए टेन्डर मांगे गये थे जिनमें अन्य शर्तों के अलावा निम्न शर्तें रखी गई थीं ?

(1) निर्धारित धरोहर राशि की रकम टेन्डर स्वीकार करने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर राज्य कोष में जमा करानी होगी।

(2) निविदाकारों में कोई विभागीय बकाया नहीं होना चाहिये। कोटा नगर की निम्न शराब की दुकानों के लिए नीचे लिखे व्यक्तियों ने टेन्डर दिये :—

गुमनपुरा श्री नन्दलाल

श्री नरेन्द्र प्रताप

श्री ताज मोहम्मद

Page No.6



(आबकारी मन्त्री)

बड़गांव : श्री विजयसिंह

श्री नरेन्द्र प्रताप

श्री राजेन्द्र कुमार

कोटा जंक्शन : श्री लादूलाल

श्री शंकरलाल

श्री रेखूमल

तीनों दुकानों के प्रथम निविदाकारों ने निर्धारित धरोहर राशि निर्धारित समय में जमा नहीं कराई। अतः ये दुकानें द्वितीय निविदाकारों को अस्थाईरूप से आवंटित इस शर्त पर की गई कि उनमें कोई विभागीय बकाया नहीं होना चाहिये। पर जब यह पता चला कि दूसरे नम्बर के निविदाकारों के स्वयं के पिताओं में विभागीय रकम बकाया है तो ये दुकानें तीसरे नम्बर के निविदाकारों को आवंटित कर दी गई।

(2) जी हां, दूसरे नम्बर के निविदाकार सर्वश्री नरेन्द्र प्रताप और शंकर लाल ने उपरोक्त दुकानों के आवंटन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की थी।

(3) उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं पर तारीख 9-5-72 को यह आदेश दिया कि दूसरी आज्ञा जारी होने तक प्रार्थियों में विभागीय रकम बकाया होने को देशी शराब का लाइसेन्स जारी करने के लिए अयोग्यता न मानी जाय। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश आने पर विविध विभाग की राय के अनुसार तारीख 19 जून, 1972 को सरकार द्वारा यह आज्ञा जारी कर दी गई कि उक्त दुकानें द्वितीय निविदाकारों को सौंप दी जाय। इस आज्ञा का अनुपालन तारीख 21 जून, 1972 को जिला आबकारी अधिकारी, कोटा द्वारा किया गया।

(4) जी हां। तृतीय निविदाकार श्री ताज मोहम्मद आदि की प्रार्थना पर उच्च न्यायालय ने अपने 9-5-72 के आदेशों का स्पष्टीकरण करते हुए यह निर्णय दिया कि सरकार कानून के अन्तर्गत उक्त दुकानों पर जो भी व्यवस्था करना चाहें उसके लिए स्वतन्त्रता थी और है। पर उच्च न्यायालय ने तारीख 9-2-72 के इस आदेश को रद्द नहीं किया जिसमें यह कहा गया था कि द्वितीय निविदाकारों को विभागीय बकाया रकम होने के कारण देशी शराब के लाइसेन्स के लिए अयोग्य नहीं माना जाय। यह निर्णय राज्य सरकार को 24 जुलाई, 1972 को प्राप्त हुआ। इस पर विधि विभाग की सलाह के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) खण्ड 4 में दिये गये उत्तर के बाद इस खण्ड का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती।

(6) तीसरे नम्बर के निविदाकारों ने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया या नहीं इसकी जानकारी आबकारी विभाग को नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने आबकारी विभाग की उक्त दुकानें तृतीय निविदाकारों को सुपुर्द करने के कोई आदेश नहीं दिये। अतः उनके आदेश नहीं पालन करने अथवा उनके आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह जो बिडर नं० 2 है और जिसमें बकाया है, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन के संदर्भ में बताया है तो जिनमें बकाया है उस व्यक्ति को

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है ? क्या यह ठीक है।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : बिडर नं. 2 जिसके खिलाफ बकाया है, उसको ब्लेक लिस्टेड भी किया गया है डिपार्टमेंट से, क्या यह सही है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : बिडर नं० 2 में राशि बकाया थी उस व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाय यह विभागीय निर्णय है।

(आवाज साफ नहीं आने से अश्रव्य)

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह ब्लेक लिस्टेड भी किया गया है, क्या यह सही है ? बकाया के साथ २ यह ब्लेक लिस्टेड भी रहा है क्या यह ठीक है।

**श्री चन्दनमल बैद** : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : हाई कोर्ट के स्टे आर्डर को और जो इन्टरिम स्टे ऑर्डर का एक मुद्दा जिसके आधार पर डिस्क्वालिफाई किया है यह कण्ट्रोवर्सियल इश्यु है तो आपने इस प्रश्न का को लीगल डिपार्टमेंट से एग्जामिन कराया कि स्टे आर्डर का इण्टरप्रिटेशन क्या है ? किस आधार पर आपने नम्बर दो को डिस्पजेश करके बिडर नं० 3 को दिया और इस बारे में लीगल ओपिनियन क्या थी ?

(आवाज खराब होने से अस्पष्ट सुनाई)

**श्री चन्दनमल बैद** : यह मैं जवाब दे चुका हूं कि लॉ डिपार्टमेंट की राय ली गई।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : देखिए दो राय हैं। एक हाई कोर्ट का स्टे जिसमें यह कहा गया कि डिस्क्वालीफाइ न समझा जावे इसी तरह से इस स्टे के आधार पर एक्साइज कमिश्नर, जो सेक्रेट्री एक्साइज भी हैं उन्होंने इस स्टे आर्डर के आधार पर कि यह पजेशन इल्लीगल है थर्ड बिडर को दे दिया। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस स्टे आर्डर के आधार पर आपने सुविधाजनक ढंग से दूसरे को पजेशन दे दिया तो क्या आपने इसको लीगल डिपार्टमेंट से एक्जामिन कराया था ?

**श्री चन्दनमल बैद** : यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं और उत्तर में अर्ज कर चुका हूं कि आर्डर दिया उसको ला डिपार्टमेंट से एग्जामिन कराने के बाद भी एक्साइज डिपार्टमेंट ने आदेश दिया और उस आदेश की पालना डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर कोटा ने की है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह थर्ड क्लेरिफिकेशन का जो आर्डर है और जिसको हाई कोर्ट ने क्लेरिफाइ किया है उसको भी लीगल डिपार्टमेंट से एक्जामिन कराया है।

**श्री चन्दनमल बैद** : यह भी मैं अपने जवाब में कह चुका हूं। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उनका जवाब दे चुका हूं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : दोनों आर्डर्स, स्टे ऑर्डर्स जो और हाई कोर्ट का जजमेंट है दोनों को आपने लीगली एग्जामिन कराया है क्या ?

# Page No.8



श्री चन्दनमल वैद : जी हां, यह बिल्कुल सही है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने लीगल डिपार्टमेंट से एग्जामिन कराए तो किस तारीख को आपके पास जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद किस तारीख को आपने इसको रेफर किया टर्म्स आफ रेफरेंस सहित और किस तारीख को लीगल डिपार्टमेंट से आपने ओपिनियन ली और इसमें कितना समय लगा ? आपके फाइल डिस्पेच करने और ओपिनियन रिसीव होने तक कितना समय लगा ?

श्री अध्यक्ष । आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो वह पूछ लीजिए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अभी आता हूं डायरेक्ट क्वश्चन पर । पहले यह बता दें कि आपको कितना समय लगा ओपिनियन लेने में ?

श्री चन्दनमल वैद : यह मैं बता चुका हूं प्रश्न के जवाब में कि किस तारीख को स्टे आर्डर इश्यू हुआ और हमको ला डिपार्टमेंट को····

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है साहब ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने फरमाया है कि लीगल एग्जामिनेशन कराया है तो हाई कोर्ट के आर्डर के बाद कितना समय लीगल एग्जामिनेशन में लगा और कब वह आपके पास आया जिससे आपने इस दुकानदार को डिस्पजेश किया है । अगर मैं कहूं कि एक साल लगा, छः महीने लगा तो क्या ठीक है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह ठीक नहीं है । 24 जुलाई को, जबकि हाई कोर्ट का आदेश मिला उसके थोड़े दिन बाद ही हमने लीगल डिपार्टमेंट को यह फाइल भेज दी । और थोड़े दिनों बाद ही हमें लीगल डिपार्टमेंट की राय प्राप्त हो गई कि जो निर्णय लिया गया है उसको चेन्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि आपने लीगल एग्जामिनेशन में, जिसके लिए मैं मोटिव इम्प्यूट कर रहा हूं, आपने इस लीगल एग्जामिनेशन में 6 महीने तक इस आदमी को सुविधा दी जिसको लाभ दिया और इस तरह 6 महीने डिस्पसेज करने के लिए हाइकोर्ट ने कहा है । फिर 6 महीने आपने इस केस में लीगल एग्जामिनेशन में लगा दिये ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री श्रीराम गोटेवाला व अन्य कई सदस्य : आवाज साफ नहीं आ रही है ।

( शोरगुल )

श्री रोशनलाल शर्मा : माइक बन्द करवा दीजिये तो अच्छा है । साफ सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिए मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय ··

श्री अध्यक्ष : ठीक कर रहे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस सारे प्रश्न को, इसके उत्तर को कल के लिए स्थगित कर दिया जाये मैं भी इस आवाज की दखलंदाजी से गड़बड़ा गया हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल।

**श्री चन्दनमल बैद** : यह मेरे लिए कम्प्लीमेन्ट है कि आप गड़बड़ा गये हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपने मेरी सही आवाज का सुर मिलाया तो ठीक है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट

**पाली जिले से खाद व बीज की मांग**

118. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में इस वर्ष अधिक वर्षा होने से रबी की फसल हेतु व खाद समय पर उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर से राज्य सरकार को मांग प्राप्त हुई है ? यदि हां तो किन किन किस्म का कितना बीज और कितना खाद उपलब्ध कराने की मांग प्राप्त हुई है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा बीज और खाद किस प्रकार कब तक उपलब्ध कराये जावेंगे तथा सरकार द्वारा इसकी क्या योजना बनाई गई है ?

**खाद्य मंत्री** (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। रबी के लिये पाली जिले से प्राप्त खाद व बीज की मांग निम्न प्रकार है:-

| | | |
|---|---|---|
| खाद : | नत्रजन | 300 मैं० टन |
| | फासफेटिक | 800 मैं० टन |
| | पोटेशिक | 200 मैं० टन |
| बीज : | मैक्सिकन गेहूं | 11000 क्विन्टल |
| | शरबती | 15000 क्विन्टल |
| | सी० 281 | 200 क्विन्टल |
| | चना स्थानीय | 7500 क्विन्टल |

(2) राज्यस्तर पर रबी के लिये निर्धारित उर्वरक वितरण के लक्ष्यों को देखते हुए एवं पूल तथा विभिन्न उर्वरक उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली खाद की मात्रा को ध्यान में रखते हुए पाली जिले में विभिन्न स्त्रोतों से उर्वरक उपलब्धि की निम्न व्यवस्था की गई है :—

| | | नत्रजन | फासफेटिक | पोटेशिक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय पूल | 419 | 370 | 100 |
| 2. | श्रीराम केमिकल | 476 | — | — |
| 3. | गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर | 753 | — | — |
| 4. | फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, नागल | 235 | — | — |
| | | 1883 | 370 | 100 |

बुआई से पूर्व ही बीज कृषकों तक पहुंचाने के लिये पाली में निम्न बीज वितरण की व्यवस्था के प्रयास जारी हैं :—

| | |
|---|---|
| गेहूं मैक्सीकन | 11000 क्वीन्टल खाद्य विभाग से |
| गेहूं शरबती | 15000 क्वीन्टल खाद्य विभाग से |
| गेहूं सी० 281 | 2,0 क्वीन्टल जैतसर फार्म से |
| चना | 7500 क्वीन्टल खाद्य विभाग से |

(खाद्य मन्त्री)

राज्य सरकार के आदेशानुसार बाढ़ग्रस्त व लगातार अधिक वर्षा वाले इलाकों, जिसमें पाली जिला भी शामिल है, में चने का बीज उधार पर वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

**श्री शंकरलाल** : क्या सरकार को यह पता है कि अकाल के कारण और बाढ़ के कारण लोगों को यह हैसियत नहीं है कि वे बीज को नकद खरीद सकें ? जैसा चने के लिये तकाबी देने का सरकार ने निर्णय लिया है वैसे ही क्या सरकार गेहूं के बीज के लिये भी लेगी ?

**श्री शिवचरण माथुर** : चने के लिये तो पहले से ही आदेश दे दिये गये हैं। जहां बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर चने का बीज क्रेडिट पर दिया जायेगा, लेकिन गेहूं का बीज क्रेडिट पर देने के लिये भारत सरकार से मांग की गई है। वहां से सहायता मिलने पर ही गेहूं का बीज क्रेडिट पर दिया जा सकता है।

**श्री शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, जो गेहूं की बुआई का सीजन है वह अभी चल रहा है और इस साल पाली जिले में इतनी बरसात हुई है कि यदि पाली जिले के किसानों को बीज और खाद समय पर मिल जायें तो वहां पर बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है और सरकार को बीज की वसूली में भी सहूलियत होगी वरना जितने उत्पादन की आप उम्मीद करते हैं वह नहीं होगा। बीज समय पर बढ़िया नहीं दिया गया तो प्रोडक्शन नहीं होगा। यह सिर्फ पाली जिले के लिये ही नहीं कह रहा हूं, राजस्थान के सभी जिलों को खाद और बीज समय पर दें तो इस समस्या का हल हो सकेगा।

**श्री मोहनराज जैन (बाली)** : अध्यक्ष महोदय, इसी मुतल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पाली जिले में, जो चना भेजा गया है वह पाली जिले के लिये उपयुक्त है, यह पता है ? वहां पर पाली में पीला चने का बीज भेजा गया है। कृषि विभाग द्वारा यह कहा गया है कि यह जो बीज है वह यहां की धरती और पानी के लिये अनुकूल नहीं है इसलिये वह काश्तकारों को नहीं बांटा गया है। ऐसी स्थिति में वहां के काश्तकारों को जो आपने तकाबी की सुविधा दी है उससे वे महरूम रह जाएंगे। इसलिये यह सुविधा गेहूं के बीज के लिये दी जाये तो काश्तकारों को लाभ होगा वरना हजारों रकबा बीघा जमीन सोइंग के बिना पड़ी रह जाएगी और उनको नुकसान होगा। इसलिए सरकार को इस विषय में तत्काल ही कोई निर्णय लेना चाहिये।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर)** : केन्द्रीय पूल से जो खाद मिलने वाली है क्या सरकार के पास इस बात की गारन्टी है कि वह समय पर मिल जाएगी और पूरी मात्रा में मिल जायगी जिसका कि विश्वास दिलाया है ?

**श्री शिवचरण माथुर** : जहां तक बीज की उपलब्धि का प्रश्न है, मैं एक बार सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि बीज की उपलब्धि के बारे में हम आश्वस्त हैं। गेहूं का बीज जितना भी आवश्यक है, उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। अब सवाल यह रहता है कि बीज की तकाबी पर दिया

# Page No.11



(श्री शिवचरण माथुर)

जाये या अगेन्स्ट केश दिया जाए। भारत सरकार से हम लोगों ने निवेदन किया है चूंकि राजस्थान के बहुत बड़े इलाके में बाढ़ आई है और इसके पहले कई इलाके अकाल से ग्रस्त थे इसलिए यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इस वर्ष बीज को खरीद सकें। इसलिए हमने उनसे तीन करोड़ रुपये की तकाबी की मांग की है और भारत सरकार से हम निरन्तर सम्पर्क में हैं। इस बारे में फैसला होने के बाद ही हम बीज तकाबी पर दे सकेंगे। जब तक वहां से सहायता नहीं मिलती है तब तक हम गेहूं के बीज को क्रेडिट पर देने की स्थिति में नहीं है। कोशिश यह की जा रही है कि यह सुविधा काश्तकारों का मिले।

खाद के बारे में जो उपलब्धि का सवाल है, जितना हमारा अलाटमेन्ट है, वह एक प्रकार से हम को मिल जाएगा। हम लोगों ने यह प्रयत्न किया है कि पिछले 4/5 दिनों में अधिकारियों को हमने अलग अलग स्थानों के लिये भेज दिया है। कुछ अधिकारियों को कांडला बंदरगाह पर भी नियुक्त कर दिया है। वे इस बात की जांच कर लें कि विदेशों से खाद के जो जहाज आए हुए हैं उनमें से राजस्थान के लिए फर्टीलाइजर जल्दी से जल्दी लोड हो जावे। जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर चिन्ता व्यक्त की है कि वक्त पर, समय पर काश्तकारों को खाद और बीज की उपलब्धि कराई जाये वरना राजस्थान के उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि समय पर खाद मिल जाए। बीज की उपलब्धि तो हो गई है। अब सवाल यह है कि उसको क्रेडिट पर दिलाया जाए या अगेन्स्ट केश दिया जाए। इसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया है। खाद की जो कठिनाई है उसकी पूर्ति के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री विट्ठल** (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जमीन सूख गई है। चना वहां पर नहीं पहुंचा है। मंत्री महोदय, चने के बीज की व्यवस्था नहीं कर सकें तो बता दें वरना आप यहां पर झूठा आश्वासन न दें। जनता कही से व्यवस्था कर के बो लेगी और उसको आश्वासन के भरोसे न रखें। आप इसकी व्यवस्था कर सकें तो घोषणा करें वरना आश्वासन नहीं दें। झूठा आश्वासन मत दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री सज्जनसिंह** (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो गेहूं का बीज आपको फूड कार्पोरेशन ने दिया है वह भीगा हुआ है, कटा हुआ है और बीज के लिए उपयुक्त नहीं है। उसकी कीमत भी ज्यादा है जिसको किसान नहीं दे सकता है और उसका जर्मिनेशन टेस्ट भी नहीं किया गया है, क्या यह सही है?

**श्री शिवचरण माथुर** : यह जानकारी आप दे रहे हैं और जो आपने कहा है उसकी जांच करवाकर आपको अलग से सूचित कर दूंगा सदन के अलावा कि इस बीज की प्रोडक्टिविटी के बारे में क्या पोजीशन है। यह जानकारी आपने मुझे दी है इसलिए इसकी जांच करवाकर बाद में आपको जानकारी दे दूंगा।

# Page No.12



**श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक पाली का प्रश्न नहीं है। यह सारे राजस्थान का प्रश्न है। मंत्री महोदय को जानकारी है कि दीपावली हो चुकी है और बीज नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सी जगह बीज पहुंचा है तो आम शिकायत है कि वह बीज उपयुक्त नहीं है, और यहां पर भी माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि बहुत सारी जमीन जहां पर कि गेहूं का बीज होना चाहिए और वहां पर गेहूं की खेती होती है वहां पर चने का बीज भेजकर आप क्या करवायेंगे ?

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने आंकड़े पर्याप्तरूप से उपलब्ध किये हैं कि हरेक जिले की आवश्यकता गेहूं और चने की कितनी कितनी है और खास करके अब ऐसे मौके के ऊपर भी अगर आप बीज समय पर नहीं भेजते हैं और कहते है कि भारत सरकार का उत्तर आ रहा है तो भारत सरकार का उत्तर तो आता रहेगा लेकिन इस दरम्यान में आपको भी निश्चितरूप से एक योजना बना लेनी चाहिए जिसके द्वारा हरेक जिले के काश्तकारों की आवश्यकता की पूर्ति सरकार कर सके, नहीं तो यह इतनी बाढ़ें आई हैं और पानी पड़ा है इसका लाभ अगर सरकार नहीं उठा सकती है तो फिर यह सरकार के लिए बड़ी शोचनीय समस्या उत्पन्न होगी।

**मुख्य मंत्री** ( श्री हरिदेव जोशी ) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस वर्ष में ज्यादा बरसात होने के कारण से बीज की मांग ज्यादा है। उसको ध्यान में रख करके हमने सब कलेक्टर्स को उनकी डिमाण्ड एसेस करने को कहा था तो गेहूं के लिए तो मुझे याद पड़ता है 1,11,000 क्विन्टल और चने का 50,000 क्विन्टल, यह उनकी डिमाण्ड थी। इसको मीट करना मुश्किल था लेकिन भारत सरकार के सहयोग से किया गया। मेरे लेवल पर इसकी मीटिंग की गई थी और हमारी इन्फर्मेशन यह है कि इसकी व्यवस्था कर दी गई हैं।

जहां तक बीज ठीक है या नहीं इसकी जांच करा ली गई है और चने और गेहूं का जर्मिनेशन टेस्ट करने के बाद में ही गेहूं और चने का बीज भेजा गया है। मैं इस सारे दौर में भी इन सारी चीजों को लेकर दिल्ली गया और फूड मिनिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब से इस सिलसिले में मिला था और योजना मंत्री श्री डी. पी. धर से मिला था और हमने 3 करोड़ तकाबी की मांग की थी। उसके अगेन्स्ट में 1,65,00,000 रुपया की तकाबी दी जा चुकी है। बाकी के बारे में आज ही हमारे फाइनेन्स कमिश्नर दिल्ली गये हैं और मैं यह आशा करके चलता हूं कि इन सारी चीजों का उचित समाधान हो जायगा।

यह बात सही है कि डिमाण्ड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। गवर्नमेंट इस बारे में कान्शस है।

फर्टीलाइजर के बारे में डिफिकल्टी है इसमें दो राय नहीं है। हम जो कर सकते थे वह यह है कि जो हमें एलाट किया गया था उसको तुरन्त उठा लें। इसलिए जो सप्लाई पाइन्ट्स थे वहां पर डिले न हो इसलिए हमने उन पाइन्ट्स पर अपने अधिकारियों को पहले से भेज दिया है। वह सेन्ट्रल जगह पर आये और वहां से डिस्पेच किया जाय इसके

# Page No.13



(श्री लक्ष्मणसिंह)

बजाय जहां जहां पर एलोकेशन हुआ है उन्हीं जगहों पर सीधा डिस्पेच कर दिया जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जायगी। जो भी सरकम्स्टान्सेज हैं उनके अन्दर जो सबसे अधिक अच्छा कर सकते थे वह करने की कोशिश की गई है।

**श्री सज्जनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सूचना हाउस को दी है उसको मैं चेलेन्ज करता हूं। फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया का जो सीड आप लोगों का भेजा गया है उसका जर्मिनेशन टेस्ट नहीं किया गया है, क्या यह सही है?

**श्री हरिदेव जोशी** : मेरी सूचना जो है वह यह है कि जर्मिनेशन टेस्ट सब कर दिया गया। आप जो सूचना दे रहे हैं उसकी जांच करवा ली जायगी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि राजस्थान में इतनी विशेषरूप से वर्षा हो रही थी इसके बावजूद भी राजस्थान से चना बाहर भेजा गया उसको बाहर जाने से क्यों नहीं रोका गया? यह एक स्थिति बिलकुल सामने आ रही थी कि अबके लाखों क्विन्टल चने की जरूरत पड़ेगी बीज के लिए इसके बावजूद भी सरकार ने ...

**श्री अध्यक्ष** : Not connected with the question.

**श्री शिवचरण माथुर** : आपने जो यह बात कही है तो चने के बीज के बारे में डिफिकल्टी नहीं है और चने के बीज की जितनी भी आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था की जायगी और जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा है उसके मुताबिक गवर्नमेंट पूरी तरह से व्यवस्था कर देगी और जितनी भी आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर दी जायगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री केशरीमल।

## राज्य में घोसी जाति की संख्या

119. **श्री केशरीमल** (ब्यावर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त के किन किन नगरों में घोसी जाति (ग्वाला) पशुपालन और दूध विक्रेता का कार्य करने वाली कितनी संख्या में बसती है?

(2) इस जाति को, जो बहुत ही गरीब जाति है, पिछड़ी जाति की श्रेणी में शुमार करने का इरादा राज्य सरकार का है या नहीं? यदि हां, तो कब तक इनको पिछड़ी जाति की श्रेणी (बैकवर्ड क्लास) में शुमार कर लिया जावेगा?

(3) क्या इस सम्बन्ध में विभाग को और सम्बन्धित मंत्री को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब कब और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

**कृषि मन्त्री** (श्री शिवचरण माथुर) : (1) घोसी जाति के लिए इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ग्वाला समाज युवक मंडल छावनी ब्यावर से दिनांक 29-7-72, 12-8-72 तथा 16-8-72 को प्रार्थना-पत्र प्राप्त

# Page No.14



(कृषि मंत्री)

हुए थे। इन पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

**श्री केशरीमल :** यह जाति आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी हुई है इसको पिछड़ी जाति की सूची में शुमार करने के लिए सरकार ने क्या किया ?

**श्री शिवचरण माथुर :** शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट सामाजिक आधार पर निर्धारित की जाती है और उस आधार के बारे में खासतौर से जिक्र किया गया है। इस प्रकार की आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी तो बहुत सी जातियां हो सकती हैं लेकिन सभी का शिड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में जिक्र नहीं है इसलिए घोसी जाति को लिस्ट में इन्क्लूड करने का सवाल ही नहीं उठता है।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : यह 10–15 बेकवर्ड जातियां हैं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं तो जो बेकवर्ड क्लासेज की लिस्ट बनी हुई है उसको रिवाइज करने की जरूरत है और जो क्लासेज पिछड़ी हुई हैं क्या उनको बेकवर्ड कम्युनिटी में शामिल करने का विचार कर रही है ?

**श्री शिवचरण माथुर :** मेरी समझ में बेकवर्ड का जिक्र शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में नहीं है। सामान्यतौर पर सामाजिक आधार पर जो जातियां पिछड़ी हुई हैं उनका जिक्र उस लिस्ट में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उन सभी को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। केवल सामाजिक मान्यताओं के आधार पर बहुत सी जातियों को इन्क्लूड किया गया है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल करने का नहीं है। माननीय सदस्य का प्रश्न बेकवर्ड क्लासेज की लिस्ट में शामिल करने का है ? शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का क्राइटेरिया और है। बेकवर्ड क्लासेज में रिजर्वेशन का सवाल नहीं है। उनको कुछ सहूलियतें दी जाती हैं तो उसका क्राइटेरिया दूसरा है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि इस प्रकार से बहुत सी जातियां हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बेकवर्ड क्लासेज की सूचियों को रिवाइज करके और जातियों को शामिल करने के लिए और घोसी जाति को शामिल करने के लिए विचार करेंगे।

**श्री शिवचरण माथुर :** बेकवर्ड क्लासेज की सूची कोई नहीं बनाई गई है इसलिए उसका सवाल ही नहीं उठता है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** यह इन्फार्मेशन सही है कि बेकवर्ड क्लासेज की सूची है और उसमें कुछ जातियां शामिल हैं, लेकिन उसमें आर्थिक दृष्टि का आधार नहीं रखा गया है। आप जानकारी कर लें। जो आर्थिक दृष्टि से बेकवर्ड हों उनको ही उसमें शामिल किया जाना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रामसिंह विश्नोई।

**श्री केशरीमल :** बेकवर्ड जातियों के बारे में ..

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य,

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, तशरीफ रखिये। काफी टाइम हो गया है। कुछ सवालात हो जायें। मेरा कहना आप नहीं मानते हैं। तीन चार बार घण्टी बजे आप ध्यान नहीं दें।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** आवाज नहीं दी।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रामसिंह विश्नोई।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई।

**जोधपुर जिले के अधूरे कार्य**

120. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जोधपुर जिले में 1973-74 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्षा हो जाने के कारण या फेमिन की अवधि 15 सितम्बर, 1973 होने तक कितने कार्य अधूरे पड़े हुये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग इन अधूरे कार्यों को पूरा करने का विचार रखता है ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में ऐसी बहुत सारी सड़कें इस कारण रुकी हुई हैं एवं अधूरी पड़ी हुई हैं कि उन पर रास्तों मार्ग का टंटा है ?

(4) क्या यह सही है कि इन सड़कों का (मार्गों का) नक्शे में रास्ता दर्ज होते हुये भी विभाग इन सड़कों को पूरा नहीं करवा पा रहा है ? ऐसी कितनी सड़कें नक्शे में रास्ते दर्ज होते हुये भी टण्टे में फंसी हुई हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें तथा इन्हें पूरा कराने हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि जिलों में अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों को आज दिन तक बकाया मजदूरी नहीं मिली है ?

यदि हां, तो ऐसी कितनी सड़कें हैं जहां के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली ? उन्हें कब तक बकाया भुगतान हो सकेगा ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** फोर टू जीरो तो नहीं है।

**अकाल सहायता मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) :** सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) सिंचाई विभाग एवं भू-संरक्षण, विभाग द्वारा सम्पादित कराये गये कार्यों में से जो कार्य अधूरे रह गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जो कार्य अधूरे रह गये हैं, उनको यथासम्भव पंचवर्षीय योजना गत कार्यों के साथ समन्वित करके एवं अन्य कार्यों के साथ समन्वित कराने का प्रयत्न किया जावेगा।

(3) जी हां।

(4) रास्ते के झगड़ों के कारण जो सड़कें अधूरी रह गई हैं उनकी सूची संलग्न है। जहां तक कार्यों को पूरा कराने का सम्बन्ध है, इन्हें मार्ग का झगड़ा तय होने पर एवं साधन उपलब्ध होने पर ही पूरा कराया जा सकेगा।

(5) अकाल राहत कार्यों पर लगाये गये मजदूरों के बाबत यह आदेश दिये गये

(अकाल सहायता मन्त्री)

थे कि 30 सितम्बर, 1973 तक मजदूरी का चुकारा पूरा कर दिया जाये। परन्तु बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए इस हेतु 15 अक्टूबर, 73 तय की गई थी। जोधपुर जिले में 31 अगस्त, 73 तक की मजदूरी का चुकारा लगभग पूरा किया जा चुका है। इस अवधि के बाद का चुकारा भी शीघ्र कर दिया जावेगा। कुछ अनपेड वेजेज के मामले हैं। उनके बाबत भी शीघ्र चुकारे की व्यवस्था की जावेगी। (सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री रामसिंह विश्नोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, जोधपुर जिले के अन्दर राज्य सरकार की ओर से यह जानते हुये भी कि वहां पर दूसरे कार्य हो रहे हैं, मजदूरों की संख्या ज्यादा है, कितनी सड़कों की स्वीकृति दी है? जिन सड़कों की स्वीकृति दी है, क्या उनके लिए अकाल राहत कमेटी या जिलाधीश की टैक्निकल सैंक्सन ली गई है? अगर नहीं ली गई तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न के विषय में पूछिये।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : टौंक जिले में··· अच्छा एक ही जवाब दे दीजिये।

**श्री शिवचरण माथुर** : आपने अपने प्रश्न में अधूरे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी चाही है, वह रखी है। पूरे काम कितने खोले गये हैं, वह जानकारी मांगी नहीं है। जहां तक जिलाधीश या फेमिन रिलीफ कमेटी द्वारा स्वीकृति का सवाल है, वह भी नार्मल तरीके से मिल जानी चाहिए। जानकारी मुझे नहीं है; लेकिन आपने जो स्पष्ट जानकारी चाही थी कि इस अकाल के दौरान कितने कार्य प्रारम्भ किये गये, वह सूची रखी जाये। वह मिली नहीं है। दूसरा यह कि ये बहुत से काम बीच में क्यों रखे गये, ? जो काम अधूरे रह गये, उनकी सूची रखी गई है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो बकाया मजदूरी का प्रश्न है, यह जो अकाल-पीड़ित जिले हैं, उनका प्रश्न है। उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ऐसे आदेश करे कि एक महीने के अन्दर अन्दर जितनी भी बकाया मजदूरी है, उसकी अदायगी कर दी जाये तो गरीब मजदूर किसानों को राहत मिलेगी।

**श्री मोहनराज जैन** (बाली) : इसके साथ जो बकाया राशि का मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है उसका एक यह भी कारण है कि जो भी पार्टी जाती है, उसकी पूर्व सूचना मजदूर किसानों को मिलती नहीं है। वह पार्टी लौट जाती है। क्या सरकार यह व्यवस्था कर सकती है कि जो अनपेड बकाया है, वह पंचायत समितियों को दे दिया जाये ताकि जो पंचायत के आफिसर हैं, वह गांवों में मजदूरों को वितरण करवा दें।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, ये अधूरे कार्य एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मेरा खयाल है, जो रह गये हैं, उस प्रश्न पर सूची रखी गई है। मुख्यमन्त्री महोदय, इस बारे में क्या नीति रखते हैं ? अधूरे कार्य पूरे हों या पंचवर्षीय योजना में हों। मैं चाहता हूं कि मुख्यमन्त्री महोदय, इस बारे में स्पष्टीकरण करेंगे।

# Page No.17



**मुख्य मन्त्री** (हरिदेव जोशी) : मन्त्री महोदय ने इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है।

**श्री रोशनलाल शर्मा** : क्या नीति अपनाई है ?

**श्री शिवचरण माथुर** : जहां तक बाड़मेर से आनेवाले माननीय सदस्य का प्रश्न है कि इस बारे में कोई अवधि तय कर दी जाये तो मेरा यह कहना है जहां तक आप जानते हैं ......

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : 3 महीने में कर दें। एक महीने में नहीं तो।

**श्री शिवचरण माथुर** : अभी यह कहना मुश्किल होगा। दूसरा यह कहा गया कि चुकारे के सम्बन्ध में बकाया पंचायत समितियों को दिया जाये, उसकी पूर्व जानकारी मजदूरों को दे दी जाये। जहां तक पहले सवाल का प्रश्न है अनपेड की जानकारी दे दी जाये लेकिन इस बारे में यह कहना कठिन है।

**श्री रोशनलाल शर्मा** - अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों द्वारा कराने में क्या दिक्कत है ?

( व्यवस्था सूचक घण्टी )

रेवेन्यू एजेन्सीज के लिए आप कहते हैं ?

( व्यवस्था सूचक घण्टी )

फिर आप को क्या दिक्कत है ?

( व्यवस्था सूचक घण्टी )

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये। मुझे कौनसा तरीका अख्तियार करना चाहिये। आप घण्टी को कोई महत्व नहीं देते हैं।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय ......

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, आपको धैर्य रखना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : क्या जोधपुर जिले में, जिन कार्यों में कामयाब नहीं हो सके हैं उनको कितने दिनों में पूरा करेंगे ? दूसरा यह कि अगर कमेटी कायम नहीं कर सकते हैं तो राज्य सरकार क्या नीति अपनाने जा रही है ? आप देंगे या नहीं ?

**श्री हरिसिंह** ( बेंगू ) : स्टेट फाइनेन्स कमीशन ने स्टेटिक्स तैयार किये हैं, जो अधूरे कार्य रह गये हैं, उनको पूरा करायें। गवर्नमेन्ट पालिसी के अन्तर्गत हर जिले में है।

**श्री अध्यक्ष** : थोड़े में।

**श्री हरिसिंह** : गवर्नमेन्ट ने क्या पालिसी अपनाई है, वह कह दें ?

**श्री रणजीतसिंह** (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय ...

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न ......

**श्रीमती निर्मला सिंह** ( चित्तौड़गढ़ ) : अध्यक्ष महोदय......

**श्री अध्यक्ष** (श्रीमती निर्मला सिंह से): आपको देखना चाहिए कौन प्रश्न कर रहा है ?

श्रीमती निर्मला सिंह : आवाज नहीं सुनी इसलिए पता नहीं चला।

श्री अध्यक्ष : आंखें तो काम कर रही थीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह इस काबिल नहीं है।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : क्या यह सही है कि जोधपुर में सड़कें अधूरी रह गईं, इसका कारण था कि ऐसी सड़कों का काम खोल दिया गया जो आवश्यक नहीं था ? साथ ही जोधपुर जिले में जो सड़कें अधूरी रह गई हैं वह कौन कौन सी है ?

श्री शिवचरण माथुर : इस प्रश्न का सीमित दायरा है। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका दायरा यह था कि जोधपुर जिले में जो राहत कार्य खोले गये थे, उनमें से कितने अधूरे कार्य हैं। उनकी सूची मैंने दे दी है। यह सारे सवाल कि कितने काम खोल दिये गये थे, किसकी आज्ञा से खोले गये थे और कितने अधूरे रहे-यह प्रश्न इसके दायरे में नहीं आता। इसके अलावा जो माननीय सदस्य का प्रश्न था चुकारे का, उसका जवाब मैंने उपस्थित किया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या यह सही हैं कि यह कार्य राजस्थान के बाहर नहीं खोले गये थे ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्या राजस्थान के बाहर नहीं खोले गये थे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 2 !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-10-73)

## कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय की गई राशि

2. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 15 जुलाई, 1973 से 15 अगस्त, 1973 तक कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल पर सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कुल कितना व्यय किया व स्थानीय पुलिस, सीमा सुरक्षा पुलिस व केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता व पैट्रोल इत्यादि सब पर कितनी राशि खर्च हुई ?

(2) क्या यह सही है कि हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर यदि पूर्व में ही कर्मचारी नेताओं को बन्द नहीं किया गया होता और उनसे सद्भावनापूर्ण वार्ता कर ली होती तो यह गतिरोध उत्पन्न ही नहीं होता ?

श्री मीठालाल (लाल सोट) : पुनः स्थगित किया गया।

गृह मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) 15 जुलाई, 1973 से 15 अगस्त, 1973 तक कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल पर सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अब तक स्थानीय पुलिस द्वारा:-

| | |
|---|---|
| 1. पेट्रोल पर | रु. 1,87,455 |
| 2. किराये पर ली गई गाड़ियों के किराये पर | रु. 93,580 |
| 3. यात्रा भत्ता पर तथा | रु. 2,09,445 |
| रिफ्रेशमेंट भत्ते पर | रु. 11,07,137 |
| कुल | रु. 15,97,617 |

(गृह मंत्री)

खर्च हुआ है। सीमा सुरक्षा तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के संबंध में सम्बन्धित महालेखाकार से प्रमाणित सर्टीफिकेट प्राप्त होने पर ही उन पर जो खर्च हुआ है उसकी डिटेल्स बताया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं।

**श्री चिम्मनसिंह भाटी** : क्या यह राशि खर्च हुई हैं, यह उनकी मांग से कितनी कम पड़ती है, जो कर्मचारियों की मांग थी ?

**श्री चन्दनमल बैद** : सारी मांगें यदि मान ली जाती, जैसा कि मैंने आपको परिपत्र के द्वारा सूचित किया था, तो करीब 26 करोड़ खर्च पड़ता। यह खर्च 15,97,617 है, यह उसका 1 पर्सेन्ट भी नहीं है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: 15 लाख में निपटा दिया।

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा): आपने इस प्रश्न के दूसरे पार्ट में कहा, जी नहीं, यह कैसे कह दिया ? क्या यह सही है कि कर्मचारी संघ की हड़ताल करने की घोषणा के बाद ही महासंघ की वर्किंग कमेटी के सारे मेम्बर्स को गिरफ्तार कर लिया था ?

**श्री चन्दनमल बैद** : महासंघ ने अगस्त का स्ट्राइक करने का नोटिस दे रखा था, यह सभी जानते हैं।

**श्री पी. के. चौधरी** : क्या यह सही है कि हड़ताल करने के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व आपने महासंघ की वर्किंग कमेटी को गिरफ्तार कर लिया ? महासंघ ने निर्णय नहीं किया था हड़ताल में शरीक होने का क्या यह बात भी सही है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : हड़ताल में शामिल होना या नहीं शामिल होना इस बारे में हम और आप भी जानते हैं। मैं भी जानता हूं। आप सब जानते हैं कि वह हड़ताल में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे।

**श्री पी. के. चौधरी** : आप हां या ना में जवाब दीजिये, क्या महासंघ ...

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : महासंघ हड़ताल करना चाहता था, यह आप किस आधार पर कहते हैं ?

**श्री चन्दनमल बैद** : आधार की बात कहें तो आप उस समय के अखबार पढ़ लीजिये। जो सूचनाएं आपको और हमें मिलती रही थी उनसे साफ जाहिर था कि वह हड़ताल में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने अगस्त का नोटिस दिया था। यह ओपीनियन का सवाल है।

**श्री पी. के. चौधरी** : ओपिनियन का सवाल नहीं है, फेक्ट का सवाल है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : क्या हड़ताल में शामिल होने का फाइनल डिसीजन उन्होंने कर लिया था ?

**श्री चन्दनमल बैद** : ओपिनियन का सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि हड़ताल में शामिल हो जाते, आपका मानना है कि हड़ताल में शामिल नहीं होते।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उन नेताओं, जिन्होंने कि हड़ताल घोषित कर दी थी और जो हड़ताल पर थे, को गिरफ्तार नहीं किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और महासंघ के उन नेताओं को, जो 27 से हड़ताल करने वाले थे, 12 तारीख को गिरफ्तार कर लिया? इसका क्या कारण है?

**श्री चन्दनमल बैद** : वह भी हड़ताल में शामिल होने की तैयारी कर चुके थे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या...

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : 27 तारीख की तैयारी थी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही है कि महासंघ के नेताओं को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वह विचार कर रहे थे, निर्णय लेना था उन्हें कि हड़ताल में शरीक होंगे या नहीं?

**श्री चन्दनमल बैद** : उसमें आप मौजूद रहे होंगे, मैं मौजूद नहीं था।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए। क्या यह सही है...

**श्री अध्यक्ष** (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर): एक माननीय सदस्य।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : कि गलत इन्फार्मेशन को आधार बनाया गया है?

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : स्पेसिफिक क्वश्चन है, उसका रिप्लाइ नहीं दिया है। उसको टाल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : उन्होंने जवाब दे दिया।

**श्री पी. के चौधरी** : स्पेसिफिक प्रश्न का आंशिक जवाब दिया जा रहा है। क्या यह सही है कि जिलों में हड़ताल हो रही थी, उसमें मिनिस्ट्रियल स्टॉफ शरीक हो रहा था, उसमें बाकी के अन्य एम्प्लायी शरीक नहीं हो रहे थे। आपने महासंघ की वर्किंग कमेटी के मेम्बर्स को हड़ताल में शरीक होने का निर्णय करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जिससे राजस्थान के सारे कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो गये क्या यह सही है?

**श्री अध्यक्ष** : आप भी पूछ लीजिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह बात सही है कि लक्ष्मणसिंह जिन्होंने आल्टरनेटिव महासंघ बनाया था जिन्होंने घोषणा की थी कि 11 तारीख से सारे कर्मचारी हड़ताल पर आ जायेंगे, घोषणा करने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हुए? वह चीफ सेक्रेटरी के बंगले के ऊपर आते जाते रहे, लेकिन घोषणा करने के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और महासंघ के नेताओं, जिन्होंने घोषणा हड़ताल पर जाने की नहीं की, को वर्किंग कमेटी की मीटिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया – क्या यह वाजिब है?

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि यह ओपिनियन का प्रश्न है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह हड़ताल में शामिल होते या नहीं होते?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : ओपिनियन का प्रश्न कहां आता है?

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : चीफ सेक्रेटरी के बंगले पर पहुंचते थे, इसमें ओपिनियन का सवाल कहां आता है?

**श्री चन्दनमल बैद** : सरकार की राय थी कि हड़ताल में शामिल होंगे इसलिए

( गृह मंत्री )

कार्यवाही की गई। यह आप और हम सब जानते हैं कि उनका अगस्त महीने में हड़ताल करने का नोटिस सरकार के समक्ष था। इस वास्ते इस बात में दो राय नहीं थी कि हड़ताल करने जा रहे हैं। प्रश्न यह हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि भई, आपने गिरफ्तार किया उसके बाद एक दिन में हड़ताल पर जा रहे थे या दो दिन में जा रहे थे या पांच दिन में जा रहे थे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** ओपिनियन का प्रश्न कहां है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** दूसरा प्रश्न है, जिसको आप अवोइड कर रहे हैं। आपका कहना है कि यह लीडर हड़ताल पर जाने वाले थे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया तो जिन लीडर्स ने घोषणा कर दी थी एक आल्टरनेटिव महासंघ कायम करके, उनको आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, वह चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों से मिलते हैं और दूसरे लीडर जो संदेहास्पद हो सकते हैं या उनके बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, उनको गिरफ्तार करते है। यह डिस्क्रिमिनेट्री ट्रीटमेंट क्यों हुआ ?

**श्री चन्दनमल बेद :** बहुत से लोग, जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, में से कुछ फरार रहे। वह कई लोग अलग २ जगहों पर गिरफ्तार हुए। इस सम्बन्ध में आपने पूछा नहीं, नहीं तो बता देता कि वर्किंग कमेटी के किन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर सके।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** चीफ सेक्रेटरी तो फरार नहीं हुए।

**श्री चन्दनमल बेद :** उनको अलग अलग जगह गिरफ्तार किया गया। आप पूछते तो मैं बता देता कि कब कब गिरफ्तार किया गया। जिन लोगों के बारे में सन्देह था, जो वर्किंग कमेटी के मेम्बर थे, जो हड़ताल करके सरकार के काम को ठप्प कर देना चाहते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। हो सकता है, कुछ लोग एब्सकोंड कर गये हों, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वैसे माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि कई एब्सकोंड रहे हैं।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली:** लक्ष्मण-सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

**श्री चन्दनमल बेद :** यह हो सकता है कि कुछ को पहले गिरफ्तार किया गया और कुछ को बाद में किया गया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** क्या चीफ सेक्रेटरी के घर पर हाजिर होने के बावजूद आप एब्सकोंड मानते हैं ? आपने डिनाई नहीं किया है।

**श्री चन्दनमल बेद :** मैं ना कह रहा हूं। मेरी जानकारी नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** आप डिनाई कीजिये, लक्ष्मणसिंह चीफ सेक्रेटरी के घर पर नहीं गये, चीफ सेक्रेटरी से नहीं मिलते थे, या आपसे नहीं मिलते थे, लक्ष्मणसिंह दूसरे आफिसर से नहीं मिलते थे। लक्ष्मणसिंह हड़ताल की घोषणा करने के बाद भी सब आफिसर्स से कन्टीनुअली मिलते रहे. मैं चेलेंज के रूप में कह सकता हूं, जब कि महासंघ ने कोई घोषणा नहीं की थी कि हड़ताल करने जा रहे हैं आपने महासंघ के मेम्बर्स को

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

गिरफ्तार करके सारे राजस्थान के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसा दिया, आपने सारे कर्मचारियों को स्ट्राइक करने पर उतारू कर दिया।

**श्री चन्दनमल बैद** : यह प्रश्न पूछा गया है • • •

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं, हड़ताल समाप्त होने पर राज्य सरकार ने घोषणा की कि इन्टरिम रिलीफ, महंगाई भत्ता केन्द्रीय घोषणा के अनुसार अब देने की घोषणा कर रहे हैं। वह मई के माह में ही केंद्रकी घोषणा के साथ साथ दे देना चाहते थे, परन्तु कर्मचारियों के नेताओं ने यह कहा, जो आदेश दें उसमें स्पेसिफिक डेट के साथ घोषणा करें-इसलिए नहीं दिया। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई, इतना खर्च हुआ और राज्य और प्रशासन का काम ठप्प रहा तो सरकार की तरफ से यूनीलेटरल रिलीफ, जैसी अभी घोषणा की है, वैसी ही केन्द्रीय घोषणा के साथ, उस वक्त घोषणा क्यों नहीं की ? क्या यह सही है कि उस वक्त घोषणा न करने के कारण से ही आन्दोलन हुआ ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह गिरफ्तारियों का जो आपने निर्णय लिया क्या कैबीनेट का निर्णय था या किसी इन्डवीज्यूएल का था ? यदि कैबीनेट का था तो इसमें ब्रीफिंग चीफ सेक्रेटरी का था जिससे यह स्थिति पैदा हुई ?

**श्री चन्दनमल बैद** : यह सरकार का निर्णय था।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही है कि चीफ सेक्रेटरी ने, इन्हीं श्री लक्ष्मणसिंह को, जिन्होंने अपने आप को महासंघ का प्रेजीडेन्ट पोज किया, उनको एज प्रेजीडेन्ट, महासंघ लेटर एड्रेस किया है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : यह सवाल जो पूछा गया है, यदि इसकी पहले ही सूचना दी जाती तो मैं बता देता लेकिन यह सवाल पूछा नहीं गया कि लक्ष्मणसिंह की हैसियत क्या थी, लेटर लिखा गया या नहीं। लेकिन सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जोर से कहा कि हम सबसे मिलते रहे, मुझ से वह मिलते रहे। मैं कहना चाहता हूं कि किस किस से मिलते रहे, मेरे पास जानकारी नहीं लेकिन लक्ष्मणसिंह हड़ताल के दौरान मुझसे कभी नहीं मिले।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** - क्या यह सही है कि लक्ष्मणसिंह द्वारा महासंघ की ओर से जनरल हड़ताल घोषित करने के बाद भी सरकार की तरफ से उनसे बातचीत कर के और फैसला करने की कोशिश की गई ?

**श्री शंकरसिंह ( नसीराबाद )** : क्या यह सही है कि इस हड़ताल के दौरान ...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैंने प्रश्न किया कि लक्ष्मणसिंह ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी और दूसरे कर्मचारियों को हड़ताल पर आने को कहा था। इस घोषणा के बाद राज्य सरकार की ओर से उनको बुलाकर समझौते की बातचीत की गई। क्या यह सही है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : चीफ सेक्रेटरी के घर पर उनको बुलाकर बातचीत की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हड़ताल वापस हो जाएगी बशर्ते कि यह आप कर दो। लेकिन जो उनसे कहा गया कि पत्रकारों को बुलाया जाए तब उन्होंने कहा कि मुझे विचार करने का मौका दें, इस बिना पर मामला तय नहीं हुआ और यह बात हड़ताल घोषणा करने के बाद ही की गई।

**मुख्य मंत्री** ( श्री हरिदेव जोशी ) : स्वर्गीय मुख्यमन्त्री की हड़ताल के संबंध में जो भी चर्चायें होती थीं उनके अन्दर मुझे भी सम्मिलित किया था, मैं उनमें हमेशा शरीक होता था। लक्ष्मणसिंह किसी भी चर्चा में कहीं भी मेरे सामने नहीं आये। सरकार उन लोगों को गिरफ्तार करती है जिनके बाहर रहने से कोई खतरा पैदा हो सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : लक्ष्मणसिंह के बारे में सरकार को खतरा नहीं था? वारंट आफ अरेस्ट था या नहीं?

**(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)**

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### विधायक पर हमला

112. **श्री विरदाराम फुलवारिया** (जालौर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 25 मार्च, 1973 को पाली में एक ग्राम सभा में सरकार की गेहूं के राष्ट्रीयकरण की नीति के पक्ष में भाषण दे रहे एक विधायक पर वहां के अनाज के व्यापारियों व अन्य व्यक्तियों ने हमला बोल दिया और ग्राम सभा को तितर बितर कर दिया?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में पुलिस में कोई मुकद्दमा भी दर्ज हुआ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) इस संबंध में मु० नं० 39 दिनांक 25-3-73 को धारा 440/147/148/149/332/353 ता० हि० के अन्तर्गत थाना पाली में दर्ज किया गया है। मुकदमें की तफतीश जारी है।

### जैतारण-रायपुर तहसीलों में खाद्यान्नों का वितरण

114. **श्री सुखलाल सैंणचा** (जैतारण) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जैतारण रायपुर तहसीलों के अन्तर्गत अकाल घोषित होने के पश्चात् खाद्यान्न वितरण के लिए कौन कौन से रिटेलर उस वक्त कार्यरत थे एवं बाद में इस क्षेत्र के रिटेलरों को हटा, नई नियुक्तियां किस किस तारीख को व किन किन परिस्थितियों में की गईं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(खाद्य मन्त्री)

उत्तर

जैतारण तहसील में अकाल घोषित होने के पश्चात् 40 रिटेलर कार्य कर रहे थे जिनसे 13 रिटेलर के विरुद्ध अनियमितता पायी जानने के फलस्वरूप 12 रिटेलर्स को दंडित किया गया। एक का मामला विचाराधीन है, 9 रिटेलर्स ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। इन रिटेलर्स की जगह दूसरे रिटेलर्स की नियुक्ति इनके नाम के आगे अंकित तारीखों में की गई हैं। 6 रिटेलर्स की जगह रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

रायपुर तहसील में कार्य कर रहे रिटेलर्स में से 14 रिटेलरों को अनियमिततायें करते गये पकड़ा गया जिनमें से 11 को दंडित किया जा कर उन्हें हटा दिया गया। 3 का मामला विचाराधीन है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

## नादौती का समाज कल्याण छात्रावास

84. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नादौती (तहसील हैडक्वार्टर) में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास चल रहा है? यदि हां, तो किस नाम से एवं उसके संचालकों, प्रबन्धकों के नाम एवं पते क्या हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस छात्रावास का समाज कल्याण अधिकारी ने (पिछली साल) निरीक्षण किया था जिसमें समस्त कागजात-प्रवेश-पत्र, छात्रों की संख्या, मकान का किराया, रसोइया, नौकर आदि आदि सब झूठे पाये गये थे?

(3) क्या यह सही है कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में इन सभी बातों का विवरण देते हुए इस छात्रावास को दी जाने वाली सहायता को कम कराने, बंद करने को कहा था? यदि हां, तो इतने गम्भीर आरोपों के बावजूद गत वर्ष व इस वर्ष इसको अनुदान क्यों दिया गया?

उत्तर

(1) जी हां। यह छात्रावास श्री शास्त्री अनुसूचित जनजाति छात्रावास के नाम से चल रहा है। संस्था की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री केप्टीन छूटन लाल | अध्यक्ष |
| 2. | ,, चन्द | उपाध्यक्ष |
| 3. | ,, ढन्डीराम | मंत्री |
| 4. | ,, चतरु | उप-मंत्री |
| 5. | ,, रामकिशन | कोषाध्यक्ष |
| 6. | ,, चिरन्जीलाल | सदस्य |
| 7. | ,, राम प्रसाद | ,, |
| 8. | ,, भौंरीलाल | ,, |
| 9. | ,, राम धन | ,, |
| 10. | ,, नाथूराम | ,, |

इस छात्रावास के व्यवस्थापक श्री भौंरी लाल मीना है।

(2) गत वर्ष अर्थात 1972–73 में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधि-

Page No.25



(समाज कल्याण मंत्री)

कारी, सवाई माधोपुर द्वारा इस छात्रावास का निरीक्षण किया गया था। उस समय छात्रावास में रखी जाने वाली पंजीकाएं, छात्रों के प्रवेश आवेदन-पत्र आदि अपूर्ण पाये गये थे। लेकिन व्यवस्थापक एवं रसोइया छात्रावास में उपस्थित थे। निरीक्षण के दिन छात्रावास में 12 छात्र उपस्थित पाये गये शेष छात्र अपने गांवों में गये हुए थे।

(3) जी नहीं। किन्तु जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में छात्रावास में पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि छात्रावास को इस संस्था से लेकर अन्य किसी संस्था को देना उपयुक्त होगा। फिर भी अगले निर्णय तक छात्रों को असुविधा न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष का अनुदान नियमानुसार स्वीकृत कर दिया गया है। इस वर्ष का अनुदान संस्था को अभी तक नहीं दिया गया है। जांच कराई जा रही है।

### गंगानगर के औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट

85. गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर शहर के औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्लाट हैं? ये प्लाट्स किसको, कब, कितनी कीमत या किराये पर दिये गये और आज वे किसके कब्जे में हैं?

(ख) क्या इन प्लाटों पर कोई औद्योगिक कार्य हो रहा है? यदि हां, तो कब से?

(ग) उन उद्योगों को कब कब और किस किस नाम से कोई कोटा दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(घ) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों ने अपने नामों से सस्ते भावों पर प्लाट अलाट करवा लिये और कोटे की वस्तुएं लेकर उसे ब्लैक में बेचते रहे और अब वे प्लाट बड़ी कीमत पर बेच दिये?

(ङ) क्या सरकार उपरोक्त मामले में निष्पक्ष जांच करवाएगी और उन उद्योगपतियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

#### उत्तर

(क) गंगानगर शहर में राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। अस्तु, गंगानगर औद्योगिक सम्पदा में शेडों एवं प्लाट की स्थिति निम्न प्रकार है।

अ-शेड क्लास 'सी' =32
ब-शेड क्लास 'ए' =12
स-प्लाट क्लास 'सी' = 4
द-प्लाट क्लास 'सी' =20
एवं
एक प्लाट क्षेत्र 450'×21

सूची संलग्न है।

(ख) औद्योगिक कार्य होने अथवा न होने की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उद्योग मंत्री)

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) यह सही नहीं है कि कुछ व्यक्तियों ने सस्ते भावों से प्लाट अथवा शेड अलाट करवाये हों। प्लाट व शेडों का आवंटन नियमानुसार किया गया है तथा किसी भी इकाई ने कोटे की वस्तुयें लेकर ब्लेक में नहीं बेची हैं तथा न ही प्लाट अथवा शेड बेचे हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### जिलाधीश द्वारा कर्मचारियों का निलम्बन

86. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

श्री हरिश्चन्द्र पाण्डे जिलाधीश, सवाई माधोपुर ने अब तक कितने कर्मचारियों को किस कारण से निलम्बित किया है? निलम्बित कर्मचारी किस पद पर कार्य कर रहे थे एवं किस जाति के थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी

87. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार के गृह विभाग के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी किस किस पद पर किन किन स्थानों (नगरों एवं शहरों) में नियुक्त हैं, का वितृस्त विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उपरोक्त स्टाफ को कार्य के महत्व को देखते हुए अपर्याप्त नहीं समझती? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त कमी की पूर्ति के लिए क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या राज्य सरकार प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की शाखा में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पद की नियुक्ति करना उचित नहीं समझती? यदि हां, तो उसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(4) क्या उक्त विभाग में अधिकारी एवं कर्मचारी उनकी ईमानदारी और कर्तव्य-परायणता के कारण भेजे जाते हैं? यदि हां तो उनके लिए क्या मापदंड अपनाया जाता है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं। एक पुलिस अधीक्षक, एक अतिरिक्त पुलिस

(गृह मंत्री)

अधीक्षक व तीन पुलिस उप-ग्रधीक्षक की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(3) इस संबंध में मामला विचाराधीन है।

(4) जी हां, यथासम्भव भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में सुयोग्य व्यक्तियों को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के ग्राधार पर यह नियुक्त किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

### लघु उद्योग निगम को प्राप्त ग्रावेदन-पत्र

88. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम को 1971–72 तथा 1972-73 में कितने ग्रावेदन-पत्र जिलेवार प्राप्त हुए हैं ? इनमें से कितने स्वीकार हुए तथा अन्य ग्रावेदन-पत्रों के ग्रस्वीकार होने के क्या कारण है.?

(2) सवाई माधोपुर जिले से किन २ उद्योगों के ग्रावेदन-पत्र स्वीकार हुए हैं ग्रौर उन्हें क्या क्या सहायता मिली है ?

(3) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के नाम पर कुछ बाहर के उद्योगों को सहायता स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा राज्य सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनका हैड ग्राफिस जिले से बाहर है ग्रौर उन्हें सहायता दी गई है ?

(स्थगित किया गया)

### वित्त निगम प्रबन्धक मण्डल के सदस्यों के नाम उद्योग

89. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऐसे उद्योगों को भी ऋण दिया गया है जिनमें हिस्सेदार, मालिक तथा प्रबन्धकमण्डल में वित्त निगम के प्रबन्धक-मण्डल (बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स) के सदस्य हैं/थे ? यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम तथा प्रबन्धक मण्डल के सदस्य का नाम मय उद्योग के संबंध में तथा धनराशि कितनी ग्रौर कितने बार में स्वीकार की गई है, दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स कई २ उद्योगों से संबंधित हैं ग्रौर उन्हें कई २ बार ऋण मिला है ? यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम व ऋण की मात्रा बतलाने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि निगम ने कुछ ऐसे उद्योगों को भी ऋण दिया है जिनको भारतीय वित्त निगम, इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक ग्रॉफ इंडिया, इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ग्रॉफ इंडिया से ऋण मिल चुका है ?

### उत्तर

(1) जी हां।

सूची संलग्न है।

(2) वांछित सूचना संलग्न विवरणिका के कालम संख्या 2-3-4-5 में उपलब्ध है।

(उद्योग मन्त्री)

(3) बड़े उद्योगों को राज्य वित्त निगमों एवं भारतीय स्तर के संस्थानों के द्वारा संयुक्त वित्त पोषण प्रत्येक मामले के औचित्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वे संस्थान निम्नांकित हैं जिनको निगम के अतिरिक्त-भारतीय वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया-में से किसी एक अथवा एकाधिक से सहायता प्राप्त हुई है :—

1- मैसर्स राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०, भीलवाड़ा।

2-मैसर्स औदित्य मिल्स लि., किशनगढ़।

3-मैसर्स ओरियन्टल पावर केबल्स लि०, अलनिया (कोटा)।

4-मैसर्स श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि०, श्री केशोरायपाटन।

5- मैसर्स राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०, गुलाबपुरा.।

6-मैसर्स कम्पनी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, जयपुर।

7-मैसर्स जयपुर मेटल इण्डस्ट्रीज लि०, जयपुर।

8-मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक लि०, कानपुर।

9-मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज लि०, डालमियानगर।

10-मैसर्स पोद्दार मिल्स लि०, बम्बई।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**मंत्रिमण्डल के सदस्यों का खर्च**

90. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य मंत्री मण्डल के सदस्यों के टेलीफोन, पेट्रोल, बिजली और पानी पर 1971-72 और 1972-73 में कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

(2) क्या मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने टेलीफोन, पेट्रोल, बिजली और पानी के खर्चों पर रोक लगाने को तैयार है ?

(3) क्या राज्य मन्त्रिमण्डल अपने बारे में कोड आफ कन्डक्ट बनाने और उसके अनुसार काम करने के लिये तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कोई कोड बनाने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) राज्य मंत्री-मण्डल के सदस्यों के टेलीफोन, पैट्रोल, बिजली और पानी पर कुल खर्च निम्न प्रकार से हुआ :—

| वर्ष | पैट्रोल | टेलीफोन | बिजली व पानी |
|---|---|---|---|
| 1971-72 | 7,76,344 )रु. | 5,22,331) | 70,246) |
| 1972-73 | 6,29,501 )रु. | 3,01,460) | 42,212) |

( मुख्य मन्त्री )

(2) मंत्रिमण्डल के सदस्यों के पैट्रोल, विजली व पानी की निम्नलिखित वार्षिक सीमा निर्धारित की हुई है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पेट्रोल (स्थानीय उपयोग हेतु) | 6,000 लिटर प्रति मंत्री |
| 2. | बिजली और पानी | रु. 10,000 मुख्य मंत्री |
| | | रु. 5,000 अन्य मंत्री (मंत्री, राज्य मंत्री उपमंत्री सहित ) |

(3) टेलीफोन के खर्चे पर पूरा नियंत्रण है और वे आवश्यकतानुसार ही किये जाते है। मंत्रियों के लिए आचार संहिता पहले ही लागू की जा चुकी है, जिसकी एक प्रति मुख्य मंत्री द्वारा सदन की मेज पर दिनांक 28-2-66 को रखदी गई थी।

## सूडसर ( चूरू ) की पुलिस चौकी का मकान

91. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सूडसर, जिला चूरू में पुलिस चौकी किस सन् व माह में स्थापित की गई व तब से लेकर आज तक यह चौकी किस मकान में स्थित है ?

(2) आज तक इसका किराया किसको कितना रुपया माहवार के हिसाब से दिया गया ?

(3) क्या इस मकान की रिपेयर पर कोई खर्चा किया गया है ? यदि हां, तो कितना रुपया व क्या रिपेयर करवाई गई ?

(4) क्या यह सही है कि यह एक धर्मशाला थी जो माध्यमिक विद्यालय, दुलचासर में विद्याध्ययन करने वाले देहात से आये छात्रों के लिये छात्रावास के काम आ रही थी और छात्रों को धकेल कर ( निकाल कर ) पुलिस वालों ने इस पर कब्जा कर लिया ?

(5) यदि नहीं, तो पुलिस वालों ने इस मकान का किस आधार पर किससे चार्ज संभाला ?

(6) क्या यह सही है कि रेल्वे लाइन के दक्षिण में पुलिस चौकी के लिए प्लाट रिजर्व किया हुआ है ?

(7) यदि हां, तो चौकी का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ?

(8) क्या यह सही है कि छात्रों के हितार्थ दिसम्बर, 73 तक पुलिस मौजूदा मकान से अपना कब्जा छोड़ देगी ?

(9) क्या यह भी सही है कि जितने समय तक यह मकान पुलिस के अधिकार में रहा है, लोक निर्माण विभाग से तखमीना करवा कर माहवारी हिसाब से जितना किराया बनेगा ग्राम पंचायत सूडसर को देंगे, जिससे कि छात्रों के हितार्थ भवन का निर्माण व उसकी मरम्मत करवाई जा सके ?

### उत्तर

(1) यह चौकी माह मई 1963 से आज तक धर्मशाला में हुई है।

(गृह मन्त्री)

(2) अभी तक इसका किराया किसी को नहीं दिया गया है।

(3) इस भवन की कोई मरम्मत नहीं कराई गई अतः खर्च का सवाल ही नहीं उठता है।

(4) जी हां, यह सत्य है कि सूडसर में एक मकान धर्मशाला के नाम से था लेकिन यह सत्य नहीं है कि इसमें से रहते हुए छात्रों को बाहर धकेल कर पुलिस ने मकान पर कब्जा किया। वास्तविकता तो यह है कि धर्मशाला के खाली भवन में जनहित के लिये पुलिस चौकी अस्थायी-तौर पर कायम की गई थी जो अब तक चली आ रही है।

(5) धर्मशाला, जो एक सार्वजनिक स्थान है, खाली पड़ा था अतः जनहित में पुलिस विभाग ने इसमें पुलिस चौकी स्थापित कर दी। चार्ज संभालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी नहीं।

(7) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(8) उपयुक्त भवन के अभाव में इस सम्बन्ध में निश्चयतौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

(9) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, झालरापाटन में छात्र-छात्राओं का दाखिला**

92. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एस.टी.सी. ट्रेनिंग स्कूल झालरापाटन, जिला झालावाड़ में कितने कितने लड़के बूंदी व झालावाड़ जिले के लिये गये तथा इनको लेने का क्या आधार था ?

(2) उक्त स्कूल में 4-9-73 तक जनरल, रिजर्व एवं छात्राओं का कितना कितना दाखिला हो चुका है और कितनी कितनी सीटें किन किन की रिक्त रहीं और उनको बाद में किस प्रकार भरा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) जिन जिन छात्रों एवं छात्राओं को दाखिला दिया गया उनकी सूची मय योग्यता व निवास स्थान दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**उत्तर**

(1) एस.टी.सी. ट्रेनिंग स्कूल, झालरापाटन ) ( झालावाड़ ) में बून्दी व झालावाड़ जिले के निम्नलिखित संख्या में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है:—

(1) झालावाड़: 20 महिलायें

(2) झालावाड़: 80 अन्य वरिष्ठता के अनुसार जिसमें महिलाएं भी हो सकती हैं।

(3) बून्दी : 75 पुरुष ( क्योंकि बूंदी में पुरुषों का कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय नहीं हैं)

**प्रवेश की प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से हैं:—**

(1) 11 प्रतिशत स्थान जिले की अनुसूचित जन-जाति से।

(शिक्षा मंत्री)

(2) 17 प्रतिशत स्थान जिले की अनुसूचित जाति से।

(3) 20 प्रतिशत स्थान जिले की महिलाओं से।

(4) जिले के निवासी अन्य सभी प्रवेशार्थी।

(5) राजस्थान निवासी महिलाएं।

(6) कहीं के निवासी (इनमें राजस्थान वासियों को राजस्थान में रहने के 5 अंक का अतिरिक्त लाभ देकर)

(2) दिनांक 20-9-73 को उक्त शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश की स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

| | |
|---|---|
| अनुसूचित जन–जाति | 19 |
| अनुसूचित जाति | 26 |
| महिलाएं | 20 |
| मिश्रित | 106 |
| अनुसूचित जाति के जो स्नातक हैं | 4 |
| कुल | 175 |

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होते ही विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी जावेगी।

## देशी शराब के ठेकों से आय

93. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर-पश्चिम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला अजमेर में देशी शराब के ठेकों से पिछले साल तथा इस साल कितनी कितनी आय हुई ? इस साल की आय पिछले साल से कम या ज्यादा है और कितनी ?

(2) क्या दो सालों से कई देशी शराब के ठेकों को किन्हीं कारणों की वजह से हटाया जाने के लिए शिकायतें प्राप्त हो रही थीं लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया ? यदि हां, तो फिर अचानक जिला आबकारी अधिकारी ने सबसे ऊंची बोली बोले एक दो ठेके बन्द करवा के बिना किसी वजह से ठेकेदारों को लाखों रुपयों का फायदा दे दिया है ?

(3) अगर किन्हीं कारणों की वजह से कुछ ठेके बन्द ही करने थे तो फिर एक या दो ऊंची बोली वाले ठेके ही क्यों बन्द कर दिये गये तथा सभी झगड़े वाले ठेके क्यों नहीं बन्द किये गये ?

(4) ठेकेदारों ने कहीं ठेके लेने से इन्कार कर दिया था ? यदि हां, तो फिर जिला आबकारी अधिकारियों ने सरकारी ठेके क्यों नहीं चलाये तथा अब तक भी वे ठेके क्यों बन्द कर रखे हैं ? अब सरकार उन स्थानों पर अपनी ओर से ठेके क्यों नहीं चला रही है ?

(5) कम जमानत तथा माल की खपत ज्यादा मात्रा में होने से हाथ की बनी शराब आदि का बिकना या स्मगलिंग होना आदि को रोकने के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में देशी शराब की दुकानों के ठेके से 1972-73 वर्ष में

(आबकारी मंत्री)

1,04,26,500 रु० की आय हुई परन्तु इस वर्ष करीब 95 लाख रु० की आय होने का अनुमान है। इस तरह इस जिले में इस वर्ष देशी शराब से लगभग 9 लाख रु० की आय कम होने का अनुमान है।

(2) जी हां, अजमेर शहर में कतिपय दुकानों को हटाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें कहार मोहल्ला की दुकान भी शामिल है। यह दुकान एक स्कूल के नजदीक थी अतः राज्य सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि जब तक उक्त मोहल्ले में ऐसा स्थान नहीं मिल जाता जो स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थान आदि से 200 मीटर दूर हो इस दुकान को नहीं चलाया जाय। इस बारे में प्रयत्न जारी हैं परन्तु अभी तक उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली है।

(3) सरकार का किसी भी ठेके को बन्द करने का इरादा नहीं है। स्थानीय परिस्थितियोंवश जिलाधीश को कहार मोहल्ला दुकान बन्द करवानी पड़ी।

(4) जहां ठेकेदारों ने ठेके लेने से इन्कार किया है वहां सरकारी दुकान चलाई जा रही है। जैसे मदनगंज नं. 1, किशनगंज नं० 1 और जैठाना 1 कहार मोहल्ले में भी सरकारी दुकान चलाने का प्रयत्न किया गया परन्तु उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली।

(5) प्रश्न अस्पष्ट है। परन्तु जब जब और जहां जहां नाजायज शराब की बिक्री की शिकायत आती है, तुरन्त आबकारी निरोधक दल द्वारा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता से उचित कार्यवाही की जाती है।

### अध्यापकों के अभाव में पंचायत समितियों की बन्द पाठशालाएं

94. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर विशेषतया एवं जिले की अन्य पंचायत समितियों में अब तक कई प्राथमिक पाठशालाएं अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़ी हैं? यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति में कितने कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त रिक्त स्थानों पर कब तक पूरी संख्या में अध्यापक भेजे जाकर पाठशालाएं शुरू करवा दी जावेंगी? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिले की सब पंचायत समितियों में पिछले सत्र में कई अध्यापकों के कई स्थान साल भर रिक्त रहे एवं मंजूरशुदा पाठशालाएं बन्द रहीं? यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति में कितनी कितनी पाठशालाएं अध्यापकों के अभाव में साल भर बन्द रही? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या इससे कई गांवों में पिछले साल एवं इस साल ग्रामीण बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे एवं इस साल भी वंचित रहेंगे? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक? इस बारे में कम से कम इस साल सारी मंजूरशुदा पाठशालाएं चल सकें सरकार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पूरे अध्यापक भिजवाने के बारे में निर्णय लेना चाहेगी ?

(4) क्या सरकार इस वर्ष जिला जालोर की पंचायत समितियों में मंजूरशुदा पाठशालाएं चलाने के लिये अस्थाईरूप से अप्रशिक्षित हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण एवं बी. एड. उत्तीर्ण छात्रों की नियुक्ति दिलाने की छूट देना उचित समझेंगी ? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) अनिवार्य ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा के लिए पिछले जिलों में पूरे अध्यापक समय पर नियुक्त कर भिजवाने के बारे में सरकार की क्या नीति रहेगी ?

( स्थगित किया गया )

### माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें

95. श्री मीठालाल ( लालसोट ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक कक्षाओं की कुछ पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों की मनमानी, चोर बाजारी के कारण आज तक भी छात्रों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है ।

(ख) क्या यह सही है कि माध्यमिक कक्षाओं की संस्कृत गद्य चन्द्रिका के प्रकाशक विजय बुक डिपो, अलवर द्वारा इस पुस्तक की प्रतियां किसी अन्य पुस्तक विक्रेताओं को न देकर स्वयं की दुकान वन्दना प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर को ही दी गई ? जिसने सारी पुस्तकें, पुस्तक विक्रेताओं को या तो ब्लेक से बेची, या बिना कमीशन दिये कुंजियों सहित बेची ?

(ग) क्या यह सही है कि इसी प्रकार आधुनिक सामान्य विज्ञान के प्रकाशक विष्णु प्रकाशक, आगरा द्वारा प्रकाशित गद्य पद्य संग्रह नामक पुस्तक भी अपनी इच्छानुसार ब्लेक से या पुस्तक विक्रेताओं से रुपये मंगाकर कुछ पुस्तकें नहीं भेजने या देरी से भेजने की प्रवृत्ति से बेची ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त विष्णु प्रकाशक, आगरा को गत साल भी अनियमितता बरतने के कारण सरकार द्वारा दण्डित किया गया था ? यदि हां, तो ऐसे दोषी प्रकाशक को पुनः प्रकाशन अधिकार क्यों दिये गये ?

(ङ) क्या राज्य सरकार उक्त दोनों प्रकाशकों की गलत कार्यवाहियों की जांच कर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

#### उत्तर

(क) यह सही नहीं है कि बोर्ड की माध्यमिक कक्षाओं की कुछ पुस्तकें प्रकाशकों की मनमानी व चोरबाजारी के कारण आज तक भी छात्रों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है । माध्यमिक गद्य पद्य संग्रह तथा सामान्य विज्ञान के अलावा सभी पुस्तकें बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।

(ख) यह सही नहीं है कि मैसर्स विजय बुक डिपो, अलवर द्वारा "संस्कृत गद्य चन्द्रिका" की पुस्तकें स्वयं की दुकान वंदना

(उत्तर)

प्रकाशन चौड़ा रास्ता, जयपुर को ही भेजी गयी हैं। विजय बुक डिपो, अलवर को इस सत्र में जयपुर के नीचे लिखे चार पुस्तक विक्रेताओं से इस पुस्तक के क्रयादेश आये थे और प्रकाशक ने प्रत्येक के सामने लिखी संख्या में उन्हें पुस्तकें सप्लाई की हैं :—

| पुस्तक विक्रेताओं के नाम | भेजी गई प्रतियों की संख्या | बिल संख्या | दिनांक |
|---|---|---|---|
| मैसर्स राजस्थान प्रकाशन, जयपुर | 300 | 335 | 18.7.73 |
| मैसर्स इण्डिया बुक हाउस, | 250 | 304 | 30.6.73 |
| जयपुर | 200 | 342 | 23.7.73 |
| मैसर्स अजमेरा बुक कम्पनी, | 400 | 305 | 30.6.73 |
| जयपुर | | 353 | 27.9.73 |
| मैसर्स वन्दना प्रकाशन, | 500 | 303 | 28.6.73 |
| जयपुर | 100 | 336 | 18.7.73 |

इससे स्पष्ट है कि मैसर्स वन्दना प्रकाशन चौड़ा रास्ता, जयपुर को पुस्तकें अन्य के साथ साथ भेजी गई। इस पुस्तक विक्रेता द्वारा पुस्तकों को ब्लेक से बेचने या बिना कमीशन दिये कुंजी सहित बेचने के बारे में बोर्ड के पास कोई शिकायत नहीं है एवं इस प्रकार की शिकायतों पर पुस्तक विक्रेताओं के विरुद्ध बोर्ड कोई कार्यवाही भी नहीं कर सकता।

(ग) यह सही है कि मैसर्स विष्णु प्रकाशन, आगरा द्वारा प्रकाशित आधुनिक सामान्य विज्ञान एवं माध्यमिक गद्य पद्य संग्रह नामक पुस्तकें पूरी संख्या में एक साथ सप्लाई नहीं की जा सकी हैं। ब्लेक से बेचने या पुस्तक विक्रेताओं से रुपये मंगवा कर कुछ पुस्तकें देरी से भेजने अथवा बिल्कुल नहीं भेजने की प्रवृत्ति प्रकाशक की नहीं रही प्रतीत होती है क्योंकि पुस्तक वे स्वयं पूरी संख्या में नहीं छाप सके अतः विलम्ब होना स्वाभाविक था।

(ग) गत वर्ष मैसर्स विष्णु प्रकाशन आगरा द्वारा सामान्य विज्ञान की पुस्तक सप्लाई करने में कुछ देरी की गई थी जिसका प्रमुख कारण इस प्रकाशक एवं बोर्ड के विरुद्ध अन्य प्रकाशक द्वारा इस पुस्तक की स्वीकृति के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना एवं फैसला होना रहा। सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस प्रकाशक को कोई दण्ड नहीं दिया गया। इस वर्ष माध्यमिक गद्य पद्य संग्रह की पुस्तक के प्रकाशन के लिये इस प्रकाशन की न्यूनतम दर थी। छात्रों को सस्ती पुस्तक उपलब्ध हो इसी दृष्टि से निविदा दरों पर विचार करने वाली उप समिति की अनुसंशा पर बोर्ड ने इस प्रकाशक को पुस्तक प्रकाशन का अधिकार दिया था।

(ड) उपर लिखे दोनों प्रकाशकों में से विजय बुक डिपो, अलवर के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं बनता है। मैसर्स विष्णु प्रकाशन, आगरा द्वारा इस सत्र में कम

**उत्तर**

मात्रा में पुस्तकें सप्लाई करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रकाशक से स्पष्टीकरण मांगकर उसे निजी सुनवाई दे दी गई है तथा अग्रिम निर्णय लिया जा रहा है।

**राज्य में राजकीय एवं सहायता प्राप्त कॉलेज**

96. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितने राजकीय एवं सहायता प्राप्त कालेज हैं?

जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**स्कूलों एवं छात्रों के जिलेवार आंकड़े**

97. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितने प्राइमरी, मिडिल, सैकन्डरी एवं हायर सैकन्डरी स्कूल हैं, एवं उनमें कितने विद्यार्थी एवं शिक्षक हैं? प्रत्येक जिले के अलग से आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सूची संलग्न है। सूची अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**माध्यमिक विद्यालयों को धनराशि**

98. **श्री बृजेन्द्रपाल सिंह** (करौली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष जिला सलाहकार समिति द्वारा माध्यमिक विद्यालयों को सहायतार्थ धनराशि देना स्वीकृत किया गया था जिसके फलस्वरूप करौली सब-डिवीजन के बारह माध्यमिक विद्यालयों को उन्तालीस हजार रुपया देना स्वीकार किया गया?

(2) क्या यह सही है कि इसकी मंजूरशुदा राशि का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ?

(3) किन माध्यमिक विद्यालयों को रकम दी जा चुकी है और कितनों को देना बाकी है?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, परीता की माध्यमिक शाला को तीन हजार रुपये स्वीकार किये गये थे परन्तु यह रकम अभी तक नहीं दी गई है?

**उत्तर**

(1) जी हां यह सही है कि इस वर्ष जिला सलाहकार समिति द्वारा विद्यालयों को सहायतार्थ धनराशि देना स्वीकृत किया गया था जिसके फलस्वरूप करौली सब-डिविजन के 3 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 16000/- रुपये सहायतार्थ देना स्वीकार किया गया।

(शिक्षा मंत्री)

(2) सभी को भुगतान किया जा चुका है।

(3) सभी विद्यालयों को रकम दी जा चुकी है ?

(4) माध्यमिक शाला, परीता को कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई। यह विद्यालय माध्यमिक शाला नहीं हैं बल्कि उच्च प्राथमिक शाला है।

## भूमि की बिक्री पर नगरपालिका क्षेत्र में इन्तकाल की फीस

99. श्री गुरदयालसिंह संधू (करणपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका, पदमपुर में आबादी भूमि की बिक्री पर जो नगरपालिका क्षेत्र में इन्तकाल किये जाते हैं, उसकी फीस 50 रुपये वसूल की जा रही है ?

(ख) क्या सरकार उसे उचित समझती है और क्या सरकार भविष्य में इतनी बड़ी रकम की वसूली को बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

## जयपुर जिले के अकाल राहत कार्य एवं क्रेश योजना

100. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य एवं क्रेश योजना के तहत सड़क एवं बांध निर्माण के कार्य प्रारंभ किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से कार्य, कितनी कितनी लागत के प्रारंभ किये गये ? इन कार्यों में कितना कितना व्यय हुआ और कार्यों को पूर्ण कराने में कितना कितना व्यय और अब होगा।

(2) क्या यह सच है कि इन अपूर्ण कार्यों को राज्य सरकार पूर्ण कराये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस योजना से इन कार्यों को पूर्ण कराया जावेगा तथा कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची परिशिष्ट "क" व 'ख' एवं 'अ' 'ब' में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। क्रेश योजनान्तर्गत लिए गये कार्यों को इसी योजना के तहत पूर्ण कराने का प्रयत्न किया जावेगा। अकाल के अधूरे कार्यों को योजना कार्यों के साथ एवं अन्य कार्यों के साथ समन्वित करके पूरे करने का प्रयत्न किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## पदमपुर (गंगानगर) में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनाये गये खालों पर व्यय

101. श्री गुरदयालसिंह सन्धू (करणपुर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनाए गए खालों पर प्रति मुरब्बा क्या खर्चा आया

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

है ? उसमें मेटीरियल सीमेंट, मिस्त्री व मजदूर का कितना खर्चा आया है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखा जावे और बतलाया जावे कि उसमें से किसानों से क्या वसूल किया गया है और सरकार द्वारा क्या खर्चा किया गया ?

(2) चक 53 आर० बी० तहसील पदमपुर के खाले का अलग से ब्यौरा देते हुए उपरोक्त पूर्ण जानकारी दी जावे।

(3) क्या सरकार क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्मित खालों में हुए घोटालों की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) औसतन प्रति मुरब्बा पर 3810 रुपया व्यय हुआ है। इसमें से मेटीरियल (ईंटें व सीमेंट) पर 2484) रुपया एवं मिस्त्री व मजदूर पर 1326) रुपये व्यय हुए हैं। किसानों से 2000) रुपये वसूल किये गये हैं तथा 1810) रुपया सरकार द्वारा व्यय किये गये हैं।

(2) चक 53 आर० बी में 7 मुरब्बा खाला बनाया गया है, जिसमें मेटीरियल (ईंट व सीमेंट आदि) पर 16535)07 तथा मिस्त्री व मजदूरों पर 9808)36 व्यय हुए हैं। इस प्रकार कुल व्यय 26343)43 का हुआ है। इसमें से किसानों से 14000 रुपया वसूल किया गया है तथा 12343)43 पैसा सरकार द्वारा व्यय किये गये हैं।

(3) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्मित खालों में कोई घोटाले नहीं हुए हैं, अत: जांच करवाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**सिरोही जिले में राहत कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि**

102. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की रेवदर तहसील में सोरड़ा से बाठरोड़ को तीन स्थानों से रोड़ बनाना प्रारम्भ किया और काफी पैसा खर्च होने के पश्चात् बन्द करके दूसरी जगह बनाना प्रारम्भ किया ? यदि हां, तो इस धन का दुरुपयोग करने का जिम्मेदार कौन है ?

(2) सिरोही जिला मकान समिति की वर्ष भर में कुल कितनी बैठकें हुई तथा समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार कितना काम हुआ और कौन कौन सा काम समिति की राय के बिना किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सिरोही जिले के अकालग्रस्त ग्रामों में कुल कितने असहाय लोगों को सहायता दी गई ? और किस किस ग्राम में किस किस व्यक्ति को ? सहायता देने का आधार क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(3) अकाल राहत सलाहकार समिति की 7 बैठकें हुई थीं। समिति के द्वारा 121

# Page No.38



(अकाल सहायता मंत्री)

कार्यों की सिफारिश की गई है, और इन कार्यों की स्वीकृति सहायता विभाग द्वारा दी गई है । इन कार्यों में से 8 कार्य तकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं होने से प्रारम्भ नहीं कराये गये हैं । समिति की राय के बिना कोई कार्य नहीं कराया गया है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## अकाल सहायता कार्यों पर लगे श्रमिकों की बकाया का भुगतान

103. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1969-70 में अकाल सहायता कार्यों पर लगे श्रमिकों की बकाया भुगतान हेतु गत वर्ष सूचियां तहसीलदारों को भेजी गई थीं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त सूचियों में श्रमिकों की वल्दियत व सकूनत दर्ज न कर केवल फेमिन कैम्प के नाम लिखे गये ? जिसके फलस्वरूप श्रमिकों की खोज करने में कठिनाइयां आईं और श्रमिकों को आधे से भी कम को भुगतान हो पाया और वास्तविक श्रमिक अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने से वंचित रह गये ?

(2) यदि हां, तो मस्टररोलों में श्रमिकों का पूर्ण विवरण दर्ज होने के बावजूद अधूरी सूची तैयार करने वाले अधिकारी क्या दोषी नहीं हैं जिनके कारण भुगतान नहीं हो सका है ?

(3) यदि हां, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? और नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब भी ऐसी सही सूचियां तैयार करवा कर उन श्रमिकों को अपनी मेहनत का फल चुकाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

( स्थगित किया गया )

## पशु चिकित्सा अस्पतालों के भवन

104. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार की ओर से पशु चिकित्सा अस्पताल के कितने भवन विभिन्न जिलों में किन किन स्थानों में अब तक बनाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के हैडक्वार्टर बाड़मेर नगर में अभी तक पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण नहीं किया गया ? यदि हां, तो अब कब तक उसके बारे में स्वीकृति पर कार्य शुरू कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । अर्थाभाव के कारण बाड़मेर में पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है । इसी कारण

(पशुपालन मंत्री)

निकट भविष्य में भी इस कार्य को हाथ में लिए जाने की सम्भावना नहीं है

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

### तहसील पदमपुर की ग्राम पंचायत में शक्कर का वितरण

105. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) ग्राम पंचायत 23 बी. बी. तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर में पिछले 5 वर्षों में कितनी बार, किसके द्वारा और कितनी कितनी खाण्ड जनता को दी गई ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखा जावे और बतलाया जावे कि उसका हिसाब किसके द्वारा तहसीलदार, पदमपुर को पेश किया गया और क्या तहसीलदार उस बटवारे से सन्तुष्ट था ?

(ख) क्या यह सही है कि बार बार खाण्ड उठाये जाने पर भी पिछले 1½ वर्ष में सिर्फ दो बार खाण्ड जनता को वितरित की गई ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत का खाण्ड के बटवारे के लिए एक डीलर नियुक्त किया हुआ है मगर खाण्ड केहर सिंह सरपंच अफसरों से साठ गांठ करके स्वयं उठा रहा है । वह ब्लेक में बेची जाती है ?

(घ) क्या सरकार इसकी जांच करवाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) ग्राम पंचायत 23 बी. बी. तहसील पदमपुर में पिछले 5 वर्षों में निम्न प्रकार से वितरण हुआ :–

1. 2/68 से 5/69 तक 6 बार 51 क्वि. श्री केसरसिंह सरपंच के द्वारा ।

2. 6/72 से 4/73 तक 7 बार 69 क्वि. मूलचन्द पुत्र जीवनराम ।

3. 7/73 से 9/73 तक 2 बार 12 क्वि. ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा ।

(ख) पिछले डेढ़ वर्ष में खाण्ड का वितरण 9 (नौ) बार हुआ है दो बार नहीं ।

(ग) वर्तमान में श्री केहरसिंह सरपंच का वितरण से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं चीनी उसके द्वारा नहीं उठाई जाती है ।

(घ) जांच करवाने जैसे तथ्य कोई सामने नहीं आये हैं आने पर जांच कराई जा सकती है ।

### माण्डल तहसील के राहत कार्य

106. **श्री विजयसिंह** (माण्डल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माण्डल तहसील के राहत कार्यों के अन्तर्गत मनोहरपुरा, जाटों का निम्बाहेड़ा उमरा ज्ञानगढ़ के कार्यों की स्वीकृति कब हुई थी ?

(2) ज्ञानगढ़ और जाटों का निम्बाहेड़ा में इस वर्ष क्या क्या राहत कार्य चलाये गये और ये कार्य कब कब प्रारम्भ किये गये ?

(श्री विजयसिंह)

(3) उक्त क्षेत्र में क्या इस वर्ष राहत कार्यों में नये काम भी लिये गये थे ?

उत्तर

(1) तहसील माण्डल में राहत कार्यों के अन्तर्गत मनोहरपुरा, जाटों का निम्बाहेड़ा, उमरी तथा ज्ञानगढ़ के कार्यों की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी गई थी:—

| नाम कार्य | दिनांक | अभिकरण |
|---|---|---|
| 1. निम्बाहेड़ा जाटान | 18-2-73 | भू-संरक्षण |
| 2. उमरी | | |
| उमरी तालाब | 19-4-73 | सिंचाई विभाग |
| जाटेला तालाब | 1-6-73 | ,, ,, |
| 3. ज्ञानगढ़ | 18-5-73 | भू-संरक्षण |
| 4. मनोहरपुरा | 15-1-73 | सिंचाई विभाग |

(2) ज्ञानगढ़ एवं जाटों का निम्बाहेड़ा में भू-संरक्षण कार्य प्रारम्भ किये गये थे तथा ज्ञानगढ़ में कार्य माह मई में तथा निम्बाहेड़ा में कार्य माह मार्च में प्रारम्भ किये गये थे।

(3) जी नहीं।

## कृषि विभाग एवं जिलाधीशों द्वारा बीज की खरीद

107. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कृषि विभाग द्वारा व अन्य जिलाधीशों द्वारा बीज के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार, तिल्ली, मोठ और मूंग कितना और किस भाव से किन किन व्यापारियों के माध्यम से खरीदा गया तथा उस समय बाजार में प्रचलित भाव क्या थे ?

( स्थगित किया गया )

## गंभीरी नदी की बाढ़ से हुए नष्ट ग्राम

108. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सब डिविजन हिण्डौन में अधिक वर्षा से गम्भीरी नदी की बाढ़ से काफी गांवों को नुकसान उठाना पड़ा है ? यदि हां, तो कितने गांव बाढ़ से ग्रस्त हुए एवं उनमें से कितने गांवों के व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर आबाद किया गया ? गांव वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि कुछ गांव आबाद नहीं हुए तो उनकी संख्या और नाम क्या हैं ?

(3) क्या सरकार इन्हें आबाद करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि पीलुवा मानपुरा पिछली साल की वर्षा से बरबाद हुआ था परन्तु उस गांव को अभी तक आबाद नहीं किया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि पीलुवा मानपुरा की आबादी के लिए जिलाधीश, सवाई माधोपुर द्वारा सालों पहिले 10 बीघा जमीन दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों उस जमीन में हरिजन लोगों को अभी तक बसने

# Page No.41



( श्री उम्मेदीलाल )

नहीं दिया गया है जब कि दूसरे लोगों ने अवैधरूप से कब्जा कर रखा है ?

(6) क्या सरकार दूसरे लोगों का कब्जा हटा कर हरिजनों को आबाद करायेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) हां, गम्भीरी नदी की बाढ़ से तहसील हिण्डौन के 15 ग्राम, तहसील टोडाभीम के 12 ग्राम, कुल 27 ग्रामों को हानि हुई है। (ग्रामों की सूची संलग्न है)। इन ग्रामों में से 18 ग्रामों को सुरक्षित स्थानों पर आबाद कर दिया गया है, जिनमें से 8 ग्राम तहसील हिण्डौन के तथा 10 ग्राम तहसील टोडाभीम के हैं (आबाद किये गये ग्रामों की सूची संलग्न है)।

(2) हिण्डौन तहसील के 7, टोडाभीम तहसील के 2, कुल 9 ग्राम नये स्थानों पर आबाद नहीं हुए हैं ( इनके नामों की सूची तहसीलवार संलग्न है ) इन ग्रामों के निवासियों द्वारा नई आबादी के लिये अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की गई और वह अपने पूर्व स्थानों पर ही रह रहे हैं। इस कारण इन्हें नये स्थानों पर नहीं बसाया गया।

(3) यदि इन ग्रामों के निवासी भी नई आबादी के लिये अतिरिक्त भूमि की मांग करते तो उनके लिये व्यवस्था की जा सकती थी और अब भी हो सकती है।

(4) हां, यह सही है कि ग्राम पीपला पिछले वर्ष बाढ़ प्रभावित हुआ किन्तु यह सही नहीं है कि उसे आबाद न किया हो। 53 परिवार आबाद हो चुके हैं। भूमि खसरा नं० 443/1/1 रकबा 10 बीघा में यह परिवार आबाद हो चुके हैं। इस भूमि में आबाद हुए परिवारों में से 41 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए थे।

(5) जी हां। आबादी के विकास हेतु 10 बीघा भूमि खसरा नं० 443/1/1 में दी गई थी, उसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा उस समय नहीं किया जाने पर वही भूमिगत वर्ष ग्राम पंचायत की सिफारिश पर बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए आवंटित हो गई और 53 परिवार उसमें आबाद हुए उनमें से 26 परिवार हरिजन बैरवा हैं।

यदि वह हरिजन जिनकी आबादी के लिये पूर्व में भूमि आवंटन हुई थी अब भी आबादी हेतु जमीन चाहें तो अब भी दी जा सकती है।

(6) यह सम्भव नहीं है। हरिजनों के लिये अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकती है।

( कृपया परिशिष्ट 5 देखिये )

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि :—

श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है :—

(1) राज्य सरकार ने नगर परिषदों के चुनावों की तिथि की घोषणा नहीं की है,

(श्री अध्यक्ष)

(2) राज्य सरकार ने 87 डाक्टरों को सेवामुक्त कर दिया है और 145 अन्य डाक्टरों को सेवामुक्त करने की आशंका है।

(3) स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को कोई सहायता अथवा प्राथमिकता नहीं दी जायेगी, ऐसी सूचना राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग ने भेजी है।

(4) राज्य में पट्रोल और मिट्टी के तेल व गेस के भाव बढ जाने के कारण ये चीजें जनता को उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इस विषय पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) जयपुर शहर में पानी का पर्याप्त प्रेशर नहीं है, यह विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है।

(6) राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए बीज व खाद की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जा रहा है।

(7) राज्य के 15 नगरों में मावा व छैना पर रोक लगाने के बावजूद दूध के भाव कम नहीं हुए हैं, यह विषय सरकारी नीति से संबन्धित है।

(8) जैन मन्दिर रिषभदेव केशरियानाथ की जैन मूर्तियों में तोड़ फोड़ की गई है; इस प्रस्ताव में घटना की कोई तिथि नहीं दी गई है, उपरोक्त आधारों पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री गुमानमल लोढ़ा व श्री गिरधारी लाल भार्गव सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(i) पिलानी बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड साइंस के छात्रों द्वारा किया जा रहा आन्दोलन।

(ii) जयपुर शहर में गत 10-15 दिनों से चोरियों का तांता लग रहा है। इन विषयों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, अजीतसिंह व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधानसभा ने निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है:—

(i) केरोसिन तेल व पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि। इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(ii) मन्त्रिमण्डल के गठन व मन्त्रियों के बढ़ाने की सार्वजनिक चर्चा में प्रशासनिक अस्थिरता।

(iii) जिला टोंक में बुखार व मोतीझरा का प्रकोप, अन्तिम दोनों ही विषय किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधानसभा ने निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है:—

(i) तहसील जमवारामगढ़ के कुछ ग्रामों को बिजली की सप्लाई के विषय में

# Page No.43



(श्री अध्यक्ष)

प्रशासनिक नियन्त्रण गोविन्दगढ़ के सहायक अभियन्ता के अधीन दिया जा रहा है। यह विषय किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है।

(ii) जयपुर, भरतपुर रोड की कुछ जमीन जो अवाप्त की गई थी, उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। यह प्रश्न का विषय है। अतः मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) सर्व श्री मीठालाल मीणा व मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधानसभा ने निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है:—

(i) पैट्रोल व मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि व इन वस्तुओं का अभाव,

(ii) सरकार द्वारा पंचायत चुनाव टालने की सम्भावना;

(iii) पंचायत समिति लालसोट व दौसा में गेहूं के उन्नत बीज खाद आदि उपलब्ध नहीं होना।

इन विषयों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(6) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने पिलानी के इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एण्ड साइन्स के छात्रों की मांगों को लेकर किए जा रहे एक आन्दोलन के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस (विषय में) राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(7) श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने अजमेर की मशीन टूल्स कारपोरेशन के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। प्रस्ताव में दी गई तिथि के अनुसार यह मामला पुराना हो चुका है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)**: हमने बहुत से स्थगन प्रस्ताव भेजे हैं जिनका संकेत नहीं दिया गया है, वे 10 बजे तक आपके पास पहुंच गए।

**श्री अध्यक्ष**: सभी का जवाब आ जाएगा। आज करीब 40 स्थगन प्रस्ताव आए हैं उनमें से 20 पर निर्णय नहीं हो सका, उन पर बाद में निर्णय लिया जाएगा।

**कई माननीय सदस्य**: आवाज ठीक नहीं आ रही है।

**श्री अध्यक्ष**: मैं निवेदन कर रहा था कि आज ही लाउड स्पीकर मशीन में खराबी मालूम हुई। काफी कोशिश करने के बाद भी दुरुस्ती पूरी तरह से नहीं हुई, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मजबूरी की हालत में जैसा कुछ है, उससे काम चलाना पड़ेगा। भविष्य में पूरी चेकिंग करने के बाद ही कार्यवाही शुरू करेंगे। यदि माननीय सदस्यों को कष्ट न हो तो थोड़ा जोर से बोलें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** ( सूरतगढ़ ) : मुझे जोर से बोलने में कोई कष्ट नहीं होगा।

**श्री अध्यक्ष** : फिर भी यदि माननीय सदस्य जोर से बोलेंगे तो अच्छा होगा। मैंने कहा कि करीबन 40 स्थगन प्रस्ताव आए थे उनमें से 20 पर निर्णय ले सके, और 20 पर निर्णय नहीं दे सके, वह कल सुनायेंगे। कुछ ऐसे स्थगन प्रस्ताव हैं जो समय के बाद आए। बाकी पर निर्णय कल दिया जाएगा।

**श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव, तहसील जमवारामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पूरी तरह से सप्लाई नहीं होने के बारे में दिया हुआ था। इसका कारण यह है कि इस तहसील के कुछ ग्रामों की बिजली की प्रशासनिक व्यवस्था गोविन्दगढ़ के सहायक अभियन्ता के हाथ में है। इससे उस ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को व ग्रामीण लोगों को काफी दिक्कतें पैदा होती हैं अतः मेरा निवेदन है कि इन ग्रामीण लोगों को काफी दिक्कतें पैदा होती है। अतः मेरा निवेदन है कि इन ग्रामों में बिजली की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि किसानों को राहत मिले। तथा इसके साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था सहायक अभियन्ता, गोविन्दगढ़ से हटाली जानी चाहिये। इसके अलावा मेरा एक दूसरा स्थगन प्रस्ताव पंचायतों के चुनावों के बारे में दिया हुआ था। इसमें मेरा यह निवेदन है कि पंचायतों के चुनाव सन 1965 में होने चाहिये थे वह अभी तक नहीं कराये गये हैं। इससे आज राजस्थान की ग्रामीण जनता में पंचायतीराज के अन्दर आस्था उठ रही है तथा साथ में जनता में राज्य सरकार के प्रति आस्था भी उठ रही है।

**श्री अध्यक्ष** : इसकी जानकारी चाही है।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार आज जो इतने वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं करवा रही है तथा किसी न किसी बहाने से उन्हें टालती जा रही है इससे राजस्थान सरकार के ग्रामीण जनता में भारी असन्तोष फैलता जा रहा है तथा राज्य सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करके पंचायती राज की हत्या कर रही है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के चुनाव अविलम्ब कराये जाने चाहियें ... ....

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कहा ना कि इसकी जानकारी चाही है। आप थोड़े में कहें।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : थोड़े में ही कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पंचायत मन्त्री को चाहिये कि तुरन्त पंचायतों के चुनाव कराकर जो आज राज्य सरकार के प्रति विश्वास उठ रहा है उसे वापिस ठीक कराने की व्यवस्था करावें और पंचायतों के चुनाव कराकर प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना की जावे।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। उसमें आपने यह फरमाया है कि उसकी जानकारी चाही है। मेरा आपको यह निवेदन है जैसा कि लोगों के मन में धारणा है और जैसा कि समाचार-पत्रों में छपा है कि विधान सभा का यह सत्र

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बहुत ही अल्पकाल के लिये है, खैर इसका जो भी निर्णय होगा वह तो बाद में पता लगेगा कि क्या निर्णय होता है। यह सत्र तीन दिन तक चलेगा चार दिन या पांच दिन जितने भी दिन चले मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस बारे में दो तीन दिन में किसी भी दिन, जो आप निर्धारित करें, एक स्टेटमेन्ट सदन में दे दें। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में राज्य सरकार को यहां पर एक स्टेटमेन्ट देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, केरोसीन तेल एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है इसके जो भाव पिछले तीन दिनों में बढ़ाये गये हैं जिससे जनता काफी परेशान है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि महात्मा गान्धी ने कहा था कि नमक और तेल देश में बहुत ही आवश्यक वस्तुओं में से आता है जिसका कि असर देश की हर जनता पर पड़ता है इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये और अगर इस पर कोई टैक्स लगता है तो यह एक बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, केरोसीन के तेल पर अगर राज्य सरकार टैक्स लगाती है तो वह हर इन्सान पर टैक्स लगता है क्योंकि केरोसीन राज्य की गरीब और अमीर जनता दोनों के काम आती है और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि केरोसीन ज्यादा तो गरीब जनता के काम में आता है चाहे उसमें कोई आदिवासी हो चाहे कोई शिड्यूल कास्ट या शिड्यूल ट्राइब का इनसान हो, चाहे कोई ग्रामीण काश्तकार हो। चाहे कोई इनसान हो, केरोसीन सभी से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, केरोसीन के जो भाव बढ़ाये गये हैं उसका मेन कारण यह है कि अभी कुछ दिनों पहले साउदी अरब ने घोषणा की थी अरब राज्य तेल में कट कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसके लिए दुख के साथ कहना पड़ता है कि अरब राज्यों ने और साउदी अरब ने यह कटौती सिर्फ हिन्दुस्तान की जनता के लिये ही की है और पाकिस्तान के लिए नहीं की है। वैसे भी अरब राष्ट्र पाकिस्तान की वजह से भारतवर्ष के खिलाफ हैं तो मेरा यह निवेदन है कि चूंकि केरोसीन आम जनता के लिये काफी महत्वपूर्ण वस्तु है उसे महंगा करना अच्छी बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि आज के महंगाई के जमाने में इस तरह केरोसीन के ऊपर पैसे बढ़ाना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार में आम जरूरत की चीजों का भारी अभाव है। आपको बाजार में गैस नहीं मिलती, अनाज नहीं मिलता, कोयले की कमी है और इस तरह आप केरोसीन के ऊपर पैसे बढ़ा कर एक जले पर नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि इस कष्ट को समाप्त किया जाना चाहिये और जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उन्हें तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये। आज केरोसीन के ऊपर कीमत बढा कर आप गरीब तबके को और परेशानी में डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पिछले तीन दिनों में जबसे साउदी अरब ने कटौती की घोषणा की जिससे राज्य सरकार ने 28 पैसा प्रति लीटर केरोसीन पर पैसे बढ़ा दिये और पैट्रोल पर भी पैसा बढ़ाया है। पैट्रोल के लिये तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि वह तो मोटर कार वगैरह में काम आता है लेकिन केरोसीन आम जनता के काम की वस्तु है और बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है।

# Page No.46



(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव इस बात के लिये डाले जो और कीमतें बढ़ी हैं उन्हें वापिस घटायी जाये और केरोसीन को आम जनता को सस्ती दरों पर मुहैया कराने की व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता इससे प्रभावित है। अगर इस छोटे से विधान सभा के अधिवेशन के वक्त आप इस महत्वपूर्ण विषय पर सिर्फ जानकारी चाहते हैं और दो चार दिन में जब विधान सभा का सत्र समाप्त हो जायेगा और जब हम लोग वापिस हमारे घरों पर जायेंगे तो हमें जनता पूछेगी कि आपने इस बारे में क्या किया तो हम क्या जवाब देंगे? क्यों कि सिर्फ जानकारी चाहने में और जानकारी आने में काफी समय लग जावेगा और मैं समझता हूं कि विधान सभा सत्र के समाप्त होने के बाद यह सभी कागज राज्य सरकार के वेस्ट पेपर बास्केट में और कोल्ड स्टोरेज में चले जायेंगे और कोई कार्यवाही नहीं होगी इस पर। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके बारे में मन्त्री महोदय से स्टेटमेंट दिलाया जाय। वैसे भी एक स्टेटमेन्ट पहले भी होने वाला था लेकिन दुर्भाग्य से मुख्य मन्त्री महोदय की मृत्यु हो जाने से वह नहीं हो सका। अतः मेरा निवेदन है कि यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये इस पर एक-दो दिन में ही स्टेटमेन्ट हो जाना चाहिये ताकि जनता को इससे राहत मिले।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया आप समाप्त करें।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे राजस्थान की ढाई करोड़ जनता प्रभावित है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ऐसे प्रयास किये जायें जिससे कि आम जनता को कम कीमत पर केरोसीन का तेल उपलब्ध कराया जाय और यह जो कटौती की गयी है वह समाप्त की जाये।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है उसका इसमें आपने कोई संकेत नहीं दिया है उसके लिये मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप कहें तो मैं आज बोलूं और आप कहें तो मैं कल कुछ निवेदन करूं?

**श्री अध्यक्ष** : आप चाहें तो आज बोल लें या आप चाहें तो कल बोल लें। अगर आज आप बोल लेते हैं तो मैं इसे आज ही डिसपोज ऑफ कर दूंगा।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि केरोसिन का मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है लेकिन जैसा कि श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने कहा उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि गुमानमलजी साहब का सोचने का दृष्टिकोण ही कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, साउदी अरब के और अरबी मुल्कों में एक साउदी अरब ही नहीं है बल्कि उसमें 10-15 छोटे-मोटे देश हैं, जिनमें साउदी अरब, ट्यूनिशिया वगैरह हैं, जिनमें कि खास तौर से तेल होता है। उन्होंने सभी ने मिलकर तय किया था और तेल की कमी की वजह से यह संकट पैदा हुआ है। उन्होंने तेल की कमी की वजह से कटौती की है। इसलिए यह बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कुछ तो कटौती की वजह पैसे से बढ़ाये गये हैं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बाकी दूसरी जो गड़बड़ हुई है वह यहां के जो तेल बेचने वाले डीलर्स हैं उन्होंने तेल और पैट्रोल की कीमतें बढ़ायी हैं। इन लोगों की एक एसोशियेशन बनी हुई है जिन्होंने अपनी मर्जी से मुंहमांगे दाम बढ़ाकर बेचना शुरू कर दिया है। जहां राज्य सरकार ने पैसे बढ़ाये उन्होंने उस पर अपनी मर्जी से ही दो चार पैसे प्रति लीटर बढ़ाकर मनमाने ढंग से बेचना शुरू कर दिया है। तो मैं यह राज्य सरकार के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक्चुअली कितना पैसा राज्य सरकार ने तेल पर बढ़ाया था और इन तेल बेचने वाले डीलर्स ने कितने उससे अधिक पैसे बढ़ाये।

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़े में।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो मेरा यह निवेदन है कि देखना यह है कि उन्होंने कहीं अपनी सहूलियत को देखकर तो पैसे नहीं बढ़ा दिये। अगर उन्होंने अपनी मर्जी से पैसे दो दो, चार चार पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिये हैं तो उन्हें तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मेरा तो यह निवेदन है कि राज्य सरकार को पहले इन तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए था। अगर वह कर दिया जाता तो यह हालत नहीं होती। तो मेरा निवेदन है कि केरोसीन तेल आम जरूरत की इम्पोर्टेंट चीज है। उसके लिए राज्य सरकार को एक स्टेटमेंट देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, केरोसीन तेल गरीब की झोंपड़ियों में रोशनी पैदा करता है और इसके अगर पैसे बढ़ा दिए तो आज जो गरीबों को कठिनाइयां हैं उनमें और भी कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।

एक रुपया जेब में लेकर जायं तो तालमेल नहीं बैठता है। मेरे कहने का मतलब है संकटकालीन स्थिति है। इसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये राज्य सरकार द्वारा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो ऐडजोर्नमेंट मोशन पेश किये थे। मेरा निवेदन यह है कि बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एण्ड साइन्स...

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्री केदारनाथ : दो लफ्ज में ही निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, वहां के स्टूडेन्ट यूनियन ने 29 तारीख को डिमान्ड पेश की और इस डिमान्ड के अनुसार 30 तारीख को हड़ताल करने वाले थे और 30 तारीख को मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं बिना किसी जांच किये हुये वहां पुलिस तैनात कर देना, जबकि कोई वहां इस प्रकार का काज न हो, किसी प्रकार का कोई प्रवोकेशन न हो, उचित नहीं है। पुलिस अधिकारियों के कहने से छात्रों ने आन्दोलन एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने अपने निर्णय को स्थगित कर दिया। लेकिन डाइरेक्टर ने स्टुडेन्ट यूनियन से कोई बात नहीं की। मान्यवर, वहां का प्रशासन सेन्ट्रल की पालिसी को न मानते हो, स्टेट की पालिसी को न मानते हों, पर आप दखल नहीं दे सकते हैं इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी से, नये जो चुने गये हैं—वे अपनी इस अप्रोच को बदलें।

यहां पर भी कुछ दिन पहले, मान्यवर, स्टुडेन्ट्स ने युनिवर्सिटी आफिस में कब्जा किया था लेकिन उस स्टुडेन्ट्स ऐजीटेशन में पुलिस ने एन्टर नहीं किया। मान्यवर, यह

( श्री केदारनाथ )

एक ग्राटोनोमस बोडी है। इस पर सरकार की ग्रोर से स्टेटमेंट ग्राना चाहिये। मैं समझता हूं, एज्यूकेशन की पालिसी को बदला जाय। टेम्परेरी टीचर्स कहीं काम करते हैं ग्रौर वहां एक ग्रखबार निकल रहा है उस पर एक सेन्सर बोर्ड बिठा दिया जाय, यह डेमोक्रेसी में मेल खाने वाली बात नहीं है।

दूसरा डाक्टर्स के बारे में राज्य सरकार ने 422 या 420 पोस्ट एडवरटाइज की ग्रौर उन लोगों को पी० एस० सी० ने इन्टरव्यू के लिये कॉल किया, जो एम० बी० बी० एस० हैं, एम० एस० हैं, एम० डी० हैं मेरिट लिस्ट के ग्राधार पर ले सकते हैं। पी.एस.सी द्वारा छात्र इन्टरव्यू लेना मैं उचित नहीं समझता। एक एग्जामिनेशन तो उनका युनिवर्सिटि लेवल पर हो उसके ग्राधार पर टेम्परेरी ग्रपाइन्टमेंट कर दिया जाय ग्रौर फिर 12 महीने या दो साल या चार साल बाद पी० एस० सी० में भेजकर कनफर्म करते हैं। उसमें 87 को रिजेक्ट कर दिया। मान्यवर, एक फ्रेस केन्डीडेट है ग्रौर एक दूसरा केन्डीडेट चार साल से डेजर्ट में काम कर रहा है। ग्रखबार की उसकी कोई नालेज नहीं रहती है। ग्रब ऐसी स्थिति में उन दोनों का मुकाबला एक सा कर दें तो यह उचित नहीं लगता है। उसकी 5–6 साल की सर्विस होती है। उनमें से कुछ की 30 साल से ऊपर की एज भी हो गई होगी, तो मेरा निवेदन है उन 87 का एब्जोर्प्शन हो, उनको काम पर रखा जाय। उनको पी. एस० सी० में इन्टरव्यू के एक ग्रटेम्प्ट का मौका और देना चाहिये।

तीसरा जो टूल कार्पोरेशन, अजमेर है, यह पब्लिक सेक्टर में है। वहां पर मर्डर हुआ। मर्डर किया किशोरीलाल ने ग्रौर मर्डर हुग्रा ईश्वरलाल का। उस मामले में दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। उनसे एक छुरा, नाइफ बरामद किया गया। उसके बाद 15-20 दिन बाद छोड़ दिया गया। कुछ ग्रौर लोग पुलिस कस्टडी में हैं ग्रौर कुछ को छोड़ दिया गया। यह सब मान्यवर, यूनियन को क्रश करने के लिये किया गया है। हथकड़ी पहना कर मजदूर बस्ती में लोगों को नाजायजतौर से ले जाया जाय, उनको शर्मिन्दा किया जाय यह उन लोगों के साथ ग्रन्याय है। इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि स्पेशल ग्राफिसर द्वारा इन्वेस्टीगेशन इन्स्टीट्यूट करें ताकि ग्रौर दूसरी तरह से मजदूर नेताग्रों को कोई परेशानी न हो।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने दिये हैं, उनका माननीय केदारजी ने जिक्र कर दिया लेकिन मैं भी उस सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : कह दीजिये लेकिन संक्षेप में।

**श्री रामानन्द ग्रग्रवाल** : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि बिड़ला इन्स्टीट्यूट, पिलानी की जो स्थिति बनी है—विद्यार्थियों की हड़ताल करने की घोषणा किन परिस्थितियों में हुई। उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से एक ऐसा दृष्टिकोण ग्रपनाया गया ग्रौर नई सरकार से हम यह उम्मीद नहीं करते थे, इमीजियेटली कोई ग्रराजकता की घटना हो, विद्यार्थियों ने डेमोक्रेटिक तरीके से मेमोरेन्डम दिया।

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

29 तारीख को यह निर्णय किया कि अगर इस तरह का प्रशासन का रुख रहता है तो हमें अनिश्चितकाल के लिये हड़ताल पर चले जाना चाहिये । पीसफुल प्रोसेसन निकाले । लेकिन वहां पर पूरी पुलिस फोर्स और साढ़े तीन सौ जवान आर० ए० सी० के भेज दिये गये । 11 विद्यार्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आर० ए० सी० के जवान उन्हीं के बीच में जाकर सोते हैं और फिर उन्हीं के बीच में डण्डे घुमाते हैं । विद्यार्थी पीसफुल तरीके से हड़ताल कर रहे हैं और उनके बीच में इस प्रकार की पुलिस फोर्स भेज देना और उनके साथ अनुचित बर्ताव करना कहां तक न्यायसंगत है, जबकि एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन में सामान्यतः इस प्रकार की पुलिस फोर्स नहीं भेजी जाय यह ऑल इन्डिया लेवल से मांग की जाती है । अगर इस तरह की अवाञ्छनीय घटना हो जाय तो बात अलग है ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान युनिवर्सिटी में इन्हीं दिनों छात्रों ने वाइस चान्सलर के दफ्तर पर कब्जा कर लिया था और कई दिन तक कब्जा रहा । पुलिस दरवाजे पर खड़ी रही लेकिन उसने कोई दखलन्दाजी नहीं की । जबकि यहां सीट आफ दी गवर्नमेंट है और वाइस चान्सलर की तरफ से गवर्नमेंट से मांग की गई थी कि वहां पर इस प्रकार की घटना हुई है, लेकिन पुलिस नहीं गई । मैं माननीय जोशी जी से कहना चाहता हूं यह पिछले रिजीम की बात है । खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिक सेक्टर में है वहां काफी लम्बी स्ट्राइक हुई लेकिन बरकत साहब ने पुलिस नहीं भेजी क्योंकि नॉन पीसफुल एक्शन नहीं हुआ था और कहा गया था अगर ऐसी कोई घटना होगी तो पुलिस भेजेंगे । और यहां, अध्यक्ष महोदय, इसलिये कि बिड़ला जी का इन्स्टीट्यूशन है और यह सरकार उसकी फरमाबरदार हो जाय यह कोई अच्छी एग्जाम्पल क्रियेट नहीं कर रहे हैं ।

एक नई सरकार को अपनी नई इमेज जमानी है तो आप नये तरीके से इसे अपने हाथ में लें । पिछला रेकार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है । जिस तरह का एसोसियेशन रहा उसमें आपकी इमेज अच्छी नहीं बनी । हम उम्मीद करते हैं राजस्थान के इस नये माहौल में कोई नया दृष्टिकोण अपनायेंगे और खासतौर से स्टेट में अगर कहीं लॉ एन्ड आर्डर की प्रॉब्लम क्रियेट हो जाय तो पुलिस का इस्तेमाल कीजिये । लेकिन जब लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति नहीं बिगड़े तो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल मत कीजिये । जब तक कोई प्रवोकेशन की स्थिति न हो तो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं, बिलकुल अनुचित है और जिस तरह का पुलिस का इस्तेमाल किया गया है यह बिलकुल गलत तरीकेसे किया गया है । इसलिये मेरा निवेदन है पुलिस को फौरन विथ-ड्रा कर लेना चाहिये ।

दूसरी बात मेरी यह निवेदन करना है कि क्या बिड़ला इन्स्टीट्यूट स्टेट स्पोन्सर्ड इन्स्टीट्यूट है ? क्या हम इकॉनॉमी के कन्सेप्सन को इस हद तक मानते हैं कि वह कुछ भी करे ? जिस बात के लिए सरकार खुद दृढ़ संकल्प है, गवर्नमेंट आफ इन्डिया कहती है कि शिक्षा संस्थाओं में डेमोक्रेटाइजेशन किया जाये । आपने सिन्डीकेट में स्टुडेन्ट्स को प्रतिनिधित्व दिया है, आप और

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

तरीकों से भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और उस इन्स्टीट्यूशन को आप देखें। उसकी मैंने गवर्निग बोडी देखी, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को देखा है। क्या बिड़ला परिवार पूरा का पूरा एजुकेशनिस्ट है? जी. डी. बिड़ला, के. के. बिड़ला और सारे के सारे बिड़ला चाचा, बेटे, भाई, पोते यह सारे के सारे उसमें डाइरेक्टर्स हैं और इस तरीके की यह शिक्षण संस्था को पारिवारिक मामला बना कर वह चाहे जो कुछ करें, 2 हजार नौजवानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करें इसको आप बरदाश्त करना चाहते हैं? इसलिए कि यह मानोपालिस्ट्स का सवाल है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की पालिसी और खासतौर से नयी गवर्नमेंट आ रही है और नयी गवर्नमेंट इसके साथ किस तरह से डील करना चाहती है यह इस गवर्नमेंट की बोनाफाइडी का टेस्ट हैं और हम देखना चाहते हैं कि वह किस तरह से इस मामले को डील करना चाहती है। यह पहला मौका आया है उसी में मुझे खेद है कि गवर्नमेंट इसमें रेकर्ड माइनस का क्रियेट कर रही है और प्लस का नहीं। इस दृष्टिकोण से मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट इस बात पर गम्भीरता से विचार करेगी और जो स्टुडेन्ट्स की मांग है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। आप के पास एम्पल पावर्स हैं और आप चाहें तो मैं इस बात पर डिस्कस करने को तैयार हूं। आप उसके अन्दर इन्क्वायरी कर सकते हैं अगर कोई बेसिस हैं तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करा कर वास्तविकता में जो गलत बात हैं उसको देखें। आज साधारण नागरिक को कांस्टीट्यूशन में पावर्स दी गई हैं और वहां पर उन्होंने अपना ही कांस्टीट्यूशन बना रखा है जैसे कि वह बिड़ला का एजुकेशन ट्रस्ट नहीं होकर एक कन्सन्ट्रेशन कैम्प हो, जहां कि नौजवानों को सस्ता टैक्नोलोजिस्ट या सस्ता आदमी, जो कि उनकी चिलम भरे इस तरीके के लोग वहां पैदा किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह स्वतंत्र भारत के लिए उचित नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि यह सेशन तीन दिन चले या चार दिन चले कम से कम अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं वह कल जवाब दे चाहे परसों दे लेकिन इससे अधिक यह समय नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस बारे में आश्वासन मिल जाये ऐसा जरूर चाहता हूं क्योंकि 7 तारीख तक का तो तय है।

**श्री अध्यक्ष** : Anybody else now.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : कुछ कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : किस सम्बन्ध में।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : इसी संबंध में।

**श्री अध्यक्ष** : आपके नेता ने कह दिया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट का समय चाहता हूं। वैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं अर्ज करना चाहता था कि डॉक्टर्स के सम्बन्ध में एक अभी निर्णय लिया गया जिसमें कि करीब 87 डॉक्टर्स हैं, उसमें 80 परसेंट डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो तीन साल की

# Page No.51



(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सर्विस कर चुके हैं। यह हमारे देश के लिए और राजस्थान के लिए बड़े खेद की बात है कि आज डॉक्टर्स और इन्जीनियर्स यहां बेरोजगार हैं और जो डॉक्टर्स लगातार 3 साल से रोजगार में लगे हुए हैं आज हम उनको भी बेरोजगार कर दें इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। आखिर तीन साल का अपना अनुभव होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना एक तरीका हैं और उसके अन्दर जब इन्टरव्यू के लिए डॉक्टर जाता है तो उसमें डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट भी जाता है और जो स्पेशलिस्ट है उसकी राय जनरली पब्लिक सर्विस कमीशन में डोमीनेट करती हैं ··

**श्री अध्यक्ष** : थोड़े में कहें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : तबियत भी खराब है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपको देख कर ठीक हो गई। नयी सरकार को देखकर रौनक आ रही है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि यह तरीका टेक्निकल सर्विस के लिए बिलकुल गलत तरीका है। जो डॉक्टर सर्विस में आ गए, आज एक डॉक्टर इन्टरव्यू में आता है और इन्टरव्यू में आने के बाद वह तो सर्विस में ले लिया जाता है और जो डॉक्टर 3 साल से लगातार सर्विस के अन्दर है उसको इजेक्ट कर कर दिया जाता है। दूसरा बिड़ला इन्स्टीट्यूट के अन्दर जो दो हजार विद्यार्थियों ने हड़ताल की है···

**श्री अध्यक्ष** : वह हो गया।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं अलग से एक चीज अर्ज करना चाहूंगा। यह सारा देश जानता है कि आज यह इन्स्टीट्यूशन फोर्ड फाउन्डेशन के नीचे चलने वाला इन्स्टीट्यूशन है जिसके अन्दर सारा अमेरिका का पैसा बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर पार्ट प्ले कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात पर केवल जोर देना चाहूंगा क्योंकि और तो बाकी माननीय सदस्यों ने आपके सामने रख दिया है लेकिन जिस प्रकार से वहां पर अमेरिकन एजेन्सी वर्क कर रही है सरकार को चाहिए कि वह उसका इन्वेस्टीगेशन कराये। आज हर डिपार्टमेंट के अन्दर बिड़ला इन्स्टीट्यूशन के अन्दर अमेरिकन इम्पीरियेलिस्ट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं और एक कार्डन कन्ट्री के अन्दर केपेटिलिस्ट्स और इम्पीरियेलिज्म के लिए क्रियेट कर रहे हैं। आज कुछ विद्यार्थी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए अपनी डिमाण्ड्स उठायें, सिन्डीकेट के सारे मेम्बर्स उनके हक के अंदर हों, सारे राजस्थान की भावनायें उनके हक के अन्दर हों, सारे डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन उनके हक के अन्दर हों उसके बावजूद हमारी सरकार वहां पर पुलिस भेजे बजाय इसके कि इस इन्स्टीट्यूशन की इन्क्वायरी हो जिसके अन्दर आज इम्पीरियेलिज्म पनप रहा है, जिसके अन्दर आज साम्राज्यवाद पनप रहा है, जिसके अन्दर आज सी. आइ. ए. के एजेन्ट्स बैठे हुए हैं, जिसके अन्दर अमेरिकन इम्पीरियेलिज्म का गढ़ बना हुआ है। यह सरकार बजाय इसके कि जांच कराये वहां के डेमोक्रेटिक राइट्स को खतम करने जा रही है।

विशेषाधिकार-प्रश्न

## सदन से बाहर मुख्य मंत्री द्वारा सरकारी नीति की घोषणा

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** (मावली): पाइन्ट ग्राफ प्रिविलेज सर एण्ड पाइन्ट ग्राफ पालियामेंटरी प्रासीजर सर। आज चूंकि कई मुद्दे यहां पर उठाये गए हैं ग्रौर उन सारे मुद्दों का मुख्यतया माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्बन्ध आ रहा है। अतः मेरा प्रिविलेज का मोशन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि ये मुख्य मन्त्री बने उसके लिए तो बधाई है लेकिन 15 तारीख को यह सदन स्थगित हुआ। एडजोर्न हुआ ग्रौर प्रोरोग नहीं हुआ। उसके बाद इस सदन को मिलना था और आपके ग्रादेशों से यह सदन मिला भी। इस के बीच में क्योंकि असेम्बली इन सेशन थी मुख्य मन्त्री जी ने तारीख 27 को ··

**श्री अध्यक्ष** : Point of privilege or point of order.

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : Point of privilege. Sir, Privilege has no time Sir,. तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्रीजी ने तारीख 27 को स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में कई मुद्दे, जिनका जिक्र यहां पर किया गया, जिन में इन्डस्ट्रीज का प्रश्न भी था, एग्रीकल्चर का भी था ग्रौर करीब करीब काफी मुद्दों पर ग्रापने प्रकाश डाला····

इसके बाद मुख्य मंत्री जी ने दीपावली के ग्रवसर पर जनता को सन्देश दिया। इसमें भी ग्रापने ग्रपनी कई नीतियों को व्यक्त किया। इससे लगता था कि ग्रापका प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है और आप राज्य को ग्रागे बढ़ाना चाहते हैं।

ये जो ग्रापके स्टेटमेंट हुए, बेहतर होता कि ग्रसेम्बली के वापिस मिलने पर सदन के प्रांगण पर ग्राप विधान सभा के सदस्यों को विश्वास में लेकर सर्वप्रथम यहां आप ग्रपनी नीतियों को व्यक्त करने का प्रयत्न करते। आपने सदन को बाइ पास किया है, असेम्बली के प्रांगण में व्यक्त नहीं करके सीधे जनता को सन्देश दिया है ग्रौर ग्रपनी भावी नीति पर प्रकाश डाला है, मैं इस सब को उस तरह से तो नहीं उठाना चाहता कि यह कोई स्पष्टतः ही ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज है, पर यह कहना ग्रवश्य चाहता हूं कि नये मुख्य मंत्रीजी को सदन के सदस्यों को कान्फीडेन्स में लेकर अपनी नई नीति के बारे में यहां घोषणा करना उपयुक्त था।

इसलिये मैं इस ब्रीच आफ प्रिविलेज को सदन के सामने रखते हुए भी निवेदन यह करना चाहता हूं कि सदन व्यग्र है, उग्र है, ग्रापकी नीतियों को स्पष्टरूप में समझने के सम्बन्ध में। श्री रामानन्दजी ने भी कहा है कि हम सब प्रगतिशील नीतियों की ग्रपेक्षा रखते हैं। शिक्षा ग्रौर उद्योग के सम्बन्ध में ग्रापकी भावी नीतियों के संबंध में भी जिस तरह से आपने 27 तारीख को अपना वक्तव्य दिया उसी प्रकार सदन के सदस्यों को भी विश्वास में लेकर ग्रापको सदन में ग्रपनी नीतियों की स्पष्ट घोषणा करना आवश्यक है।

इसलिये मैं चाहूंगा, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से कि सदन में मुख्य मंत्रीजी इन सबका स्पष्टीकरण करते हुए एक वक्तव्य दें कि भविष्य में राजस्थान के विकास एवं ग्रपनी भावी नीतियों के संबंध में वे क्या सोचते हैं, उनकी क्या ग्राकांक्षाएं हैं। इन सारे प्रश्नों का स्पष्टीकरण करते हुए माननीय मुख्य मंत्री इस सदन को ग्रव-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गत करें। सदन जानना चाहता है नये मुख्य मंत्री जी की नई नीतियों के बारे में, आपके भावी कार्यक्रम के बारे में। इसलिये मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न को आपका और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये उठाया है। थोड़ी बहुत सदन की अवहेलना हुई भी है इस माने में तो इसलिये चाहता हूं कि वे सदन में इस बारे में अपना स्टेटमेंट दें। इससे जो प्रश्न सदन में उठाये गये हैं वे भी कवर हो जावेंगे। सदन में भी इससे आपके प्रति सन्तोष पैदा होगा। इसलिये आपके हित में मैंने यह निवेदन किया है।

**श्री केदारनाथ :** टेकनिकली यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं बनता। पर नये मुख्य मन्त्रीजी से सदन यह आशा रखता है कि पार्लियामेन्टरी एटीकेट के यह जरूर खिलाफ है कि नीतियों के विषय में नया नया वक्तव्य, नये नये नेता का आउट साइड सदन अनाउन्समेंट हो, इसको समझकर वे सदन में ही अपनी नीतियों के विषय में स्टेटमेंट देंगे। यह एक तरह से सेटल्ड ही है कि जब सदन सेशन में हो तो फ्लोर आफ दी हाउस पर ही पालिसी मैटर पर अनाउन्समेंट होने चाहिये। हमारी और मुख्य मंत्रीजी की डिग्निटी भी इसी में है। आशा है आचार्य जी के कथन के अनुसार वे अपनी भावी नीति पर सदन में प्रकाश डालेंगे।

### स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष :** आप थोड़ा सूक्ष्म और संयम से बोलने की कृपा करें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** जितना मैं संयम से और संक्षेप में बोलता हूं सदन में दूसरा नहीं बोलता।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मूल्यांकन का फर्क है।

**श्री अध्यक्ष :** मैं एक बात कहना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिये कि यह एक नार्मल प्रेक्टिस है कि एक एडजोर्नमेंट मोशन पर एक आदमी बोलता है एक पार्टी की तरफ से। इसमें थोड़ा रिलेक्सेशन भी किया गया है। पर उस रिलेक्सेशन का सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिये। नहीं तो एक एक मुद्दे पर दस दस आदमी बोलने लगेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ब्रीफली आप निवेदन कर दें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** मैं तो ब्रीफली ही निवेदन करूंगा अगर सबके लिये नियम एक सा ही है तो।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के शपथ ग्रहण करते ही, जैसा उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए थोड़े दिनों पहले कहा था कि आम जनता को उसकी जीवनोपयोगी वस्तुएं खाद्यान्न उचित मात्रा में समय पर समुचित-रूप से वितरित कराया जावेगा।

आज उस समुचित वितरण प्रणाली के अभाव में आम जनता को जीवन की आवश्यक चीजें नहीं मिलती। वह ब्लेक मार्केट से परेशान है। सरकार के भ्रष्टाचार से भयभीत हैं। आप नये हैं इस मुख्यमंत्री पद पर। आपका स्टेटमेंट आपको मुबारक। जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित मात्रा में समय पर मिल जायं, हम तो यही चाहते है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आज मिट्टी का तेल नहीं मिलता। मिलता है, तो एक लीटर तेल का भाव एक रुपया है।

श्री अध्यक्ष : दस मिनट में इसके लिये आपको देता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं जल्दी से जल्दी अपना कथन समाप्त कर दूंगा। गैस का सिलेण्डर नहीं मिलता। उस पर भी 1 रुपया 15 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल नहीं मिलता। गैस सिलेण्डर के लिये छः छः महीने से लोग प्रतीक्षा में खड़े है, मिलता नहीं। इन कारणों से आज मिट्टी के तेल का भाव दो रुपया लिटर हो गया। गैस का सिलेण्डर पांच रुपया रिश्वत का दो तो मिल जाय, नहीं तो मौज करो। दूसरे को नहीं मिलेगा। आश्चर्य तो यह है कि इन बढ़े हुए दामों पर भी ये वस्तुएं आसानी से मिल नहीं रही है। ब्लेक मार्केट में इन चीजों के अधिक दाम देने पर भी मिलने की गारन्टी नहीं है। आप इस दर्दनाक व्यवस्था को बदलें।

दूसरा निवेदन करूंगा, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय मन्त्रियों के लिये कहा है कि वे प्रतिदिन दस लीटर पेट्रोल खर्च करेंगे। आपके मन्त्रीजी मोटरों में बैठकर आते जाते हैं। घर की साग सब्जी चाहिये तो मोटरों में जाकर लोग लाते हैं। बच्चे स्कूलों से मोटरों में आते जाते है, कहीं जाना होता है तो मोटरों में आते जाते हैं। आप उनके लिये पांच लीटर प्रतिदिन खर्च करने की मात्रा निर्धारित कर दें। इस तरह की घोषणा होनी चाहिये।

गेहूं देने की मात्रा आपने चार किलो से तीन किलो करदी। चावल नहीं मिल रहा है। चीनी, सूजी, मैदा नहीं मिलता। दीवाली के त्यौहार के मौके पर, ईद के त्यौहार के अवसर पर ये चीजें लोगों को नहीं मिलीं। यहां तक कि शहर के लोगों को दीवाली के अवसर पर नहाने धोने, अपने मकानों को सफाई करने तक के लिये पानी नहीं मिला। यह हालत भयानक है। मैं समझता हूं, नये मुख्यमंत्रीजी इन अभावों को मिटाने का आश्वासन देंगे।

सीमेंट नहीं मिल रहा है। पत्थर के कोयले के दाम अनाप-शनाप बढ़ गये हैं। आप इनके लिये सदन में प्रस्ताव रखते थे। जब आप उप मन्त्री थे कहते थे कि इनके वितरण की उचित व्यवस्था की जावेगी। आज आप मुख्य मन्त्री बन गये हैं। खाद्य मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दें। वितरण की आपकी कितनी दृढ़ नीति रहेगी इस संबंध में आप, आशा है वक्तव्य देंगे।

दूसरा आपसे निवेदन है कि नगर परिषदों के चुनाव के बारे में एक महीने का समय, चार माह का समय अधिक से अधिक आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद पंचायतों के चुनाव निश्चितरूप से हो जावेंगे यह आश्वासन आप दें।

नगरपालिकाओं के चुनावों के बारे में भी आप स्पष्ट करें कि फरवरी तक इनके चुनाव भी आप करा देंगे। आपने इसी सदन में कहा था कि पंचायतों के चुनाव अगर नहीं कराऊंगा तो सदन में मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुंह दिखाने न दिखाने की बात तो छोड़ दीजिये। अब तो आप मुख्यमंत्री बन गये हैं। आपको इस सदन में घोषणा करनी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहिये कि आप पंचायतों के चुनाव कब तक कराने वाले हैं।

उदयपुर में ऋषभदेवजी के मन्दिर में जैन मूर्तियों के तोड़ने के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा गया। देवस्थान विभाग के प्रबन्ध के बावजूद मूर्तियां तोड़ी गईं। इससे सारे जैन सम्प्रदाय के लोगों में भयंकर रोष है। तो जो मूर्तियों को खण्डित किया गया है इसका पता लगाया जावे। अपराधियों को दण्ड दिया जावे।

(माइक की खराबी के कारण निरन्तर अस्पष्ट आवाज)

इसी प्रकार से मैंने एक स्थगन प्रस्ताव मावा और छैना पर सरकार ने जो रोक लगाई है उसके बारे में दिया। रोक लगाने के बाद भी दूध सस्ता नहीं हुआ और आज भी लोगों को सस्ता दूध नहीं मिल रहा है। जयपुर दुग्ध योजना, जो पाउडर का दूध बनाती है, वह भी अच्छा दूध दे नहीं सकती। वह दूध केवल चाय के उपयोग में आता है क्योंकि उसमें पानी मिला होता है। वह पीने के काम में आ नहीं सकता। आप मिल्क बूथ पर चले जायं वहां पर भी दूध मिलता नहीं है और फिर भी आपके दुग्ध योजना वाले निरंतर भाव बढ़ा रहे हैं। मावे और छैने पर रोक लगाने के बाद जब आपके खाद्य मंत्री श्री शिवचरणजी माथुर भीलवाड़ा गए तो वहां पर उनसे हलवाइयों का प्रतिनिधि मण्डल मिला इस समस्या को लेकर तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि मैं स्वयं इस प्रकार के प्रतिबन्धों के विरुद्ध हूं। यह आपकी सरकार के मंत्री कहते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि मैं राजधानी पहुंच कर मंत्रिमण्डल के समक्ष इस प्रश्न को रखूंगा और शीघ्र ही यह प्रतिबन्ध उठाया जाएगा ऐसी मैं आशा करता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, आज दूध सस्ता मिलता नहीं और दूसरी ओर हलवाई बेकार हो गए हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जनता को अच्छा और सस्ता दूध मुहय्या करावें और जो हलवाई बेरोजगार हो गए हैं उनकी समस्या का भी समाधान करें। आपके मंत्री मंडल के सदस्य तक इस प्रतिबंध के खिलाफ हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में नित्यप्रति चोरियां और हत्यायें हो रही हैं। आप जहां रहते हैं ठीक उसके पास खातीपुरा जो कुक्कुटशाला है उसके डाक्टर वेदप्रकाश अरोड़ा को यह कह कर कि पुलिस के सिपाही बाहर खड़े हैं बाहर बुलाया और उन पर निर्ममता से लाठियों का प्रहार किया गया। उनकी पत्नी को मारा गया और उनकी पत्नी मर गई। जिस दिन आपने शपथ ग्रहण की उसी दिन आपके मकान के पास यह घटना हुई लेकिन पुलिस उन लोगों को पकड़ नहीं सकी।

इसी प्रकार मिस्टर गुप्ता को मकान में जाकर मारा गया लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ सकी। दस हजार की चोरी हो गई। मोती कटला रोड पर लोगों की तिजोरी, टाइपराईटर चोरी चले गए। इस प्रकार से जयपुर शहर में हत्याओं और चोरियों का तांता लगा हुआ है और आपकी पुलिस निष्क्रिय बैठी है। इसलिए बैठी है कि 38 विभाग आपके पास हैं। यह अनिश्चितता है

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि पुलिस विभाग किसके पास रहेगा। रामनिवासजी के पास रहेगा या आपके पास रहेगा। मंत्रिमण्डल की अनिश्चितता के कारण आज राजस्थान में पुलिस राज बना हुआ है। यहां पर हत्याएं हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं लेकिन कोई इनको पकड़ नहीं सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और स्थगन प्रस्ताव बेरोजगार डाक्टर्स, बेरोजगार इंजिनियर्स के बारे में है। जो डाक्टर पिछले दो तीन साल से काम कर रहे थे, जिनकी आयु 30 वर्ष हो गई उनको लोकसेवा आयोग ने चयन नहीं किया तो अब वे कहां जायेंगे। पहले डिपार्टमेंटल कमेटी के जरिए चयन किया जाता था लेकिन लोकसेवा आयोग ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है। 87 डाक्टरों को तो हटा दिया है और 135 डाक्टरों को और हटाया जावेगा। आप एक ओर तो कहते हैं कि राजस्थान में बेरोजगार डाक्टर्स और इंजीनियर्स को काम देना चाहते हैं और इधर लोगों को बेकार कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पहले पद्धति डिपार्टमेंटल चयन की थी उसको ही चालू रखकर सारी कार्यवाही करनी चाहिए।

मैंने एक स्थगन प्रस्ताव और दिया है स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में। आपने उन्हें 'राज पीड़ित' कहा तो उन लोगों ने इस पर आपत्ति की कि हम 'राज-पीड़ित' नहीं कहलाना चाहते हैं, हमने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया है इसलिए हमें 'स्वाधीनता सेनानी' कहा जाय। आपने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और यह कहा कि उनके बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, मेडिकल कालेज में एडमिशन में उनके बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी लेकिन मेडिकल विभाग ने इसको नहीं माना है और उनके पास क्योंकि राज-पीड़ित ही लिखा हुआ है आज उनसे फीस ली जा रही है, उनके बच्चों को प्राथमिकता नही दी जा रही है ....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज उनसे फीस ली जा रही है, उनके बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। आपकी यह नौकरशाही जिसको यह पता नहीं है कि ये 'राज-पीड़ित' हैं या 'स्वाधीनता सेनानी' हैं, उनका नाम बदल दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आज उनसे फीस ली जा रही है, उनको एडमिशन में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है उसकी समुचित व्यवस्था की जावे ताकि उनसे फीस नहीं ली जावे और उनके बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जावे।

मेरा एक स्थगन प्रस्ताव राजस्थान में रबी की फसल, गेहूं की फसल अच्छी होने की घोषणा के संबंध में है। आज किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नही मिल रहा है, समय पर अगर बुवाई नहीं हो सकी तो किस प्रकार से फसल अच्छी हो सकेगी। राजस्थान सरकार ने राशन में गेहूं चार किलो से तीन किलो कर दिया है और आपने स्वयं ने कहा कि अगर गेहूं नहीं मिला तो दो किलो कर देंगे। ....

( समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी )

अध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त करता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो मैंने पिछली दस

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तारीख को स्थगन प्रस्ताव जयपुर शहर में जो तीन किलो गेहूं दिया जा रहा है और राजस्थान की जनता को जितना गेहूं दिया जा रहा है उसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया था और मैंने यह मांग की थी कि तीन किलो के स्थान पर दस किलो गेहूं दिया जाय, एक किलो चीनी दी जाय, मिट्टी का तेल मिले, सीमेंट मिले, दूध मिले और जयपुर शहर को पीने का पानी मिले। जयपुर की कई बस्तियों को पानी के कारण बहुत कठिनाई हो रही है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने सदन में आश्वासन दिया था, जब सदन एडजोर्न हुआ था उस समय आप उप-नेता महोदय थे लेकिन आज सदन के नेता हैं, उस समय आपने यह कहा था कि 12 तारीख को इस संबंध में स्टेटमेंट देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह तय करेंगे कि खाद्य मंत्री कल ही इन सारी समस्याओं के सम्बन्ध में जिनकी ओर हमने ध्यान दिलाया है, आप स्टेटमेंट देने का आश्वासन देंगे।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया समाप्त करें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** आज राजस्थान की जनता गेहूं चाहती है, चीनी, मैदा, सूजी, सीमेंट, कोयला और गैस चाहती है। इनके अभाव में वह तड़फ रही है। हम यहां पर बैठ कर कितने ही कानून पास करते रहें लेकिन अगर जनता ही नहीं रहेगी तो ये कानून किस काम के होंगे ? इसलिए मैं पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि कल ही इनके सम्बन्ध में स्टेटमेंट दिलवाया जाय वरना जिसे आप अशोभनीय घटना कहते हैं और मैं जिसे किसी प्रकार भी अशोभनीय नहीं मानता हूं फिर भी अगर स्टेटमेंट नहीं हुआ तो मैं वही अशोभनीय बात करूंगा और सदन की कार्यवाही आगे नहीं चलने दी जावेगी जबकि खाद्य मन्त्री स्टेटमेंट न दे दें। उनके स्टेटमेंट के बाद ही सदन की कार्यवाही चलेगी।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

यह मेरे विचारों का नहीं जनता की समस्याओं का प्रश्न है और इस पर कल ही स्टेटमेंट होना चाहिए।

(श्री मुख्य मन्त्री बोलने के लिए खड़े हुए)

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** मैं एक निवेदन कर दूं। यह एडजोर्न्ड असेम्बली है। असेम्बली का सेशन दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण ......

**श्री अध्यक्ष :** मैं समझ गया आपकी बात को।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** प्रश्न यह है कि आपके चेम्बर में यह तय हुआ था कि ...

**श्री अध्यक्ष :** इसीलिए मैं कह रहा था।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** मैं एक मिनिट में अर्ज कर दूं। उस समय यह तय हुआ था कि 12 तारीख को विधान सभा में वक्तव्य देगें। आज विधान सभा प्रारम्भ हुई है और आज यह अपेक्षा थी कि पहले पहले यह वक्तव्य दिया जाएगा और उस वक्तव्य के साथ में राजस्थान की जनता को यह मालूम हो सकेगा कि गेहूं के वितरण के सम्बन्ध में और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर हम चाहें एडजोर्नमेंट मोशन लावें, कॉल अटेन्शन मोशन लावें और कुछ करें लेकिन आज नए मुख्य मन्त्री का प्रादुर्भाव हुआ है तो इस नए नए प्रादुर्भाव के साथ हम यह कहना चाहते हैं कि नए मुख्य मन्त्रीजी के कार्य जनता के हित में जो होंगे उनमें हम सहयोग देंगे और जनहित के विरुद्ध जो भी कार्य होंगे इनका हम विरोध करेंगे। आज हम यह अवश्य चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो। एक बात यहां पर रखी गई थी, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने और उस पर निर्णय हो गया है। राजस्थान की खाद्य की स्थिति बड़ी खराब चल रही है और उस पर स्टेटमेंट देने का निर्णय हो गया है।

**श्री अध्यक्ष** : आप जल्दी समाप्त करें।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री विमल चौधरी ने यह घोषणा की है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं निकाला तो राजस्थान के विद्यार्थी हड़ताल पर जाएंगे। इसी प्रकार से डाक्टर्स का सवाल है, बेरोजगारी हटाने का सवाल है, गरीबी मिटाने का सवाल है। हम इस सब के लिए बात करते हैं। जन-कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। उसके बाद भी हमारी बात न सुनी जावे और आप विधायी कार्य प्रारम्भ कर दें तो इसका अभिप्राय यह होगा कि राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं। आज नहीं तो कल इस बारे में वक्तव्य दें। ये सारी चीजें सामने आई हैं। यह हर व्यक्ति से सम्बन्धित है। आज केरोसीन नहीं है, अनाज नहीं है और रोजमर्रा की कई चीजें उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में निश्चित-रूप से कर्मठ कार्य करके जनता को राहत पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिये। आज जनता के सामने अनिश्चितता की स्थिति है। जनता को दुख हो रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि विधायी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य मन्त्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देने के बारे में संकेत दे दें। यह वक्तव्य आज ही देना आवश्यक नहीं है। इसके बारे में निश्चितरूप से आप कल घोषणा कर दें। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से खाद्य मंत्री बदल गये हैं। नये खाद्य मंत्री आ गये हैं। परन्तु इससे जनता के क्या दुःख दूर हो गये? आज तो केरोसीन का भाव बढ़ गया। अनाज उपलब्ध नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि राज्य सरकार से इसके बारे में नीति स्पष्ट करावें, इसके बारे में राज्य सरकार से घोषणा करवावें। खाद्य मंत्री ने कहा था कि आमूलचूल परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन कहां रह गया? हां, खाद्य मंत्री का जरूर परिवर्तन हो गया है। आज राजस्थान की ढाई करोड़ जनता दुःख से त्रस्त है। हमें एकजुट होकर जनता को राहत देने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय अगुवाई करें और घोषणा करें और उस घोषणा को क्रियान्वित करने के बारे में निर्णय लिया जाए।

## विशेषाधिकार— प्रश्न सदन से बाहर मुख्य मंत्री द्वारा सरकारी नीति की घोषणा

**श्री अध्यक्ष** : मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई है, संभवतः तीन बजे या साढ़े तीन बजे। उसमें जो मुद्दे यहां पर उठाये हैं— स्टेटमेंट देना है, उस पर निर्णय लिया जाएगा।

दूसरी बात जो यहां पर माननीय सदस्य ने उठायी है और माननीय केदारनाथ जी ने भी उठायी है, वह विशेषाधिकार के बारे में है। यद्यपि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है— यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि आया यह जो मुद्दा यहां पर आया है वह ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है या नहीं बनता है उस पर विचार हो, परन्तु इस सम्बन्ध में जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी उनके बारे में कहेंगे, माननीय सदस्यों की इच्छा को देखते हुए तो अच्छा होगा। आप जो कुछ इस बारे में कहना चाहते हों वह कह दें।

**श्री हरिदेव जोशी** ( मुख्य मंत्री ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली 11 तारीख को यह सदन स्थगित हुआ था एक दुर्घटना घटने के कारण। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी को अपना एक नया नेता चुनना था और वह चुना गया। उसके बाद में, जब मैं नेता चुना गया तो मैंने उस अवसर पर, विभिन्न अवसरों पर अपने कुछ खयालात प्रकट किये। मावली से आने वाले माननीय सदस्य की अपनी यह एक थ्योरी है, उन्होंने मेरे इस कथन को ब्रीच आफ प्रिविलेज के रूप में उठाया। दूसरे माननीय सदस्य ने, सोशलिस्ट पार्टी के नेता महोदय ने और जनसंघ के नेता महोदय ने, यह चाहा है कि मैं यहां भी कुछ कहूं।

अध्यक्ष महोदय, तथ्य यह है कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता आज इस दुनियां में नहीं है और आज दूसरा नेता चुना गया है। फर्क यही है। मगर जहां तक पोलिसी का सवाल है, पोलिसी वही है। जैसी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्धारित की है और जिससे कांग्रेस की सभी सरकारें और सभी सदस्य बन्धे हुए हैं। इसलिए जहां तक मैं बोला हूं, मैंने कहीं भी नई नीति की घोषणा नहीं की है। अलबत्ता मैंने यह कहा है कि जो नीति और कार्यक्रम कांग्रेस की सरकारों के लिए कांग्रेस हाइकमाण्ड ने निर्धारित किए हैं, मेरा यह प्रथम और पुनीत कर्त्तव्य होगा कि मैं उसका निष्ठापूर्वक पालन करूंगा और उसको सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाऊं और आज भी इस सदन को, सदन के माननीय सदस्यों को और आपकी मार्फत राजस्थान के सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी और मेरे सभी साथियों की पूरी ताकत कांग्रेस की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जो नीति है, उसको पूरी करने में लगेगी। वैसे भी, अध्यक्ष महोदय, मैं मूलरूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं। मेरा एप्रोच कुल मिलाकर के समाज के जो पिछड़े हुए लोग रहे हैं— आदिवासी और हरिजन और ऐसे लोग जिन्हें किसी जमाने में या तो अछूत समझा जाता था अथवा नगण्य माना जाता था, उन लोगों के बीच

(मुख्यमन्त्री)

में काम करते हुए मैं आज इस स्थिति में आया हूं।

मैं यह सोचता हूं कि आज भी इतने वर्षों के बावजूद भी देश के अन्दर छुआछूत, असमानता और दबाव बने हुए हैं, और जब तक समाज का सशक्त वर्ग यह अनुभव नहीं करता है कि उस गिरे हुए तबके को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी समाज के आम आदमी की है, तब तक हम उन लोगों को ऊंचा नहीं उठा सकते जो कि आज पिछड़े हुए हैं, और इसीलिए हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम जो आज भूमि-हीन हैं अथवा जो समाज के अन्दर आर्थिक दृष्टि से गिरे हुए हैं जिन्हें हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं, उनकी ओर आंख उठाकर देखें और उनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। समाज का मजदूरवर्ग और समाज का किसानवर्ग और किसानों और मजदूरों में भी वह मजदूर जो बहुत बड़ी इन्डस्ट्रीज में नहीं हैं और वे किसान जो कि बहुत ही कम हैसियत के हैं तथा भूमिहीन किसान हैं और मजदूर हैं, उनकी हालत आज भी समाज के अन्दर बदतर हैं। इसलिए अगर दो व्यक्तियों के हित टकराते हैं और उनमें एक सरमायेदार का और एक सर्वहारा का है तो हमारा यह फर्ज होना चाहिए कि समाज के पिछड़े हुए वर्ग की तरफ हम अपना वजन डालें और अपनी ताकत डालें, और उसका हाथ उठा कर ऊंचा उठाने की कोशिश करें।

इन पिछले वर्षों में, अध्यक्ष महोदय, राज्य की सरकार ने पिछड़े हुए लोगों को मीन देने की, उनकी माली हालत को सुधारने की और उनको ऊंचा उठाने की काफी कोशिश की है। उन लोगों में शिक्षा प्रसार के, उन लोगों की हैसियत सुधारने के लिए आज भी जो प्रयत्न हो रहे हैं, उनके कुछ परिणाम सामने आये हैं, मगर अभी तक आज भी हम गांवों में जाते हैं तो दिखाई देता है कि जमीन का एलाटमेंट होगया मगर जमीन आदिवासी या हरिजन को नहीं मिल पा रही है। आज वह जमीनों को खेड़ नहीं पाते हैं। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम जनता में चेतना जागृत करें और यह महसूस करवायें कि अगर समाज के अन्दर इतनी बड़ी खाई बनी रहती है कि एक तरफ तो बहुत ऊंची प्रकार के लोग रहें और दूसरी तरफ भुखमरी हो तो निश्चितरूप से जो ऊंचा उठा हुआ तबका है वह कभी भी शान्तिपूर्वक नहीं रह सकेगा। इसलिए आवश्यकता है शान्तिमय क्रान्ति की, आवश्यकता है इस बात की कि लोगबाग यह महसूस करें कि यह जो असमानता है वह असमानता हम स्वयं दूर करें। मैं यह आशा करके चलता हूं कि हमारे सभी वर्गों का इस प्रयत्न के अन्दर हमें सहयोग मिलेगा।

मैं यह कोशिश करना चाहता हूं कि भूमि सम्बन्धी विवादों के अन्दर विशेषरूप से एलाटमेंट का कब्जा दिलाने, खेतों के अन्दर नाजायज कब्जों को हटाने और उसके अन्दर हरिजनों और आदिवासियों को दिलाने के अन्दर जो भी चुने हुए प्रतिनिधि अधिक से अधिक दिलचस्पी लें, और इस प्रकार के जो केसेज हैं उनका जल्दी से निपटारा करवाया जाय।

(मुख्य मन्त्री)

अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर नौकरशाही की चर्चा की गई किसी एक सिलसिले में। मैं निश्चतरूप से समझता हूं कि चाहे किसी प्रकार की सरकार हो सर्विसेज की आवश्यकता रहेगी, चाहे वह सर्विसेज एक प्रकार से रिक्रूटेड हो अथवा दूसरे प्रकार से मोबिलाइज्ड हो, किन्तु चाहे कोई भी शासन की परिपाटी हो जो लोग सर्विसेज में हैं वह दरअसल अपने आपको सर्विस के लिए महसूस नहीं करते हैं तो वह समाज के लिए भार हो जाते हैं। पिछले दिनों में इस बारे में काफी चर्चाएं हुई हैं। राज्य के मुख्य सचिव के अजमेर के स्टेटमेंट को लेकर काफी विवाद भी चला। मेरी उनसे भी बहुत साफ बात हुई थी। मुख्य सचिव ने अजमेर में ऐसी कोई बात नहीं कही थी जो कि अखबारों में प्रकाशित हुई, किन्तु एक धारणा बनती चली गई कि प्रशासन के ऊपर नौकरशाही हावी है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि डेमोक्रेसी में, एक पोलिटिकल गवर्नमेंट में अगर राजनेताओं और जनता के प्रतिनिधियों की आवाज कम हो जाती है और सर्विसेज की आवाज अगर बढ़ जाती है तो डेमोक्रेसी कमजोर हो जाती है। इसलिए हमारा यह प्रयत्न होगा कि राजनेताओं और जनता के प्रतिनिधियों की आवाज न केवल सुनी जाय बल्कि सम्मानपूर्वक सुनी जाय। अगर चाहे मुख्य मंत्री अथवा एक थानेदार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की इज्जत नहीं करता है तो मूलरूप में यह स्वीकार करना चाहिए कि हम प्रजातन्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं तो न केवल हमें अपनी पार्टी के लोगों की बात को सुनना है, बल्कि विपदा की बात को निश्चितरूप से सुनना है, और अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको सरकार सम्मानपूर्वक सुनेगी और उसका जो भी उचित हल है उसको अपनी ओर से लाने का प्रयत्न करेगी। वैसे भी डेमोक्रेसी में जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्वीकार करते हैं तब उसमें ट्रेजरी बेन्चेज भी होंगी और विरोधी पक्ष भी होगा। विधानसभा में अगर ट्रेजरी बेन्चेज नहीं हैं तो भी अधूरी है और विधान सभा में अगर अपोजिशन नहीं है तब भी वह विधान सभा अधूरी है। इसलिए मैं इस सदन के मारफत, अध्यक्ष महोदय, आपको यह विश्वास दिलाकर के चलना चाहता हूं जैसा कि अभी यहां पर कहा गया था कि जीरो आवर पूरा हो जायगा और आप घन्टी नहीं देंगे और बात आई गई हो जायगी, तो हमारा यह एप्रोच नहीं है। हमारा एप्रोच यह है कि आपकी ओर से ट्रेजरी बेन्चेज को उचित सम्मान दिया जाय और ट्रेजरी बेन्चेज से जो भी ड्यू है और उचित है, सम्भव है, उस सम्मान को लिया जाय। वह सम्मान आपका हक है। वह सम्मान आपको मिलना चाहिए। मैं इस सम्मान को विरोधी पक्ष को देने में अपनी ओर से कहीं कोई कमी नहीं रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की एग्रेरियन रिफार्म्स के बारे में एक निश्चित पालिसी है, और अगर मैं यहां पर कहूं कि मैं निष्ठापूर्वक उस पालिसी पर विश्वास करता हूं तो मुझ पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अल्प समय इन पिछले वर्षों में हमें मिला था उसमें हमारा यह

( मुख्य मंत्री )

प्रयत्न था कि उसे इम्प्लीमेंट किया जाय । आज भी अगर जहां कहीं भी कोई अगर कमी रह गई है विशेषतौर से सीलिंग के इम्प्लीमेन्टेशन में और दूसरे एग्रेरियन रिफार्म्स के इम्प्लीमेन्टेशन में तो राज्य सरकार का प्राथमिक दायित्व होगा उन चीजों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के अन्दर ।

इसी प्रकार से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में अथवा अनाज के राष्ट्रीयकरण और दूसरी चीजों के बारे में अपोजिशन के किन्हीं सदस्यों के और हमारे बीच में मौलिक मतभेद हो सकता है । माननीय सदस्य मुझ से यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि इन पालिसीज के ऊपर मैं कोई समझौतावादी नीति लेकर चलूं । पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इम्प्रूवमेण्ट करने, आम लोगों को राहत मिले, अधिक से अधिक लोगों को एसोशिएट करना और जनता की आवश्यकताओं को अच्छे साधन मुहय्या करने के बारे में कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है । अथवा कहीं या कि किन्हीं चीजों का इतना अभाव हो, मांग की सप्लाई के बारे में कोई प्रपोर्शन ही न हो । लेकिन बेटर सिस्टम यह है, कहीं एक को ज्यादा मिल जाये दूसरे को मिलने न पाये, ऐसा नहीं होना चाहिए । जो इस प्रकार की कमियां हैं, उसमें हम सुधार लाना चाहते हैं । परन्तु जब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुधरता है, तब तक हम इन चीजों को यहां नहीं कर सकते हैं । इसलिए हमारा दायित्व प्रशासन को अधिक से अधिक रेस्पोंसिबल बनाना है । प्रशासनिक मशीनरी को संवेदनशील बनाना है । वह यह महसूस करे कि हमें मालिकाना हक नहीं दिया गया है । हम सेवा करने के लिए हैं । मैं आशा करता हूं कि सर्विसेज से हमको इस दिशा में को-ऑपरेशन मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय, आज सामाजिक जीवन में कई प्रकार की खराबियां चल रही हैं । अभी चोरियों की चर्चा हुई । जुआ, रिश्वतखोरी, अडल्ट्रेशन भी चलता है । मारपीट भी चलती है । ये प्रशासन में कम से कम हों, मेरा यह प्रयत्न होगा । अगर कहीं बड़ी चीजें हैं तो ये छोटी चीजें भी नजरन्दाज नहीं हों । यह जो छोटी छोटी बातें की जाती हैं, इनका कम महत्व नहीं है । जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है । इस प्रकार की आशा मैं करता हूं । माननीय सदस्यों ने जो पुलिस को भेजने और एप्रोच के बारे में कहा है । मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि मेरे द्वारा कोई सेठ अथवा साहूकार संरक्षण नहीं पा सकेगा । न होने पाया है और उन्हें यह आशा करनी चाहिए ।

पिलानी के विद्यार्थी मेरे पास आये थे । मैंने उनको यह स्पष्ट कहा है, जब तक आपकी स्ट्राइक नॉन वाइलेण्ट हैं, कोई सिपाही आपकी तरफ आंख नहीं उठा सकता है । मैं यह चाहता हूं कि वहां के विद्यार्थियों की और व्यवस्थापकों का डायलोग शुरू हो । कलेक्टर को वहां भेजा है । कलेक्टर वहां गये हैं । इन्स्टीट्यूशन प्रशासन कुछ करता है तो ठीक है । नहीं करता है तो मैं निश्चितरूप से यह महसूस करूंगा कि वह एक इस प्रकार का प्रशासन है जिसमें डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है जो आम लोगों की भावना का आदर नहीं करता है । इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष

( मुख्य मंत्री )

महोदय, मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के बाहर कहीं कुछ भी कहा हो, मेरी भावना सदन को बाइपास करने की नहीं है, सदन के प्रिविलेजेज को कार्नर करने की नहीं है। माननीय सदस्य यह भी महसूस करेंगे कि इस प्रकार के अवसर पर, मैं विधान सभा का सेशन होगा तो वहां यह कहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि नयी सरकार द्वारा जो कुछ भी जनता के हित में हो सकेगा, वह मैं जरूर करूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद......

श्री हरिदेव जोशी : स्टेटमेण्ट देने की बात कही गई है। जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे, जो तारीख तय करेंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : आपका मोशन ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोशन तो मूव नहीं किया था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा मकसद पूरा हो गया है। ब्रीच आफ प्रिविलेज के महत्व को लेकर मैंने यह कहा था।

श्री अध्यक्ष : आयन्दा ऐसा नहीं करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के नये नेता ने अपनी सरकार की नीति की घोषणा की है। यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है। नई सरकार की ओर से नये नेता ने दिया है। जिसमें सरकार की आर्थिक और सामाजिक रीति नीति का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि यह पूर्ण स्टेटमेन्ट होते हुये......

श्री अध्यक्ष : You want debate on it ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनकी जो नीति है, जिसको हम पसन्द करते हैं। सदन पसन्द करता है। उसका हम समर्थन करें। जो कमी हो उनकी, वह उनके नोटिस में लायें। ताकि यह प्रशासन पूरे प्रदेश में अच्छी दिशा में चल सके। मैं चाहूंगा, इस प्रश्न पर इस चीज की चर्चा होनी चाहिये। और माननीय सदस्यों को इसमें समय मिलना चाहिए। ताकि इस पर पूरी बहस हो सके। और यह वक्तव्य केवल मुख्य मन्त्री का वक्तव्य न होकर, जो इस सदन की ध्वनि नहीं है, इस पूरे सदन की ध्वनि हो। इस पर चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार करेंगे।

विधायी कार्य। राजस्थान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 1973 श्री गिरधारीलाल भार्गव।

## विधायी कार्य
## राजस्थान विश्वविद्यालय ( संशोधन विधेयक, 1973

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

## परिनियत संकल्पः अध्यादेश को अस्वीकार करने सम्बन्धी

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): माननीय अध्यक्षजी, सरकार द्वारा यह

# Page No.64



(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अध्यादेश लाना, इसके द्वारा वह शिक्षा क्षेत्र में दखल नहीं करना चाहती है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को दखल नहीं करना चाहिए।

( 1.29 प०.म )

( श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं निवेदन करूंगा कि सरकार आंशिक-रूप से विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करना चाहती है। इसका किस्सा है। सरकार के पास गलती से कोई अभाव है। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी! एक तरफ मेहता कमेटी की रिपोर्ट जिस पर लाखों रुपया खर्च किया गया है, रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है और दूसरी अब रिपोर्ट आनी है, श्रीमाली समिति अपना काम कर रही है और श्रीमाली समिति के कार्यकाल को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है— जिसकी वजह से एक विश्वविद्यालय बढ़ाने की मांग और विश्वविद्यालयों की ओर जो मांगें हैं, वह शांत हो जायेंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आंशिक-रूप से संशोधन करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, इससे साफ है कि आपके पास समग्र शिक्षा नीति का अभाव है। मैं कहूंगा कि अध्यादेश के द्वारा जो इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, यह राजनैतिक दावपेच है, इसमें सब लोगों को लाभ देने की बात नहीं है।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि अब श्रीमाली समिति अपना धीरे धीरे काम कर रही है, उस कमेटी की रिपोर्ट का भी आप इन्तजार नहीं कर रहे हैं। यह समिति क्या रिपोर्ट देगी, इस श्रीमाली समिति की रिपोर्ट के आने के बाद फिर राज्य सरकार अध्यादेश सम्पूर्णरूप से लाती तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया होता। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के विभाग में यह नीति है कि सरकार पहले यह अध्यादेश लाना चाहती है क्योंकि विधान सभा सत्र के अन्दर है, विधान सभा का सेशन हो रहा है, इसलिए यह संशोधन ला रही है कि स्टूडेन्ट के प्रेसीडेन्ट, स्टूडेन्ट के प्रतिनिधि जो मेम्बर बनेंगे सिंडीकेट के, उनका कार्यकाल जून में समाप्त न होकर तब तक चलेगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जायें। यह छात्रों की मांग है, यह बात कह कर यह संशोधन सरकार लायी है। वैसे यह संशोधन दूसरा लाना चाहती थी। मैं चेतावनी देकर कहता हूं कि जो दूसरा संशोधन लाना चाहते हैं शिक्षा मंत्री, अगर इस सदन के सत्रावसान के बाद में शिक्षा मंत्री वह संशोधन लाये तो उससे प्राध्यापकों में असंतोष फैलेगा, स्टूडेन्ट्स के अन्दर असंतोष फैलेगा और उस संशोधन को लाने से यह सिद्ध होगा कि आप विधान सभा से डरते हैं। वरना संशोधन आपको विधान सभा के सामने लाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि विधान सभा से डरना प्रजातंत्र का गला घोटना है एक प्रकार से। उस संशोधन के द्वारा, जो सिंडिकेट का प्रजातांत्रिक स्वरूप है, उसको बदल करके समाजवादी स्वरूप आप देना चाहते हैं, नौकरशाही को उसमें डाल कर समाजवादी स्वरूप देना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा, आज सिंडिकेट में आपके शिक्षा संचालक महोदय बैठते हैं, आज तक शिक्षा संचालक महोदय ने किसी भी सवाल पर अपनी असहमति प्रकट की? उन्होंने असहमति प्रकट नहीं की, जबकि विटो पावर जिसको कहते हैं उस प्रकार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की पावर प्राप्त है। जब शिक्षा संचालक महोदय भली प्रकार से सिंडिकेट की मीटिंग में नहीं बैठ सकते तो सिंडिकेट का जो अब स्वरूप होगा, जिसमें 11 से घट कर 9 सदस्य होंगे, तीन व्यक्ति होंगे, शिक्षा आयुक्त, वित्त आयुक्त तो मैं समझता हूं कि उनको सचिवालय में ही अपना काम करने में काफी परेशानी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति वहां पर किस प्रकार बैठेंगे, किस प्रकार से शिक्षा नीति के बारे में विचार करेंगे ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप प्रजातांत्रिक स्वरूप को नौकरशाही स्वरूप में डालना चाहते हैं तो यह उचित है, अन्यथा यह उचित नहीं है। अगर आप यह चाहते हैं कि सिंडिकेट में नये नये लोग आने चाहिएं, नौजवान आदमी आने चाहिएं उसमें तो यह आपको व्यवस्था करनी चाहिए, आप यह नियम बना दें कि सिंडीकेट में एक व्यक्ति दो वर्ष से अधिक के लिए चुन कर नहीं आयेगा, और जो व्यक्ति आप निर्वाचित करते हैं, वह व्यक्ति वहां एक वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे। आप जल्दी कर रहे हैं आप टुकड़ों में, पीसमील आधार पर अध्यादेश लाकर यूनिवर्सिटी में राजनीति को प्रविष्ट करना चाहते हैं, राज्य सरकार का दखल उसमें करना चाहते हैं। आपको इन्तजार करना चाहिए था। आपके पास मेहता समिति की रिपोर्ट मौजूद है, श्रीमाली समिति की रिपोर्ट आप आ जाने दीजिये, आपके पास गजेन्द्र गड़कर समिति की रिपोर्ट मौजूद है, मोहनसिंह मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है—इन सारी रिपोर्ट पर गम्भीरता से विचार करके, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं उनकी स्थिति पर विचार करके, यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स हैं उनके ऊपर विचार करके समग्र नीति के आधार पर संशोधन लाना चाहिए। सब लोगों की मांग यह है, आपने लाखों रुपये खर्च करके कमेटी से रिपोर्ट बनवाई है, इससे उनका उपयोग हो जायगा और लोगों के सुझाव आ जायेंगे। इन सुझावों के आधार पर आपको सम्पूर्ण रूप से अध्यादेश लाना चाहिए। आप लेकिन यह नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आप जल्दी जल्दी करने जा रहे हैं, एक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन और रिपोर्ट तो आपके पास पड़ी हुई है, उन पर सरकार विचार नहीं कर रही है और दूसरी ओर श्रीमाली कमेटी का धीरे धीरे समय बढ़ा रही है और इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से अध्यादेश की मार्फत सरकार यूनिवर्सिटी के काम में दखल करना चाहती है। अब आपने नियुक्तियों के बारे में कहा कि नियुक्तियों में पक्षपात होता है, हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट ने अपने व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी है, तो आपने नया तरीका निकाला कि जनसेवा आयोग के द्वारा नियुक्तियां होंगी। अब जनसेवा आयोग के द्वारा किस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं, इसके बारे में आप राजस्थान के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर मालूम करें तो मैं समझता हूं आपको मालूम पड़ेगा कि उसके बारे में लोगों की अच्छी धारणा नहीं है। जनसेवा आयोग का चेयरमैन, श्री कपूर साहब, जो पहले डाइरेक्टर भी रह चुके हैं, वह कभी अपनी उम्र में प्रोफेसर नहीं बन सके जो आदमी जिंदगी भर में लेक्चरार से प्रोफेसर नहीं बन सके वह लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स का चयन करेंगे। मैं समझता हूं यह इस प्रकार का विषय है कि .....

**श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा यह निवेदन है कि आर्डिनेन्स और बिल के इन्ट्रोडक्शन के बीच ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

जिसमें कि इस प्रकार का भाषण हो सके। जब मन्त्री महोदय द्वारा बिल पेश होता है, उनका प्रस्ताव कन्सीडरेशन का होता है, उसके बाद ही ग्राब्जेक्शन हो सकता है। ग्राडिनेन्स को ग्रस्वीकार करने का कोई प्रावधान रूल्स में नहीं है। आप रूल 62 का मुलाहिजा करें :

"Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House alongwith the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance.

(2) Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification on the provisions of a Bill pending before the House is promulgated, a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance."

ग्रब आप किस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं ?

" If a motion for leave to introduce a Bill is opposed. the Speakar after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question :

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

You are not challenging the legislative competence of this House. You are not doing that.

तो ऐसी कोई स्थिति जिसमें ग्राप, ग्रार्डीनेन्स जो कि राज्यपाल के द्वारा प्रोमलगेट किया गया है, उसको स्वीकार करें या न करें। ऐसी कोई स्थिति लों में नहीं है।

**श्री केदारनाथ** : यह स्टेचूटरी मोशन है। संविधान के तहत हर एक माननीय सदस्य को अधिकार है कि किसी भी आर्डीनेंस के खिलाफ ग्रपना मोशन पेश कर सकता है, उसको इजाजत है, यह संविधान में लेड डाउन है। यह रूल्स में नहीं है। यह हमारी प्रेक्टिस रही है, ग्रार्डीनेन्सेज के बारे में स्टैचूटरी मोशन्स ग्राए हैं, यह कोई नई बात नहीं है।

**श्री चन्दन मल बैद** (शिक्षा मन्त्री) : आर्डीनेन्स को स्वीकार नहीं किया जाए, इस

(श्री चन्दनमल बैद)

बारे में सब्स्टैन्टिव मोशन मूव कर सकते हैं, मुझे ऐतराज नहीं है। बात यह है कि सबस्टैन्टिव मोशन के साथ कन्सीडरेशन ग्रॉफ दी बिल का जो मोशन है, वह भी चलना चाहिए और कन्सीडरेशन आफ दी बिल को मूव करने का जो मोशन है उसमें जो संशोधन हैं, वह भी साथ में चलने चाहिए। तीनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिएं।

श्री केदार नाथ : मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है कि किसी भी अध्यादेश को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पार्लियामेन्टरी प्रोसीजर बहुत स्पष्ट है कि यह संकल्प सम्बन्धित बिल पर विचार करने से पहले मूव किया जा सकता है। तीन चीजें आती हैं—विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तुत करना और तीसरा संशोधन जैसे पब्लिक ओपीनियन या प्रवर समिति को सुपुर्द करना, इन तीनों पर साथ ही बहस हो सकती है और पहले संकल्प को लिया जाए, इस तरह का प्रावधान भी है। इस सदन में पहले भी आसन की ओर से इस तरह की रूलिंग्स दी गई हैं कि यदि संकल्प अध्यादेश के विरोध में प्रस्तुत किया जाए तो पहले संकल्प को लेना चाहिए और उसके निर्णय के पश्चात फिर बिल को विचारार्थ लिया जाए। मैंने उसी परम्परा को कायम रखते हुए पहले संकल्प को लेना उचित समझा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसेवा आयोग से नियुक्ति होगी....

श्री चन्दनमल बैद : इसमें कहा है कि जनसेवा आयोग से नियुक्ति होगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय को अधिकार नहीं है कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह रिलेवेन्ट है या इर्रेलेवेन्ट है यह कहें। यह चेयर का काम है, इसलिए आपका जो कार्य है उसको वे कर रहे हैं, अभी उन्होंने आब्जेक्शन उठाया, पाइन्ट आफ आर्डर के रूप में रेज कर सकते हैं लेकिन डाइरेक्टली सदस्य को रोक नहीं सकते। मंत्रीजी का जो तरीका है रोकने का, वह पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के विरुद्ध है, आसन के कार्य को स्वयं मंत्रीजी करना चाहते हैं। उन पर पहले ही कार्यभार ज्यादा है इसलिए ज्यादा कार्य लेने की कोशिश न करें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको रोकना नहीं चाहता, मैं तो इंगित करता हूं जो हर सदस्य का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : As a matter of fact, you should confine your discussion or speech to the provisions of the ordinance or the bill concerned. और आपका जो संकल्प है उसकी परिधि है और उसके अन्दर ही चलेंगे इसलिये मंत्री महोदय का जो सुझाव है उसमें औचित्य है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो उनके सुझाव और आपके आदेश दोनों का पालन करता हूं। प्रश्न यह है कि सरकार की जो बदनीयती है उसकी ओर मैं आपका

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार दूसरा अध्यादेश लाना चाहती थी जो नहीं लाई। कमेटी की रिपोर्ट है, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो नई व्यवस्था करेंगे और जनसेवा आयोग द्वारा प्रोफेसर्स की नियुक्ति होगी। जनसेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री कपूर, वह आज तक प्रोफेसर नहीं बन सके, वह लक्चरार्स की क्या नियुक्ति करेंगे इसलिये जातिवाद और भाई-भतीजावाद को जन्म मिलेगा। सरकार का विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप बढ़ जायेगा, लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स के मन में भय हो जायेगा और सरकार वाद और नौकरशाही पनपेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष जी, कि इस प्रकार के अध्यादेश द्वारा विश्वविद्यालय में राज्य सरकार दखल देना चाहती है। भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर विश्वविद्यालय के मामले में अध्यादेश के द्वारा राज्य सरकार ने कहीं पर दखल दिया हो। यह प्रथम राज्य है जो ऐसा दखल देना चाहता है। दूसरे लोग हमारी निंदा करेंगे और कहेंगे कि राजस्थान के कैसे विधायक थे कि शिक्षा मंत्री ने अध्यादेश निकलवा दिया अमेंडमेंट करने के लिये और उसकी अनुमति दे दी। इसलिये यह परम्परा कोई अच्छी परम्परा नहीं है। इस अध्यादेश लाने से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रहार होगा फिर सरकार के कहने पर शिक्षा नीति चलेगी जिसको चाहेंगे प्रोफेसर नियुक्त करेंगे जिसको चाहेंगे प्रिंसिपल नियुक्त करेंगे और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उनको वहां बिठाने की चेष्टा की गई है और भविष्य में की जायेगी। इस प्रकार से यदि सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की चेष्टा की गई तो प्रोफेसर्स आंदोलन करेंगे, छात्र आंदोलन करेंगे और यदि सरकार को मुर्दाबाद के नारे सुनने में मजा आता है तो मुझे आपत्ति नहीं है।

( समय समाप्ति सूचक घण्टी )

मुझे तो अभी बोलना है।

**श्री उपाध्यक्ष :** संकल्प के लिए 15 मिनट से अधिक नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** वह तो रूलिंग्स में चले गए। तो इस प्रकार से नौकरशाही को नहीं पनपाना चाहिये। यह जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक्ट है, इसमें आपने सारी दूसरे नम्बर पर व्यवस्था की है। मेम्बर्स आफ सिनेट अदर देन एक्स आफिशियो मेम्बर्स लाइफ मेम्बर्स। मेरा निवेदन है कि लाइफ मेम्बर्स कोई बपौती है? आप किसी को आजीवन सदस्य बनाना चाहते हैं सिनेट के? इसको हटादें। कोई ऐसा अध्यापक हो जो शोध कार्य कर रहा है तो चुनाव में खड़ा होना गुनाह नहीं है लेकिन आप कहते हैं टीचर्स की कान्स्टीट्यूएन्सी से चुनाव नहीं लड़ सकता। आपने कहा है :

A person appearing in any examination of the University or registered for doctor's degree in the University shall not be so elected under sub-clause (a).

यह कितनी घातक परिस्थिति है। यदि कोई अध्यापक परीक्षा दे रहा है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यह निर्णय अच्छा नहीं है। प्रिंसिपल्स को आप छूट दे सकते हैं

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

तो विद्यार्थी को भी छूट दे सकते हैं। एक टीचर जो शोध का कार्य कर रहा है, वह चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता, इस प्रकार की आपने रोक लगा रखी है, इसको आप हटा लें। सिंडीकेट में तीन छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एक का नहीं। सरकार ने यह बात भी मानी है। इसमें आप दूसरा संशोधन करना चाहते हैं नामीनेट करने वाला उसमें अपने लोगों को रखना चाहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि श्री चंदनमल जी ने शिक्षा विभाग अपने पास ही रखा। इसलिए मुझे कहने का अवसर मिल रहा है कि सिनेट में आपने एक मूलचन्द सेठिया को रखा है जो आपकी ब्रादरी के हैं क्योंकि वह सरदार शहर के हैं और वह वैश्य हैं जबकि मूलचन्द सेठिया राजस्थान विश्वविद्यालय में लेक्चरार हैं और जब लेक्चरार हैं तो जो ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए वह तो हो रही है। बाहर से शिक्षाविद के नाते आप किसी को लाते लेकिन आपने अपनी ब्रादरी आपकी कान्स्टीटूएन्सी के हैं उनको सिनेट पर नियुक्त कर रखा है। दूसरे हैं श्री मनोहर कोठारी एम०एल०ए० वह वैद हैं आपकी जाति के हैं। आपको सिंडीकेट में 4 विधायक रखने थे फिर आपको पांचवें विधायक की नियुक्ति करने का किसने अधिकार दे दिया! आपकी जाति का था इसलिए आपने नियुक्त किया। तीसरी है श्रीमती द्रविड़ है। वह भी सेठिया वैद है। यह भी आपकी कान्स्टीटूएन्सी की सेठिया कालेज है उसकी प्रिन्सीपल है उसको भी आपने सिनेट में प्रतिनिधित्व दिला दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस प्रकार अपने जाति बिरादरी वालों को इनमें जगह दिला रखी है। यह तो थोड़ी सी बात है आगे जब तीसरा बिल आयेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आपने शिक्षा मन्त्रीजी ने सिर्फ शिक्षा जगत में ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर अपने जाति बिरादरी वालों को घुसेड़ रखा है। आपने कहां कहां पर कितनी गड़बड़ियां की हैं और अपनी कांस्टीटूएन्सी के लोगों को और अपनी बिरादरी के लोगों को कहां कहां पर स्थान दिलाया है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

आपने इस प्रकार की सीनेट में नियुक्तियां कर रखी हैं। और उन लोगों को सीनेट में ज्यादा काम करने का मौका मिले इसके लिये उन लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये आपने इनके कार्य-काल को बढ़ाने के लिये जब विधान सभा सत्र नहीं चल रहा था आपने ओर्डिनेन्स निकाल कर उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश की। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको अपने जाति बिरादरी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये जो राजनीति आपने यूनिवर्सिटीज में फैलाना शुरू किया है उन्हें समाप्त करिये। जहां तक आप छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिये कानून में संशोधन करते हैं तब तक तो बात ठीक है और मैं उनके लिये आपका स्वागत करता हूं। वैसे भी अगर आप उन्हें उचित प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटी में नहीं देते तो छात्र आन्दोलन होता इसलिये इसके लिये मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को प्रतिनिधित्व यूनिवर्सिटीज में मिलना चाहिये। यह तो एक बढ़िया काम है। लेकिन अपने जाति बिरादरी वाले लोगों को, अपने कृपा-पात्र लोगों को और अपने रिश्तेदार लोगों के लिये अगर आप आर्डिनेन्स द्वारा उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं तो गलत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : शिक्षा मन्त्री श्री चन्दनमल बैद। सिर्फ संकल्प पर ही।

**श्री चन्दनमल बैद** (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है जैसा कि आपने फरमाया मैं सिर्फ संकल्प पर ही बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आर्डिनेन्स राज्य सरकार द्वारा लाया गया था उसके खास दो मुद्दे थे। (1) एक तो विद्यार्थियों को सीनेट में जो प्रतिनिधित्व दिया गया था उनके कार्यकाल में वृद्धि की गयी है। पहले तो ऐसा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि विश्व विद्यालय एक्ट के अनुसार छात्रों का प्रतिनिधित्व एकेडेमिक ईयर तक होती थी। यानि तीस जून से सत्र की समाप्ति तक मगर-बाद में छात्र लोग मिले और उन्होंने यह कहा था कि चूंकि छात्रों के चुनाव ओक्टोबर, नवम्बर तक होते हैं अतः उन्हे ज्यादा समय सीनेट में काम करने का नहीं मिलता अत: उन्होंने यह मांग की कि इसमें संशोधन होना चाहिये और उनका कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिये। चूंकि उस समय विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था चूंकि उनकी यह वाजिब मांग थी अतः उसको जरूरी समझते हुए हमने यह आर्डिनेन्स जारी किया। उपाध्यक्ष महोदय, छात्रों को सीनेट में प्रतिनिधित्व पूरा मिले इसके लिये ऐसा किया गया था। अगर उनको पूरा समय नहीं मिले तो फिर उन्हें प्रतिनिधित्व देने से क्या फायदा। इसलिये ऐसा किया गया था मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा काम ही था। दूसरी बात जो थी वह यह है कि अभी तक हमारे यूनिवर्सिटीज में कुछ ही लोगों को प्राइवेट परीक्षा देने का अधिकार था। उस अधिकार को हमने कुछ एनलार्ज किया है जिससे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में चाहे वह लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में रहते हों या नहीं अब प्राइवेट इम्तिहान दे सकेंगे। पहले तो यह अधिकार सिर्फ टीचर्स और लेडीज केन्डीडेट को ही था लेकिन अब हमने इसमें कुछ संशोधन कर दिये हैं। उसे कुछ एनलार्ज कर दिया है इससे आम लोगों का भला ही है और, मैं समझता हूं कि यह एक निर्दोष आर्डिनेन्स ही हम लाये हैं। इस आर्डिनेन्स के आने से जो टैरीटोरियल जुरिस्डिक्शन प्राइवेट इम्तिहान देने के थे वह समाप्त हो गये। इससे कोई भी राजस्थान का व्यक्ति किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट इम्तिहान दे सकता है। यह तो एक अच्छा काम ही है। अब रहा यह सवाल कि जब विधान सभा सत्र में नहीं था और आपने यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन क्यों किया तो इसके लिये तो मेरा यही निवेदन है कि अगर विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा हो और अगर कोई जरूरी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाय तो उसके लिए हमें आर्डिनेन्स लाना हीं पड़ता है। पहले भी इस प्रकार के आर्डिनेन्स जरूरी मसलों के लिये लाये गये हैं और बाद में उन्हे विधान सभा के सत्र चलने पर उन्हें विधान सभा द्वारा एक्ट में संशोधन किये गये हैं। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। चूंकि समय कम था और प्राइवेट इम्तिहान दे सकें ऐसी व्यवस्था करनी थी अत: हमने यह आर्डिनेन्स के जरिये यह व्यवस्था की। इसमें भी हमने कोई दखलन्दाज यूनिवर्सिटी में नहीं की। न हमने कहा कि इन इन लोगों को ही प्राइवेट में बैठने की अनुमति दें। यह तो हमने उन पर ही छोड़ दिया था कि वह किन किन लोगों को अनुमति देंगे। यह तो यूनिवर्सिटी पर ही निर्भर है किन किन

(श्री चन्दनमल वैद)

सब्जेक्ट्स के लोगों को प्राइवेट इम्तिहान देने की परमीशन यूनिवर्सिटी देगी। जैसे एम०एस०सी, बी० ए. एल०एल०बी वगैरह

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : एल.एल.बी. भी दे सकते हैं क्या ?

**श्री चन्दनमल वैद** : यह सारा काम हमने विश्वविद्यालय पर ही छोड़ दिया है। वह तो यूनिवर्सिटी के एकेडेमिक कौन्सिल का काम है और वैसे भी अगर जरूरत पड़े तो राज्य सरकार को हक है कि वह यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन कर सके।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : तो आप अब कोई संशोधन लावें तो जल्दी ले आवें।

**श्री चन्दनमल वैद** : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं मैं उसे समझ रहा हूं क्योंकि शायद आप बार कौन्सिल वगैरहा के मेम्बर हैं या बार एसोशियेशन के मेम्बर हैं और जानते हैं कि लॉ का प्राइवेट इम्तिहान नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह आल इन्डिया की बार एसोसियेशन से संबन्धित है····

**श्री केदारनाथ** : बार कौन्सिल के मेम्बर हैं।

**श्री चन्दनमल वैद** : इसलिये यह बार बार मुझे एल० एल० बी० का कह रहे हैं। यह तो यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कौन्सिल पर निर्भर है कि वह किस किस को प्राइवेट इम्तिहान में बैठने दे। जैसे आप एम० एस० सी० मैथेमेटिक्स में प्राइवेट दे सकते हैं लेकिन आप एम० एससी० फिजिक्स में प्राइवेट नहीं दे सकते। एम० ए० ड्राइंग में आप प्राइवेट नहीं दे सकते। तो यह सभी बातें हमने यूनिवर्सिटी पर ही छोड़ रखा है। राज्य सरकार की यह नीति है कि यूनिवर्सिटीज में कम से कम हस्तक्षेप किया जाय। लेकिन फिर भी यह राज्य सरकार का दायित्व है कि अगर कोई यूनिवर्सिटीज एक्ट में जरूरी संशोधन करना हो तो हमें मूल एक्ट में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी तो करेंगे और भविष्य में भी अगर तब्दीलियां करनी पड़ीं तो तब्दीलियां करेंगे।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि आप जल्दी ही बिल ले आओ।

**श्री चन्दनमल वैद** : आपके कहने से तो लाया जायेगा नहीं। यह तो कोई भी इसमें चेन्ज के लिये पहले यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा विभाग के सेक्रेट्री, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटीज वगैरह आपस में पहले बैठकर विचार विनिमय करते हैं उसके बाद में जब सभी लोग तय कर लेते हैं तब उसमें संशोधन किया जाता है। यह सभी काम जल्दी में नहीं होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में लेक्चरार्स, रीडर व प्रोफेसर के एपोइन्टमेन्ट के लिये कि वह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ही होना चाहिये। तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि जब गवर्नमेंट कालेज के लेक्चरार, रीडर वगैरह का चयन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है तो जब राजस्थान के करीब चार हजार लेक्चरार्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स में से करीब तीन हजार का एपोइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होता है तो फिर बाकी एक हजार का भी चयन अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से हो जाय तो क्या बात है।

# Page No.72



(श्री चन्दनमल बैद)

मुझे इसमें कोई तुक नहीं मालूम होती। मैं यह कहकर कोई पी. एस. सी. को डिफेण्ड नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इसमें भी कहीं कुछ खामी हो। पर हमें यह ध्यान में रखकर चलना होगा कि डेमोक्रेसी का एक तरीका होता है। अब उसमें सब गड़बड़ ही होती है यह तो नहीं कह सकते। यह तो वेग हो जावेगा। मिसेज डेविड की नियुक्ति के बारे में कहा गया। यह भी कह दिया गया कि वह वैद हैं। आपकी बिरादरी की हैं। एक लेडी कालेज की प्रिन्सिपल डेडिकेटेड रूप में पिछड़े क्षेत्र में काम करने वाली, जहां छोटी मोटी संस्था चलाना भी मुश्किल है, वहां वह डेडिकेटेड रूप में लेडी कॉलेज चला रही है उसको अगर सिनेट में स्थान दे दिया तो क्या गजब हो गया? सैकड़ों मेम्बर होते हैं इसके। मिसेज द्रविड़ जो दक्षिण भारत से आई हैं और डेडिकेटेड रूप से एक पिछड़े क्षेत्र में लेडीज कॉलेज चला रही हैं उसकी प्रिन्सिपल हैं उसको अगर सिनेट का सदस्य बना दिया तो कोई अन्याय नहीं किया। आपने सुजानगढ़ मेरी कांस्टीट्यूएन्सी बताई, वह फूलचन्दजी की है। मेरी तो कांस्टीट्यूएन्सी सारा राजस्थान है। आपको वैसे कहने का अधिकार है, आप कहिये। मेरे आचरण को उछालना चाहें, मरोड़ना चाहें, उछालें मरोड़ें, आपके पास जितना कीचड़ हो, आप उंडेलिये। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह तथ्य है। मैं बिना तथ्य कोई बात नहीं करता।

**श्री चन्दनमल बैद** : वह दिन भी दूर नहीं है कि जब आप यह भी कह दें कि गिरधारीलाल भार्गव भी वैद हैं। गिरधारीलालजी भी बैद हो सकते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : वे बैद क्यों नहीं हो सकते? उन पर भी आप पासा डाल रहे हो क्या?

**श्री चन्दनमल बैद** : मैंने संघर्ष किया है। मैं पासा डालने में विश्वास नहीं करता। उनको अपने पास लाने में भी मैं विश्वास नहीं रखता हूं।

तो संक्षेप में, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने बिलकुल निर्दोष आदेश किये। यह विधेयक भी बिलकुल निर्दोष है। इसको अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) आप संकल्प को वापिस लीजियेगा?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं संकल्प को वापिस लेना चाहता हूं। विद्यार्थियों को शामिल करने का जहां तक प्रश्न है मैं इसकी तारीफ करता हूं। पर सरकार की इसके पीछे बदनीयती है। वह नौकरशाही को इसमें घुसेड़ना चाहती है, इसका भी सरकारीकरण करना चाहती है। यह तो आपने बहुत अच्छा किया कि विद्यार्थियों को इसमें रखा है। मैं इसको वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्या वापिस लेने की इनको अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

# Page No.73



**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं इसे वापिस लेता हूं ।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

## राजस्थान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने सम्बन्धी संकल्प

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैंने जनमत जानने के लिये प्रस्ताव किया है । मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्षजी, कि यह सेक्शन चार में प्राइवेट किन किन विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने दिया जावेगा । मेरा कथन यह था कि बी० ए०, एल० एल० बी० वाले विद्यार्थियों को भी यह सुविधा दी जानी चाहिये । और जो फार्म्स राजस्थानी होने की तस्दीक के आपने नये प्रेस्क्राइब किये हैं उन नये फार्मों की भी थोड़ी बहुत छानबीन कर लेनी चाहिये ।

अपोइन्टमेंट करने वाली बात का जहां तक सम्बन्ध है वास्तव में सीनेट के द्वारा ही सुझाव दिया जाना चाहिये कि किस किस व्यक्ति को शिक्षाविद् बनाया जावे ।

आपने कहा कि लोकसेवा आयोग बहुत बढ़िया रहेगा । इसके बजाय वर्तमान व्यवस्था में थोड़ा सुधार कर लिया जावे तो नौकरशाही और सरकारीकरण का खतरा दूर हो सकता है । अब छात्रों को इसमें कितना प्रतिनिधित्व देंगे इस पर निर्भर है । इससे इतना लाभ अवश्य होगा कि समस्याओं का समाधान ठीक रूप से होगा, कभी विद्यार्थियों के आन्दोलन नहीं होंगे, गुरु और शिष्य में अच्छे सम्बन्ध स्थापित होंगे । राजस्थान विश्व विद्यालय इसका उदाहरण है । वहां स्टुडेन्ट्स होने के कारण आंदोलन का अवसर नहीं आता । सभी समस्याओं का वे समाधान कर लेते हैं ।

अब राजस्थान भर में तीन विश्वविद्यालय हैं, जयपुर का जोधपुर का और उदयपुर का । अब इन तीनों विश्व विद्यालयों के वाइसचान्सलरों की एक कमेटी बना दी जावे, इसमें शिक्षा मन्त्रीजी भी शामिल हो जावें सरकारी मशीनरी का ही आदमी लेना आपको अभीष्ट हो तो शिक्षा सचिव को आप इसमें रख लें । अब आज तो होता क्या है कि शिक्षा मन्त्रीजी को समय नहीं मिला तो कार्यवाही नहीं होती, अब उनको न समय मिला है, न मिलने वाला है भविष्य में । उनके पास बहुत से विभाग वैसे ही हैं । तो इसमें तीनों वाइसचान्सलर बैठ जावें, एक हैड आफ दी डिपार्टमेंट बैठ जावे । शिक्षाविद् चाहे बाहर से बुला लिए जावें । अपोइन्टमेंट करना है तो ये बैठकर निर्णय कर लेंगे । इससे तीनों विश्वविद्यालय में जैसे प्राध्यापक चाहियें उनका सिलेक्शन इनके द्वारा हो जावेगा ।

पर आज का चुनाव का यह तरीका कि तीन को चुनकर भेज दिया और उन तीन में से एक को छांट लो । तीनों काम्पीटेन्ट हैं । तो उनमें से छांटने की प्रणाली अच्छी नहीं है । इसके बजाय यह प्रणाली सुगम होगी ।

( श्री गिरधारीलाल भार्गव )

आप चाहें तो शिक्षा आयुक्त को रख लीजिये।

प्राइवेट छात्रों को बैठने की अनुमति जो आपने दी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं समझता हूं कि पचास हजार विद्यार्थी प्राइवेट और बैठेंगे। बीस हजार रेगुलर हो सकते हैं। अब इन सबके लिए 25 परीक्षाएं रखीं। ये परीक्षाएं राजस्थान विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष कण्डक्ट करता है और हरसाल परीक्षाएं साल भर निरन्तर चलती रहती हैं। इसलिए राजस्थान के इन विश्व-विद्यालयों की परीक्षाओं का जोर कुछ कम करने के लिए श्रीमाली समिति ने अपने सुझाव दिये। पर आपने इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल रक्खा है।

अजमेर में और बीकानेर में विश्व-विद्यालय की मांग अगर आप मान लेते हैं तो यह भार कम हो जावेगा।

मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि आज कालेज खोलने में भी राजनीति के आधार पर आपके निर्णय होते हैं। कहीं एम० एल० ए० ने अगर नहीं कहा तो आप नहीं खोलते। जहां आपकी मरजी होती है वहां खोल देते हैं। आज हालत यह है कि एक अच्छे कालेज को जिसे ऐसे प्राइवेट लोग चलाते हैं जो आपको रुचिकर नहीं लगते उनको आपका अनुदान नहीं मिलता। पर मुख्य मन्त्री उदयपुर में चाहें और शिक्षा मन्त्री सरदारशहर में चाहें तो प्राइवेट कालेजों को अनुदान मिल जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री थे तो उदयपुर के प्राइवेट कालेज को अनुदान दे दिया। सरदार शहर में वित्त मन्त्री ने चाहा तो मिल गया। बाकी बचा खुचा किसी एक आध को मिला तो उसके भाग्य। बनस्थली को मिला। तो इस तरह और जगह के प्राइवेट कॉलेजों ने क्या अपराध किया है? शिक्षा मन्त्रीजी अपने चहेतों को दे दें, मुख्य मन्त्रीजी अपने मुंह लगों को दे दें, भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी अपने प्रभाव से ले जावें। वहां भी अध्यापकों को पूरा वेतन देते नहीं। तो हालत आज खराब है। तो मैं निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय की सीनेट में आज विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होने से कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है।

समस्या जब यह सामने आई कि लेक्चरार हैं कापियां जांचते हैं, तो उनको उसका रेम्यूनरेशन क्यों दिया जावे। यह तो उनकी ड्यूटी है। सीनेट ने यह नियम बना दिया कि कौन अध्यापक किस तरह पढ़ाता है इसका हिसाब रखा जावे। तो इसका असर यह हुआ कि अध्यापक अब ठीक तरह से पढ़ाने लगे हैं। विद्यार्थियों में इससे जागृति पैदा हुई है। विद्यार्थी आज बेलेन्सिंग पावर हैं। आज स्थिति बदल रही है। विद्यार्थी और अध्यापकों के सम्बन्ध अच्छे मधुर हो रहे हैं।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार तो इसमें नौकरशाही और सरकारीकरण का वर्चस्व रखना चाहती है यह उचित नहीं है। उसकी बजाय यदि सीनेट में छात्रों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो तो विश्व विद्यालय की समस्यायें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुलझेंगी और छात्रों और अध्यापकों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित होंगे। हमारा काम है शिक्षक और छात्र में अच्छे सम्बन्ध होने चाहियें। हमारा काम कब्जा करना

# Page No.75



( श्री गिरधारीलाल भार्गव )

नहीं है। विद्यार्थियों की समुचित पढ़ाई हो, विद्यार्थियों की उन्नति हो। इस प्रकार की सारी बात हैं।

**श्री केदार नाथ :** कब्जे का तो ऐसा एक्शन रहा कि आपका एक आदमी चला गया।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री गुमानमल लोढ़ा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** ( जोधपुर ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में जो संशोधन लाया जा रहा है उसमें मुझे न सिद्धान्तरूप से न अन्य किसी कारणों से आपत्ति है परन्तु प्रश्न यह है कि यह पीस-मील, टुकड़ों टुकड़ों के अन्दर, विश्व विद्यालय के प्रश्न को, शिक्षा के प्रश्न को अलग अलग विश्व विद्यालयों की समस्याओं को लेना और उसके द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालयों के अन्दर अथवा शिक्षा क्षेत्र में विवाद पैदा करना, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। मेरी यह मान्यता है, उपाध्यक्ष महोदय, और आपको पता है गत सत्र के पहले राजस्थान भर में भयंकर विद्यार्थी आन्दोलन हुये—विश्व विद्यालय के प्रश्न को लेकर। अजमेर बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ, बीकानेर संभाग के छात्रों ने और वहां के लोगों ने बहुत बड़ा आन्दोलन किया। हाड़ौती, कोटा, बून्दी में छात्रों की गिरफ्तारियां हुई। जगह जगह लाठी चार्ज हुआ और सभायें, प्रदर्शन—प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से कमेटी की एक घोषणा हो जाय लेकिन वह कमेटी वर्षों तक धीमी-धीमी गति से उन समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर, उन समस्याओं को फेस करने के स्थान पर अपनी गति को इस प्रकार चलायें कि धीमी धीमी चाल से वह कमीशन या कमेटी चलती रहे तो क्या उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के लिए हितकर होगा?

मैं निवेदन करूंगा शिक्षा मन्त्री जी को और मुख्य मन्त्री जी को राजस्थान की शिक्षा की नीति के बारे में और विश्व विद्यालयों की नीति के बारे में एक नीति अपनानी चाहिये। क्या वे चाहते हैं बीकानेर में विश्वविद्यालय स्थापित हो, क्या वे चाहते हैं हाड़ौती में रेजिडेन्सियल हो या नॉन-रेजीडेन्सियल विश्वविद्यालय हो? किस प्रकार विश्व-विद्यालय कायम किये जायं और किस स्व-रूप में किये जायं और क्या वहां की आवश्यकतायें होंगी, इस बारे में विचार करना होगा। केवल एक-दो अमेन्डमेंट करने से काम नहीं होगा।

हमने सिन्डीकेट में एम.एल.एज के पार्टी सिपेशन की बात कही थी और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है वहां भी राजनीति के खराब हथकण्डे अपनाये गये। उदयपुर के अन्दर जोधपुर के व्यक्ति को बिठाया गया जिसका वहां से कोई सम्बन्ध नहीं। जोधपुर में बूंदी से लाकर बिठाया गया। न तो उनका वहां के छात्रों से सम्बन्ध रहता है न वहां के अध्यापकों से उनका सम्बन्ध रहता है। केवल राजनीति संस्थापन के रूप में किसी को जोधपुर, किसी को उदयपुर और किसी को कहीं, अलग अलग स्थान पर लगा दिया जाता है। यह शिक्षा जगत के लिये खिलवाड़ है। मैं निवेदन करूंगा ये सारे अमेन्डमेंट्स और संशोधन समाप्त हो जाते हैं जब पक्षपात करके और आप को अन्धा करके लूनी को इसलिये बुलाया

( श्री गुमानमल लोढ़ा )

गया कि वे जोधपुर में रहें तो उनका जनता से सम्पर्क समाप्त हो जाय। इसलिये चित्तौड़ के व्यक्ति को उदयपुर और उदयपुर के व्यक्ति को जोधपुर भेज देते हैं। इस प्रकार की गन्दी राजनीति को समाप्त कर देना चाहिये।

विश्वविद्यालय में अमेन्डमेंट करते समय हमें राजस्थान की जनता को, राजस्थान के विद्यार्थी वर्ग को, यहां के नौनिहाल को जो विश्वविद्यालयों से निकलकर आते हैं उनको विश्व विद्यालय के अन्दर और विश्वविद्यालय के पश्चात शिक्षा क्षेत्र में प्रोफेसर्स में, टीचर्स में, लेक्चरार्स में, उनके अपाइन्टमेंट्स के बारे में सोचना होगा। आज उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं यह क्षेत्रीय विवाद की बात नहीं है। यह कोई यू० पी० का झगड़ा नहीं है। यह कोई वैमनस्य की बात नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं जब विश्वविद्यालय में अपाइन्टमेंट होता है—रीडर का या प्रोफेसर का तो उसको यू० पी० से बुलाया जाता है। राजस्थान के पढ़े लिखे लोग बेकार घूमते फिरते हैं। उनको किसी प्रकार का अवसर नहीं मिलता है। Sons of the soil are neglected. राजस्थान के पढ़े लिखे लोगों को अवसर नहीं मिलता है और 80 परसेन्ट, 70 परसेन्ट, 60 परसेन्ट, शिक्षा मंत्री जी जांच करवा लें कि आजादी के 25 साल बाद राजस्थान की धरती पर पढ़ने वाले लोगों को शिक्षा जगत में अवसर नहीं मिलता है। लेक्चरार, रीडर में सबसे पहले बाहर से व्यक्ति अपाइन्ट किये जाते हैं। बाहर के व्यक्तियों की ही सीनेट और कमेटियां बनाई जाती हैं। मोटिवियेटेड तरीके से उनको अपाइन्टमेंट दिया जाता है। मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट कमेटी का निवेदन नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा इस धरती के अन्दर पैदा हुये राजस्थान के लोगों को स्थान मिल सके, इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करना होगा अन्यथा 50 से लेकर आज तक जितने विश्वविद्यालय बने हैं चाहे राजस्थान में उदयपुर की बात हो, जोधपुर की बात हो सब में अपाइन्टमेंट्स की परसन्टेज को देखेंगे तो आपको पता लग जायगा कि 80 परसेन्ट, 70 परसेन्ट, 60 परसेन्ट बाहर के लोगों की है और यहां के लोग पीड़ित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुये भी एल. डी. सी., यू. डी. सी. या रेल्वे में वर्कमेन बनते हैं। उनकी सारी शैक्षणिक प्रतिभा समाप्त होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा जहां तक विशिष्ट प्रश्न है मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन इन प्रश्नों पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी विचार करें और शिक्षा की नीति पीस मील में न होकर सारी शिक्षा नीति में यहां के लोगों को किस प्रकार एम्प्लायमेंट मिल सके, विश्वविद्यालय के अन्दर और विश्वविद्यालय के बाहर। एक बात और कहना चाहता हूं विश्वविद्यालय क्षेत्र की है और क्योंकि वह प्रश्न है। दो साल पहले मेडिकल का एक आन्दोलन हुआ, उसके पहले भी एक आन्दोलन हुआ था। अभी 87 डाक्टरों को निकाल दिया गया, अन्य डाक्टरों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। जो टैक्निकल लोग हैं, चाहे डाक्टर्स हों, चाहे इन्जीनियर्स हों 10, 12 साल की सर्विस करने के बाद उनको कहा जा रहा है, तुमको नौकरी में नहीं रखेंगे। राजस्थान स्टेट हजारों रुपये

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

खर्च करती है, मैडीकल स्टुडेन्ट्स पर। एक मैडीकल के विद्यार्थी पर 10 से लेकर 15 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। और फिर उनको चार साल रखकर चार, साल फैमिली प्लानिंग में भेजकर बाद में यह कहकर कि आपकी एफिसियेन्सी ठीक नहीं है, कम्पीटीशन में ठहर नहीं सकते, उनकी बिदाई कर दी जाती है। यह डाक्टरों के मामले में किया जा रहा है, यह इन्जीनियर्स के मामलों में किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या सुलझानी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, थ्योरिटिकल रूप से

(सयम समाप्ति सूचक घंटी)

वे करें लेकिन उससे समस्या का हल नहीं हो सकता है। समस्या का हल जब होगा जब हम फन्डामेंटल तरीके से उसके लिये प्रयास करेंगे और प्रयास के रूप में यह करना चाहिये कि 87 डाक्टरों को किसी तरह कन्जूम करें।

हम बात करते हैं सारी जनता को काम देने की, हम कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं और किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं करना चाहते हैं और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार पर लगाना चाहते हैं लेकिन आप यहां पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं आप घर जाइये, आप रवाना हो जाइये। तो जो यह समस्या है यह मूल समस्या है इसको फेस करके, संघर्ष करके मिटाने का प्रयास नहीं किया तो इन अमेन्डमेंट्स को करने का कोई कारण नहीं है। जनता तो यह चाहती है For forms of Government let the fools contend. What is administered best is best. नारे बाजी से काम नहीं चलता, केवल समाजवाद के नारा देने से काम नहीं चलता है। आप किसी प्रकार का भी नारा दें,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यदि गुड्स डिलिवर नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह शिक्षा का प्रसंग आया है, यह चाहे पिलानी का प्रश्न हो चाहे मेडिकोज का प्रश्न है। आज उनके ऊपर मुकद्दमे चल रहे हैं, उनको पेशियों पर जाना पड़ता है। ठीक है समझ में आ सकता है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई हो, उसके लिए उनको परेशानी हुई हो, और दो साल तक उनको पेशियों पर जाना पड़े लेकिन आखिर यह बच्चे हमारे हैं, हमारे राजस्थान की धरती पर जन्मे हैं। आज नया मंत्री मण्डल बना है, मैं नये मंत्री-मण्डल को निमन्त्रण देना चाहता हूं कि वह जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए नई रूपरेखा के साथ में और नये जीवन के साथ में और नई फोर्स लेकर सुलझाने का प्रयास करें। अगर ऐसा करेंगे तो, हम चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों हम आपको पूरा सहयोग देंगे और यदि वही घिसीपिटी नीति रही, वही धारा 144 वही लाठी चार्ज और उसी तरह से मुकद्दमे बनाकर जन-आन्दोलनों को दबाने का प्रयास किया गया तो वह आन्दोलन जो आज पिलानी में फैला है वह कल सब जगह फैलेगा। कौनसी ब्यूरोक्रेसी है ? दो हजार विद्यार्थियों ने अपने प्रतिनिधि मिस्टर चौधरी को चुनकर भेजा है और हमारे वहां के ब्यूरोक्रेट और वहां के लोग कहते हैं कि हम मिलना पसन्द नहीं करते। उनको मिलना पड़ेगा, धरती पर आकर मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और सही तरह से समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि यह मैने संकेत दिया है और आप इस पर विचार करें।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल**

## राजस्थान विश्व विद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने सम्बन्धी संकल्प

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान विश्व विद्यालय संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए संशोधन प्रस्ताव भेजा है। इस विधेयक के जो मूलभूत उद्देश्य हैं उनसे मैं सहमत हूं, जितनी इसमे धारायें रखी हैं और जो सीमित इसका मकसद है उससे मुझे ऐतराज नहीं है लेकिन मैं यह समझता हूं और जैसा और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि राजस्थान विधान सभा के सामने राजस्थान की विभिन्न यूनीवर्सिटीज के डेमोक्रेटाइजेशन का प्रश्न कितनी ही बार इस सदन में उठाया जा चुका है मैं समझता हूं कि अखिल भारतीय स्तर पर भी आज सभी क्षेत्रों में यह स्वीकार किया जा चुका है, स्वयं सत्ताधारी पार्टी ने भी अपने विभिन्न लेवल पर इस बात को स्वीकार किया है कि आज के इस प्रजातांत्रिक युग में पुराने एकतन्त्रवाद का तरीका शिक्षा को सफल बनाने में, शिक्षा को सही दिशा में ले जाने में सफल नहीं हो सकता और इस लिए विश्वविद्यालयों का हर स्तर पर डेमोक्रेटाइजेशन किया जाना चाहिए। इस मौके पर इस विश्वविद्यालय के कानून में परिवर्तन करके विद्यार्थियों को सीनेट में स्थान देने का प्रावधान किया गया था और अब वह विद्यार्थी अगले चुनाव तक सीनेट के सदस्य बने रहेंगे उसके लिए हम प्रावधान करने जा रहे हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण इस विषय में और पूरी तरह से इस समस्या पर विचार कर के पूर्णरूप से इन तीनों यूनीवर्सिटीज के बारे में और इस डेमोक्रेटाइजेशन के प्रश्न को लेकर तीनों यूनीवर्सिटीज एक्ट में संशोधन करने का होना चाहिए। इस संबंध में कमेटी भी मुकर्रर की गयी, उस कमेटी ने क्या सिफारिशें की हैं वह कभी इस सदन के सामने नहीं आई हैं लेकिन इस बात की मांग बार बार स्टुडेन्ट्स की तरफ से भी उठाई जा रही है, शिक्षा शास्त्रियों की ओर से भी उठाई जा रही है और नेताओं की ओर से भी बार बार उठाई जा रही है कि यह रास्ता कि बकरी दूध दे और मींगनीं कर के दे-इस नीति को चरितार्थ क्यों करना चाहते हैं ? आन्दोलन स्टुडेन्ट्स का है तो आपने सीनेट में कुछ जगह दे दी। सिन्डीकेट, एकेडेमिक कौंसिल और दूसरे तरीके से जहां स्टुडेन्ट्स का रिप्रजेन्टेशन होना चाहिये, उनका कन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उनकी सलाह मशविरा से उपयोगी तरीके से इन संस्थाओं को चलाया जा सकता है वहां इस कार्य के करने में हिचकिचाहट क्यों है। इसी तरीके से जो टीचर्स का रिप्रजेन्टेशन है उसमें भी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तरीका नहीं रखकर उसमें भी एक बीच का तरीका अपनाकर कि किसी तरह से भी वाइस चान्सलर के प्रतिनिधि ही उसके अन्दर पहुंच सकें–ऐसा रास्ता क्यों अपनाया जाता है ? तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और इस बात के बारे में, मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि दरअसल गवर्नमेंट अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और एक तरह से अंधेरे में भटकने जैसी स्थिति गवर्नमेंट की है जो इस नीति के संबंध में एक निर्णायक फैसला लेने की अभी स्थिति में नहीं है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस मामले में अधिक डिले नहीं करना चाहिए और डिले नहीं करके पूरीतौर पर

# Page No.79



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डेमोक्रेटाइजेशन के प्रिन्सिपल को स्वीकार करते हुए यह जो हमारे यूनिवर्सिटीज के एक्ट हैं यह आउट आफ ट्यून और पब्लिक ओपीनियन के आउट आफ डेट हो चुके हैं और उनमें बहुत ज्यादा मूल संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए यह अच्छा है कि सरकार इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इसको प्रवर समिति को भेजे और उन मामलात को भी रेफर करे या जल्दी ही इस प्रकार का बिल लाने की सरकार घोषणा करे जिसमें कि उन तमाम बातों का समुचित प्रावधान हो सके। इस प्रकार की इच्छा जल्दी व्यक्त करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी बहस के दौरान हमारे राजस्थान प्रान्त में अन्य स्थानों पर अजमेर या बीकानेर या कोटा में विश्वविद्यालयों की मांगों का भी जिक्र किया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आन्दोलन भी चले, अजमेर में फिर बीकानेर में और फिर कोटा में। मैं समझता हूं कि उनके प्रति उनमें यह दृष्टिकोण नहीं था कि जनता में शिक्षा का प्रसार अधिक हो बल्कि उसमें रीजनल फीलिंग्स को फैलाने का पुट अधिक था और मुझे खेद है कि सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के और मुझे मालूम नहीं लेकिन शासक पार्टी और दूसरी कई पार्टियों के नेता अपने अपने स्थान के लिए कहने लगे। अजमेर वाले कहते हैं अजमेर में होना चाहिए बीकानेर वाले कहते हैं बीकानेर में होना चाहिए और कोटा वाले कहते हैं कोटा में होना चाहिए-इस तरीके से यह राजस्थान जो 22 स्टेट्स में बंटा हुआ था जिसमें एक ही तरह की हमारी जिम्मेदारी है। उस राजस्थान को एकीकृत करने के बजाय कभी पूर्वी और कभी पश्चिमी राजस्थान का सवाल, कभी अजमेर और बीकानेर और कोटा का सवाल, इस दृष्टिकोण से वातावरण को प्रतिरंजित करने की कोशिश की गई बजाय इसके कि राजस्थान के स्टुडेंट मूवमेंट में एकता हो। राजस्थान का स्टुडेंट मूवमेंट एक कंस्ट्रक्टिव तौर पर अपना योगदान दे सके, राजस्थान के जन नेता अपनी जनता की शिक्षा समस्याओं को एक हैल्दी डायरेक्शन दे सकें, इसके बजाय इस प्रकार के आन्दोलनों से हमने गलत दिशाएं देने की कोशिश की है, क्षेत्रीय वातावरण को बढ़ाने की कोशिश की है और राजस्थान की जनता के वास्तविक शिक्षा हितों का ध्यान रखने की कोशिश नहीं की है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के जो सीमित साधन हैं, जो भी आज यूनिवर्सिटिज है, जो यूनिवर्सिटी जोधपुर में या उदयपुर में कायम की, यह सदन इस बात से वाकिफ है कि वह शुद्ध, विशुद्ध राजस्थान की शिक्षा आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से न होकर क्षेत्रीय भावनाओं की पूर्ति करने के दृष्टिकोण से उनका निर्माण किया गया। राजस्थान की जनता के पूरे हितों को दृष्टिकोण में नहीं रख कर और इस बात को तूल देकर जो सत्ताधारी लोक थे, उदयपुर और जोधपुर डिविजन के लोग सत्ता के अन्दर ज्यादा थे, उन्होंने अपने तुष्टिकरण की दृष्टि से या अपनी क्षेत्रीय भावनाओं को पूरा करने की दृष्टि से एक ही सेशन के अन्दर दो यूनिवर्सिटीज का जन्म यहां पर 1962-67 की जो विधान सभा थी, उसमें किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से जो केवल इस प्रकार की भावनाओं को तूल देना चाहते

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

है उससे राजस्थान का हित नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी की यह निश्चित राय है कि आज राजस्थान जैसा छोटा प्रान्त, जिसके इतने सीमित साधन है; उनमें इन तीन यूनिवर्सिटीज को ही उपयोगी बनावें तो राजस्थान का ज्यादा हित होगा। आज राजस्थान की शिक्षा के मामलें में क्या हालत है ? गांवों में प्राइमरी स्कूल्स की क्या हालत है, सेकेन्ड्री स्कूल्स की क्या हालत है ? इनके हालात पर ध्यान न देकर क्या हम यह चाहते है कि अपने सारे बजट को लगा कर दो यूनिवर्सिटीज और खोल दें और फिर हर एक जिले में एक एक यूनिवर्सिटीज खोल दें और इस तरह से अपने तमाम फण्ड्स को, शिक्षा के फण्ड को हम केवल यूनिवर्सिटीज खोलने में खर्च कर दें, तो मैं समझता हूं कि यह वास्तविक और सही दृष्टिकोण नहीं होगा। राजस्थान की जनता कृषक है, राजस्थान की जनता मजदूर है और गांवों और फैक्ट्रियों में रहती है, उनके बच्चों को शिक्षा का अवसर नहीं मिलता, हाई स्कूल तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता, मिडिल स्कूल तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता और हम इस तरह की बहस यहां पर करें, इस तरह का वातावरण खड़ा करें कि जिसके जरिए तीन यूनिवर्सिटीज की बजाय छः यूनिवर्सिटीज राजस्थान में हो जायं और शायद मैंने सुना है कि आयन्दा यह मांग होगी कि 26 यूनिवर्सिटीज राजस्थान में हों। मैं समझता हूं कि, यह व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं है। राजस्थान के मजदूरों के हितों का दृष्टिकोण नहीं है, राजस्थान को एकताबद्ध करने का दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां आज देश में चल रही हैं उनसे जो देश को एकताबद्ध करने का, इन्ट्रीग्रेशन का जो दृष्टिकोण था आज हम उससे रिट्रीट हो रहे हैं और आज देश में मतभेद और बंटवारे करने बात की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो हम इस बात को देखें और इस तरह की जो

( समय समाप्ति सूचक घण्टी )

विघटनकारी प्रवृत्तियां इस देश में चल रही हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय और लेकर एक बात की तरफ और उल्लेख करना चाहूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से जो पिछली बार घटना हुई। यहां के यूनिवर्सिटीज के केम्पस में जिस तरह से वाइस चांसलर दफ्तर पर कब्जा किया गया और उसमें घोषणा की गई कि इतने घण्टे के अन्दर २ अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम युनिवर्सिटीज को आग लगा देंगे। राजस्थान पत्रिका में यह फर्स्ट पेज पर समाचार पूरी तरह से छपा है, शायद अन्य पत्रों में भी छपा हो। इसका कोई कोंट्राडिक्शन नहीं किया गया बल्कि इसको बरबार प्रेस कोंफ्रेंस के अन्दर रीट्रीट किया गया। राजस्थान की हुकूमत यहां पर थी, माननीय मंत्री महोदय जो आज शिक्षा मंत्री नई केबिनेट में हैं उस वक्त भी शिक्षा मंत्री थे। जहां तक मुझे पता लगा है, मैं नहीं कह सकता कि इसमें कहां तक सच्चाई है कि वह टेक ओवर गवर्नमेंट स्पोंसर्ड था, मंत्री मण्डल स्पोंसर्ड था और शिक्षा मंत्री का स्पोंसर्ड टेक ओवर था। मैं यह समझ नहीं सका कि आज शिक्षा मंत्री, मंत्रिमण्डल यह सारा का सारा यहां पर बैठा है, जो

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

पिलानी के अन्दर, उनको एक मिनिट नहीं लगा साढ़े तीन सौ आर.ए.सी. के जवान वहां पर भेज दिए गए। इस प्रकार का स्टेंड, इस प्रकार की घटना पर एक शिक्षण संस्था के बारे में सरकार ले और यहां पर गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रहे, कोई एक्शन न हो तो यह वातावरण राजस्थान की यूनिवर्सिटीज को गन्दा करने का प्रयास मात्र है। राजस्थान यूनिवर्सिटीज में आज हैल्दी वातावरण हैं, आज रेसपोंसिबल स्टुडेंट्स हैं उनका मूवमेन्ट प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स है लेकिन कुछ स्टुडेंट्स केवल दादागिरी की बुनियाद पर राजस्थान यूनिवर्सिटीज के ऊपर हावी होना चाहें, राजस्थान यूनिवर्सिटीज को नेतृत्व देना चाहें, तो मैं समझता हूं कि स्टुडेंट्स उनको धिक्कारते हैं, उनको दुत्कारते हैं उनको पसन्द नहीं करते । मुझे खेद है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को, इस प्रकार की घटना को मंत्रिमण्डल ने और शिक्षा मंत्री ने रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको प्रोत्साहन दिया और जिन लोगों ने ऐसा किया वे आपके संगठन से सम्बन्धित हैं, आप लोगों से सम्बन्धित हैं, आपके ग्रुप और आपके फंक्शनेलिज़्म से सम्बन्धित हैं, एक ग्रुप एक को प्रोत्साहन देता है। और दूसरा ग्रुप दूसरे को प्रोत्साहन देता है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरकार को इस सदन के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से यह क्यों हुआ, गवर्नमेंट क्यों कान में तेल डाले चुप बैठी रही। हमारे दल की यह निश्चित मान्यता है कि अपनी वाजिब मांगों को पूरा कराने के लिए एजीटेशनल व्यू लेने को सबको अधिकार है, हैल्दी आन्दोलन में चाहे किसी भी व्यक्ति से टकराव हो, वाइस-चांसलर से हो या किसी से भी हो लेकिन उसका रास्ता एक डेमोक्रेटिक रास्ता होना चाहिए लेकिन आपने जिस तरीके से इसको प्रोत्साहन दिया है और जिस तरह से चुप्पी लगा कर बैठ रहे हैं वह किसी तरह से भी उचित नहीं था।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं पिलानी के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर संशोधन ला रहे हैं, जो इश्यू इसमें इन्वोल्व्ड है डेमोक्रेटाइजेशन का, जैसा मैंने सुबह ही निवेदन किया था कि वही इश्यू इस पिलानी के सम्बन्ध में भी है। आज डेमोक्रेटाइजेशन का क्वश्चन मुख्य क्वश्चन बन गया है। आज हम 1973 में गुजर रहे हैं। एक जमाना हो सकता है कि जिसमें विश्वविद्यालय अपने अधिकारों के बारे में कोशिश नहीं हो लेकिन आज जब डेमोक्रेटाइजेशन की आवाज राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में उठ रही है, तो पिलानी के अन्दर ही कोई क्लोज डोर इंस्टीट्यूशन रखना चाहें और उसको आप प्रोटेक्शन दें पुलिस के जरिए और उनकी आवाज को रोकने में मदद करें तो यह कभी भी सम्भव नहीं होगा। अगर आप लड़कों का पुलिस से टकराव कराना चाहें तो वह भी होगा लेकिन मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री के लिए यह प्रेस्टिज का सवाल नहीं होना चाहिए। क्या शिक्षा मंत्री इस बात का एलान करते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न नहीं हो वहां पर भी जबरदस्ती पुलिस बैठा दी जावे स्टुडेंट्स के आचरण को वाच करने के लिए उनको डराने के लिए तो मैं समझता हूं कि यह उनका डेमोक्रेटिक राइट है और डेमो–

# Page No.82



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्टिक ढ्वे में वे आन्दोलन करेंगे और उनको आप रोक नहीं सकेंगे। हो सकता है कि उनकी कोई मांगों से हम सहमत नहीं हों लेकिन उनको अपनी मांगों को लेकर एजीटेशन करने का अधिकार है। माननीय शिक्षा मंत्री भी स्टुडेंट रहे हैं और स्टुडेंट के नाते शायद इस प्रकार के आन्दोलनों में शामिल हुए हों और इस तरीके से मानते होंगे कि यह स्टुडेंट्स का मौलिक अधिकार है प्रजातांत्रिक तरीके से एजीटेशन करने का। आज वहां प्रजातांत्रिक अधिकार पिलानी के स्टुडेन्ट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप इस प्रजातन्त्र के हामी हैं, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी शिक्षण संस्थाओं में आपने क्या एटीट्यूड अपनाया है। आपकी कोई शिक्षण संस्था क्या पुलिस को बुलाती है तो आप क्या महसूस करते हैं? आपकी क्या पोलिसी है? शिक्षा के प्रांगण पर पुलिस जाए और बिना कारण जाए चाहे जिस तरह से जैसे गली कूचे में चली जाए और वहां का डाइरेक्टर, वाइस-चांसलर बिना कारण इस तरह से पुलिस को बुलावे, उसके प्रति आपका क्या एटीट्यूट है? इस बात को आपको सामने लाना चाहिये। प्रजातान्त्रिक देश के अन्दर प्रजातन्त्र को मजबूत बनाना है तो इस तरह की इन्स्टीट्यूशन को बना कर देश के अन्दर प्रजातन्त्र को मजबूत बनायेंगे। यही स्टुडेन्ट्स आगे जाकर इन्जीनियर्स बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, देश के नेता बनेंगे और ये ही लोग आगे जाकर देश को, प्रान्त को गवर्न करेंगे। जिन्हें देश को गवर्न करना है, उनको शिक्षा के दौरान में इस प्रकार के दौर से गुजरना पड़े, पुलिस की संगीनों और लाठियों के बीच में भूख हड़ताल करना पड़े, इस प्रकार से अपमानजनक रास्ता देखना पड़े तो उन पर क्या असर होगा। क्या असर विधान सभा पर पड़ेगा, क्या असर मन्त्री मण्डल का पड़ेगा और क्या असर शिक्षा मन्त्री का पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : जल्दी समाप्त करें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह न केवल इन स्टुडेन्ट्स का सवाल है, यह पूरे शिक्षा विभाग का सवाल है और ज्यादातर शिक्षा मन्त्री का सवाल है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर शिक्षा मन्त्रीजी गम्भीरता से विचार करेंगे इस मसले को हल करने के लिए कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान यूनीवर्सिटी बिल जो प्रस्तुत हुआ है उसके बारे में मैंने यह सुझाव रखा है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया गया है वह प्रजातन्त्र के आधार पर है और उसकी हम सराहना किए बिना नहीं रह सकते हैं। स्टुडेन्ट्स को प्रतिनिधित्व देना, इसके बारे में राजस्थान सरकार बहुत अर्से से सोच रही थी और यह जो कदम लिया गया है वह सराहनीय कदम है। मैं यह चाहता हूं कि जैसा राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल में इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया गया है उसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उनमें भी संशोधन प्रस्तुत किया जाए।

**श्री केदारनाथ** : वह है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** उनको एडीक्वेट रिप्रजेन्टेशन दिया जाना चाहिए। स्टूडेन्ट्स को आज जो कुछ रिप्रजेन्टेशन है वह एडीक्वेट रिप्रजेन्टेशन नहीं है। तो एडीक्वेट रिप्रजेन्टेशन दिया जाना चाहिए······ Students who are not pursuing Studies....

**श्री उपाध्यक्ष :** This is a very complex amendment.

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** इसके साथ, प्रश्न यह है कि टीचर का रिप्रजेन्टेशन हो। टीचर के रिप्रजेन्टेटिव होने चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल और जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल, यह जो सब एक्ट वगैरह हैं उनके बारे में हम जिस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी शिक्षा के बारे में परिवर्तन करना चाहते हैं-तो आज हमें एजूकेशन में मूलभूत परिवर्तन करना है। हम जब तक शिक्षा को इस प्रकार से नहीं बनाएंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, शिक्षा से हम सिर्फ इस प्रकार के विद्यार्थी तैयार करें जो कि उनके जीवन में समस्या पैदा करें, उससे एक बेरोजगारी का प्रश्न पैदा हो, यह 25 वर्ष से एक प्रकार से समस्या चली आ रही है। हमें इस पर विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा किस प्रकार की हो, इस प्रकार की हो जिसमें उत्पादन की ओर भी जोर दे सकें और इस प्रकार की व्यवस्था कर सकें जिससे कि वे विद्यार्थी तैयार हों जो देश के उत्पादन में, देश के औद्योगिक विकास में अपना योग दे सकें। इस प्रकार से आज तक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया गया है। आज इसकी आवश्यकता है। प्रश्न यह उठता है कि यूनिवर्सिटी के बारे में, जोधपुर यूनिवर्सिटी बनी, राजस्थान यूनिवर्सिटी बनी, उदयपुर यूनिवर्सिटी बनी-आज अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जो यहां पर विचार रख रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं। मैं तो यह भी चाहता था कि जो बाड़मेर का कॉलेज है यह जोधपुर यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड हो। आज वहां का कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड है। जोधपुर यूनिवर्सिटी के वह नजदीक है जब आपने वहां पर एक यूनिवर्सिटी कायम की है तो यह करना चाहिए। मैं तो यह चाहता हूं कि राजस्थान एक प्रदेश है तो वहां दूसरी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिये, जब हमारा प्रान्त यहां पर इतना पिछड़ा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में हमें सेकेन्डरी एजूकेशन पर ज्यादा जोर देना है तो अलग अलग क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के बजाय प्राइमरी और सैकेन्डरी एजूकेशन पर अधिक जोर दें। जब जोधपुर की अलग यूनिवर्सिटी है तो उसके साथ जोधपुर डिवीजन के कालेज एफिलियेटेड किये जाने चाहियें। इस प्रकार से गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये। नहीं तो क्या है बाड़मेर के कालेज, जालौर के कालेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड हैं और जोधपुर के अलावा जोधपुर जिले के कॉलेज भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड है। इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

मैं कुछ इस प्रकार के मुद्दों पर भी आना चाहता हूं कि आज विद्यार्थियों में असन्तोष है। हमें यह सोचना है कि यह जो असन्तोष फैलता जा रहा है उसका क्या कारण है। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है और सोच करके हमें यह देखना है कि जिस प्रकार हम राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है उसमें परिवर्तन करें किस प्रकार से ऐसी

( श्री वृद्धिचन्द्र जैन )

स्थिति पैदा करें जिससे कि असन्तोष समाप्त हो जाये या कम से कम असन्तोष हो, इसके लिये हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिये प्रयास करने के लिये खासतौर से हमें यह देखना चाहिये कि हमारे टीचर्स, लेक्चरार्स और प्रोफेसर डेडीकेटेड हों। परन्तु वे दूसरे प्रोफेसन को एडाप्ट करते हैं और अपना बहुत सारा समय, एनर्जी रिसर्च में लगा देते हैं और यहां तक कि वे कालेज, स्कूलों में पढ़ाते तक नहीं हैं। तो आज इस बात की आवश्यकता है। तो जो प्रोफेसर, लेक्चरार्स और टीचर्स हैं वे डेडीकेटेड हों और वे अपने समय का किस तरीके से सदुपयोग करें। वे यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सही दिशा दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि यह जो अमेन्डमेंट बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है, ऐसे और भी अमेन्डमेंट हो सकते हैं, इसलिए इसको प्रवर समिति में रख करके और उसमें पूरी तरह से सोच विचार कर के इस अमेन्डमेंट को पास कर देना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री सुरेन्द्र व्यास।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट बिल है आज जिस पर यहां विचार हो रहा है, उसका विरोध करने या उसका स्वागत करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो नेसिसरिली करना चाहिये था। लेकिन इस अमेन्डमेन्ट के साथ एक बोलने का मौका मिला है और कुछ परिस्थितियां पिछले दिनों से इस प्रकार की रही हैं और कुछ प्रोपोजल्स एजूकेशन मिनिस्ट्री में इस तरह के चले हैं और उन पर एक्टिव कन्सीडरेशन भी हुआ है तो वे अमेन्डमेन्ट यहां पर आने चाहिये थे। इस सैशन के अन्दर वे नहीं आयें हैं तो शायद हमको यह सोचने के लिये मजबूर होना पड़ेगा कि सरकार इसके लिये आर्डिनेन्स लावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर, कई मौके के ऊपर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों में व्याप्त धांधलियों, अनियमितताओं के कई उदाहरण पेश किये हैं, उन पर चर्चा की है और इस बात पर जोर दिया है। कई माननीय सदस्यों ने भी जोर दिया है और वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इनमें आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना चाहिये इस अधिनियम के अंदर, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर और दूसरे विश्वविद्यालयों के अन्दर यह होना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले गजेन्द्र गड़कर कमेटी की रिपोर्ट, फिर मोहनसिंह मेहता कमेटी की रिपोर्ट और फिर श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार करने के लिये कहा गया था। इन सब समितियों की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास में आ गई है परन्तु आज तक कोई कम्प्रेहेन्सिव बिल इसको रिप्लेस करते हुए गवर्नमेंट यहां पर नहीं लाई है। पीस मील के अन्दर वह अमेन्डमेन्ट लाती रही है। स्टुडेन्ट के मूवमेंट पर गवर्नमेन्ट इनको यहां पर लाती रही है और गवर्नमेंट इनको मानने के लिये तत्पर रहती है। सीनेट के अन्दर रिप्रजेन्टेशन देने के लिये स्टुडेन्ट्स ऐजीटेशन करे और फिर आप तैयारी करें। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर बताया कि स्टुडेन्ट्स जो बिल्डिंग के ऊपर जो कब्जा किया, यह कोई अच्छी बात हो, यह मैं नहीं कहता परन्तु यह कहना कि यह एजूकेशन मिनिस्टर से स्पोन्सोर्ड था, एक गलत

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

बात है। एजूकेशन मिनिस्टर साहब ने उनकी डिमाण्ड पर प्रोमिज किया था कि उनको रिप्रजेन्टेशन देंगे। बाद में यह कब आयेगा यह मुझे पता नहीं है। सीनेट में उनको रिप्रजेन्टेशन मिलना चाहिए और आपको देना चाहिये। टीचर्स को आपने पहले दे दिया रिप्रजेन्टेशन लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब यहां पर अनियमितताओं पर युनिवर्सिटी के सेट अप को डेमोक्रेटाइज करने की बात करते हैं तो उसका जो मकसद है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शिक्षा मंत्री जी उसकी गलत धारणा बनाते हैं कि इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा युनिवर्सिटी की आटोनामी पर एन्क्रोचमेंट किया जाय तो युनिवर्सिटी ठीक हो जाय। राज्य सरकार के एज्यूकेशन मिनिस्टर वाइस चान्सलर के काम में दखल करते हैं। मेरी खुद की राजस्थान युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर से बात हुई है तो उन्होंने बताया एफिलियेशन के केसेज में कि किस कालेज को एफिलियेशन देना है और किस कालेज को नहीं देना है इस युनिवर्सिटी के काम में वह दखल करते हैं। किस को एफिलियेशन देना है और किस को नहीं देना है यह युनिवर्सिटी का काम है और किस कालेज को ग्रान्ट देना है यह गवर्नमेंट का काम है। लेकिन सदन ने यह युनिवर्सिटी एक्ट बनाया है और इस एक्ट के जरिये इस युनिवर्सिटी का जन्म हुआ है और इस एक्ट के जरिये ही उसकी आटोनामी है और उस आटोनामी पर एज्यूकेशन मिनिस्टर एन्क्रोच करे और कालेजों के एफिलियेशन के अन्दर वाइस चान्सलर को एज्यूकेशन मिनिस्टर धमकी दे कि अगर उस कालेज का एफिलियेशन कर दिया गया तो एड बन्द कर दूंगा तो यह कहां तक ठीक है। मैंने राजस्थान युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर से बात की है और खुद वाइस चान्सलर ने मुझ से कहा है...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कौन सा कालेज ?

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** : गंगापुर कॉलेज के बारे में।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि केवल कालेजों के एफिलियेशन का मामला ही नहीं है मैं प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं कि अन्य कई मसलों पर राजस्थान के एज्यूकेशन मिनिस्टर राजस्थान युनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफियर करते हैं और उसकी ऑटोनामी पर एन्क्रोचमेंट करते हैं। मैं इसको गैरमुनासिब समझता हूं। आज एज्यूकेशन कमिश्नर सीधा टेलीफोन करता है डिप्टी रजिस्ट्रार को और वह कहता है कि तुम बिल्कुल इन-एफिशियेन्ट आदमी हो। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि इस सब काम को समझते हुए इस प्रकार से यह समझें कि इन बीमारियों को दूर करने का उपाय यह है गवर्नमेंट एन्क्रोचमेंट बढ़ाया जाय तो सब बीमारियां दूर हो जायंगी तो यह गलत है। इसके लिए तीनों युनिवर्सिटीज की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग को गई और मीटिंग करके उसको सिन्डीकेट में डिसकस किया कि क्या होना चाहिए और उसके ऊपर उन्होंने जो प्रोपोजल्स मूव अप किये वह यह थे कि टीचर्स का रिप्रजेन्टेशन सिन्डीकेट से

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

समाप्त कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निर्णय था कि ग्रेजुएट्स का जो रजिस्टर्ड रिप्रजेन्टेशन सीनेट में है और सीनेट के बाद सिन्डीकेट में है उसको समाप्त कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की कान्स्टीटुएन्सी सारे हिन्दुस्तान की युनिवर्सिटीज में है और वह एक तरह से पब्लिक पार्टीसिपेशन युनिवर्सिटीज में होता है। आज तक युनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं हुआ है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के रिप्रजेन्टेशन को समाप्त कर दिया जाय। वह एक तरह से पेरेन्ट्स का पार्टीसिपेशन होता है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है। साल भर नहीं हुआ कि टीचर्स के रिप्रजेन्टेशन को स्वीकार किया गया था और उनको सिन्डीकेट में रिप्रजेन्टेशन दिया। उसके बाद आपने कहा कि स्टुडेन्ट्स को देंगे। स्टुडेन्ट्स के पास में ताकत है स्ट्राइक करने की, एजीटेशन आर्गेनाइज करने की ताकत है। उनसे आप घबराते हैं। आपका कोई गुजारा नहीं है उनके आगे। यह आप जानते हैं कि कौन कितना आर्गेनाइज कर सकता है, कौन पैरेलाइज कर सकता है, इसलिए आप कहते हैं कि स्टूडेन्ट्स को रिप्रजेन्टेशन देंगे। आज भी आप कहते हैं कि स्टूडेन्ट्स को देना चाहिये। स्टुडेन्ट्स को देना चाहिये इसलिए टीचर्स के रिप्रजेन्टेशन को खत्म कर देना चाहते हैं या टीचर्स के साथ में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के रिप्रजेन्टेशन को खत्म कर देना चाहते हैं। अगर इस तरह का आर्डिनेन्स आता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कमेटी ने अपनी यह राय दी तो उसके बाद में टीचर्स ने मीटिंग की है और उन्होंने इसको रेसिस्ट किया है और गवर्नर साहब से वे मिले, चान्सलर साहब से मिले और जाकर उन्होंने मेमोरेण्डम दिया और उनको इस चीज से वाकिफ कराया कि इस तरह का आर्डिनेन्स आने वाला है और सिन्डीकेट के इलेक्शन होने वाले थे तो उसमें रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स और टीचर्स के रिप्रजेन्टेशन को समाप्त कर दिया जाय। तो वह आर्डिनेन्स नहीं आया। मेरे पास यह सूचना है कि आप आर्डिनेन्स लाने को तैयार थे, लेकिन चान्सलर ने मना कर दिया क्योंकि टीचर्स उनसे मिल चुके थे। उन्होंने कहा कि सेशन आ रहा है उसमें पास करवा लें और एमेंडमेंट ले आयें। आज मैं आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, एज्यूकेशन मिनिस्टर से इस प्रकार का कमिटमेंट चाहूंगा कि इस सेशन के बाद इस प्रकार का आर्डिनेन्स नहीं आयेगा जिसमें कि टीचर्स और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के रिप्रजेन्टेशन को खत्म कर दिया जाय। इससे ज्यादा कोई प्रतिगामी कदम नहीं हो सकता है कि टीचर्स को रिप्रजेन्टेशन देकर और जब कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का रिप्रजेन्टेशन हिन्दुस्तान भर में खत्म नहीं हुआ है उनको आप यहां पर खत्म कर देना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या कम्पोजिशन चाहते है ? आप तीन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज को उसमें लाना चाहते हैं...

**श्री चन्दनमल वैद** : दिमाग पढ रहे हैं।

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद** : दिमाग पढ़ नहीं रहा हूं लेकिन मेरे पास पुख्ता सूचना है I will most welcome it. But tell me that you are not going to give an opportunity to the teachers' participation. तो, उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह शिक्षा मंत्री नहीं रहे तो ?

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** : यह नहीं रहे तो अच्छा ही होगा। यह एज्यूकेशन कमिश्नर से मिसगाइड हो जाते हैं। दूसरे नहीं होंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद आप क्या कम्पोजिशन रखना चाहते है और तीन सेक्रेटरीज गवर्नमेंट के सिन्डीकेट के अन्दर रखना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट का रिप्रजेन्टेशन वहां पर नहीं होना चाहिए। डाइरेक्टर आफ कालेज एज्यूकेशन वहां पर रहता है वह काफी है। उससे गवर्नमेंट को और मिनिस्टर को एप्रेजल होता रहता है, उसके द्वारा युनिवर्सिटी की जानकारी रहती है। डाइरेक्टर आफ कालेज एज्यूकेशन जिन्दगी भर कालेजों का प्रिन्सीपल रहता आया है उसकी जिन्दगी ही एज्यूकेशन में खपती है। वह एज्यूकेशन के मामले को अच्छी तरह से समझता है। उसके बजाय आप एज्युकेशन कमिश्नर को रखना चाहते हैं। महेन्द्र सिंहजी हमेशा शिक्षा आयुक्त रहने वाले नहीं है। फाइनेन्स कमिश्नर को रखना चाहते हैं और कोई एक सेक्रेटरी को रखना चाहते हैं तो सिन्डीकेट को सेक्रेटेरियेट बनाना चाहते हैं। उसकी ओटोनामी को खत्म करना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनियमितताओं का जो कारण है वह यह है कि हैड आफ दी डिपार्टमेंट की मोनोपोली है। उसको खत्म किया जाय। यह मैं कई दफा कह चुका हूं कि इसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए और सिन्डीकेट को सीनेट के प्रति रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और इसके लिए एक कम्प्रिहैन्सिव बिल लाने की जल्दी की जाय और तमाम बातों को सोचा जाय यह वैटर नहीं है गवर्नमेंट का इन्क्रोचमेंट हो।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दो मिनिट लूंगा।

गवर्नमेंट का एन्क्रोचमेंट बिल्कुल गैर-मुनासिब समझता हूँ और बड़े जोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार कोई कदम उठाने से पहले पब्लिक ओपीनियन को खयाल करना चाहिए। यह अच्छी इमेज नहीं है। साल भर पहले जिस बात को स्वीकार किया है उसको केन्सिल कर रहे हैं।

मैं एक मिनिट और लूंगा। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यह गन्दी राजनीति है और यहां पर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है, और, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक तथ्य है कि पार्टी के लेवल पर जनसंघ पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी युनिवर्सिटी के अन्दर पेनिट्रेट करना चाहती हैं। जनसंघ पार्टी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर यूनियन के प्रेसीडेन्ट के इलेक्शन को पार्टी बेसिस पर लड़ा है। उसको पार्टी ने आर्गेनाइज किया है। वह जीत गये। पहले हार गये थे। पार्टी के बेसिस पर काम किया गया। वाइस प्रेसीडेन्ट के लिए काम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया। यह काम्युनिस्ट पार्टी का अफेयर है रामानन्दजी ने कहा है। हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। हमारी पार्टी ने पार्टी वेसिस पर युनिवर्सिटी में एन्क्रोचमेंट नहीं किया।

Page No.88



(सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

मैंने खुद 1968 में ग्रेजुएट का इलेक्शन लड़ा है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : एम. एस. यू.आइ. क्या कांग्रेस से एफीलिएटेड नहीं है ? क्या सुनीता सत्यार्थी के खिलाफ केण्डीडेट खड़ा नहीं किया था ?

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : मैं मानता हूं, आपकी कण्डीडेट सुनीता सत्यार्थी थी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : राजस्थान के एम. एस. यू. आइ. की तरफ से आपके बी. एन. जोशी मेरे पास आये थे। आप इसको छिपाना चाहते है। We don't make any secret about it.

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : माननीय रामानन्द जी आप मेरी बात सुनें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : बी. एन. जोशी, जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान प्राविंशियल कांग्रेस। इस बारे में मेरे पास आये थे।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : Chief Minister of Rajasthan talked to our Secretary.

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : कितने वर्ष से कांग्रेस ··

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: इण्डीसिप्लिन तो है।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : मैं यह कह रहा था, सिण्डिकेट ···

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : इस प्रकार से दूसरी पार्टियों पर लांछन लगाते हैं।

( शोरगुल–अश्रव्य )

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : आपके पुरुषोतमलाल चतुर्वेदी जीते।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : चुनाव लड़े।

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद और श्री भार्गव साथ साथ बोलने से अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

( शोरगुल–अश्रव्य )

माननीय सदस्य

(लगातार शोरगुल)

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : कांग्रेस के लोग प्रश्रय देते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं समझता हूं। और भी हाजिर हैं।

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद और श्री भार्गव साथ साथ बोलने से अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद** : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अजीब बात है। ललितकिशोर चतुर्वेदी जीते। ग्रेजुएट कान्स्टीटुएन्सी से चतुर्वेदी चुनाव लड़े।

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद और श्री भार्गव साथ साथ बोलने से अश्रव्य)

# Page No.89



**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप पर्दे के पीछे करते हैं । हम खुले में करते हैं ।

(शोरगुल अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । तशरीफ रखिये ।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, सीधी बात यह है कि पोलिटिकल हस्तक्षेप की बात कही जाये तो रामानन्दजी उत्तेजित हो जायेंगे ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : I am talking about the party. You teach morals to other Parties. You have got your own and we have got our own.

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी समाप्त कीजिए ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** : मेरा मतलब यह था निवेदन करने का, पोलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी की एक सीमा तक घुस कर कार्य करें । एक पोलिटिकल पार्टी की तरह से बिहेव करें । कांग्रेस में स्टूडेन्ट्स भी हैं । यूथ कांग्रेस भी है । लेकिन आप अपना देखें । यह भला नहीं कर रहे हैं । मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह अमेण्डमेण्ट ऐसा आना चाहिए । वह कोई आर्डिनेन्स नहीं लायें । या फिर कोई प्रोग्रेसिव आर्डिनेंस लायें । हाउस के बाद में ऐसा आर्डिनेन्स लायें जो टीचर्स और ग्रेजुएट्स को रिप्रजेण्टेशन आपने दे रखा है, इसको खत्म करें यह उचित नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ज्ञानसिंह चौधरी ।

**श्री ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान विश्वविद्यालय का संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह कोई नयी बात नहीं है । यह तो एक की गई घोषणा को कुछ और आगे बढ़ाने की बात है जब तक कोई अन्य बात नहीं हो जाये । अभी जो विधेयक पेश किया गया । छात्रों की सुविधाओं के बारे में बहुत कम संशोधन किया गया है । राजस्थान विश्वविद्यालय के एक्ट में कोई प्रगतिशील परिवर्तन नहीं किया गया है । इसका एक ऐतिहासिक ट्रेडीशन है । वही परम्परा है । लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी कदम उठाया जाता है, किसी भी कमेटी के आधार पर, वह प्रगतिशील होना चाहिए । पहले मेहता साहब ने रिपोर्ट प्रस्तुत की फिर गजेन्द्र गडकर और अब श्रीमाली साहब की रिपोर्ट पर विचार विमर्श कर रहे हैं । लेकिन राजस्थान में लम्बे रूप में किसी भी छात्र को शिक्षा के रूप में राहत देने वाली चीज प्रस्तुत नहीं की है । जो कुछ राजस्थान में प्रस्तुत किया जाता है उसके पीछे छात्र होता है । चाहे सीनेट का रिप्रजेण्टेशन हो या सिण्डीकेट का रिप्रजेण्टेशन हो । जनवरी 70 में, मैं भी पढ़ता था । इसी विधान सभा में सुखाड़िया साहब ने घोषणा की थी कि छात्रों को रिप्रजेण्टेशन देंगे । इसलिए यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई है । यह छात्र प्रतिनिधियों और विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य रहा है । लेकिन दूसरी

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी) तरफ देखते हैं कि राजस्थान में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए आन्दोलन हुआ। कोटा, बीकानेर और अजमेर में भी हुआ है। यहाँ विश्वविद्यालय बढ़ाने की मांग छात्रों की मांग नहीं है। मैं भी छात्र रहा हूं। छात्रों का नेतृत्व किया है। आज हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कोई और नहीं आया है। विश्वविद्यालय में जो वही कालेजों में थे। आप जोधपुर या बाड़मेर में चले जायें। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि राजस्थान में राजस्थान सरकार ने उदयपुर में विश्वविद्यालय खोलकर गलती की है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रों की न कोई मांग थी, न आज कोई मांग है, बीकानेर, कोटा और अजमेर में विश्वविद्यालय हो। यह खुद शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि अजमेर में नान-रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हो। उस घोषणा से, सरकार की गलती से छात्रों की यह मांग उठी। वरना कोई छात्रों की मांग नहीं थी।

इसके अलावा हम देखते हैं, विश्वविद्यालय में छात्रों को सीनेट में रिप्रेजेन्टेशन दिया गया है। यह बहुत बड़ा अच्छा कदम है, यह छात्रों की इच्छा थी। लेकिन छात्रों को सीनेट में रिप्रेजेन्टेशन देने से ही उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, छात्रों का रिप्रेजेंटेशन एकेडेमिक कौंसिल में भी होना चाहिए, एकेडेमिक कौंसिल में उन लड़कों को होना चाहिए जो हाइएस्ट नम्बर लायें और जो गोल्ड मैडल प्राप्त करें। ऐसे लड़के प्रोफेसरों से भी अच्छी राय दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट अच्छी बातें वहाँ उठा सकते हैं। उसके बाद में सिंडिकेट में रिप्रेजेन्टेशन की बात चली। इसके अन्दर पिछली बार अध्यापकों को और विधायकों को रिप्रजेंटेशन दिया गया; वास्तव में बरकत साहब ने यह सराहनीय कदम उठाया था। छात्रों को सिंडिकेट में रिप्रजेंटेशन देने की कोठारी कमेटी की सिफारिश भी है। लेकिन इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं कर पायी है। मेरा निवेदन है कि छात्रों को एकेडेमिक कौंसिल में और दूसरी जो संस्थायें हैं, बॉडीज हैं यूनिवर्सिटी की, उनमें रिप्रजेंटेशन देना चाहिए।

दूसरी बात मा. सुरेन्द्र व्यास ने कही कि ऐसी कल्पना की जा रही है। मैं मान कर चलता हूं कि राजस्थान सरकार को इसके अन्दर आगे बढ़ना चाहिए और टीचर्स का स्थान खत्म न करके स्टूडेंट को भी स्थान देना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो बजाय प्रगतिशील कदम के प्रतिक्रियावादी कदम उठायेंगे। मुझे आशा है कि ऐसा प्रतिक्रियावादी कदम नहीं उठायेंगे। अगर ऐसा विचार किया गया है तो मैं निवेदन करता हूं कि इस विचार को वहीं तक रख कर उसे रद्द करें।

दूसरे यहाँ पर विश्वविद्यालयों में राजनैतिक पार्टियों का सवाल आया और हमारे साथी लोगों ने यह बात कही। मैं स्वयं यूनीवर्सिटी के इस दौर से गुजरा हूं। मैं इस बात के लिए सरकार और कांग्रेस की महत्ता मानता हूं कि आज तक इस वर्ष तक राजस्थान सरकार और रूलिंग पार्टी, कांग्रेस की तरफ से यूनियन के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यह ठीक है कि कांग्रेस से सम्बद्ध लड़के हैं, वहीं एफिटिव हो सकते हैं, पार्टी के आदमी हैं, वह हो सकते हैं, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से यह

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

कांग्रेस आर्गनाइजेशन की तरफ से कोई ऐसे विद्यार्थी चुनाव में नहीं आये हैं, अगर ऐसे विद्यार्थी होते तो हमारी नजरों में आते। स्टुडेन्ट से आज भी हमारा सम्पर्क बनाया हुआ है। यहां पर विद्यार्थी परिषद् का सवाल आया, स्टुडेन्ट फेडरेशन का सवाल आया। विद्यार्थी परिषद्, मैं यूनिवर्सिटी में रहा हुआ हूं, दो साल से प्रयास करती रही है। इसलिए इस बारे में कोई कहे कि जनसंघ से सपोर्ट नहीं थी तो यह झूठ है। रामानन्दजी ने स्वीकार किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, कि हमने विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप किया है। इसी तरह से जनसंघ वाले करते खुल कर, प्रेम से करते तो यह उनका अधिकार था, जनतन्त्र में यह अधिकार है कि कोई भी पार्टी हस्तक्षेप कर सकती है। विद्यार्थी परिषद् की जीत नहीं होती यदि कुछ लड़कों के वोट, जो रीएक्शन की वजह से वोट मिले, वह न मिलते। उन पर विद्यार्थी परिषद् का कोई प्रभाव नहीं है, विद्यार्थी परिषद् के पांच सौ, छः सौ वोट से अधिक नहीं है। बाकी उनको इस बात का अभिमान हो और वह जायजा लेना चाहें तो अगले वर्ष के मतदान से उनको मालूम हो जायगा। बाकी इस प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय में पार्टी का हस्तक्षेप वास्तव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह अलग से डिबेट का प्रश्न है। वैसे राजस्थान के अन्दर जो विद्यार्थी है, मैं मानता हूं कि अन्य प्रान्तों की तुलना में ज्यादा शांत है, धीर है और प्रोग्रेसिव है। जिस प्रकार से छात्र धैर्य से सरकार की बातें सुनते हैं, विश्वविद्यालय में जिस प्रकार वह अनुशासन में रहते है उसी प्रकार से धैर्य से सरकार उनकी मांगों के ऊपर विचार करे। सरकार, विद्यार्थी और विश्वविद्यालय—यह तीनों को बैठ कर वहां की समस्याओं को हल करना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आन्दोलन होने से पहले ही सब बातें हल हों। जहां तक सरकार के हस्तक्षेप का सवाल है, मैं समझता हूं कि, जहां तक हो सरकार का डेमोक्रेटिक ढंग से हस्तक्षेप होना चाहिये, वह जायज है क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में कोई महान्, महान् चरित्र वाले नहीं है। इसलिए सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिये। आज एक तरफ कहते हैं कि यू० पी० के प्रोफेसर जमा हो गये हैं, दूसरी तरफ कहे कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तो यह दोनों बातें नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से, जहां जरूरी हो, हस्तक्षेप करना चाहिये। यह किस तरीके से हो, इसका, मैं मानता हूं, यह तरीका है कि सरकार, विश्वविद्यालय और विद्यार्थी—इन तीनों को बैठ कर विचार करना चाहिए और तीनों की राय से विश्वविद्यालय का कार्य होना चाहिए, और आगे के कार्यक्रम, बेरोजगारी में सुधार करने के लिए तीनों को बैठकर तय करने चाहिये। मैं यह उम्मीद करता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी आगे आने वाले सेशन में और भी एक्ट में प्रोग्रेसिव संशोधन करके छात्रों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शिक्षा मन्त्री।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): इसके बाद थर्ड रीडिंग में बोलना पड़ेगा, अभी बोल लूं।

मान्यवर, मुझे कोई लम्बी बात नहीं कहनी है। इस बिल के मार्फत दो चार बातें जो आब्जेक्ट में नहीं आती हैं, वह भी यहां माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैं यह

( श्री केदारनाथ )

मानकर चलता हूं, मान्यवर, मोड आफ सलेक्शन यूनिवर्सिटी में लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर का है, वह ठीक नहीं है। अब उसका आल्टरनेटिव ढूंढ़ा जा रहा है कि सलेक्शन का राइट पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया जाय। यह बात भी ठीक नहीं है। मान्यवर, बिहार की गवर्नमेंट ने सबसे पहले इन्ट्रोड्यूज किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सलेक्शन हो, लेक्चरार का, रीडर का और प्रोफेसर का, यह उन्होंने शुरू किया और यूनिवर्सिटी की पावर ले ली थी, लेकिन वहां पर यह एक्सपेरीमेंट सफल नहीं हो पाया। इसलिए, मान्यवर, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार अगर ऐसा एक्सपरीमेंट करना चाहती है, जैसे इससे पहले हम एम. एल. एज. की नुमाइन्दगी और स्टूडेन्ट्स के रिप्रेजेन्टिव की नुमाइन्दगी का किया है, अब जब तक श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय, दूसरी कमेटी की जो रिपोर्ट है, उन पर निर्णय लेने से पहले अगर आपने यह स्टेप उठा लिया तो यह खतरनाक साबित होगा। कारण क्या है, पी. एस. सी. के तहत सलेक्शन आने के बाद मान्यवर, यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी समाप्त होगी, वह एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जायगी। अगर यह चाहते हैं तो कर दें, उसमें झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं ओटोनोमी के नाम से, जो यूनिवर्सिटी का मौजूदा मोड आफ सलेक्शन है, उसको सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि हैड आफ द डिपार्टमेंट अपने एक्सपर्ट्स बुला कर अपनी व्हिम के मुताबिक सलेक्शन कराते हैं और लोकल जीनिअस को खत्म कर देते हैं, यह सलेक्शन का अच्छा तरीका नहीं है। मोड आफ सलेक्शन का यह तरीका नहीं होना चाहिए, मान्यवर, इस सलेक्शन के तरीके को बदलना चाहिए-इस बात को मैं मानता हूं। और मैं यह भी मानता हूं कि एक स्टेज पर ओटोमेटिक प्रमोशन हो जाय। दस साल से जो लेक्चरार है, उसका पर्फोमेन्स आप क्लास में देख लें, वह क्लास को ठीक तरह से कन्डक्ट करता है, उसका बिहेविअर ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन ठीक है तो उसको दस साल के बाद इन्सेन्टिव देना लाजिमी है, जिसका काम क्लास में ठीक है, पर्फोमेन्स ठीक है तो दस साल में ओटोमेटिकली उसको प्रमोशन मिल जाय। अब तक इस बारे में सोचा नहीं है यूनिवर्सिटी ने, अब सोचने जा रहे हैं। पहले जो लेक्चरार का प्रोफेसर के लिए सलेक्शन हुआ, मान्यवर, जब वह तरीका, वह क्राइटेरिया बदला जाय सलेक्शन का, मोड आफ सलेक्शन कान्सप्रेसी की शक्ल न लें। सही सलेक्शन हो, सलेक्शन के बारे में लाउड थींकिंग नहीं हो और लोकल जीनियस को फायदा मिले, और क्लास में जो पर्फोमेन्स है, क्लास में जो उनका कन्डक्ट है, बिहेविअर है उसके आधार पर सलेक्शन को तरजीह दें तब तो सलेक्शन में फेयरनेस बरत सकते हैं।

दूसरी चीज चल रही है, मौजूदा सिंडिकेट के कम्पोजीशन को बदला जाय। मैं इस बात को मानता हूं कि सिंडीकेट के कम्पोजीशन में सिंडिकेट के स्ट्रक्चर में चेन्ज आनी चाहिये। सीनेट और सिंडीकेट में, मान्यवर स्टूडेन्ट का पार्टीसिपेशन हो, एम. एल. एज. का पार्टीसिपेशन हो, टीचर्स का पार्टीसिपेशन हो। आज तक यूनिवर्सिटी में सब-लाइम इम्पेक्ट कार्य किया है। आज गवर्नमेंट के नामिनी को लाकर बिठा देते हैं, वाइस

( श्री केदरनाथ )

चान्सलर के नुमाइंदों को ले जाकर बिठा देते हैं, चान्सलर के नुमाइन्दों को ले जाकर बिठा देते हैं तो हर आदमी में, हैड ग्राफ डिपार्टमेंट में फ्री थिंकिंग, लाउड थिंकिंग पैदा नहीं हो सकती है ग्रौर वह कभी भी वाइस चान्सलर हैड आफ डिपार्टमेंट्स के खिलाफ ग्रपनी बात नहीं कह पायेंगे। ग्रब जबसे, डेढ़–दो साल से एम. एल. एज. का रिप्रेजेन्टेशन हुग्रा, सिंडिकेट में, स्टूडेन्ट्स का रिप्रेजेन्टेशन हुग्रा सीनेट में, ग्रौर टीचर्स का सिंडिकेट में हुआ, तब से एक ऐसा वातावरण निहित स्वार्थ वालों द्वारा पैदा किया गया है कि यूनिवर्सिटी के ग्रफेग्रर्स में दखल पैदा हो गया है, ग्राउट साइडर का दखल पैदा हो गया है। यह वातावरण किन्होंने पैदा कराया है ? जबसे हैड ग्राफ डिपार्टमेंट के संबंध में रोटेशन ग्राफ हैड का प्रस्ताव पास किया गया, यहसोच कर कि हैड ग्राफ डिपार्टमेंट का मोड ग्राफ सलेक्शन ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो, डिपार्टमेंट में कुछ लोगों की मोनोपोली न हो, क्योंकि इससे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात नहीं रह सकती है। जब यह चेंज इन्ट्रोड्यूज किया गया तो हैड आफ डिपार्टमेंट एकेडेमिक लाइफ में सलेक्शन की पावर हाथ में लेकर बैठे हुए थे, उन्होंने ग्रावाज पैदा की और कार्डिनेशन कमेटी में ग्रावाज पैदा हुई वी. सी. के मार्फत। वी. सी. का जो मोड ग्राफ सलेक्शन है, जो उनका कलेवर है, जो उनका दृष्टिकोण है, मैं किसी इंडिविजुग्रल के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वह पुराना तरीका है, मोडिएवल तरीका है, वह भी बदलना चाहिए। ऐसे वाइस चान्सलर के मार्फत हैड ग्राफ डिपार्टमेंट सरकार पर स्ट्रेस डालते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल को इन्ट्रोड्यूज नहीं किया जाय, सिंडिकेट में टीचर्स की नुमाइंदगी नहीं हो। अगर सरकार ने उनकी बात मानी तो यह गलत फैसला होगा। मेरा विश्वास है कि मौजूदा शिक्षा मंत्री कभी ऐसा फैसला नहीं करेंगे ग्रौर ऐसा ग्राडिनेन्स या ऐसा बिल नहीं लायेंगे। आपने कदम उठाया है इससे तीनों यूनिवर्सिटी में सारे राजस्थान के लड़कों, टीचर्स ग्रौर एम.एल.एज को रिप्रेजेन्टेशन दिया है। वहां पर वी.सी. कैसा है, कैडर कैसा पैदा होता है, सरकारी शिक्षा नीति के ग्रनुसार शिक्षा दी जाती है ग्रगर इस ढंग से दखल दें तो मैं स्वागत करता हूं।

यहां पर लीडरशिप की बात चली। यह स्टूडेन्ट मूवमेंट में राजनैतिक दलों को दखल नहीं देना चाहिए। राजस्थान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ग्रपने ग्रापको एलूफ रखती है। हरेक पार्टी जानती है लेबर मूवमेंट। सारी पोलिटिकल पार्टीज या तो कोड ग्राफ कन्डक्ट बनायें, सारे देश में नई क्लाइमेट पैदा करें, केवल विधान सभा में अपनी बात कह दें तो यह रास्ता नहीं है। कभी किसी ने एतराज नहीं किया। स्टुडेन्ट्स जाकर यूनिवर्सिटी अफेयर्स में दखल देते हों, गंदगी करते हों, बदमाशी करते हों, ग्राज तक एसेम्बली में ग्रावाज पैदा नहीं हुई। मंत्री के लड़के हों, विधायक के लड़के हों, उस समय व्यास जी कहेंगे कि हमारा वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता रहा है ...

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यासः** इन्डवीज्यूअल का वास्ता है।

**श्री केदारनाथ :** पूरी तरह से पैट्रनाइज किया है ग्रौर हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। यहां पर यह भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी हाल पर जाकर कब्जा किया। मैं मानता हूं। जो मसले सीनेट ने पास कर दिए हैं, सिन्डीकेट ने पास कर दिए हैं उन्हीं

# Page No.94



(श्री केदार नाथ) मसलों को लेकर स्टुडेन्ट्स का एक सेक्शन वहां पर कब्जा करता है क्योंकि इलेक्शन्स नजदीक थे, वह इलेक्शन स्टंट था। हम भी इलेक्शन्स के दिनों में कलर्स चेंज करते हैं, स्लोगान्स देते हैं। उस समय आपसे इन्डिवीडयूएली तो वे लोग नहीं मिले, मगर वी० सी० ने स्टुडेन्ट्स के बारे में बातचीत की। मुझे मालूम नहीं किसका स्पान्सर्ड था, यह सही है कि किसी न किसी की तरफ से उनको पेंट्रनाइज किया गया है।

एक बात अन्त में और कहना चाहता हूं कि स्टुडेन्ट्स को सिंडीकेट का सदस्य बनाने की सिफारिश की गई। अब राज्य सरकार नया संशोधन लाए कि युनिवर्सिटीज में आपकी ओर बात चले। यह एकेडेमिक इश्यू है केवल फ्लोर पर कह दें कि रीजनल सवाल था। बीकानेर, कोटा, अजमेर से यह बात चली और केवल कहकर कि स्टुडेन्ट्स का मामला नहीं, पोलिटिकल पार्टीज का मामला है, इस बात को कहकर युनिवर्सिटी की मांग को टर्न डाउन करना ठीक नहीं है। या तो राज्य सरकार को जो दोनों रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, एफिलिएटिंग बनाना पड़ेगा या कोटा, अजमेर, बीकानेर के कालेजों को ऑटोनोमस स्टेटस देना पड़ेगा, या दो तीन नई यूनिवर्सिटीज बनानी पड़ेगी, कोई न कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। आज के स्टेट आफ अफेयर्स में बेसिक तबदीली लानी पड़ेगी, केवल यह कहकर कि भविष्य में युनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, आप असेम्बली की जिम्मेदारी को नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं इसलिए श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद लाजमी है निकालना चाहिए कि कोटा से लोग थे जिन्होंने एजीटेशन पैदा किया। यहां पर कहा गया भूतपूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा कि हमने अजमेर का फैसला कर दिया, कन्फ्रंटेशन पैदा हो गया, राजस्थान विश्वविद्यालय के नीचे बहुत कालेज होने के कारण वहां अन्वील्डी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसलिए लाजमी एक नई युनिवर्सिटी खोलनी है और अजमेर सबसे अच्छा स्थान है। जब यह बात कही गई तब हवा फैलती है, तब एजीटेशन्स स्टार्ट होते हैं, जिम्मेवारी सरकार की है। आप अपना अपना फेस देखें। इसलिए युनिवर्सिटी के बारे में, पार्टीसिपेशन के बारे में, जब कोई फैसला करेंगे, मुझे विश्वास है, शिक्षा मंत्री सारी बातों को सोचकर, देश के ट्रेन्ड को सोचकर, श्रीमाली कमेटी रिपोर्ट पर विचार कर, जो एक्सपेरीमेंट्स जहां हो रहे हैं उनको देखकर फैसला करेंगे।

**श्री चन्दनमल वैद (शिक्षा मंत्री)**: उपाध्यक्ष जी, जहां तक विधेयक का सवाल है, आमतौर पर माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया, सबने इसका स्वागत किया है लेकिन जैसे मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा क्योंकि युनिवर्सिटी एक्ट में एक संशोधन आ रहा है इसलिए मौके का फायदा उठाकर बात करना चाहते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने मौके का फायदा उठाया और बहुत से सुझाव हायर एजुकेशन के बारे में दिए हैं। इस समय इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उपयोगी सुझाव दिए गए हैं हायर एजुकेशन के बारे में उनको मैंने गौर से सुना है और जब कभी इस बारे में कार्य किया जाएगा उन सुझावों की ओर पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। यहां पर कहा गया कि श्रीमाली

(श्री चन्दनमल वैद)

कमेटी जो बनी हुई है उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही यह अध्यादेश क्यों लाया गया, संशोधन क्यों किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर श्रीमाली कमेटी अपनी रिपोर्ट देने में एक साल या दो साल लगा दे तो विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व हम लोग तो नहीं कर सकते। दूसरे जो जरूरी काम हैं, उनको नहीं रोकना चाहते। हायर एजुकेशन के बारे में श्रीमाली कमेटी बनी हुई है उसकी रिपोर्ट का जैसे वे इन्तजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि हमको भी विचार करने का मौका मिले। यह तो नहीं होगा कि जिस दिन ही रिपोर्ट आएगी उसी दिन इम्पलीमेंटेशन हो जाएगा। सरकार को विचार करना पड़ेगा, उसके बाद युनिवर्सिटीज एक्ट में संशोधन लाना होगा, सदन में आएगा। हो सकता है कि काफी जोर से विचार विमर्श होगा। क्योंकि जैसा विचार विमर्श का ट्रेन्ड रहा है, इससे मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्यों की राजस्थान की हायर एजुकेशन में काफी दिलचस्पी है और वे सुझाव देना चाहते हैं। इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि वह रिपोर्ट जल्दी आए। लेकिन उस रिपोर्ट के आने तक यह जरूरी नहीं था कि कुछ संशोधन जो जरूरी था उनको रोक कर रखते। इसलिए जरूरी समझा गया कि रिपोर्ट आने से पहले इसको स्वीकार किया जाए।

पी० एस० सी० के बारे में हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के जो जनसंघ के नेता हैं, दोनों ने विरोधी बातें कहीं। वह कह रहे थे कि आज जो विश्वविद्यालय में सिलेक्शन्स और नियुक्तियां हो रही हैं उनमें बहुत गड़बड़ी है और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नहीं, जो तरीका है ठीक है और नए तरीके नहीं अपनाए जाय। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने अभी किसी तरीके पर फैसला नहीं किया, सरकार सोच रही है। एक बात है कि जो विश्वविद्यालयों में सिलेक्शन्स हुए हैं उनमें कुछ गड़बड़ियों के रिप्रजेन्टेशन्स आए हैं, मेमोरेंडम्स भी आए हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : इसमें विरोधाभास वाली बात कहां है? श्री लोढ़ा साहब ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सरकार दखल न दे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप सुन लीजिए।

**श्री चन्दनमल वैद** : बोलने से पहले आप दोनों की राय नहीं मिली। मैं मानता हूं कि आपकी बात सही है और आपके नेता की गलत है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जो हमारी आशंका है उसका निवारण करें।

**श्री चन्दनमल वैद** : जहां इस बात की शिकायतें आती हैं, बिहार में एक नया प्रयोग किया। इस बारे में आशंकायें प्रकट की गईं। कान्स्टीट्यूशन की बात है। आज जो खराबी आई हुई है उनको कैसे दूर कर रहे हैं और पी० एस० सी० दोनों में खराबियां हो सकती हैं। सरकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हमें इस बात को काफी दिमाग से सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज हमारे सामने काफी शिकायतें आती हैं। आम जनता से आती है, कुछ वहां के लोगों से आती है कुछ माननीय सदस्य भी शिकायतें इस बारे में करते हैं। तो इसके लिए हमें इन शिकायतों

( श्रीचन्दनमल बैद )

को दूर करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इन शिकायतों को कैसे ठीक किया जाय और उसके लिए क्या उपाय किये जाने चाहिये उसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आज हमारे सामने बार बार यह शिकायतें आती है कि यूनिवर्सिटीज में सलेक्शन होते हैं उनमें यह शिकायत आती है कि हमारे प्रांत के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, और बाहर से लोगों को ले लिया जाता है। कभी यह कहां जाता है कि उचित योग्यता वाले लोगों का सलेक्शन नहीं किया गया है तो इन सभी बातों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। राज्य सरकार इस बारे में काफी गम्भीरता पूर्वक सोच रही है। मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में सोच रही है और वह भी सक्रिय रूप से इस बारे में सोच रही है लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय इस बारे में लिया नहीं है और जब कोई निर्णय राज्य सरकार लेगी तो आप लोगों का सहयोग उसमें जरूर लेगी। लेकिन मैं अभी इतना कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। दूसरी बात यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आप यूनिवरसिटी की आटोनोमी में हस्तक्षेप कर रहे है। इसके बारे में मैं आप लोगों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो अभी एमेन्डमेन्ट किये हैं, उन्हें मैं अभी आपको पढ़कर सुना देता हूं।

"2 (1) (a) Presons, who have presued a course of study in the University or its affiliated colleges or approved institutions but appear at and pass the examinations of the University under conditions laid down in the Ordinance and Regulation.

(b) Presons who have not persued a course of study in the University of its affiliated colleges or approved institutions but appear at and pass the examinations of the University as non-collegiate students' under such conditions as may be presecribed by the University from time to time." हम तो इस के सारे के सारे अधिकार यूनिवर्सिटी को ही दे रहे है। लेकिन जैसा कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बहस में कहा...

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : मैंने तो यह नहीं कहा कि आप यूनिवरसिटी का आटोनोमी में हस्तक्षेप कर रहे है। मैंने तो कहा आपने कोई एक्शन नहीं लिया।

**श्री चन्दनमल बैद** : तो आपको मेरे एक्शन नहीं लेने पर नाराजगी है।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : नाराजगी की बात नहीं है।

**श्री चन्दनमल बैद** : आपकी नाराजगी अगर इस बात की है कि मैंने आपके कहे अनुसार जगह पर कालेज क्यों नहीं खुलवाया। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सिर्फ किसी जगह कालेज खोलने के लिए सिफारिश ही कर सकती है लेकिन कालेज कहां खुलनी चाहिए और कहां नहीं खुलनी चाहिए

( श्री चन्दनमल बैद )

इस बात को मानना या नहीं मानना सिर्फ यूनिवर्सिटी के हाथ में है। इसकी तो एक पद्धति बनी हुई है उसी के अनुसार कार्य होता है। उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके लिए तो आप पता लगा सकते हैं। और मैं जानता हूं कि आप पता लगा भी लेंगे क्योंकि आपके पास काफी सोर्सेज हैं। लेकिन यह बात बिलकुल सही है कि राजस्थान सरकार सिर्फ यूनिवर्सिटी को सिफारिश ही कर सकती है कि फलां जगह कॉलेज खोली जाय। अब आगे यूनिवर्सिटी की मरजी है कि राज्य सरकार की उस सिफारिश को माने या नहीं माने। आपको जिस बात के लिए नाराजगी है उस के लिए मेरा यही निवेदन है कि राज्य सरकार ने वहां कॉलेज खोलने की सिफारिश की तो यूनिवर्सिटी ने उस सिफारिश को यह कहकर टर्न डाउन कर दिया कि वहां की स्थिति खराब है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। इसलिए वहां पर कॉलेज नहीं खुल सकता। इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। माननीय सदस्य जो मालपुरा से आते हैं वह कहते हैं कि मैंने वाइस चान्सलर से बात कर ली है और वाइस चान्सलर ने यह बताया कि मन्त्री महोदय ने मना किया था कि चूंकि हमारे पास फण्ड नहीं है अत: वहां पर कॉलेज नहीं खुलना चाहिए। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन से वाइस चान्सलर से बात की।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैंने वाइस चान्सलर से बात की और उन्होंने मुझे कहा कि मन्त्री महोदय ने मुझे टेलीफोन पर कहा कि हमारे पास फण्ड्स नहीं है अतः वहां कॉलेज नहीं खुलवायें। यह स्पेसिफिकली बात हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं है कि अमुक जगह कालेज नहीं खुलना चाहिए। राज्य सरकार ने तो सिफारिश की थी कि अमुक जगह कॉलेज खुलनी चाहिए। हमने न कोई यूनिवर्सिटी की आटोनोमी में ही हस्तक्षेप किया है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप बिलकुल गलत कह रहे हैं आपने वाइस चान्सलर से फोन पर बात की थी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप मन्त्री महोदय को कहने दें। जब आप बोल रहे थे तो इन्होंने बीच में कोई इन्ट्रप्शन नहीं किया था। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैंने तो मन्त्री महोदय को बताया था और यह परसनल चार्ज मुझ पर लगा रहे हैं जो गलत है। मैंने तो यह कहा था कि कौनसी कालेज एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी से होगी कौनसी नहीं होगी।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने तो पहले ही कह दिया था कि राज्य सरकार का कार्य सिर्फ यूनिवर्सिटी को सिफारिश करना है और अब आगे यूनिवर्सिटी पर निर्भर है कि वह उसे एफलियेटेड रखे या नहीं रखे। इसके अलावा मैंने आज तक कभी भी कोई बात वाइस चान्सलर को टेलीफोन पर नहीं कही कि अमुक कॉलेज को एफलियेशन नहीं दें।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : You have persuaded the issue on personal level. मुझे वाइस चान्सलर ने कहा है कि मन्त्री महोदय ने यह कहा है।

**श्री चन्दनमल बैद** : अगर आपको वाइस चान्सलर ने कहा है तो गलत कहा है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : शिक्षा का प्रश्न है आप सरकार है, जरा प्रेम से बोले।

**श्री चन्दनमल बैद** : सरकार प्रेम से ही बोल रही है।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : This is what the Vice Chancellor informed me that you persuaded the matter on your personal level. आपने परसन्ल लेवल पर कहा है मेरे ऊपर।

(3.33 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन सभापति पदासीन)

**श्री चन्दनमल बैद** : आप जो कह रहे हैं वह गलत है। मैंने कोई फोन नहीं किया है। अगर आपको वाइस चान्सलर ने कहा तो गलत कहा है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बात की इन्क्वायरी की जानी चाहिए कि आया वाइस चान्सलर ने यह बात कही या नहीं।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो चार्ज मुझ पर लगाया है उसके लिए मैं तो कह रहा हूं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। जो कुछ आपको कहना था वह आपने कह दिया अब मन्त्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : सभापति महोदय, मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री महोदय यह झूठ कह रहे हैं कि मैंने वाइस चान्सलर को कोई फोन नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार के शिक्षा मंत्रीजी से सभी दुःखी है। युनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर दुःखी है, रजिस्ट्रार दुःखी है, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी दुःखी हैं। किताबों वाले दुःखी है। किताबें नहीं मिलने के कारण दूसरे विद्यार्थी दुःखी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी दुःखी हैं इनसे।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य कृपया मन्त्रीजी के भाषण में बाधा नहीं डालें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं बाधा नहीं डाल रहा हूं।

**श्री सभापति** : आपको जो कुछ भी कहना हो उसके लिये आपको समय दिया जाता है उस वक्त आप कह सकते हैं। इसके लिये भी नियम बने हुए हैं। बात कहने के लिये विधान सभा में तरीके हैं उसके अनुसार आप अपनी बात कह सकते हैं।

**श्री चन्दन मल बैद** : सभापति महोदय, मुझे यह जानकर बहुत ही दुःख हुआ कि माननीय सदस्य, जो कि हवामहल से आते हैं, उन्हें मेरे से बहुत ही दुःख है। इसका

( श्री चन्दनमल बैद )

कारण क्या है वह तो वही जानते हैं लेकिन मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह अधिकारिक रूप से कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, और जो कुछ भी कह रहा हूं वह तथ्यों के साथ कह रहा हूं। लेकिन हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य को मेरे से दुख है तो मैं इसके लिये यही कह सकता हूं कि चूंकि वह मेरे सामने बैठते नहीं हैं वह मेरे सामने नहीं बैठ कर दूसरी तरफ बैठ जाये ताकि यह मेरे सामने नही रहें। अब रहा सवाल अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का उन्होंने यह कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के आन्दोलन के समय युनिवर्सिटी केम्पस में पुलिस क्यों नहीं भेजी और पिलानी में जो छात्रों का आन्दोलन हुआ उसमें पुलिस क्यों भेज दी ? इस बात के लिये वह मुझे उल्हाना दे रहें है। उनका उल्हाना तो सिर्फ यह है कि आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस क्यों नहीं भेजी। तो इसके लिये मेरा यही निवेदन है कि अगर कहीं पर विद्यार्थी आन्दोलन होता है और वहां पर पुलिस भेजते हैं तो माननीय सदस्य यहां यह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी केम्पस में आपने पुलिस क्यों भेजदी। आपने युनिवर्सिटी की ओटोनोमी में हस्तक्षेप कर दिया। भेजे तो कहते हैं कि आपने पुलिस क्यों भेज दी? तो मेरा यह कहना है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की तो यह बात है कि चित भी मेरी पुट भी मेरी ....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : और अन्टा मेरे बाप का।

श्री चन्दनमल बैद : तो माननीय सदस्य ने कहा कि पिलानी के अन्दर विद्यार्थियो के आन्दोलन के समय आपने पुलिस क्यों भेज दी ? तो इसके लिये मेरा यही निवेदन है कि वैसे तो राज्य सरकार की यह नीति है कि युनिवर्सिटी के कार्य कलापों में कम से कम हस्तक्षेप किया जाय। लेकिन अगर राज्य सरकार वाजिब समझे तो एक्शन ले सकती है। तो माननीय सदस्य का यह कहना कि आपने पिलानी में तो छात्रों को गिरफ्तार करा दिया और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? तो इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि बड़ी दुविधाजनक स्थिति है अगर आप गिरफ्तार करते हैं, पुलिस भेजते हैं तो कहते हैं कि पुलिस क्यों भेजदी नहीं भेजते है तो कहते है कि पुलिस क्यों नहीं भेजी तो वह तो मौका ही ढूंढते रहते हैं। मेरा माननीय सदस्य से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आखिर हमें इन सारी परिस्थितियों में बड़ी सन्जीदगी से काम करने की जरूरत है। हमें मेच्योरिटी के साथ काम करना चाहिये। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम बैठकर विद्यार्थियों से बातचीत करके तय कर सकते हैं तो वैसा भी हमें करना चाहिये। इसी तरह अगर हमें कहीं पर सख्ती से काम करने की जरूरत होती है तो वहां पर हमें सख्ती भी काम में लेनी पड़ती है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य तो किसी न किसी प्रकार से क्राइसिस पैदा करने के पक्ष में है। वह तो यह चाहते हैं कि अगर वहां पर आन्दोलन हो तो वहां पर पुलिस पहुंचनी चाहिये और बाद में वहां पर लाठी चार्ज होना चाहिये। अगर सरकार उनकी पार्टी की बात को मानले तो अच्छा वरना वह सरकार की आलोचना

(श्री चन्दन मल बैद)

करना शुरू कर देते हैं। उनकी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लग गयी है। मैं पार्टीबाजी के खिलाफ नहीं लेकिन कम से कम शिक्षा संस्थानों में तो पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर हमें काम करना चाहिये। हमें राजस्थान का भला करना है, यहां की जनता का भला करना है इसलिये हमें शिक्षा संस्थानों में पार्टीबाजी से ऊपर उठ कर काम करना चाहिये। राज्य सरकार ने युनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन करने के लिये एक कमेटी बनायी है। उसके वाइस चान्सलर मेम्बर है, शिक्षा मन्त्री उसके चेयरमेन होते हैं उसके और भी सदस्य होते हैं जिसमें युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार्स, शिक्षा सचिव वगैरह मेम्बर होते हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये यह भी यहां निवेदन कर दूं कि इस कार्डीनेशन कमेटी की मीटिंग तारीख सात या आठ नवम्बर को होने वाली थी लेकिन विधान सभा का सत्र होने की वजह से कार्डीनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं हो पायी। राज्य सरकार अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार करना चाहती है तो कोई बुरी बात नहीं है। और जो भी संशोधन होगा उसके अन्दर विधान सभा में आप लोगों के सामने रखा जायेगा। आपकी सहमति के बिना, आपकी बिना जानकारी के कोई बात नहीं होगी। अगर वह कोर्डीनेशन कमेटी यह सिफारिश करती है कि सिन्डीकेट को काम्पेक्ट किया जाय तो अच्छा है ताकि सिन्डीकेट को काम करने में सहूलियत होगी। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मान लीजिये अगर हम विधान सभा के सदस्यों की संख्या कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह तो कोई बड़ी बात नहीं। और इसका मतलब यह भी नहीं कि हम सभी को हाथ पकड़ कर बाहर निकाल देंगे। अगर मानलो कि विधान सभा के सदस्यों की संख्या 200 से 100 हम करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। उस पर हम विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास यह सुझाव आये कि युनिवर्सिटी में जो लेक्चरार व रीडर्स का एपोइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हो तो कोई बुरी बात नहीं है। यह भी एक सुझाव हो सकता है और कोई बुरा सुझाव नहीं है। हालांकि वह कोई निर्णय नहीं ले लिया गया है लेकिन इस पर भी हम गंभीरता पूर्वक विचार कर सकते हैं। हमने कोर्डीनेशन कमेटी की मीटिंग अभी 7-8 नवम्बर को रखी थी, पर अब चूंकि विधान सभा का सत्र चल रहा है अत: वह अब 7-8 नवम्बर को नहीं होकर 20-22 नवम्बर को हो सकती है उसमें विचार विनिमय कर सकते हैं।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास :** आप सिन्डीकेट में लोगों का रिप्रजेन्टेशन कट कर रहे हैं।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री चन्दनमल बैद :** तो सभापति महोदय, जो अच्छे सुझाव आते हैं उन पर विचार करने के बाद ही सब तय किया जाता है और उस पर भी माननीय सदस्यों की अनुमति लेकर फाइनल करते हैं। इसके अलावा हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐसा कहा कि सरदारशहर में जो बी. एड कालेज हैं उसको आपने एड क्यों देदी ? तो सभापति महोदय, यह एड कोई मैंने तो शुरू की नहीं थी। यह तो पहले से ही राजस्थान में चार बी. एड. कालेजों को

(श्री चन्दन मल बैद)

दी जा रही है। हां, अगर अब आपके पास कोई शिकायत आई हो कि सरदार शहर बी. एड. कॉलेज का काम ठीक नहीं हो तो बात दूसरी है या ऐसा हुआ हो कि मैं कभी शिक्षा मन्त्री बनूंगा इसलिये वहां की बी. एड कालेज को एड दे दो, यह तो हो नहीं सकता कि मैं चूंकि शिक्षा मंत्री हूं इसलिये सर-दारशहर, जो कि मेरी कान्सटीट्यूएन्सी है, में जो बी. एड कालेज है उसको एड देना बन्द कर दिया जाना चाहिये। या मैं चूंकि वाटर वर्क्स का मिनिस्टर हूं अतः वहां पर नल लगने बन्द हो जाने चाहिये। यह तो सही बात नहीं हुई। जहां तक हवामहल के क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य के दुःख की बात है उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है क्योंकि वह ज्यादातर कल्पना की दुनियां में रहते हैं और उसके सोच में ही वह दुःखी हो जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने जो तीन बातें बतायीं वह गलत नहीं है। आपने अपने बिरादरी के लोगों को सीनेट में प्रति-निधित्व दिया है। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल जो ट्रेंड है और मेरे जाति की नहीं है तो उसके लिये मेरा निवेदन है कि क्या सरदारशहर के कालेज की प्रिन्सी-पल ही इतनी काबिल थी कि आपने उसे सिन्डीकेट का मेम्बर बना दिया? कोई और क्या ही नहीं था क्या? क्या सब आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी में ही काम होने चाहिये?

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं अपनी बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, मेरा तो यही कहना है कि मन्त्री महोदय अपनी जाति विशेष की मदद करते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महो-दय, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जैसी कि माननीय सदस्य ने कहा, सुजानगढ़ और सरदारशहर के कालेजों में मैंने अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर शिक्षण संस्थाओं को ही एड दी है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि पहले तो सुजानगढ़ मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में नहीं आता है और अगर राज्य सरकार शिक्षण संस्थाओं को एड देती है तो सभी जगहों को ध्यान में रख कर देती है। अगर सरदारशहर मेरी कान्सटीट्यूएन्सी हो गई और मैं अगर मिनिस्टर बन गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वहां की शिक्षण संस्थाओं को एड नहीं दी जाय। यह तो कोई वाजिब बात नहीं है। मैंने कोई कसम तो खा नहीं ली है कि सुजानगढ़ और सरदारशहर की कान्सटीट्यूएन्सी का विकास नहीं किया जाय। इन शहरों को राजस्थान के नक्शे के बाहर तो हम निकाल नहीं सकते। हमें तो ऐसे सभी कार्य करने हैं जिनसे में राजस्थान की जनता का अधिक से अधिक भला हो। तथा राजस्थान की बहबुदी हो। हमें तो सभी जगहों की समस्याओं को हल करना है। सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है इसमें हमने सिर्फ दो ही परिवर्तन किए हैं। एक

(श्री चन्दन मल बैद)

तो यह कि जब तक यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं हों तब तक वही छात्र सीनेट के मेंबर रहेंगे। यह कोई गलत बात नहीं है। यह तो जायज बात है। इससे तो जो चुन कर आयेंगे उन्हीं छात्रों को सीनेट में प्रतिनिधित्व करने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरा जो संशोधन हम कर रहे हैं, वह है प्राइवेट परीक्षा देने के बारे में। इसमें सिर्फ हम स्कोप बढ़ा रहे हैं। पहले भी प्राइवेट परीक्षा दे सकते थे। पर अब प्राइवेट इम्तिहान देने के लिए लोगों की संख्या बढ़ाई है उसका एन्लार्जमेंट कर रहे हैं! सभापति महोदय, इसमें लोगों का हित ही है इसमें कोई दोष नहीं है। यह तो निर्दोष संशोधन है। इसमें इतनी आलोचना जैसी बात नहीं है। इसके अलावा जो भी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने वक्तव्य में सुझाव दिये हैं उन्हें मैंने नोट कर लिया है उन पर भी विचार कर लिया जायेगा और अगर वाजिब हुआ तो उन्हें भी माना जायेगा।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : हमने आलोचना नहीं की है।

**श्री चन्दनमल बैद** : तो, सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री सभापति** : श्री गिरधारीलाल भार्गव! क्या आप अपने संकल्प को पेश कर रहे हैं?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : क्या सदन की अनुमति है कि श्री गिरधारीलाल भार्गव को अपने संकल्प को वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं अपने संकल्प को वापिस लेता हूं।

**श्री सभापति** : श्री वृद्धिचन्द्र जैन और कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव रखा था ......

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : कुछ माननीय सदस्य यहां सदन में अनुपस्थित हैं। इसके लिए सदन की अनुमति ले लेता हूं

क्या सदन की राय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार एवं उसका पारण

खण्ड 2

खण्ड दो में कोई संशोधन नहीं है इसलिये खण्ड दो को वोट के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड दो को जिस प्रकार रखा गया है उसी रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3

श्री गिरधारीलालजी भार्गव।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** माननीय सभापति जी, मैंने इसमें संशोधन रखा है "In sub-section 2 sought to be substituted, the words "three years" occuring after the words "for a period of" shall be replaced by the words " five years".

सब लोगों को तो पांच साल और टीचर्स जो चुनकर आते हैं उनको तीन साल ... "shall hold office for a period of three years and other members elected under clause (XXVIII) shall hold office for one year from the date of election."

मेरे ख्याल से तीन साल को भी पांच साल कर देना चाहिये। जो टीचर्स के तौर पर मेम्बर चुन कर आते हैं उनका भी समय तीन साल का नहीं पांच साल का कर दिया जाय और मैंने प्रारम्भ में कहा था जो टीचर्स शोध कार्य कर रहे है उनको शिक्षा मंत्री जी ने चुनाव में भाग लेने से रोका है....

"A member appearing in any examination of University shall not be so elected."

ये जो शोध कार्य करने वाले, रिसर्च में काम करने वाले लोगों को चुनाव में भाग लेने की, रोक लगा रखी है, माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव है, इसको हटा दिया जाय और इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

**श्री चन्दनमल बैद :** माननीय सभापतिजी एक संशोधन हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है- टीचर्स का जो कार्यकाल है—तीन वर्ष से पांच साल का, किन्तु इसमें 15 टीचर्स आते हैं, और टीचर्स की संख्या इस समय तीन हजार और पांच हजार के बीच की है। हम यह चाहते हैं एक समय के लिए 15 टीचर्स कर दिये जायं और वे पांच साल तक बने रहें तो दूसरे टीचर्स को आने का समय नहीं मिलता है इसलिए ज्यादा टीचर्स को सीनेट में आने का मौका मिले, इस दृष्टि से ही यह किया गया है।

# Page No.104



(श्री चन्दनमल बैद)

फिर दूसरे जो रिसर्च करते हैं उनको चुनाव में भाग लेने से रोका है। उनको हमने स्टूडेन्ट्स की केटेगरी में माना है। वे स्टूडेन्ट्स के रूप में आ सकते हैं, उनको मना नहीं है। एक व्यक्ति दो तरीके से सीनेट में क्यों आये-एक तरीके से तो टीचर्स के रूप में आये और दूसरे तरीके से स्टूडेन्ट्स के तरीके से आये इसलिए वह रास्ता खुला रखा है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जो अध्यापक हैं वह स्टूडेन्ट्स हो गये ... ...

**श्री चन्दनमल बैद** : जब तक जिन्दा रहेंगे तब तक स्टूडेन्ट्स रहेंगे।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : आप तो एम. एल. ए. हैं, शिक्षा मन्त्री भी हैं और न जाने क्या क्या हैं लेकिन मेरा निवेदन है जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहा है यानि विद्यार्थी की कान्सटीट्यूएन्सी में और अध्यापक की कान्सटीट्यूएन्सी में झगड़ा हो यह मैं समझता हूं, कटुता बढ़ाने की बात है। इसलिए मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें और जो टीचर्स शोध कार्य में लगे हुए हैं उनको चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दें।

**श्री चन्दनमल बैद** : सभापति जी, एक बात और कही गई-लाइफ मेम्बर नहीं रहने चाहिए। मुझे बताया गया है, अभी तक कोई लाइफ मेम्बर नहीं है इसलिए यह बात भी खतम हो जाती है और जब एक्ट का पूर्ण रूप से संशोधन किया जायगा जैसा कि सब लोग चाहते हैं उसमें इन सारी बातों का ख्याल रखा जायगा। इस वास्ते यह सोचना लाइफ मेम्बर होंगे और सीनेट के लाइफ मेम्बर रहते हैं, यह बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हूं जो हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है वह अस्वीकार कर दिया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन माननीय गिरधारीलाल जी ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 मूल रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 4

खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 1973 के खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 का खण्ड 1 संक्षिप्त नाम सहित स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम सहित स्वीकार किया गया।

**श्री चन्दनमल बैद** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान युनिवर्सिटी ( अमेंडमेंट ) बिल, 1973 को पारित किया जाय।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : माननीय सभापति जी, यह तो सही है इस आर्डिनेन्स में जो बात लाई गई थी-विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने वाली बात, वह तो बिल पेश होने जा रहा है। पर मेरा जो भय है और, जो माननीय सदस्यों का भय है, उस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रीजी, का यहाँ पर कोई आश्वासन नहीं है और यह आंशिक रूप से, समग्ररूप से नहीं, विश्वविद्यालय में सरकार का हस्तक्षेप बढ़े, यह इस प्रकार का प्रयास है। मैं आज आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं निश्चितरूप से विधान सभा दो दिन चल कर समाप्त हो जायेगी। 8 व 9 वाली बात शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, वह नहीं है। विधान सभा से वे डरते हैं। ये बड़े बहादुर बनते जरूर हैं लेकिन डरते हैं।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं तो अपने आपको डरपोक ही समझता हूं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** । आज सिन्डीकेट में 19 मेम्बर है, 19 के बजाय 11 रह जायेंगे और 11 में से राज्य सरकार के तीन अधिकारी होंगे। शिक्षा आयुक्त, वित्त आयुक्त और निदेशक, राज्य शिक्षा विभाग इस प्रकार से वर्तमान जो प्रणाली है इस में केवल निदेशक, राज्य शिक्षा विभाग मेम्बर हैं। 11 में से तीन बड़े बड़े अधिकारी युनिवर्सिटी में प्रवेश कर जायेंगे और आज शिक्षा आयुक्त को फुर्सत नहीं मिलती, शिक्षा मंत्रीजी को फुर्सत नहीं मिलती। वे मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं और उनके अभाव में निर्णय होते हैं। जब वे युनिवर्सिटी का काम देखेंगे तो बाकी जो प्रशासन का काम है, शिक्षा का वह कौन देखेगा ? क्या सेक्रेटेरियट में वाइस चान्सलर को बुलाया जायगा। क्या उनको कहा जायगा कि उनको यह बता दो, इनको यह बता दो। मैं समझता हूं यह मेरा निश्चित भय है।

दूसरा मेरा भय यह है कि कुलपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् पर भी राज्य प्रशासन का प्रभाव होगा। कुलपति मनोनीत करेगा लेकिन कुलपति माननीय शिक्षा मंत्रीजी से पूछकर करेगा और आज चाहे बहुमत के आधार पर, अपने बोलने की शक्ति के आधार पर, मीठी बातों के आधार पर मेरी बात को शिक्षा मंत्री जी अस्वीकार करते हों लेकिन, माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से बैदवाद, जातिवाद और कान्स्टीटुएन्सीवाद शिक्षा मंत्री जी ने चला रखा है और राजस्थान की जनता जानती है, विधान सभा के अपने दल के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी कह दें लेकिन कुलपति इनके इशारे पर शिक्षाविद् को नियुक्त करेंगे तो वह भी राज्य के ही प्रभाव में होगा। फिर उसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से निर्वाचित प्रधानाचार्य के स्थान पर नयी सिन्डीकेट में एक नामजद प्रधानाचार्य होगा और जो प्रधानाचार्य नामजद होगा वह किसी राजकीय महाविद्यालय का प्रधानाचार्य होगा और फिर जो वरिष्ठ अधिकारी निदेशक, शिक्षा विभाग और शिक्षा आयुक्त बैठे हुए हैं जो सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलेगा और कहेगा कि जो तुमने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कर दिया वह बात सही है क्योंकि मुझे नाम चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि सिन्डीकेट की संख्या कम करने से शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कार्यकुशलता आ जायेगी तो यह उनका गलत सोचना है। सभापति महोदय, मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि इसके अशुभ परिणाम होंगे और कार्यकुशलता के आधार पर राज्य के बड़े बड़े लोगों को और सरकारी अधिकारियों को आप यूनिवर्सिटीज में डालना चाहते हैं, इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। इस प्रकार से राज्य प्रशासन का उस पर अधिकार बढ़ जायेगा और दैनिक जीवन में यूनीवर्सिटीज के हर काम में सरकार का दखल बढ़ेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में आज सरकार पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ती है। यहां पर भरतसिंह पंवार लड़ा और कांग्रेस के लोगों ने उसकी मदद की, मंत्रियों ने मदद की और विद्यार्थी परिषद् का नवयुवक जीत गया और उसकी हार हुई। इसी तरह से दिल्ली में विद्यार्थी परिषद ने चुनाव लड़े। कांग्रेस के केन्द्रीय नेता घर घर घूमे और वहां भी उन्होंने मुंह की खाई। यहां जयपुर में विद्यार्थी परिषद् का उम्मीदवार जीता। कांग्रेस के लोग दिल्ली में गये हैं; राजस्थान विश्वविद्यालय में गये हैं और नहीं भी गये तो नौकरशाही लोगों को जो आप बैठाना चाहते हो वह क्या है? कांग्रेस का सीधा हस्तक्षेप नहीं है तो क्या है? विश्वविद्यालय जहां विद्या पढ़ाई जाती है, जहां अध्ययन होता है, उस विश्वविद्यालय में इस प्रकार से राजनीति छा गयी तो अच्छा काम नहीं होगा। सरकारीकरण इसका उपाय नहीं है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और, माननीय सभापति जी, हम तो लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं।

स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने नागौर में पंचायत का सबसे पहले दीप जलाया। वह दीप तो बुझ गया। पंचायतों का दीप बुझ गया लेकिन आप तो नौकरशाही, चमचागिरी का दीप यहां पर जलाने जा रहे हैं ........ ......

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** जनसंघ के दीप का क्या हुआ?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** आप हिन्दू होते तो आपकी छाती पर भी जलता। जहां इनकी लाश होगी वहां 12 दिन तक दीप जलेगा। दीवाली पर दीप जलते हैं, मन्दिरों में दीप जलते हैं। दीप से कोई नफरत नहीं करता। आप जैसे कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग, कर्मफोड़ पार्टी के लोग नफरत करते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करने जा रहा था। आखिरकार होगा क्या? लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। नये नये लोगों को आने दीजिए। विद्यार्थियों को सीनेट में आने दीजिए, सिन्डीकेट में भी आने दीजिए। समस्यायें हल होती हैं; आन्दोलन नहीं होते हैं विद्यार्थियों को आगे आने दें। यह नहीं कि आप सोचें कि विद्यार्थियों को आगे आने दें। यह नहीं कि आप सोचें कि विद्यार्थी उच्छृंखल होते हैं। आज का विद्यार्थी देश का प्रधान मंत्री हो सकता है, आज का विद्यार्थी राज्य का मुख्य मंत्री हो सकता है। आज के हमारे यह मंत्री लोग बैठे हैं यह पढ़ कर नहीं आये हों तो कह नहीं सकता।

आपने 'साहित्य रत्न की परीक्षा को किस के बराबर माना है? 'साहित्य' रत्न

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की परीक्षा को सरकार ने एम०ए० (हिन्दी) के बराबर माना है। आपके विभाग का एक सरकुलर है जिसमें साहित्य रत्न की परीक्षा को आपने बी०ए० (आनर्स) के बराबर माना है। इसके अलावा विशारद की उपाधि भी होती है। विशारद की उपाधि को पहले बी०ए० हिन्दी के बराबर माना है और जो अभी सरकुलर निकला है उसके अनुसार विशारद की उपाधि को इन्टर के बराबर माना है। दुनिया जानती है कि प्रयाग विश्वविद्यालय के द्वारा जो साहित्य की परीक्षा होती है वह एम०ए० (हिन्दी) के बराबर होती है लेकिन आप उसे बी०ए० ( आनर्स ) के बराबर मानते हैं और इसी तरह से विशारद की परीक्षा जो कि बी० ए० ( हिन्दी ) के बराबर है उस को आप इन्टर के बराबर मानते हैं और फिर कहते हैं कि इसका निर्णय राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी करेंगे। वह अब क्या निर्णय करेंगे ? वह स्वयं विशारद हैं और वह अपने आपकी डिग्री को घटाना चाहें तो अलग बात है। फिर आप इसको चाहे मैट्रिक फेल के बराबर मान लें। यह सरकुलर 8 तारीख का है।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। स्टुडेन्ट्स को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह नौकरशाही नहीं चलेगी और नौकरशाही यहां लाई गयी तो हम आंदोलन करेंगे और निश्चितरूप से आन्दोलन करेंगे। हम चेष्टा करेंगे सरकार को झुकाने की और निश्चितरूप से सरकार गलती करेगी तो सरकार को निश्चितरूप से आज नहीं तो कल झुका कर मानेंगे।

अब, सभापति महोदय, सिन्डीकेट में शिक्षक के प्रतिनिधित्व को 2 से घटाकर 1 करने की चर्चा है। आपको ध्यान है कि विश्वविद्यालय में 500 से अधिक शिक्षक हैं और समस्त महाविद्यालयों में तीन हजार के करीब शिक्षक हैं। इन सब में क्या होगा कि 2 के बजाय 1 का प्रतिनिधित्व होगा और अभी एक वर्ष पहले ही आपने दो को प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की थी और अब एक वर्ष के बाद ही दो के बजाय एक कर दिया। यह तो आगे बढ़ने वाली सरकार है लेकिन मुझे लगता है कि पीछे बढ़ने वाली सरकार है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रतिगामी कदम से शिक्षकों में माननीय सभापति जी, असन्तोष होगा। लोक सेवा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के ढांचे में इस प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं है। जन सेवा आयोग नियुक्ति करेगा, डाइरेक्टर साहब करेंगे। मैंने पहले भी कहा था डाइरेक्टर कपूर साहब जो कि जिन्दगी भर प्रोफेसर नहीं हो सके वह आज प्रोफेसर्स की नियुक्ति करेंगे। कैसी अचम्भे की बात है कि जो स्वयं प्रोफेसर नहीं हो सके वह प्रोफेसर की नियुक्ति करेंगे। मैं तो कहूंगा कि आप इस तरह का पैनल बना लें उसमें लोगों को बैठा लें और साक्षात्कार के नियमों को ढीला कीजिए। उप कुलपति को बुला लें, शिक्षाविदों को बुला लें, हैड आफ दी डिपार्टमेंट की राय से आप नियुक्ति करें तो वह तरीका सही होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दें और सरकार की नौकरशाही प्रवृत्ति युनिवर्सिटी में दखल करना चाहती है, इस बिल को शिक्षा मंत्री जी आप मत लाना। ऐसी भूल मत करना, वैसे विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस को पास करा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी भूल होगी।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

( समय समाप्ति सूचक घण्टी )

दो मिनिट का समय लूंगा। कोई अधिकारी सीनेट का आजीवन सदस्य होना चाहिए, आपको यह अधिकार है कि आप इसमें भी जातिवाद, भाई भतीजावाद फैलावें। आजीवन सीनेट का सदस्य ही काहे को रखें? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप तो मेरा संशोधन मान लें और शिक्षा मंत्री ही सीनेट के आजीवन सदस्य हो जावें। आपको तो यह सुझाव मान्य होना चाहिए। खड़े होकर बोल दीजिए कि जीवन में एक सुझाव तो मैं स्वीकार करता हूं।

इसी प्रकार से लॉ के विद्यार्थी को प्राइवेट परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी है। मैं यह मानता हूं कि बार एसोसियेशन पर आपका वर्चस्व है तो आप प्राइवेट से लॉ में बैठने की सुविधा क्यों नहीं देते?

तो मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इस प्रकार के सारे हालात हैं। यहां यूनिवर्सिटी में कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन में बैठ गया, उसकी उपस्थिति डिक्लेयर हो गई कि इम्तिहान में बैठा है परन्तु रिजल्ट आ रहा है फेल। इस प्रकार की हालत है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा और आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आप जल्दी नहीं करें और जल्दी करेंगे तो आपको नुकसान होगा।

महारानी कॉलेज में भारतीयाजी प्रिंसिपल थी, उसके बाद एकेडेमिक कौंसिल ने दूसरा फैसला कर ज्योति साहब को प्रिंसिपल बनाया है और जगह भरने वाला नहीं है। बहुत काफी गड़बड़ियां राज्य के लोग आकर फैला रहे हैं। यह फलां का रिश्तेदार है इसको वहां का प्रिंसिपल नियुक्त कर दो, फिर वह पी. एच. डी. हो या नहीं हो इससे किसी प्रकार का लेना देना नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप भविष्य में इस संशोधित रूप में, अलग अलग टुकड़ों में बिल लाकर जो करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में जो दखल करना चाहते हैं यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। यह ऐतिहासिक घटना है आज की। हिन्दुस्तान में कहीं पर भी इस प्रकार से पीसमील में अध्यादेशों के द्वारा सरकार ने विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट नहीं किया है। आपके श्रीमाली समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन पड़ा है (समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी) गजेन्द्र गडकर समिति का प्रतिवेदन आने दीजिए, अध्यापकों को उस सम्बन्ध में विचार करने दीजिए, विद्यार्थियों को विचार करने दीजिये और पीसमील में नहीं लाकर समग्ररूप में एक कंसोलिडेटेड अध्यादेश आप लायेंगे तो मैं समझता हूं कि हम भी इसका स्वागत करेंगे। आप कहते हैं कि हम राजनैतिक आधार पर चुनाव नहीं कराते, लेकिन आपका कैंडिडेट लड़ा और हार गया, दिल्ली में लड़ा और हार गया। आप छात्रों में राजनीति का प्रवेश करा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, कि आप वैदजी का मुंह मेरी ओर करा दीजिए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप पीसमील में बिल नहीं लाके सारे मुद्दों पर विचार करें और छात्रों को सीनेट में, अध्यापकों को सीनेट में, छात्रों को सिण्डीकेट में और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अध्यापकों को सिण्डीकेट में प्रतिनिधित्व दें क्योंकि छात्र हैं, अध्यापक हैं, प्रशासन हैं। प्रशासन के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया कि जो अधिकारी हैं वे जनता के सेवक हैं, जो युनिवर्सिटी के प्रशासक हैं वे भी जनता के सेवक हैं, वे विद्यार्थियों के सेवक हैं वाइस चांसलर और अध्यापकों का फर्ज है कि वह ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ावें और सोच विचार कर बिल लावें। अगर आपने इस प्रकार से विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने की कोशिश की तो हम आन्दोलन करेंगे।

**श्री सभापति** : श्री मोहम्मद गफ्फार।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली:** (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसा है कि कुछ गलत-फहमियां शिक्षा मंत्री जी की स्पीच से पैदा हुई हैं उनको दूर करना जरूरी है। उन्होंने अपनी तकरीर में यह फरमाया कि कामरेड रामानन्द अग्रवाल ने, साथी रामानन्दजी ने कुछ अल्फाज कहे थे पुलिस के बारे में। तो नजरिया यह था हमारा कि आप जो तफरीक बर्तते हैं कि किस फ्रण्ट पर कौन लड़ रहा है और उसके लिए किस किस्म की ताकत इस्तेमाल राजस्थान सरकार करे, तो यह नजरिया मुनासिब नहीं है। आज पिलानी के अन्दर बहुत बड़ी पुलिस पड़ी हुई है जब कि उनका आन्दोलन बहुत पीस-फुल्ली चल रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग कोई गड़बड़ करते हैं तो वहां पर आपकी पुलिस, आपका एडमिनिस्ट्रेशन शांत रहता है। हमारा यह मानना है कि जब कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा न हो जाय पुलिस को इण्टरफियरेंस करने का हक नहीं है। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का यह मानना है कि जब तक लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा न हो, चाहे ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो, स्टुडेंट मूवमेंट हो, इस प्रकार के डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इण्टरफियरेंस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका यह पक्षपातपूर्ण रवैय्या है जो असल में काबिले मजम्मत है। इसलिए गुजारिश की गई कि यह तरीका जो अपनाया गया है वह गलत है।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इसमें जो कुछ भी प्रोविजन किया गया है उसका हमने स्वागत किया है लेकिन इस मौके पर जैसा कि उन्होंने फरमाया था कुछ हालात ऐसे हैं जिनकी तरफ तवज्जोह दिलाना आवश्यक है। मेरी मान्यता यह है कि इस वक्त जो अधिकारी एजूकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जो डीन मुख्तलिफ फैकल्टीज में काम कर रहे हैं, जो वाइस चांसलर हैं उनके बारे में हमको यह विचार करना पड़ेगा कि आया वह ओहदे के काबिल भी हैं। मुझे जाति इल्म है, आपने देखा होगा कि उर्दू की एम. ए. की क्लास खोली जायगी यह आपने एश्योरेंस दिया था लेकिन जब डीन आफ फैकल्टी के द्वारा उस एश्योरेंस को इम्प्लीमेंट करने का मौका आया तो उन्होंने बड़ी दिक्कतें पैदा कीं। कोई कमरा नहीं है, टीचर नहीं हैं, कोई प्रोफेसर नहीं है और इस चीज को शिक्षा मंत्री के सामने लाया और मैंने उनकी तवज्जोह दिलायी। आपने यह देखा होगा कि किस प्रकार वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग बैठे हुए हैं। यहां युनिवर्सिटी के कॉज को फायदा पहुंच रहा है या नुकसान हो रहा है इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। यहां के जो नुमायन्दे थे सिण्डीकेट के अन्दर हैं, अभी शिवचरण

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

साहब मौजूद नहीं हैं लेकिन उन्होंने कहा कि डीन साहब की यह धमकी को मन्जूर कर लेना चाहिए। इस तरह का रवैया गवर्नमेंट के फैसलों के खिलाफ उन लोगों का रहता है और उनकी खुद की प्रिज्यूडिसेज के कारण एम. ए. की उर्दू की क्लासेज के बारे में उन्होंने अड़चन पैदा की।

अब मैं अर्ज करूंगा कि सलेक्शन के बारे में भी गम्भीर विरोध है। मैं एक बात कह देना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में कि जो सलेक्शन का तरीका है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तीन टीचर्स का सलेक्शन पहले तो कहा गया कि एक मुश्त होगा, एक दरख्वास्त देनी होगी लेकिन वह सलेक्शन रद्द कर दिया गया। उसके बाद दूसरी कमेटी वाइस चांसलर ने नोमीनेट की। उस पहले वाली कमेटी के बजाय दूसरे लोग बैठाये गये और जो नाकाबिल लोग थे तो उनका सलेक्शन डीन आफ फैकल्टी की दया पर, जिन पर उनकी नजर ए दयानत थी उनका सलेक्शन हो गया, उनके खिलाफ भी दावा दायर कर दिया गया। इन सलेक्शन्स के अन्दर भी पर्सनल प्रज्यूडिसेज काम करती हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो डीन बनने के बाद हिलना नहीं चाहते हैं, वे लोग यह चाहते हैं कि उनकी वायस ही ऊपर हो। मैं समझता हूं कि उनके रंगे रेशे का पता है, वे किसी प्रोग्रेसिव चेंज को बरदास्त नहीं कर सकते हैं। वह मसला भी यहां पर था कि अमेरिका का जो पैसा मिलता था उसके विरुद्ध आवाज उठाई गई और हमारी सिण्डीकेट में और सीनेट में उसको बन्द कराया गया है। तमाम प्रोफेसर साहबान, हमारे हैड आफ दी डिपार्टमेंट उनके मुख्तलिफ थे और उस आदमी पर दबाव डाला गया और इस चीज को वापस लिया गया। जो गलत चीज है उसको ठीक करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के लोग सिण्डीकेट के मेम्बर दुबारा नहीं चुने गए। इस किस्म की बात, इस किस्म के आइ. ए. एस. के लोग बैठे हुए हैं जो रोड़े अटकाते रहते हैं। मैं आपकी तवज्जोह इस ओर दिलाऊं कि गवर्नर साहब ने टीचर्स डे पर यह कहा कि मैं यह कहूंगा कि उनका व्यवहार सही होना चाहिए। 'वहां महेन्द्रसिंह जो यहां तशरीफ नहीं फरमा रहे हैं, उन्होंने टीचर्स के खिलाफ यह अल्फाज काम में लिए कि ये पुराने जमाने के टीचर्स हैं इनको सिग्नल दिखाने की जरूरत है। एजूकेशन कमिश्नर क्या महेन्द्रसिंह के अलावा और कोई नहीं हो सकता? आप उन्हें चाहे गवर्नर बना दीजिए और कुछ बना दीजिए लेकिन शिक्षकों के बीच में इस प्रकार के आदमी को रखना क्या मायने रखता है?

मैं इस सिलसिले में अर्ज किया चाहता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में स्टार्ड क्वेश्चन भी दिये थे। मुझे मालूम नहीं वे अनस्टार्ड कैसे हो गये और अब उसका क्या हम होगा? आज तक उनका जवाब नहीं आया और अब वे लेप्स हो जायेंगे। मैंने यह बात रखी थी कि क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि गवर्नर महोदय ने इस किस्म की कोई चीज कही थी और उन्होंने यह कहा है तो आप इसके बारे में स्पष्टीकरण करें। गवर्नर साहब ने यह कहा कि तुम्हारा व्यवहार करेक्ट होना चाहिये। किसी आफिसर के लिये यह काफी बड़ी बात है और आज भी वह आफिसर उच्च पद पर

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बैठा हुआ है जिससे तालीमयाफ्ता व्यक्तियों से सम्पर्क रहता है। मेरी यह जानकारी है कि राज्य सरकार को किसी एक आफिसर के मुत्तलिक राय नहीं बनानी चाहिये। यह नहीं सोचना चाहिये कि यह आदमी इन्डिसपेन्सिबल है। पहले भी उनकी कारगुजारियों पर इस सदन के अन्दर विस्तार के साथ कहा गया था जब उन्होंने फोरिन ऐक्सचेन्ज का दुरुपयोग किया था। और गवर्नमेन्ट की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया था। मैं इस चार्ज को फिर दोहराता हूं कि वह आदमी जिसको शिक्षित लोगों के बीच मे रहना पड़े उसके बारे में गवर्नर महोदय यह कहें तो वह एक मिनिट भी उस ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है। यह मेरी मांग है और गवर्नमेन्ट को इस पर तवज्जह देना चाहिये

सिलेक्शन के तरीके में तब्दीली होनी चाहिये। मैं यह नहीं चाहता हूं कि यह किसी के हक में हो या न हो। मैं तो यह चाहता हूं कि यह डेमोक्रेटाइज होना चाहिये। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाल्व करें। हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट के अलावा उसमें असेम्बली के नोमीनी भी बैठें ताकि वह देखता रहे कि लोगों के साथ जस्टिस हो रही है या नहीं हो रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तीन आदमियों का सिलेक्शन किया गया और उसमें बी० ए० में थर्ड क्लास पास व्यक्ति टॉप पर आ गया। इसकी क्या वजह है? हमारे यहां पर दबाव डाला जाता है कि यह फलां का आदमी है और फिर सिलेक्शन निष्पक्ष नहीं होता है तो हमें इस चीज को रोकने के लिये ज्यादा से ज्यादा आदमियों को इन्वाल्व करना चाहिये और इसमें असेम्बली के मेम्बरान को भी बिठाना चाहिये था। हमारे मेम्बर में से प्रोफेसर केदारनाथ और शिवचरण माथुर किसी प्रोफेसर से कम नहीं है। हम जब यह मानते हैं कि आम लोगों को राहत मिले और जो लोग काबिल हैं उनको चांस मिले तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। जो लोग शीशे के मकान में रहकर अपनी जिन्दगी को ढालते हैं वे आम लोगों की सुविधा की बात को नहीं सोच सके हैं। फैकल्टी आफ आर्ट्स के डीन ने उर्दू में अड़ंगा लगाया। जो स्टूडेन्ट्स उर्दू को लेना चाहते थे उनको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे उर्दू से नफरत थी। इससे पहले उर्दू के बारे में इस तरह की बात कही और आर्टिकल भी लिखे जिसकी तस्दीक वहां के प्रोफेसर ने की है। यह कोई कान्ट्रेडिक्टरी चीज नहीं है। सिलेक्शन के अन्दर तरीका सही होना चाहिये। यूनिवर्सिटी की आटोनोमी किसी तरह से कम न हो यह सही है। इस चीज को डिस्ट्राय कर के दूसरी चीज को खडी कर दें न तो इस तरह से हित ही होगा और न यह किया ही जाना चाहिये। हमारा यह कहना है कि यूनिवर्सिटी को जो आटोनोमी मिली है वह आटोनोमी कायम रहनी चाहिए बल्कि उसमें और इजाफा होना चाहिये लेकिन उसमें जो वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग हैं, जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और जो गवर्नमेन्ट के डिसीजन को टाल देते हैं और स्तीफे की धमकी देते हैं उनको वहां से हटा देना चाहिये। वे सिन्डीकेट को कहते हैं कि स्तीफा दे देंगे और हमारी राज्य सरकार उनके इस्तीफे को मन्जूर नहीं करती है। आज कई इन्टेलेक्चुअल हैं जिनको कि रोजगार नहीं मिलता है और वे खुदकशी करते हैं। इसलिये जो

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

स्तीफा देना चाहते हैं उनको हटाया जाना चाहिये ताकि वहां पर जो पक्षपात चल रहा है वह समाप्त हो सके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से सिलेक्शन किया गया है उसके बारे में शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसकी ओर ध्यान दें और किसी ने गलती की है तो उसको स्टे कर दें।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

**श्री चन्दनमल बैद :** उसमें कोई बैद तो नहीं है जिसका सिलेक्शन हो गया है ?

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** मैं छोटी बात कहना पसन्द नहीं करता हूं और न छोटी बात सुनना पसन्द करता हूं। उसूलों की बात कहना चाहता हूं और वही रखता हूं। आपको इस तरह की मशीनरी युनिवर्सिटी की ओटोनोमी को बनाये रखते हुए इन्स्टाल करनी चाहिये जिसके मातहत अपना काम सुचारुरूप से चल सके। सिलेक्शन में पक्षपात हो। सिन्डीकेट के अन्दर स्टुडेन्ट्स के नोमीनी होने चाहियें। मैं यह गुजारिश करूंगा कि यह जरूरी है और उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वोल्व करना चाहिये। सिलेक्शन बोर्ड के अन्दर पब्लिक के रिप्रजेन्टेटिव होने चाहिये-चाहे एम.एल.ए. हों या दूसरे हों, ताकि वे वहां पर बैठ कर यह देख सकें कि जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रही है। हमारे यहां पर जिस तरह से इन्टेलेक्चुअल्स पैर अन्याय हो रहा है उसको रोकना जरूरी है। हम आज यह देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशनल कमिश्नर टीचर्स से नफरत करते हैं। हमारे युनिवर्सिटी के डीन उस फैसले को ठुकरा सकते हैं जो हमने लिये और हमारी राज्य सरकार आंखें बंद कर के उसको देखती रहती है। राज्य सरकार को अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये। उसको यह सोचना चाहिये और समझना चाहिए। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि आप कोई भी चीज आर्डिनेन्स के रूप में तय न करें और जो भी तय करें उसको असेम्बली के प्रांगण पर तय करें। आज जो शंकाएं माननीय सदस्य गिरधारीलाल जी भार्गव ने व्यक्त की है, और जो दूसरी शंकाएं लोगों के दिमाग में आ रही है, उन शंकाओं को अपनी दृष्टि में रखते हुए मैं शिक्षा मंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि वे आर्डिनेन्स के रूप में न लाकर असेम्बली के प्रांगण में पहले लावें, आर्डिनेन्स लाने की कोशिश न करें ताकि खामख्वाह गलतफहमियां पैदा न हों और जो भी कानून में परिवर्तन करना चाहें उसको पहले यहां पर लाइये। उसके बाद बहस हो। उसकी ऊंच-नीच, भले बुरे, अच्छे-बुरे सभी पहलुओं पर गौर किया जाये और उसके बाद कानून को बनाना चाहिये।

इसके बाद मैं यह अर्ज करूंगा कि असेम्बली के नुमाइन्दे वहां भेजे जाने चाहिए ताकि वे कम से कम उन लोगों के इन्टरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें, उन लोगों के जिनके पास कि कोई जरिया नहीं है और वे अपने हक को प्राप्त कर सकें। सिन्डीकेट में, सिलेक्शन बोर्ड मे इस तरह के आपके नुमाइन्दे वहां पर होने चाहिएं और वहां का काम पक्षपात के बिना चल सके। इसके अलावा मैं यह मानता हूं कि इस तकरीर के इतना लम्बा होने का कारण हमारे होम कमिश्नर हैं। उन्होंने ऐसा वातावरण

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

पैदा किया जिसमे कि यह बात पैदा हुई है। लोगों की घड़ियां छीनी गई। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे मिनिस्टरों को सही राय नहीं दी गई और उनको गलतफहमी में रखा गया। इन्हीं शब्दों के साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको सपोर्ट करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

**श्री चन्दनमल बैद** : माननीय सभापतिजी, वैसे मुझे जो कुछ कहना था वह काफी कह चुका हूं केवल दो बातें और मैं अर्ज करना चाहूंगा जो कि एक बात हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कही और साथ ही जो हमारे जयपुर के दूसरे माननीय सदस्य हैं. कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने कही उनके बारे में। एक तो यह है कि एल. एल. बी. के प्राइवेट एक्जामिनेशन्स आप लागू क्यों नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें गवर्नमेंट ने कोई पाबन्दी लगाई हो ऐसा नहीं है। इस विधेयक में पाबन्दी लगाने का कोई प्रावधान रखा हो ऐसी बात नहीं है। हमने तो सारे अधिकार युनिवर्सिटी को सौंप दिये। अगर एल. एल. बी. का प्राइवेट एक्जामिनेशन लेने में सक्षम है युनिवर्सिटी तो ले ले हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बार कौंसिल आफ इंडिया ने बेन लगा रखा है। उस पाबन्दी को देखते हुए युनिवर्सिटी कम्पीटेन्ट नहीं पाती है अपने आपको हमने तो सारे अधिकार युनिवर्सिटी को दिये हुए हैं। प्राइवेट एक्जामिनेशन वह एल. एल. बी. के लेना चाहे तो हमने उसको डिबार नहीं किया है। It is laid down in the ordinance and Regulations of the University and such Conditions as may be prescribed from time to time. सारी बातें युनिवर्सिटी के अधिकार में हैं। युनिवर्सिटी अगर करना चाहे तो हमारी तरफ से दिक्कत की बात नहीं है।

दूसरी बात गवर्नमेंट इन्टरफियरेन्स के बारे में कही गयी है। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट का इन्टरफियरेन्स बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि आपका कन्ट्रोल नहीं है, इन्टरफियरेन्स नहीं है इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है और उर्दू की एम. ए. की क्लासेज खोली गई लेकिन शुरू नहीं की गई। तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य...

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : आपके आर्डर्स कैरी आउट नहीं किये गये।

**श्री चन्दनमल बैद** : इन्टरफियरेन्स की बात मैं कर रहा था। युनिवर्सिटी के जो अफेयर्स हैं उससे माननीय सदस्य खुश नहीं हैं और वह चाहते हैं कि उसको सुधारा जाय, लेकिन वह यह चाहते हैं कि कोई पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स नहीं हो, लेकिन इन्टरफियरेन्स सरकार की तरफ से इसलिए होना चाहिए कि अफेयर्स सुधर सकें। यह गम्भीरता से सोचने की बात है। अफेयर्स को सुधारा जाय और इन्टरफियरेन्स न हो। अभी यह कहा गया कि उर्दू के लेक्चरर्स का सिलेक्शन किया गया तो थर्ड डिविजन को टार पर रख दिया गया।

(श्री चन्दन मल बेंद)

मैंने मजाक में आपसे पूछा था कि वह बेंद तो नहीं है क्योंकि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य हमेशा यह कहते हैं कि सिलेक्शन में ऐसा होता है और मेरे पर चार्ज लगाया जाता है इसलिए मैंने पूछा था कि बेंद तो नहीं है।

**श्री केदारनाथ** : अगर बेंद उर्दू का लेक्चरर बन जाय तो मुझे खुशी होगी इस बात से।

**श्री चन्दनमल बेंद** : मैंने पूछा ऐसी बात तो नहीं है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : किसको लिया यह मुझे भी पता नहीं है।

**श्री चन्दनमल बेंद** : हम आब्जेक्टिवली बात करें सब्जेक्टिवली बात ही क्यों करें। एल. एल. बी. पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स या गवर्नमेंट इन्टरफियरेन्स नहीं है। युनिवर्सिटी की एकेडेमिक लाइफ में गवर्नमेंट का कम से कम इन्टरफियरेन्स हो इसलिए आपने देखा होगा कि इस विधेयक में सारे पावर्स युनिवर्सिटी को दिये हुए हैं। आज जो संशोधन आया है इससे युनिवर्सिटी के पास ज्यादा से ज्यादा पावर्स रहेंगे और युनिवर्सिटी के अफेयर्स में, उसकी एकेडेमिक लाइफ में, गवर्नमेंट का इन्टरफियरेन्स कम हो या बिल्कुल ही न हो। लेकिन अगर उनके अफेयर्स खराब हों और उनमें सुधार की आवश्यकता हो तो यह विधान सभा का अधिकार है कि कोई विधेयक या एक्ट के द्वारा उनके अफेयर्स में सुधार करने के लिए तरमीम करें, संशोधन लायें। उस अधिकार को विधान सभा को नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर युनिवर्सिटी हमारे प्रान्त का एक अंग है, वह अकेली नहीं है, वह प्रान्त का जुज है। उसको हम प्रांत से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर उसके अफेयर्स में खराबी है तो सारे प्रान्त की एज्युकेशन लाइफ पर उसका असर पड़ता है। इसलिए जहां जहां भी खराबियां हैं उसमें सुधार करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं, एक्ट में तरमीम कर कर सकते हैं। उसके लिए घबराना नहीं चाहिए अगर हम इसमें संशोधन ला रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। अगर सुधार करने के लिए करना पड़े तो मजबूती के साथ, सख्ती के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए, लेकिन उनकी एकेडेमिक लाइफ में इन्टरफियरेन्स न हो इस बात का खयाल रखना चाहिए।

इन्हीं विचारों के साथ मैं, माननीय सभापति महोदय, प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि 'राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

## राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973

### अध्यादेश को अस्वीकार करने सम्बन्धी परिनियत संकल्प

**श्री चन्दनमल बेंद** (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री चन्दनमल बैद)

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री सभापति** : पहले संकल्प पर।

**श्री केदारनाथ** : आर्डिनेन्स पर।

**श्री सभापति** : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : मुझे मौका दें।

**श्री चन्दनमल बैद** : आपको तो मौका ही मौका है।

**श्री खेतसिंह** : हमने सोचा कि आप बोलना नहीं चाहते।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : ऐसा कैसे हो सकता है? यहां आपकी तरह से बैठे रहने के लिए नहीं आया हूं।

मैं, माननीय, सभापति महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी फिर भूल कर रहे हैं, पहले भी भूल कर चुके है, और वह भूल नहीं कर रहे हों और थोड़ा बहुत कानून जानते हों तो मेरे साथ अध्ययन कर लें।

**श्री चन्दनमल बैद** : कानून तो नहीं जानता हूं।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : आप काफी टैक्स लगा चुके हैं मैं समझता हूं। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो टैक्स लगाया जा रहा है— टैक्स आप लगायेंगे, निश्चितरूप से लगायेंगे और इस बिल को भी पास करायेंगे — इस टैक्स को आप मत लीजियेगा। जिन लोगों के पास में अपना बदन ढकने के लिए या अपने शरीर को ढकने के लिए छत भी नहीं है उनको मकानों की आवश्यकता है। तो इसमें यह प्रावधान हो जाय कि इसको आप म्युनिसिपैलिटीज को दे देंगे ताकि म्युनिसिपैलिटीज जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उनके लिए मकान बनायेंगी। यह इसका उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह नगरपालिकाओं के टैक्स पर एन्क्रोचमेंट है। नगरपालिकाओं के पास और कोई आय के साधन नहीं है, और जो है बहुत बड़ा साधन मानलें, सभापति महोदय, एन्टरटैनमेंट टैक्स का उसको राज्य सरकार ने अपने कब्जे में कर रखा है। मैं बार बार इस बात को सदन में रखता आया हूं कि सन् 52 में जयपुर शहर में 3 सिनेमा थे और एक रुपये पर 6 पैसे का टैक्स था और उस बेसिस पर आप इसमें से 3 लाख रुपया जयपुर म्युनिसिपल कौन्सिल को दे रहे है और उसमें से पानी का पैसा आप काट रहे हैं। आज जयपुर में 7 सिनेमा हाउसेज हैं और 67 पैसा टैक्स लेते हैं और वह टैक्स आप गलत लेते हैं। आज सिनेमा देखने वालों की संख्या बढ़ गई है और टैक्स की दर बढ़ गई है और एक रुपये पर 67 पैसा आप लेते हैं तब भी टैक्स का वही हिस्सा 3 लाख रुपया आप नगर परिषद् को दे रहे हैं तो वह किस तरह से सड़कें बनायेंगी और किस तरह से नगर की दूसरी सुविधाओं को जुटायेगी? इसलिए यह नगर परिषद् का टैक्स होना चाहिए।

(वित्त मन्त्री के सदन से बाहर जाने पर) मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को आप बुला लें तो कृपा होगी, सभापति महोदय।

**श्री खेतसिंह** : (श्री फारुक हुसैन की ओर इंगित करते हुए) यह बैठे तो हुए हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : बैठे तो हुए हैं लेकिन ज्ञान की कमी है अभी।

**श्री खेतसिंह** : (श्री ज्ञानसिंह चौधरी के पास में बैठे हुए होने पर) ज्ञान तो हमारे पास में बैठा हुआ है। उसकी कमी तो आपके उधर है।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : आपका नाम मंत्री मंडल की सूची में तो है लेकिन आप में भी ज्ञान नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सूची के प्रोवीजन नं.49 को आप उठाकर देख लें। यह कान्स्टीट्यूशन है। इस कान्स्टीट्यूशन की राज्य सूची के नं. 49 में टैक्स के बारे में लेण्ड एण्ड बिल्डिंग के बारे में साफ लिखा है। यह किताब मौजूद यदि कानून पढ़े हुए हों तो। इसमें लिखा है—

It must be a tax on units in land buildings-separate units.

इसका अर्थ यह है कि सरकार ने पहले टैक्स लगाया था कि अरबन एरियाज में जहां जहां भी लोगों के मकानात हैं, जमीन है उन सब को जोड़ लें और 50 हजार से वह ऊपर की हो तो वह अपना रिटर्न भरकर दे दें और आधा टैक्स जमा कराकर अपना खाता खोल लें और सरकार अगले साल सरकार दो पर्सेन्ट करने वाली है तो उसके लिए तैयार हो जाय क्योंकि आपने इसका अधिकार ले लिया है। वह हाई कोर्ट में चैलेन्ज हुआ और हाई कोर्ट में जो चैलेन्ज ले गये उसमें एक सुप्रीमकोर्ट का दूसरा था, माननीय सभापति महोदय, यूनियन बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों। उस केस के प्रसंग में सरकार फिर एमेंडमेंट ला रही है, और अब सरकार ने यह तरमीम की है कि जमीन अलग हो और मकान अलग हो तो उनको अलग अलग माना जायगा और मकान के साथ में जमीन हो तो इसको एक मानते हैं। मानलें कि यह विधान सभा है और विधान सभा के बाहर में जो ग्राउण्ड है इसको मकान में क्यों रखते हैं? इसका एसेसमेंट एक होगा तो यह सरकार फिर भूल कर रही है। राज्य सूची के नं. 49 में लिखा है कि मकान अलग, बिल्डिंग अलग और लैण्ड अलग। मेरा निवेदन करना है कि राज्यपाल महोदय बेचारे वृद्ध हैं उनसे आर्डिनेन्स निकलवाते हैं तो उनके अध्यादेश को निरस्त करना चाहिए नहीं तो वह फिर हाई कोर्ट में चैलेन्ज होगा मेरा निवेदन है कि मकान अलग और खाली भूमि को अलग सेपरेट यूनिट माना जाय। अगर बिल्डिंग को और ग्राउण्ड को एक यूनिट मानकर टैक्स लगाते हैं तो हाई कोर्ट में फिर चैलेन्ज होगा और माननीय वित्त मंत्रीजी को बाद में इस बिल में चौथा संशोधन लाना होगा। आप फिर सुन लें—

Tax on land buildings--separate units.

मकान के साथ वाली जमीन को अलग मानना पड़ेगा वर्ना पहले मुसीबत में फंसे और फिर मुश्किल में फंस जायेंगे। नहीं मानेंगे तो लोग कोर्ट में जायेंगे।

यह क्या आपने टैक्स लगाया कि मालदार तो टैक्स दें नहीं और गरीब टैक्स दे दें और कैसे दे दें कि मध्यम श्रेणी वाला टैक्स

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

देगा जो कुछ भी टैक्स वसूल होगा। मेरे इस संशोधन को अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर किसी को हाई कोर्ट में भिजवाना पड़ेगा और फिर आप संशोधन लायेंगे। किसी की 50 50 हजार की 10 जगह 5 लाख की प्रोपर्टी है वह तो टैक्स देगा नहीं और किसी का 55 हजार का एक ही मकान होगा तो उसको 5 हजार पर टैक्स देना पड़ेगा। 5, 10 और 15-15 लाख की बैदजी की 13 जगह प्रापर्टी है तो वह तो टैक्स देंगे नहीं, लेकिन मध्यम श्रेणी के व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा। अमीर आदमी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका मतलब है कि आपका जो मकान है जिसमें आप रहते हैं वह कौन सा 'चन्दन निवास' या क्या निवास है तो आपने 13 रिटर्न भरे हैं।

**श्री चन्दनमल बैद** : एक मकान तो मेरी नजर में है 12 मकान और आप दे दें।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : मैंने तो भरा है। मैं नियमों का पालन करता हूं।

**श्री चन्दनमल बैद** : सभापति महोदय, ग्रोन पाइंट ग्राफ इन्फर्मेशन। आपने जो मेरे 13 मकान बताये हैं तो उनका जरा लोकेशन भी बता दें।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : आप बिराजें।

**श्री सभापति** : ऐसे ही कह दिया है उन्होंने।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह मकान जिसमें आप विराजमान हैं वह 3 लाख का मकान होगा और एक लाख का बताया होगा। मगर 13 मकान हैं कि नहीं ? 3 लाख के बजाय 1 लाख का तो बताया है। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, श्रीमान जैन साहब को उसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर देंगे कि कितना रिटर्न भरा है और मकान का क्या एसेसमेंट किया है। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। गरीबों से टैक्स लेंगे और बड़े टैक्स नहीं देंगे मंत्री टैक्स नहीं देंगे, बड़े बड़े-ग्राफि, सर्स नहीं देंगे। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया हाउस टैक्स का उनमें बकाया होगा लेकिन म्युनिसिपैलिटी को चुकायेंगे नहीं। 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया और अब कहने लगे कि गरीबी मिटाना इतना आसान नहीं है। जिम्मेदारी है या तमाशा है ?

तो मैं निवेदन करने जा रहा था कि आज यह हालत है। दूसरी बात कहूं कि मकान के ऊपर टैक्स लगा दिया इस मकान में 5 हिस्सेदार हैं। किसी में 10 हैं। उनमें झगड़ा बढ़ेगा। आपस में मुकदमे-बाजी होगी। परिणाम यह होगा कि टैक्स आपके पास जमा नहीं होगा।

**एक माननीय सदस्य** : बेरोजगारी दूर होगी।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मुकदमें चल रहे हैं। किसी ने टैक्स जमा कर दिया सम्पत्ति कब्जे में रहेगी नहीं तो क्या राज्य सरकार टैक्स लौटा देगी ? मैं फिर निवेदन करूंगा आपने राजस्थान भूमि हस्तान्तरण अधिनियम, 1972 पास किया। 13 फरवरी, 73 से लागू हो गया। इसका मतलब यह है कि 3 लाख सम्पत्ति रहेगी। बाकी बेच नहीं सकते हैं। उस पर आपने रोक लगा दी है। बेच नहीं सकते हैं "मान न

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मान मैं तेरा महमान" । टैक्स लगा दिया । जबरदस्ती टैक्स वसूल करेंगे, यह कहां का समाजवाद का तरीका है ? मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी विचार करें । मैं निवेदन कर रहा था, इस प्रकार का असेसमेंट किस प्रकार से होगा । ये सारी बातें हैं । उसमें सेक्शन 22 जोड़ी है । इसमें सैल्स टैक्स की तरह से बना दिया है । बहीखाता रखो । दुकान की तरह से । मकान का पट्टा है । वह मुकदमा लड़ रहे हैं । आपने फिल्म के जो डायरेक्टर महोदय बनाये हैं, वह कोर्ट में कहां से पेश करेंगे ? ऐसी हालत में आपको इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए ।

**एक माननीय सदस्य** : वाह ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं मूल विषय में ही चल रहा हूं । फिर हाईकोर्ट में चैलेंज होगा । आप मकान को अलग रखें । यह होगा नहीं । जैसा कि शिवचरण जी का है । कल ही अखबारों में आया है कि गेहूं की जो वितरण प्रणाली है, उसके बारे में आया है । गुजरात में गेहूं की जो वितरण प्रणाली है, उसका अध्ययन करने के लिए यहां से दो अधिकारी गुजरात जायेंगे । वहां की वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए । आप जनता को गेहूं दे नहीं सकते हैं । इससे ज्यादा निकम्मी और कौन सी सरकार होगी । वह ताबीज बांधने की क्या जरूरत थी ? यह फेल हो गई है । क्या जनसंघ है, क्या स्वतन्त्र पार्टी है । गिरधारीलाल नारे लगा रहा है । "जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है । रोटी रोजी दे न सके । वह सरकार निकम्मी है ।" आप टाटों पर सील लगा रहे हैं ।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : उनका एजेण्ट कौन है ?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : आपके कान का इलाज भी रूस में हो । नाक का इलाज भी रूस में हो ।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : और आप का इलाज....

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : भारत की मिट्टी में जायेंगे । लेकिन इलाज होता है रूस में ।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : हम तो मिट्टी में जायेंगे । आप तो मिट्टी में जायेंगे नहीं । हवा में उड़ जायेंगे ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : हम तो भारत माता का तिलक लगायेंगे ।

(व्यवधान—व्यवस्था सूचक घण्टी)

यह टैक्स किस पर लग रहा है ? इस पर एक कमेटी बना दें । मद्रास में लैण्ड पर टैक्स है । बिल्डिंग पर नहीं । केरल में बिल्डिंग पर है, लैण्ड पर नहीं । यह क्या है ? अन्त में मैं, माननीय सभापति महोदय, आपकी मारफत निवेदन करूंगा, विरोधी पार्टी की कोई बात स्वीकार कर ले, आपका अपमान नहीं होगा । हरिदेव जोशी कहें कि विरोधियों की बात भी मानूंगा तो यह शानदार बात होगी । अच्छी बात विरोधी भी कहे तो उसको मानना चाहिए । सत्तारूढ़ दल को अच्छी होती है । वही मैं वित्त मन्त्री चन्दनमलजी बैद से निवेदन करूंगा कि वह स्वीकार करें । राज्यपाल ने अध्यादेश निकाला है । उसको आप नये मन्त्रिमण्डल में बैठकर बनायें । अभी थोड़े से नये मन्त्री

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है। कई सोच रहे हैं कि मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। कई सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा। मुझे लिया जायेगा या नहीं लिया जायेगा। कई चाहते हैं कि मेरा नम्बर हो जाये। अभी वह मजा ही नहीं है विधान सभा में जो पहले था। यही मेरी प्रार्थना है।

**श्री सभापति :** श्री केदारनाथ।

**श्री केदारनाथ :** सभापति महोदय, मैं इस तरफ तो नहीं आता हूं कि अध्यादेश क्यों निकालते हैं ? बिल आगया तो इस मकसद पर मैं ध्यान नहीं देता हूं। सभापति जी, इस हाउस में हमने शहरी प्रोपर्टी पर सीलिंग बिल पास किया, वैकेन्ट प्लाट्स पर टैक्स लगाने का यहां पर हमने बिल पास किया। लगातार यह मन्शा जाहिर की हाउस ने कि शहरों में एनवाइरनमेंटल इम्प्रूवमेन्ट के कारण जो प्रोपर्टी की वेल्यू में राइज हुआ है, उनकी वेल्यू में राइज होने से अन-अर्न्ड वेल्यू पैदा हुई है उनमें से राजस्थान सरकार को हिस्सा मिले और वह हिस्सा समाज के फायदे में इस्तेमाल हो। यह प्रिन्सीपल, यह आब्जेक्ट शायद प्रोपर्टी की सिलिंग में रहा है। पिछली बार शहरी प्रोपर्टी पर सिलिंग लगाया था तो हमने उस का स्वागत किया था। लेकिन उस बिल की स्याही सूखी नहीं थी कि आर्डिनेन्स लाकर पचास पचास हजार की बिल्डिंग को अलग अलग मान कर टैक्स लगाने का प्रिन्सिपल तय किया गया है। अब इसमें आपने यह किया है :

"Rajasthan Land Buildings Act provides that where more than one land or building in the same urban area is owned by the same person, the lands and the buildings tax shall be assessed on the market value of all such lands and buildings taken together.

A Writ Petition .. .... "

इस क्लेरिफिकेशन के नाम से उस सारे एक्ट की आपने जान निकाल दी है। जिस आदमी व्यक्ति के पास तीन मकान हैं, उन तीनों की कीमत पचास पचास हजार की दृष्टि से डेढ़ लाख बनती है तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उनको सैपरेटली लिया जायगा। पहले एक्ट के माफिक, उसकी स्प्रिट के द्वारा तीनों मकान की कीमत जोड़ कर उस पर हाफ पर्सेंट टैक्स सरकार को मिल जाता है। इस आर्डिनेन्स को निकालने के बाद उस बिल की यह स्प्रिट नहीं रहती है। इस आर्डिनेन्स को निकालने के बजाय उस एक्ट को विथड्रा कर लें तो अच्छा है। अब क्या इस पर क्लेरिफिकेशन देंगे ? मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस गवर्नमेंट की विल नहीं है प्रोपर्टी पर सीलिंग लागू करने की। चाहे अर्बन प्रोपर्टी हो, चाहे देहातों की प्रोपर्टी हो, सीलिंग एक्ट में अमेंडमेंट बिल ला लाकर फेस सेविंग डिवाइस पैदा करते हैं, इसके सिवाय और कोई चीज नहीं है। इस लिए हम चाहते हैं कि इस बिल को वापिस लिया जाय। अगर कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत है तो लॉ डिपार्टमेंट ड्राफ्ट करता है सारे बिल, उसने पहले क्यों नहीं सोचा ? अगर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई और फैसले के भय के कारण आप क्लेरिफिकेशन की बात

(श्री केदारनाथ)

करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिट पर फैसला होने दें। आप क्योंकि अमेंडमेंट करते हैं, आप एप्रीहैंड करके क्यों कहते हैं कि यह चीज आयेगी ? आप क्यों एप्रीहैंड करते हैं ? हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिये, फिर तय कीजिये, पहले लाने की जरूरत क्या है ? इसलिए इस आर्डिनेन्स को डिसप्रूव किया जाय, यही मेरी मन्शा है।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री केसरीमल !

## राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री केसरीमल ( ब्यावर ) : माननीय सभापति महोदय, गये सत्र में यह कानून यहां पर सदन में पास किया गया था, तब उसका बड़ा स्वागत किया गया था कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने एक ऐसा कानून तो बनाया है कि जिससे कुछ पैसे वाले, जो बड़ी पून्जी रखते हैं, या बड़ा भवन बनाने की क्षमता रखते हैं उनसे कुछ ऐसा टैक्स ले लिया जायगा और वह कुछ जनहित कार्य में आयेगा। उसको बने कुछ दिन हुए होंगे, मेरे ख्याल में इसका कुछ फायदा भी हमारी राजस्थान सरकार ने उठाया नहीं होगा, लेकिन उस कानून को बदलने की बात हमारे सामने आ गई। माननीय सभापति महोदय, पिछले दस बारह साल में जो जमीन, जो भवन लोगों के पास थे, उनकी कीमत दस गुनी, पन्द्रह गुनी बढ़ गई है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से आठ साल पहले, दस साल पहले जमीन की कीमत तीन रुपये गज थी, आज तीस रुपये, चालीस रुपये गज की होगी, जो बिल्डिंग दस हजार, बारह हजार रुपये की होगी वह आज पचास हजार, साठ हजार होगी। पहले भूमि जैसी थी, आज भी वैसी की वैसी है, जो भवन जैसा था वह आज भी वैसा का वैसा है, लेकिन वैसा ही रहते हुए पून्जी बढ़ गई है। ऐसी बढ़ी हुई पून्जी पर टैक्स लेने से सरकार कतराती है। इसका मतलब यह है कि सरकार पैसे वालों से दबी हुई है, उनसे सरकार पैसा नहीं लेना चाहती है। यह सरकार गरीब लोगों का गला दबाना चाहती है, मध्यम वर्ग के लोगों से ले, इसकी कोशिश करेगी, लेकिन जिनके पास लाखों की सम्पत्ति है, उनसे पैसा नहीं लेना चाहती है। एक व्यक्ति के पास पांच भवन हैं तो उनकी कीमत मिला कर ढाई लाख, तीन लाख है, वह इससे इसलिए छूट जायेंगे कि कोई 39 हजार का बतायेंगे, कोई चालीस हजार का बतायेंगे, और वह जो बतायेंगे, वैसा ही हमारी सरकार के जो अधिकारी हैं वह मानेंगे और उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से देखा जाय तो जिनके पास इतनी बड़ी सम्पत्ति है, वह एक भी पैसा इस रूप में, भवन का, धरती का टैक्स देने को तैयार नहीं होंगे। वह खुद देने को तैयार नहीं

(श्री केसरीमल)

होंगे तो लेने की बात नहीं। पहले बिल यहां पर आया था तो यह बात सामने आ गई थी कि यह पैसा वसूल किया जायगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा दबाव सरकार पर आया होगा इसलिए ही उस टैक्स को लेने से पहले सरकार ने पीछे खिसकना शुरू कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट में यह मामला गया, उसका निर्णय आये, उसके पहले ही सरकार झुक गई। इसका मतलब सरकार यही इन्तजार कर रही थी कि वह अपने फैसले से हटने का कोई रास्ता निकाले, और उसको यह रास्ता मिल गया। सरकार की यही कोशिश थी कि किसी तरीके से जमीन और मकानों पर टैक्स नहीं लिया जाये और उन्होंने यह मौका ढूंढ लिया। सरकार जो कुछ कर रही है वह गलत कर रही है, इसलिये जो अमेंडमेंट सरकार ने रखा है उसके लिए जरूरी है कि उसको एक प्रवर समिति को भेजा जाये जो तीन चार दिन में अपना प्रतिवेदन दे दे, उनका जो निर्णय आ जाये उसके बाद यह सदन इस अमेंडमेंट पर विचार ले। वर्ना जो फैसला लिया जायेगा वह उचित नहीं होगा। उस समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत कर दूंगा।

**श्री खेत सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये जब तक कि यह बिल पारित हो जाये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह बिल या सभी बिल्स ? एक बिल और है।

**श्री सभापति** : क्या सदन की यह मन्शा है कि सदन का समय, जब तक यह बिल पारित हो जाये, तब तक बढ़ा दिया जाये ?

( स्वीकृत )

सदन का समय इस बिल के पारित होने तक बढ़ाया गया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : पारित तो होगा या नहीं होगा यह प्रश्न कैसे कह सकते हैं ? इस बिल के निर्णय तक समय बढ़ा दिया जाये।

**श्री सभापति** : एक ही बात है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** !

## समिति का प्रतिवेदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

**श्री खेतसिंह** : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का पुर: स्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर, 1973 को लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया जाये :—

मंगलवार,
दिनांक 6 नवम्बर, 1973

(1) विद्युत मण्डल द्वारा ऋण लेने की सीमा को बढ़ाये जाने सम्बन्धी संकल्प पर विचार।

(2) प्राइवेट आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प पर विचार।

(श्री खेतसिंह)

बुधवार,
दिनांक 7 नवम्बर, 1973

(3) राज्य कर्मचारियों की गत हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार।

(1) राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

(2) राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में सरकार की ओर से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।

---

**श्री केदार नाथ** : मंत्री मण्डल के विस्तार पर विचार।

**श्री खेतसिंह** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन को स्वीकार करता है।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का बारहवां प्रतिवेदन स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सभापति महोदय, खाद्यान्न के बारे में स्टेटमेंट देने का भी निर्णय लिया गया था।

**श्री सभापति** : वह स्टेटमेंट हो जायगा।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : कब होगा ?

**श्री खेतसिंह** : परसों।

## राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

**श्री गुमान मल लोढा** : माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक के बारे में यहां पर जो विचार प्रकट किए गए उनमें एक बात उभर कर आई कि संशोधन की आवश्यकता इसलिए हुई कि राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका हुई, वहां बहस हुई। बहस में कुछ तर्क उठाए गए और उसके बाद में एडवोकेट जनरल या लॉ डिपार्टमेंट की राय रही कि इसमें संशोधन कर दिया जाए। जो मैटर सब-जुडिस है हाई कोर्ट में उस बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि एक तो इससे सीधा सादा निष्कर्ष, लोजीकल कन्कलूजन यह निकलता है कि हमारा लॉ डिपार्टमेंट कम्पलीटली इन्काम्पीटेन्ट है, इसके अन्दर जो आर्टीकल्स हैं, शिड्यूल्स बने हुए हैं, उन शिड्यूल्स का क्लासीफिकेशन किया हुआ है कि कौनसी कन्करेन्ट लिस्ट, कौनसी स्टेट लिस्ट, कौनसी सेन्ट्रल लिस्ट है। लॉ पढ़ने वाला विद्यार्थी को जैसे अंग्रेजी में पहला सबक होता है ए०बी० सी० उस तरह संविधान का पहला सबक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है कन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। मेरी समझ में नहीं आता कि लॉ डिपार्टमेंट में इतने बड़े बड़े लोग हैं जैसे सेक्रेटरी, लीगल रिमेम्ब्रसर या एडवोकेट जनरल या गवर्नमेंट एडवोकेट हैं सारे के सारे जो आफिसेज हैं जिन पर राज्य सरकार बहुत बड़ा खर्चा करती है और राजस्थान की जनता और टैक्स पेयर को बहुत बड़ा बर्डन भुगतना पड़ता है, वह सारे के सारे विभाग और लोग यदि इतनी बड़ी बात नहीं बता सके कि कन्करेंट लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, यह लायेंगे तो हाई कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, यह संदेहास्पद था तब तो इस समय अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय होगा, वहां विचाराधीन मामला है। यदि अन्डिस्प्यूटेड कैटेगोरीकल क्लीयर पोजीशन है लॉ की तो बहुत बड़ा लैप्स है लॉ डिपार्टमेंट का और उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं चाहे विभाग का व्यक्ति हो चाहे एडवोकेट जनरल का आफीसर हो, मैं व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता, निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही की जानी चाहिए। सदन का समय इतना लगाया जाए, लोगों के अंदर आकांक्षा हो कि इतने फंड्स इकट्ठे हो जायेंगे और उसके बाद में एक संशोधन है, उससे 70 प्रतिशत 80 प्रतिशत जो कलेक्शन्स होने वाले थे वे इससे समाप्त हो गए और वह कलेक्शन्स समाप्त होकर स्थिति यह आ गई कि यदि इसको जग्लरी आफ स्टेटिस्टिक्स न कहकर सही मूल्यांकन किया जाए तो जितना खर्चा विभाग पर करेंगे उसके अनुपात में जो कलेक्शन्स होंगे वह नगण्य होंगे। याने यह लेजिस्लेशन हमारी राजस्थान की ट्रेजरी में रकम लाकर दे, वह संभव नहीं होगा। यह सुपरफ्लूएस और यूसलेस लेजिस्लेशन होगा। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से जो लैप्स हुआ, उस बारे में निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए।

ऐसा लगता है कि हम स्लोगान मोंगरिंग के अंदर, नारेबाजी की होड में, एकाध दिन में बिना कन्सीडरेशन के पास करना चाहते हैं। हमने सीलिंग कानून जोर शोर से पास किया ताकि ऐसा न हो कि राजस्थान पीछे रह जाए। बिल्डिंग्स की सीलिंग का लॉ बहुत जल्दबाजी में पास किया और मेजों की थपथपाहट के साथ, समाजवाद की प्रगति में एक लैंडमार्क मानकर उसको पास किया। कितना समय हो गया? केन्द्रीय सरकार स्वयं और केन्द्र के नेता स्वयं इस बात के लिए आज तैयार नहीं हैं कि इस प्रकार के लेजिस्लेशन को इम्पलीमेंट किया जाए या लाया जाए। लेकिन हम इस होड़ में लगे हुए हैं और उसका अर्थ यह होता है कि हमारा इतना समय व्यर्थ जाता है, लोगों में आकांक्षा आती है, आशायें बंधती हैं कि इतने फंड्स आयेंगे उनको अनुसूचित जाति और शिक्षा के काम में लेंगे। न फंड्स आते हैं न काम होते हैं। इसलिए लेजिशलेशन का पहले पूरी तरह से विश्लेषण किया जाए, पूरा विचार किया जाए। हिंदुस्तान में राजस्थान का नंबर पहले आए, चाहे दूसरा आ जाए सीलिंग कानून या प्रापर्टी टैक्स लॉ उससे किसी प्रकार की सस्ती वाहवाही या समस्या का समाधान नहीं होता। यदि इसमें कठिनाई

( श्री गुमानमल लोढ़ा )

है तो सैंट्रल लिस्ट में है कि दोनों को क्लब करने से लैंड और बिल्डिंग को या सारी बिल्डिंग्स को क्लब करने से यदि हमारे यहां कैटेगोरीकल ओपीनियन आ गया कि सेंट्रल लिस्ट में आने से नहीं कर सकते तो राज्य सरकार को चाहिए कि संकल्प पास करके केन्द्रीय सरकार को मूव करे। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि आप इस प्रकार का कानून बनायें जिसके अंदर जो दुविधा हमारे सामने आ रही है, वह न आए और उस कानून के द्वारा जो टैक्स हम लगाना चाहते हैं, जिस तबके के लिए हम समझते हैं कि उनके पास सुपरफलूएस वेल्थ है, उस वेल्थ को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो केन्द्र को इस बारे में मूव किया जा सकता है, उसमें बाधा नहीं है। अब तक हो सकता था। इतना समय निकल गया है आरडीनेन्स के बाद केन्द्र को मूव करके उचित कानून बनाया जा सकता था। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार का दिमाग साफ होना चाहिए, भावना होनी चाहिए लेकिन न तो सीलिंग कानून के बारे में केन्द्र ने ग्रीन सिग्नल दिया है, असेंट नहीं दी है, आपने कानून बना कर वहां भेजा है, वह वहां पड़ा हुआ है और केन्द्र उस पर विचार करके एकमत नहीं बना सका चाहे नारे कितने दे दिए, लेकिन यह हिस्टारीकल एस्टैबिलशड फैक्ट है। भारत सरकार ने चाहे सीलिंग कानून है चाहे शहरी संपत्ति सीलिंग कानून है, उस बारे में किसी कानून को असेंट नहीं दी है, उस कारण से विधान सभा द्वारा जल्दी में उसको पास करके यदि हम कहें यह बताने के लिए कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पास करके वहां भेज दिया तो ऐसे कानून बनाने से लाभ नहीं। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत हूं कि यदि अमेंडमेंट हो जाता है उसके बाद में इस कानून को रखने से राज्य सरकार को कोई लाभ नहीं। वैसे प्रतिष्ठा के लिए रखें तो आपकी मैसिव मैजोरिटी है इसलिए आप पास भी करवा देंगे उसमें दो राय नहीं और कहा जाएगा कि संशोधन पास हो गया, बिल लागू हो गया, जो पूंजीवादी लोग हैं उन पर टैक्स लगा दिया लेकिन 1964 में आपने ओपन लैंड पर जो पर टैक्स लगाया, मेजों की थपथपाहट के साथ पास किया और अपने को प्रगतिवादी, लेफटिस्ट और रेडीकल कहलाने के लिए खूब ढोल ढमके के साथ कानून पास किया लेकिन 1974 आने वाला है एक पैसा भी आपने ओपन लैंड पर कभी वसूल करने की कोशिश नहीं की। जैसे केन्द्र में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओं का नारा देकर लोगों को बेवकूफ बनाया और गरीबी बढ़ती गई उन्हीं के पदचिन्हों पर सरकार यह नारा देती है। इन संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अमेंडमेंट आपको करना होगा क्योंकि अमेंड-मेंट के बिना साधारणत: यह लॉ स्ट्राइक डाउन होने की संभावना है लेकिन अमेंडमेंट करने के बाद में शरीर ही रह जाता है, हृदय निकल जाता है जैसा मरा हुआ एक मुर्दा वित्त मंत्री यदि ऐसा करना चाहें तो उनकी मर्जी।

**श्री सभापति** : क्या आप (श्री गिरधारी लाल भार्गव से) अपने संकल्प को वापिस लेना चाहते हैं?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : सभापति महोदय, मैं अपने संकल्प को वापिस लेने आज्ञा चाहता हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लिया जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

वापिस लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : वापिस लेता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय मन्त्रीजी।

**श्री चन्दनमल बैद** : सभापति महोदय, राजस्थान भूमि व भवन कर संशोधन विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : इस को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। मैं इस पर बोल चुका हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि जनमत जानने हेतु जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

**श्री केदारनाथ** : जब इसे मूव ही नहीं किया गया तो स्वीकार अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं रहता।

**श्री सभापति** : श्री केसरीमलजी बोल गये न इस पर ?

**श्री लक्ष्मणसिंह** : इसे रीड करने से ही क्या फायदा ? यूजलैस विधेयक, अनावश्यक विधेयक। यह अब अगर सदन में आता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं इसका सभापति महोदय, जवाब देना चाहूंगा क्योंकि कुछ माननीय सदस्य काफी एजीटेटेड हो गये हैं ऐसा लगता है। जैसा हमारे बुजुर्ग सदस्य अगर एजीटेट नहीं होते तो मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इस प्रश्न को भी क्लीयर करने की कोशिश करें कितनी पहले एक्सपेक्टेड इन्कम थी, और अब कितनी रह गई ?

**श्री लक्ष्मणसिंह** : अब तो इन्कम जीरो होगी, और क्या होगी ?

**श्री चन्दनमल बैद** : सभापति महोदय, जैसा कि कहा गया है मैं इस संशोधन के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा। किसी जल्दीबाजी से इसे पास कराने के पक्ष में मैं नहीं हूं।

पहले जिस समय यह बिल बनाया गया और सदन में एक्ट पास हुआ, उस समय हमारे सामने कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया था और उसमें जो सेवन्थ शिड्यूल में डिटेल थी वे भी थीं लिस्ट नम्बर एक दो और तीन। सेन्ट्रल, स्टेट और कन्करेंट। इन तीनों लिस्टों में जो लिस्ट नम्बर 86 है उस

( श्री चन्दनमल बैद )

में और जो नम्बर 49 है उसमें लिखा है लैंड्स एण्ड बिल्डिंग्स, एक्सेस आन लैंड्स एण्ड बिल्डिंग्स। यह स्टेट सबजेक्ट है। तो हम यह मान कर चलते थे कि इस पर आप टैक्स लगा सकते हैं और इस प्रीजम्पशन के आधार पर सारा बिल ड्राफ्ट किया गया और विधान सभा ने उसे पास किया।

इसके बाद इस को ग्रानरेबल हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया गया। इसके बाद इस पर जो आरगुमेन्ट्स हुए उसमें कुछ बातें ऐसी ग्राई जिनके कारण हमें यह संशोधन यहां लाना पड़ा।

पहले अर्ज यह करना चाहता हूं कि यह हमारे ध्यान में था कि हम लैंड एण्ड बिल्डिंग एज वन यूनिट हम टैक्स लगा सकते हैं। अगर एक शहर में लैंड और बिल्डिंग्स अलग अलग जगहों पर भी हैं तो उनको एक यूनिट मान कर हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं। जैसे जयपुर में किसी के अलग अलग जगहों पर चार मकान हैं और जमीन है या चार खुले अलग अलग जगह प्लाट्स पड़े हैं तो उनको एक यूनिट मान कर उस पर टैक्स लगा सकते हैं और यही हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट का भी मानना था कि हम तीनों पर लैंड बिल्डिंग लैंड एण्ड बिल्डिंग्स, लैंड और बिल्डिंग अलग अलग और शामिल पर भी टैक्स लगा सकते हैं एक यूनिट मानकर। तो एज ए यूनिट हम लगा सकते हैं एज ए प्रोपरटी नहीं लगा सकते यही हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट की भी राय थी। दूसरी बात यह भी थी कि यह चौथा प्रोवीजन है जो सारे एक्ट से अलग किया जा सकता है। तो हम यह भी मान कर चलते थे कि चैलेन्ज भी हो गया यह कभी तो चूंकि इस हिस्से को हम सारे एक्ट से अलग कर सकते हैं। तो चैलेन्ज होगा तो उतना ही होगा। सारा नहीं होगा। और अगर कोई हिस्सा स्ट्राइक भी करना पड़ा तो इतना ही करना होगा। बाकी एक्ट बच जावेगा।

पर ग्रानरेबल हाई कोर्ट में जिस समय डिशकशन हुआ उस समय एक बात ध्यान में लाई गई कि ग्रानरेबल हाई कोर्ट जो है इस बिल के प्रोवीजन सीवीयेरेबल है इसको यह मान कर चलता है कि यह तो मैरिट का केस है। जब कान्स्टीट्यूशन की लाइट में सारे एक्ट पर डिसकशन होगा हाई कोर्ट में उस वक्त इस पर डिसकशन किया जावेगा। ऐसा प्रोवीजन तो इसमें नहीं है जो कान्स्टीट्यूशन को वायोलेट करता हो। तो वेलिडिटी ऑफ एक्ट को चैलेन्ज किया गया।

जब मैं इस पोइन्ट पर आता हूं कि जिसके कारण हमें यह अमेण्डमेन्ट लाना पड़ा। सन् 72 में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ जिसका जिक्र मन्थली रिपोर्ट्स में आया हुआ है। जिस समय हमने इस एक्ट को ड्राफ्ट किया था उस समय हमारे यह ध्यान में नहीं था। हालांकि होना चाहिये था। यह मैं मानता हूं। पर उस समय नहीं आया।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : साइट नम्बर ?

**श्री चन्दनमल बैद** : 1972 में पेज 1079 पैरा 65 (Supreme Court):–

"65. The requisites of a tax under entry 49, list II may be summarised thus:—

(1) It must be a tax on units, i. e. lands and buildings separately as units.

(श्री चन्दनमल बैद)

(2) The tax cannot be a tax on totality, i. e. it is not a composite tax on the value of lands and buildings.

(3) The tax is not concerned with the division of interest in the building or land. In other words, it is not concerned whether one person owns or occupies it or two or more persons own or occupy it.

66. In short the tax under entry 49, list II is not a personal tax but a tax on property."

यह चीफ जस्टिस सीकरी का फैसला है।

हमें जब यह महसूस हुआ कि इस लाइट में तो हमारा एक्ट सारा ही अल्ट्रा वायर्स हो सकता है तो जो मशीनरी हमने क्रिएट की है उसका खर्चा तो बीयर करना ही पड़ेगा और साथ ही टैक्स भी वसूल नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धिमत्ता इस बात में थी कि हम कम से कम जो चौथा पोर्शन जो सीवियेरेबल है उसको हम स्ट्राइक डाउन कर दें। इसलिए हमें यह अमेण्डमेन्ट लाना पड़ा है। और कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग यूनिट माना है, एक नहीं। अब जो आरोप लगाया गया हम पर कि हमें किसी का भय था या दबाव था ऐसा कुछ नहीं था। न हमारे मन में कोई लालच था कि बड़े मकान वाले हैं या जिनकी ज्यादा प्रोपरटी है उनको बचा दें और कम प्रोपरटी वालों पर टेक्स लगा दें। आज जयपुर जोधपुर बीकानेर कोटा आदि जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें आम तौरपर मकान पचास हजार से कम नहीं मिलेंगे। तो टैक्स तो लगेगा पर यह भी सही है कि अगर किसी की पांच प्रोपरटीज हैं एक ही शहर में या अलग अलग कितने ही शहरों में तो वे सब अलग अलग यूनिट मानी जावेंगी और उनको उतनी ही जगह छूट मिल जावेगी। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। अब यह पूछा जाय कि पहले कितनों पर लगता और कितनी आय हो सकती थी और अब कितनी होगी, यह नहीं कहा जा सकता। यह नया काम है। नई मशीनरी बनाई गई है। पहले सर्वे कर दिया जाता तो कुछ निश्चित कहा जा सकता था, पर सर्वे कर नहीं सकते थे क्योंकि अगर करते तो बजट लीक आउट हो जाता और कर नहीं सकते थे इसलिये यह कहना तो मुश्किल है कि पहले और अब में क्या फर्क होगा, पर नुकसान हुआ है यह निश्चित है जो हमें मजबूरी के साथ बर्दाश्त करना पड़ा है।

श्री केसरीमल: इस अरसे में मशीनरी बेकार बैठी रही?

श्री चन्दनमल बैद: उस मशीनरी ने इस समय तक इतना पैसा अवश्य वसूल कर लिया है जितना उस पर खर्च हुआ है, जब कि अभी मशीनरी पूरी गीयर में आई नहीं है। जब वह फुल गीयर में आवेगी तो पैसा ज्यादा वसूल हो जावेगा। पहले साल में वैसे भी मशीनरी को गीयर अप करना कठिन है। उसमें भी सेट होने में और मोशन में आने में समय लगता है। अगले साल फुल स्विंग में आ जावेगी। अपोइन्टमेन्ट्स और पोस्टिंग्स में समय

(श्री चन्दनमल बैद)

लगता है। इसके बावजूद भी हम इस साल जितना पैसा खर्च होगा उससे ज्यादा वसूल कर चुके हैं। अगले छः महीने में और अधिक वसूल करने की हमें आशा है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल:** इस जजमेंट के अनुसार टैक्स का असेसमेंट आप बिल्डिंग पर करेंगे और उस सारी एक बिल्डिंग को एक युनिट मानकर चलेंगे चाहें फिर उसके कितने ही हिस्सेदार हों। आप यह तो कर सकेंगे।

**श्री चन्दनमल बैद:** इस फैसले के अन्तर्गत जितने अधिकार हमें दिये हैं उनका हम उपयोग करेंगे। छोड़ने की हमारी मंशा कतई नहीं है। बल्कि हम यह भी कोशिश कर रहे हैं जैसा कि अभी कह नहीं सकता पर हम यह भी कोशिस कर रहे है। कि क्या ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि जिससे हमने जितना एक्ट अपना बचा लिया हैं उसके बावजूद भी क्या ऐसा तरीका निकाला जा सकता है कि ज्यादा प्रोपर्टीज वाले जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक अपनी गिरफ्त में लाये जा सकें।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली:** आप पच्चास की जगह पचीस कर दें। यह सजेस्ट भी किया था हमने तो।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव:** एक स्पष्टीकरण। राज सूची में 49 वाली लिस्ट के बारे में मेरा निवेदन यह है कि एक के पास एक मकान है एक जमीन हैं क्या आप उस जमीन और मकान दोनों का एक युनिट मानेंगे। या जमीन अलग युनिट माना जावेगा? और मकान अलग युनिट माना जावेगा? यह थोड़ा सा और बता दें। मेरा निवेदन करना है कि मकान और जमीन अलग अलग युनिट होंगे वरना फिर लोग हाई कोर्ट में जावेंगे। यह आप देख लें।

**श्री चन्दनमल बैद:** मेरा ऐसा मानना है कि लैंड और बिल्डिंग एक युनिट माना जावेगा। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेंगे उनको मानने को हम बाध्य हैं। अब यह भी कहा गया कि हमारा लॉ डिपार्टमेंट फिर क्या करता है? तो इसके लिए भी निवेदन कर दूं कि सब की एक राय नहीं हो सकती। राय में भेद तो बना ही रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में भी 15 जज बैठते हैं जिनमें से सात एक मत के होते हैं तो आठ दूसरे मत के। तो हमारा लॉ डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों से तो अधिक योग्य नहीं है। यह मैं मान लेता हूं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव:** पर मात तो हमें खानी पड़ेगी।

**श्री चन्दनमल बैद:** क्या पता हाई-कोर्ट में जाना भी पड़ेगा या नहीं। पर जो स्थिति हमारे सामने आई उसको मीट आउट करने के लिए हमारे सामने इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिये नहीं चाहते हुए भी और यह जानते हुए भी कि इस प्रोवीजन से हमें हानि है हमें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए यह प्रोवीजन करना पड़ा है और यह संशोधन लाना पड़ा है। इससे हम सारे एक्ट को बचा सके हैं। नहीं तो सारा एक्ट ही खतरे में पड़ जाता। अगर एक अंगुली अथवा पंजा जाने से सारा शरीर बच सकता है तो आदमी की समझदारी इसी में हो सकती

(श्री चन्दनमल बैद)

है कि वह हाथ पंजे या अंगुली को खतरे में जाने दें। तो इसी समझदारी से काम लेकर हमने इस प्रोवीजन को रख कर सारे एक्ट को बचाने की कोशिश की है। नहीं तो पता नहीं कोर्ट क्या व्यू लेती।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि इस जजमेंट के तहत जितना बचाया जा सकता था बचाया जाता और बचाया जाना भी चाहिये।

लेकिन मैं समझता हूं कि इस एक्ट के तहत जो हम एक आदमी की एक प्रोपर्टी मानकर चलने के बजाय अलग अलग यूनिट मान रहे हैं और वह इस जजमेंट के तहत मानने को मजबूर हैं। पर एक प्रोपर्टी में अगर दस हिस्सेदार हैं तो हम उसे एक प्रोपर्टी मान कर उस पर टैक्स लगावें और उसको उन दसों आदमियों से वसूल करें। यह तो करें। आप इस एक्ट के तहत पचास हजार की प्रोपर्टी को टेक्सेबल बना रहे हैं और उस प्रापर्टी में अगर दस आदमी हैं तो दस हजार को उनकी अलग अलग प्रापर्टी वे लोग आज मानकर चल रहे हैं, पर हम इस जजमेंट की लाइट में उसको एक प्रोपर्टी मान सकते हैं और उस पर टैक्स लगा सकते हैं। तो यह लाभ तो इसका हमें उठाना चाहिये। आप यह हिस्सा इम्पलीमेंट नहीं कर रहे हैं वह आपको करना चाहिये।

**श्री चन्दनमल बैद :** पुराने एक्ट में यह असेसेबल नहीं थी यह कहां है ? और अगर ऐसा कहीं है तो मैं उसे देखूंगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** कोई प्रोपर्टी पचास हजार की या एक लाख की है और उसके दस हिस्सेदार हैं बाई गिफ्ट, ब ट्रान्सफर या बाई सेल या बाई सक्सेशन कैसे भी हो, पर प्रोपर्टी एक है तो इसका यह इन्टरप्रीटेशन लगाकर कोई अपना बचाव न करे और यह न कहे कि मेरी प्रोपर्टी तो दस हजार की ही है मैं उस पर टैक्स क्यों दूं ? तो यह कहकर कोई फायदा न उठावें। उस पर प्रोपर्टी एज. ए. होल टैक्स लगना चाहिये। यह सरकार देखे।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके लॉ विभाग ने इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने से पहले एडवोकेट जनरल की राय ली है।

दूसरी बात, यह जो सेकण्ड पोइन्ट रेज किया गया है माननीय अलवर से आने वाले विधायक ने एक बिल्डिंग में अगर दस हिस्सेदार हैं बाई वे आफ असाइन्मेंट, कन्वेन्शन गिफ्ट या सेल तो क्या आप उसे एक यूनिट मानकर उस पर टैक्स ले सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा था तो यह तो पहले भी लिया जा सकता था। उसमें इस जजमेंट के द्वारा अन्तर नहीं पड़ता है।

इस बारे में मेरा सुझाव है कि एडवोकेट जनरल को यहां सदन में बुलाकर उससे राय ले ली जावे। यह बड़ा अहम मसला है। इस पोइन्ट पर भी मुझे भय है कि लोग कहीं हाई कोर्ट में न जावें। एक बिल्डिंग है उसके दस अपार्टमेंट्स हैं। उसे सेल कर दिया गया या सक्सेशन गिफ्ट या कन्वेन्शन से वह दस हिस्सों में बंट गई। तो उस सारे को पूल करके आप टैक्स लगाना चाहें तो कठिनाई आवेगी। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट टू फोल्ड है। कलेक्टिवली आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते।

( श्री गुमानमल लोढ़ा )

लेकिन बिल्डिग बाई दी परसन जो कि ग्रोनर हैं, उसी पर होगा। मैं निवेदन करूंगा दो महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप स्पष्ट हैं तो ठीक है। आप जैसा चाहें मत दें। संविधान में प्रावधान है और राजस्थान में भी व अन्य स्थानों पर भी हुआ है जब ऐसे पेचीदे मसले हैं और उन पर हम लेजिसलेशन बनाने जा रहे हैं तो एडवोकेट जनरल को काल करके सारा का सारा डिसकसन करवा लें। हाऊस को भी कान्फीडेन्स में लें। फिर लिटिगेशन में जायगा और सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होगा उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक एक्स चेकर पर खर्च बढ़ता है। विधान सभा की प्रेस्टिज का प्रश्न आता है। आखिर हम लेजिसलेशन पास करते हैं। लॉ डिपार्टमेंट की ओपीनियन होती हैं, एडवोकेट जनरल होता है और उस पर फिर चेलेन्ज हो तो अलग बात है That reflects on us also.

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : एडवोकेट जनरल की जो ओपीनियन थी उसको आप रीड फरमा दें तो ठीक रहेगा। मैं समझता हूं और यह आता भी उस केटेगरी में है– एक यूनिट समझा जाय। चाहे उसमें 10 हिस्सेदार हों और चाहे एक हिस्सेदार हो। यह प्रापर्टी पर टैक्स है, इन्डीज्जुवल पर टैक्स नहीं है। यह जो तरीका हैं, वह गलत है। मेरा सोचना यह है कि···· ••

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : एडवोकेट जनरल ने जो ओपीनियन दी है वह पढ़ दें।

**श्री चन्दनमल बैद** : जो बिल पेश किया जाता है उसमें एडवोकेट जनरल की ओपीनियन ली जाती हो, यह जरूरी नहीं है। बिल को लॉ डिपार्टमेंट से कराया जाता है। वही देखता है ···

**श्री रामानन्द अग्रवाल** , इस इम्पोरटेन्ट इश्यू को एडवोकेट जनरल को रेफर किया गया है या नहीं।

**श्री चन्दनमल बैद** : जब सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो एडीशएल एडवोकेट जनरल ने डिसकस किया था और उन्होंने राय दी थी कि जो यह प्रोविजन है, इसको आपको तरमीम कर देना चाहिये, नहीं तो आपका बिल अल्टावायर होने का खतरा हैं इसलिये ला डिपार्टमेंट ने अमेन्डमेंट करने का निर्णय लिया। इस वक्त ऐसी कोई एम्बीगुटी नहीं है– सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कि एडवोकेट जनरल को तकलीफे दी जाय और यहां आकर स्पष्ट करे। जो लिटिगेशन की बात है, जब नया एक्ट बनता है तो उसमें कई प्रकार के संशोधन होते ही रहते हैं। आज भी इन्कम टैक्स के एक्ट के बारे में कितने लिटिगेशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके इम्प्लीमेन्टेशन को रोक दिया जाय। कुछ तो एक्ट बनने से होता है, कुछ प्रिसिडेन्टस से होता है और कुछ जजमेंट से होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक नहीं सकते हैं और वे और तरीके से भी अमेन्डमेंट कर सकते हैं। गोलख नाथ के केस में हुआ भी है। इसलिये यह कोई

( श्री चन्दनमल बैद )

पाबन्दी नहीं है और यह कोई गारन्टी भी नहीं है जो एक्ट बन रहा है, वह चैलेन्ज नहीं हो सकता। लेकिन अभी कोई डाऊट नहीं है और डाऊट नहीं है तो एडवोकेट जनरल को बिलकुल अन नेसेसरी बुलाकर डिले करें यह उचित नहीं होगा।

इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस क्लियर हो गया है और जो सन्देह है कि किसी को प्रश्रय देने का या किसी के दबाव से या किसी को फायदा पहुंचाने से किया गया है वह निराधार है हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा आपके 13 प्रोपर्टीज है। मैं जान तो जाऊं और जानकर उनको देख तो आऊं यह तो बता दें कि कहां कहां पर है। मेरे मन में इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे पास 13 प्रापर्टी है। जो 12 प्रापर्टी है, वह कहां कहां है ....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप इनके नाम मुन्तकिल कर दें तो ये बता दें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं एक ही नहीं 12 की 12 ही मुन्तकिल करने को तैयार हूं। लेकिन मैं यह कहता हूं आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आप जबरदस्ती कह रहे हैं। आपको तो मेरे पर कीचड़ उछालना है। इसलिये आपकी मरजी है आप उछालें।

श्री केदारनाथ : आपके शुभ चिन्तक हैं।

श्री चन्दन मल बैद : मैं हाऊस में कह रहा हूं मैंने अपना टैक्स भर दिया है। यह हाऊस में कह रहा हूं अगर यह सही नहीं हो तो ब्रीच आफ प्रिविलेज भी आ सकता है। इसलिये सभापति महोदय मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था, वह गिर गया।

## राजस्थान भूमि एवं भवन कर ( संशोधन ) विधेयक, 1973 पर खण्डशः विचार एवं उसका पारण

खण्ड 2 और 3।

उसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर ( संशोधन ) विधेयक, 1973 के खण्ड 2 व 3 को पारित किया जाय ?

( स्वीकृत )

खण्ड 2 व 3 पारित किये गये।

खण्ड 4 श्री गिरधारीलाल भार्गव।

( कई माननीय सदस्यों की आवाज अब आप भी इसे वापिस ले लीजिये )

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सब लोगों की राय है कहना तो बहुत चाहता था लेकिन बुजुर्गों की राय भी मेरे लिये शिरोधार्य है।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि खण्ड 4 मूल रूप में पारित किया जाय ?

( स्वीकृत )

खण्ड 4 मूल रूप में पारित किया गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 प्रस्तावना, नाम सहित पारित किया जाय ?

( स्वीकृत )

खण्ड 1 प्रस्तावना, नाम सहित पारित किया गया।

**श्री चन्दनमल बेद :** माननीय सभापति महोदय; मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** सभापति महोदय, इस बिल का जो क्लाज टू क्लाज जो डिसकस हुआ है, उसका उत्तर देते हुये माननीय मंत्रीजी ने यह उल्लेख किया कि एडवोकेट जनरल की ओपीनियन ली गई और ला डिपार्टमेंट की ओपीनियन लेकर हम यह संशोधन ला रहे हैं। मेरा यह निवेदन करना है कि जिस तरह की बात मंत्री जी ने संशोधन करते हुये रखी है राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है और जिसमें हम हर श्रोत, हर साधन जिसके जरिये आमदनी बढ़ा सकते हैं, जिसके जरिये गरीब तबके को राहत दे सकते हों और जो सम्पन्न तबके हैं, उस पर टेक्स लगाकर ज्यादा आमदनी ला सकते हों, इस प्रकार का प्रयत्न, इस प्रकार के प्रयास लगातार जारी रहने चाहिये। यह जो ओरीजनल एक्ट था उस दिशा में एक कदम था और इस हाउस में उसको पास किया गया था। लेकिन हमें खेद है है कि डिपार्टमेंट आज भी जो असावधानी बरत रहे हैं, जिस लाइट तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के एक उस हिस्से को इम्पलीमेंट किया जा रहा है जिससे कि इसके जरिये जितना टक्स वसूल हो सकता था उसमें कुछ खामी है यानी प्रापर्टी क्लासेस को जो इसमें राहत मिलती उसको इम्पलीमेंट किया जा रहा है लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा जो प्रापर्टी क्लासेस के ऊपर कुछ टेक्स लग सकता था इसमें हानि नहीं होकर आमदनी कुछ बढ़ सकती थी उसका इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि यह जो ला डिपार्टमेंट की ओपीनियन और एडवोकेट जनरल की ओपीनियन है उसके बारे में भी बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज क्लास एंगल से सोचते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को इस वजह से हमें सुपरसीड करना पड़ा कि उनकी प्रापर्टी क्लासेस के प्रति एक तरह की निश्चित धारणायें हैं और लगातार उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि जिससे प्रापर्टी क्लासेस को अपने कान्सटीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स की अवहेलना करते हुए भी इस प्रकार के जजमेंट हुए हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजेज को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट में नये चीफ जस्टिस मिस्टर का अपाइन्टमेन्ट किया गया। तो आज राजस्थान गवर्नमेन्ट केवल एडवोकेट जनरल क्या कहता है या ला डिपार्टमेंट क्या कहता है उसकी ओपीनियन को बहुत प्योर या बहुत सही या जिनाइन मानकर या वह क्लास एंगल से प्रभावित नहीं है और किन्हीं क्लास को

# Page No.133



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बचाना चाहते हैं और किन्हीं क्लास को संरक्षण देना चाहते हैं और किन्हीं क्लास को छोड़ना चाहते हैं यह ओपीनियन भी उसी से प्रभावित हो सकती है और जो राजस्थान के एडवोकेट जनरल हैं उनके बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी ओपीनियन इन मामलों में क्लास एंगल से प्रभावित है। वह जिस तरीके के राजस्थान में एडवोकेट जनरल मुकर्रर किये हैं, कितना वह समय देते हैं राजस्थान को और क्या उनका दृष्टिकोण है ओपीनियन देने का मैं समझता हूं कि कमिटेड लोग जो वास्तव में इन डाइरेक्टिव प्रन्सिपल्स को इम्पलीमेंट करने के लिए जो इस बात में विश्वास करते हैं कि वास्तव में गरीब लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जाये और साधन सम्पन्न के ऊपर ही टैक्स लगाया जाये मैं कहना चाहता हूं कि आप का ला डिपार्टमेन्ट, आपका एडवोकेट जनरल आज इस पालीसी के नहीं हैं बल्कि वह प्रापर्टी क्लास को किस तरह से बचाया जाये और प्रापर्टी क्लास के ऊपर टैक्स नहीं लगे, प्रापर्टी क्लास के ऊपर इस तरीके से कानून उनके ऊपर हावी नहीं हो, इस तरह लगातार अपने क्लास को बचाने के दृष्टिकोण से लगातार इस तरह की ओपीनियन दे रहे हैं और इस तरह की ओपीनियन को सेक्रोसेन्ट मानकर यह गवर्नमेन्ट चलेगी और आंख खोलकर नहीं चलेगी तो मैं समझता हूं कि आज तक भारी नुकसान राजस्थान को हुआ है और आगे भी होगा।

क्या वजह है कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान स्टेट ओनर्स एक्ट, 1964 में पास किया गया और उसको आज हाईकोर्ट में चलते हुए कितने वर्ष हो गए ? आज उसको कोई परस्यू करने वाला नहीं है। आज 8 वर्ष हो गए है हाईकोर्ट के अन्दर चलते हुए और आज यह बात सब जानते हैं। प्राइवेट लोग भी वहां छोटे छोटे रजिस्ट्रार को किसी तरह से इन्फलुन्स करके पेशियों पर पेशियां लगा देते हैं। राजस्थान सरकार के यह इस तरह के केसेज जो कि राजस्थान के टैक्सेस से ताल्लुक रखते हैं. राजस्थान के फाइनेन्सेस से ताल्लुक रखते हैं आज राजस्थान हाईकोर्ट के अन्दर कितने वर्षों से पड़े हैं। वित्त मंत्री जी जानते होंगे आज कितने ही आपकी बकाया के केसेज हैं, एक्साइज के कितने हो केसेज बकाया है और दूसरे केसेज भी कितने ही बकाया हैं जिसमें लोगों को स्टे मिली हुई है और वह वर्षों से हाईकोर्ट में पड़े हुए हैं। आपके एडवोकेट जनरल को फुरसत नहीं मिलती है इसलिए उनके ऊपर गौर नहीं किया जाता है।

राजस्थान का एडवोकेट जनरल और उसका दिल्ली में हैड क्वार्टर है और कहा यह जाता है कि वह आनरेरी काम कर रहे हैं। राजस्थान का एडवोकेट जनरल अमेरिकन एजेन्सीज पालियामेंटरी अफेयर्स के नाम पर अमेरीकी फाइनेन्स पर और इम्पीरियेलिस्ट फाइनस पर अपनी सारी एनर्जी और सारा समय उसके अन्दर लगाये और आज उनकी ओपीनियन पर आप चलना चाहते हैं। राजस्थान के एडवोकेट जनरल की सीट आपने दिल्ली के अन्दर बना रखी है और उनकी ओपीनियन पर आप यह अमेन्डमेंट लाना चाहते है। मैं चेलेन्ज करता हूं और आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट है इसकी भी बोनाफाइड ओपीनियन नहीं दी गयी है। बोनाफाइड ओपीनियन देकर इसको लागू नहीं किया गया है और यह गवर्नमेंट अन्धेपन के तरीके से जैसे कोई समझदार नहीं हो उस जजमेन्ट को आपने पढ़कर सुनाया। हमारे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिमाग में फिर डाउट क्रियेट हो गया। आज वित्त मंत्री जी गारन्टी के साथ नहीं कह सकते कि आपका जो पुराना कानून है उसके अन्दर एक प्रापर्टी है वह दस हिस्सों में है। 1 लाख की प्रापर्टी दस हिस्सों में है तो वह आपके पुराने एक्ट में टैक्सेबल नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बिना पर। सेपरेट प्रापर्टी को छोड़ रहे हैं वह प्रापर्टी उसी बिना पर टैक्सेबल हो सकती थी। जिन लोगों ने ओपीनियन दी है उनको बचाने वालों को नहीं है इसलिए उनका क्लास एंगल साफ मालूम होता है।

आज गवर्नमेन्ट किरायेदारों को राहत देना चाहती है लेकिन ऐसे लोगों का क्लास एंगल यह है कि ऐसे किरायेदारों को मरने दो लेण्ड लार्ड्स को पूरी तरह से संरक्षण दिया जाये। रोजमर्रा इस तरह की बात हम देखते है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला आप जल्दबाजी में नहीं ले जायें और यह बात नहीं छिपाई जा सकती है। आपने सफाई देने की कोशिश की कि हम किसी के दबाव में नहीं आये लेकिन आपके दिल में क्या है यह सफाई नहीं हो सकती। हम आपके परफार्मेन्स को देखना चाहते हैं। इसी जजमेन्ट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो टेक्स छोड़ता है उसको तो लागू कर रहे हैं और जो टेक्स लगा सकता है उसके बारे में आप चुप हैं। या तो यह कहे कि आप इतने नासमझ हैं कि कानून के इम्पलीकेशन्स को नहीं समझते या यह कहें कि पॉलीटिकली आप उस वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहते हैं इसलिए आपने इस दृष्टि से उसको सोचा है। हम आपकी आलोचना यह नहीं करते कि आपने इतना ले लिया है या नहीं। पालीटीकल अनेस्टी का सवाल यह है कि जो घोषणा आप करते है उसको आप लागू करते हैं या नहीं। यह तो सब्जी बेचने वाले की इन्टीग्रिटी का सवाल है कि वह दो आने खाता है या नहीं। मिनिस्टर की पालिटीकल आनेस्टी इस बात पर की जायेगी कि जो आपकी घोषणा है कि गरीबी और अमीरी का फर्क हटायेंगे उसको किस नियत से लागू करना चाहते हैं। आपको इसको लेटर इन स्प्रिट में लागू करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आप पास करा रहे हैं यह आपके डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स और घोषित नीति का नहीं बल्कि अमीर को रिलीफ देने का अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं। उसी के साथ साथ जो उनके ऊपर टेक्स लगा सकते थे आप उसको अवोइड कर रहें है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पालीटीकल आनेस्टी नहीं है और मैं इसी मोके यह भी कह देना चाहता हूं कि जो सेल्टर ली जाती एडवोकेट जनरल की ओपीनियन की और ला डिपार्टमेंट की ओपीनियन की मेरा मानना है कि आपको जनरल पोलिसी के अनुसार केवल एडवोकेट जनरल की ओपीनियन पर नहीं चलना चाहिए। आप अपनी पार्टी से कहें। सेन्ट्रल लेवल पर लीगल फोरम क्रियेट करना चाहिए जो कि प्रोग्रेसिव आउटलुक से कमिटेड हैं उसको देखे। आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, सारे देश का आपके पास राज्य है तो कमिटेड लोगों का चाहें आफिशियल्स नहीं भी हों आपकी पार्टी बहुत बड़ी है जिस तरह से आप सैल क्रियेट करते हैं उसी तरह से आप ऐसा सैल क्रियेट कर सकते हैं। उनकी ओपीनियन को तब लागू करें तो अच्छा हो वर्ना जिन लोगों की ओपीनियन पर आप चलकर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं उससे जनता का हित होने वाला

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मेजोरिटी है आप बेशक इस बिल को पास करा लीजिए। लेकिन यह जो हिस्सा जिसके जरिये ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है, जो प्रापर्टी दस जगह पर बंटी हुई है, इण्डीविजुअल प्रापर्टी पचास हजार से कम कीमत की है लेकिन सब मिला कर प्रापर्टी ज्यादा की हैं तो वह अब भी इस बिल के अन्दर टैक्सेबल नहीं है। पुराने एक्ट में टैक्सेबल नहीं है, अगर इस जजमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो अब भी इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो खामी है इसको मन्त्री महोदय दुरुस्त करने की बात करेंगे और राजस्थान के टैक्सेशन में, राजस्थान के फाइनेन्सेज को बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। कितने ही सालों से यह प्रश्न घूम रहा है, हमने कितनी बार सवाल उठाए हैं, 64 में टैक्स का कानून बनाया और 71-72 तक उसको वसूल नहीं कर पाए और जिन्होंने 71-72 तक पैसा नहीं दिया उनको एडजस्ट किया है। और आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है हम कहां से रोजगार पर लगायें। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इस बात का भी जवाब देंगे कि जो ओरिजिनल टैक्स एक्ट था लैंड टैक्स वेकेंट प्लाट का, उसके तहत कितना टैक्स वसूल किया, उसके बारे में क्या नीति है और इस जजमेंट की दृष्टि से भी इसको अमेंड करने के बारे में उन्होंने सोचा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री लोढ़ा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर)** : माननीय सभापति महोदय, विधेयक के दायरे से कुछ दूर हट कर हम इस बात पर आ गये और सुझाव दिए गए हैं विचार करने के लिए सदन के अन्दर कि कमिटेड लोगों की ओपिनियन ली जावे और एडवोकेट जनरल की ओपिनियन नहीं मानी जावे। सभापति महोदय, चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : This Advocate General should be sacked and removed. Some-other person should be appointed.

**श्री चन्दनमल बैद** : मैंने कहा है कि एडीशनल एडवोकेट जनरल की राय ली गई है इसलिए आप ख्वाम-ख्वाह ही ज्यादा वेट दे रहे हैं एडवोकेट जनरल पर।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह तो और भी आपके लाइट हार्टेड आफ दी विल जाहिर करता है कि आपने एडवोकेट जनरल की राय नहीं ली You should have taken...

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** : आपने राय ली तो भी बुरा किया और नहीं ली तो भी बुरा किया। यह तो आप दोनों हाथ लड्डू रख रहे हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यही तो बता रहे हैं...

(व्यवधान—अश्रव्य)

**श्री चन्दनमल बैद :** मैंने कहा कि एडीशनल एडवोकेट जनरल की राय ली है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** चाहे वह अमेरिकन स्ट्रिंग्स हो चाहे रशियन स्ट्रिंग्स हो या चाईनीज स्ट्रिंग्स हो, हम एक से भी सहमत नहीं हैं। वह तो होना चाहिये भारतीय संविधान के प्रति वफादार, वह कमिटेड होना चाहिये भारतीय संविधान के प्रति और यह कह कर कि कमिटेड लोगों को रख कर ही राय ली जाय तो मैं समझता हूं कि फिर आप एडवोकेट जनरल का आफिस बन्द कर दीजिये, लॉ डिपार्टमेंट को ताला लगा देना चाहिए, डेमोक्रेसी को समाप्त कर देना चाहिए और मन्त्री चाहें उस प्रकार की ही राय ली जाय तो फिर कानून के राज्य की जरूरत नहीं है। जहां एक पार्टी राज्य करती हैं वह अच्छा करती है या बुरा करती हैं, इसके बारे में तो मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, कि इस विधेयक के दायरे को छोड़ कर जो एडवोकेट जनरल के बारे में कहा गया है वह बिल्कुल अनुपयुक्त है। एडवोकेट जनरल अगर अपनी ओपिनियन किसी भी प्रकार से मोटिवेटेड होकर, या उन्होंने अपने कार्य को करने के अन्दर किसी भी प्रकार की निष्क्रियता की है अथवा ईमानदारी नहीं की है तो निश्चय ही एडवोकेट जनरल को हटाया जाना चाहिए फिर चाहे वह अमेरिकन स्ट्रिंग्स हों या रशियन स्ट्रिंग्स हों लेकिन इस प्रश्न के अंदर मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न नहीं है कि एडवोकेट जनरल ने क्या ओपिनियन दी। प्रश्न यह था, जैसा मैंने निवेदन किया श्रीमान के सम्मुख कि कान्सीट्यूशन के अन्दर एडवोकेट जनरल बिल्कुल स्वतन्त्र है और उसके अनुसार ही उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। जिस समय यह कानून बनाया गया था उस समय भी हमने कहा था कि केन्द्र की ओर से वैल्थ टैक्स लगा हुआ है और उस वैल्थ टैक्स के अन्दर प्रोपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। वैल्थ टैक्स की रेट इन्क्रीज करके स्टेट्स को उसका शेयर दिया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम किसी बात को सही मायने में करना नहीं चाहते हैं। केवल हम नारेबाजी करना चाहते हैं, स्लोगन–मोकरी करके राज्य सरकार ने टैक्स लगा दिया, म्युनिसिपेलिटिज ने हाउस टैक्स लगा दिया, पंचायत ने टैक्स लगा दिया गरीबी खत्म करने के नाम पर लेकिन गरीबी खत्म नहीं होकर गरीबी बढ़ रही है तो सबसे बड़ी दुविधा इसी बात की है कि हम वास्तव में सही तौर पर कार्य करना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो आपके सामने सुझाव आया है, सभापति महोदय, कि अगर एडवोकेट जनरल की ओपिनियन कमिटेड ओपिनियन नहीं है तो उसको समाप्त कर दिया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि एडवोकेट जनरल वास्तव में दिल्ली में अपना कार्यालय रखे इसमें तो मुझे भी आपत्ति है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एडवोकेट जनरल को राजस्थान में रहना चाहिये, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे वह इंगलैंड का पिट भी क्यों न हो, लेकिन एडवोकेट जनरल का कार्यालय जयपुर में होना चाहिए ताकि राजस्थान के महकमों को, राजस्थान के मन्त्रियों को सब प्रकार की राय मिल सके। यह नहीं किया जाता है तो निश्चय ही यह राजस्थान के साथ अन्याय है। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो वह समाज से, प्रशासन से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन

(श्री गुमानमल लोढा)

है कि एडवोकेट जनरल का कार्यालय राजस्थान में हो इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन एडवोकेट जनरल कमिटेड हो, यहां विरोध है। यह सोचना भी भारत के इतिहास के ऊपर कलंक है, संविधान पर कलंक है और इसलिए इसका विरोध है यह सुपरसेशन है

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री सभापति : आप इतना ही कह दें कि यह अनजस्टीफाइड है।

(निरन्तर व्यवधान-अश्रव्य)

आर्डर प्लीज, आर्डर।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** Advocate General is a Party Post.

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** मैं इसको मानता हूं और चीफ मिनिस्टर के साथ ही एडवोकेट जनरल को भी रिजाइन करना चाहिए, भले ही फिर उनको ही दुबारा अपोइन्ट कर दें या किसी और आदमी को अपोइन्ट करें। लेकिन इसके साथ में यदि यह पर्टीक्यूलर ओपिनियन जैसा कि रामानन्दजी चाहें वही दें तब तो ठीक है नहीं तो नहीं, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। यदि ऐसा हुआ, सभापति महोदय, तो हिन्दुस्तान के अन्दर अलग २ जगह राज्य सरकारें होंगी, केरल में किसी की, मद्रास में किसी की सरकार, मध्यप्रदेश में किसी की सरकार और वहां पर कमिटेड ओपिनियन होती है तो वह कानूनी ओपिनियन नहीं होकर पार्टी मेनीफेस्टोज की ओपिनियन होगी और उस हालत में आप इस न्यायपालिका को ही समाप्त कर दें।

( समय समाप्ति सूचक घण्टी )

यदि हम यह नहीं करना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को चाहते हैं तो निश्चित रूप से कानून के अनुसार कार्य करना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हम केवल स्लोगन, मोकरी करना चाहते हैं और जो यहां पर कर रहे हैं वही केन्द्र में भी कर रहे हैं। सीलिंग का कानून एक साल हो गया इस सदन के द्वारा पास किया गया था लेकिन एक साल के अन्दर भी आप उस पर केन्द्र की असेन्ट नहीं ला सके हैं। तो यहां पर कमिटेड लोग नहीं है तो आपके केन्द्र में तो कमिटेड लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आप उनसे असेन्ट करवा सकें। क्या उत्तर है आपके पास इसका ? लेकिन केन्द्र जानता है कि हर चीज का तरीका होता है, स्लोगन मोकरी से काम नहीं चल सकता है।

(व्यवधान–शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

सभापति महोदय, अक्टूबर में यह घोषणा की गई थी कि शहरी सम्पत्ति का कानून लागू करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री सभापति : मैं सोचता हूं कि ज्यादा इजाजत दी गई तो आप सब्जेक्ट से दूर हो जायेंगे। इसलिये जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री गुमानमल लोढा : आपकी आज्ञा मानूंगा।

इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय को इसके साथ उलझाया न जाये। आप जो यह इन्टरप्रिटेशन लेना चाहते हैं कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एक बिल्डिंग के ऊपर सम्पत्ति कर लगाया जाए । इससे कम्पलीकेशन पैदा होंगे, लिटिगेशन पैदा होंगे और इससे पब्लिक एक्सचेकर पर वजन होगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रोपर्टी के अन्दर चाहे उसका सक्सेशन हो गया हो, डिविजन हो गया हो, पारटीशन हो गया हो, उन प्रोपर्टी के डिविजन के हिसाब से ही सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिये जिसको रखने का इसमें प्राविजन नहीं है । यह अर्से से चला आ रहा है । इसको एक मान कर बिल्डिंग टैक्स हो, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंशा नहीं है । सारी प्रोपर्टी पर टैक्स लगेगा, जिसमें चाहे पांच सात पीढ़ी से रह रहे हों, एक पोरशन में चाहे दादा रह रहे हों और दूसरे पोर्शन में उसके पोते पोती रह रहे हों । वे अलग अलग डिविजन करके रह रहे हैं या उसने प्रोपर्टी को गिफ्ट कर दी हो, सिल कर दी हो । तो उस पर टैक्स लगाना गलत है और यह सम्भव भी नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप कन्फ्यूजन क्रियेट मत करिये । ऐसा कानून बनाने की आपकी मंशा है तो कानून बनाइये । यही ईमानदारी की बात होगी । इसके लिये आप एक संकल्प पारित कर सकते हैं और फिर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं । परन्तु यह बात सही तरीके से करना चाहिये । कन्फ्यूजन क्रियेट करने से काम नहीं चलने वाला है । यह जो अमेन्डमेंट किया जा रहा है उसको मैं ठीक समझता हूं । इसको पास करने में कोई दिक्कत नहीं है । परन्तु यह कहना गलत है कि इससे टैक्स वसूल होने में सुविधा रहेगी– गलत है । एडवान्स टैक्स देने का प्राविजन है । यह एडवान्स टैक्स मशीनरी के इनफोर्स में आने से पहले ही जमा करा दिया गया था । आपने असेसमेंट करके रकम वसूल की हो तो बता दीजिये कितनी रकम अब तक असेसमेंट के जरिये वसूल हुई है । अब तक तो एडवान्स टैक्स ही जमा हुआ है इस एडवान्स टैक्स के बाद कितना पैसा असेसमेंट के जरिये जमा हुआ है वह आप बता दीजिये । मेरा निवेदन करना यह है कि असेसमेंट के जरिये एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ है । इस प्रोविजन के हटने के बाद 70/80 परसेन्ट जो रेवेन्यू होने वाली थी वह इन्कम असेसमेंट से न हो सकेगी । इसके अलावा इन्स्पेक्टर का खर्चा और होगा । यह अधिक इकोनोमिक होने वाली चीज नहीं है । मेरा निवेदन है कि यह अमेंडमेंट होने के बाद, यह प्राविजन हटने के बाद जैसे हृदय के निकल जाने से मरी हुई लाश होती है, तो यह एक मरी हुई लाश ही होगी और इसका सही स्वरूप नहीं रहेगा ।

एक बात और कहना चाहूंगा । यहां पर यह कहा गया है कि एक फोरम बनना चाहिये कमिटेड लोगों का और उससे विचार विमर्श होने के बाद ही बिल यहाँ पर लाया जाये । यह जो विधान सभा है यह एक फोरम ही है । एक पार्टी का बहुमत है और तीन, चार पार्टियों के सदस्य यहां पर चुन कर आये हुए हैं । जिस पार्टी का यहां पर बहुमत है वह भी एक विचार धारा से कमीटेड है । वह विचारधारा चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, कम्युनिस्ट पार्टी की हो या और किसी पार्टी की । मेजोरिटी का यहां पर एक फोरम है और उसके अनुसार वह पार्टी कार्य करती है और उसके लिये यह कानून बना सकती है लेकिन वह कानून संविधान के बाहर नहीं हो सकता है । संविधान से

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

परे कानून बनाना है तो पहले संविधान को बदलना होगा और वह पार्लियामेंट ही कर सकती है ।

**श्री सभापति :** कृपया जल्दी समाप्त करें ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** एक ही मिनिट में समाप्त कर रहा हूं ।

मेरी इस विषय में बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन एक नयी कन्ट्रोवरसी यहां पर पैदा कर दी गई है इसलिये कह रहा हूं ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पाइन्ट का भी स्पष्टीकरण करें। आज इस अमेंडमेंट को पास करवाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन टैक्सेशन में एक कम्पलीकेशन पैदा होगा। इसके बारे में केवल स्लोगन मोंगरी से काम नहीं चलेगा। एक यूनिट मानना होगी इन्डीविड्यूअल की और उसको ही आधार मान कर टैक्स वसूल किया जाये। मैं इस अमेंडमेंट का विरोध नहीं करता हूं और इसको पारित कर दिया जाये ।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** केवल दो मिनिट का समय चाहिये ।

सभापति महोदय, मेरी कुछ शंकाएं हैं और उन शंकाओं से सबको लाभ होगा। मैं संक्षेप में बोलूंगा ।

यह जो असेसमेंट का नियम है, यह जो इसके लिये निर्णय लिया गया है उससे आज सारी बात असेसमेंट करने की एक अधिकारी की मर्जी के ऊपर छोड़ दी गई है। वह असेसमेंट अधिकारी जिसका चाहे तो कम कर दे और जिसका चाहेगा बढ़ा देगा। वह किसी का मित्र होगा तो उसको माफ कर देगा। यह जो प्रोसेस हैं उसको आपको सुधारना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिसने टैक्स जमा करा दिया हैं उसके असैसमेन्ट के लिए वह अधिकारी जाता है और कहता है कि इतना पैसा दो तो असेसमेन्ट कम कर दूंगा वरना 30 परसेन्ट और बढ़ा दूंगा। इस प्रकार वह अधिकारी मनमानी करेगा और जनता को दुःख होगा। इस प्रकार जनता उसके दण्ड का भागीदार बनेगी ।

मेरा यह भी निवेदन करना है कि सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू कैसे असेस करेंगे। क्या सम्पति का मार्केट वेल्यू करने का कोई बाजार है। जैसे सब्जी और मछली का मार्केट है। सम्पत्ति को नीलाम करने का आज कोई मार्केट नहीं है। आखिर यह मार्केट वेल्यू क्या है ? इसकी नीलामी का क्या कोई निश्चित बाजार है ? नहीं है तो असेसर को लगाएंगे। उसको पैसा दिया जाएगा तो वह असेसमेन्ट कम कर देगा और नहीं देंगे तो असेसमेन्ट अधिक कर देगा। निवेदन है कि इस काम से भ्रष्टाचार अधिक बढ़ेगा। फिर भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि आप जिस सम्पति को चाहें ले सकते हैं और मुआवजा नहीं दे सकते हैं। आपसे कोई एतराज नहीं कर सकता है। असेसमेन्ट करने का क्या तरीका होगा ? जो कुछ अधिकारी करेगा मन्जूर होगा। एक सम्पत्ति में कई लोगों का हिस्सा है, कौनसे हिस्से का आप टैक्स लेंगे और किस से लेंगे, यह स्पष्ट नहीं किया है। आप जो टैक्स लगाएंगे वह एक बिल्डिंग पर लगाएंगे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और एक ही व्यक्ति टैक्स देगा। एक मकान है और उसमें कई पार्टनर हैं उनका वह मंजूर नहीं हुआ तो उनमें झगड़ा चलेगा। मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मकान पर, जमीन पर एक व्यक्ति का मालिकाना कब्जा है और किसी दूसरे आदमी ने उस पर उसके मालिकाने का दावा कर रखा है, पहला व्यक्ति उस मकान का टैक्स जमा करा देता है, तो उसकी क्या गति होगी यदि दूसरा व्यक्ति कोर्ट से जीत जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कर्जा लेकर मकान बनाया है। तो कर्जा लेकर बनाया है उसको बेच नहीं सकता और आप मार्केट वेल्यू के आधार पर उसको असेस करेंगे जबकि वह मेरा मकान नहीं हैं, कर्जदार हूं उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। मैं मकान का मालिक नहीं हूं तो जिसका कर्जदार हूं उससे टैक्स लीजिए। इसी तरह जैसे खेती की जमीन पर मकान है, यह मकान अनआथोराइज्ड बनाया है, जिसको रेगुलराइज करने के लिए अभी तक आपने नियम नहीं बनाये है, चीफ टाउन प्लानर उसको मन्जूर करेंगे भी या नहीं, आज मेरा मकान बन गया है और आप मुझसे उसका टैक्स ले रहे हैं। जब आप उस मकान का टैक्स ले रहे हैं तो उस मकान को तोड़ेंगे नहीं। कृषि भूमि पर वह बना हुआ है, चीफ टाउन प्लानर ने उसकी स्वीकृति नहीं दी है परन्तु टैक्स जमा हो गया है, इसलिए मकान टूटेगा नहीं, इसके बारे में आपने क्या निर्णय लिया है? इसी प्रकार से मान लें कि मैंने कलेक्टर से

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दो, तीन मिनिट।

···लोन लेकर, एल० आई० सी० से बैंक से, राज्य सरकार से लोन लेके मैंने मकान बनाया। उस लोन के रहते हुए मकान को मैं बेच नहीं सकता तो उसकी मार्केट वेल्यू कहां से होगी? तो राज्य सरकार को कलेक्टर से, एल. आई. सी. से बैंक से या जिससे भी मैंने लोन लेकर मकान बनाया है उससे टैक्स वसूल करना चाहिए। इसी प्रकार से सिनेमाओं और कारखानों पर टैक्स लगाया हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मान प्रकाश सिनेमा है उस पर आपने टैक्स लगा दिया तो अगर वह सिनेमा की जो मशीनरी हैं जिसके द्वारा वह फिल्म दिखाता हैं वह उस मशीनरी को बाहर कर दे और वह गोडाउन बना रहेगा अनाज भरने के लिए तो यह आपका टैक्स उस पर है या सिनेमा की मशीन पर है। इसी प्रकार से आपने कारखाने पर टैक्स लगाया है तो कारखाने की मशीनों को वह निकाल कर ले जाय तो फिर उस कारखाने में क्या बचेगा? मशीनरी पर टैक्स लगायेंगे या बिल्डिंग पर टैक्स लगायेंगे? इसलिए मैंने निवेदन किया कि इस पर एडवोकेट जनरल की राय जान ली जाय और अगर आप एडवोकेट जनरल की राय नहीं जानना चाहते हैं तो मेरे जैसे एडवोकेट जनरल की राय को मान कर इसको वापिस ले लें नहीं तो फिर आप हार जायेंगे। पहले भी आपने मेरी बात को नहीं माना है···

**श्री भगराज चौधरी :** यह एल. एल. बी. हैं।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव :** आप जानते नहीं हैं कि एल. एल. बी. क्या होता है?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** एक दूसरे की तरफ ····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसको फिर पहले की तरह चैलेंज न करें, जो एडवोकेट जनरल ने सलाह दी है उसको, गुमानमलजी ने सलाह दी है और सदन के और लोगों ने सलाह दी हैं उसको। अगर चैलेंज करेंगे तो आपने पहले भी मुंह की खाई है फिर मुंह की खाना पड़ेगा और हाई कोर्ट का फैसला नहीं हुआ उसके पहले पहले ही आप गलत संशोधन कराने जा रहे है। आवश्यक यह हैं कि मकान अलग और मकान के साथ जो जमीन हैं उस पर अलग से टैक्स हो। यह बात सही हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को देख रखा है और उसी किताब के आधार पर मैं सारी बात बताने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए अच्छा हो कि इस बिल को पास कराने से पहले इसको आप वापिस ले लें। अब यह दो दिन सदन बैठेगा उसके बाद में बजट सेशन में मौका मिलेगा तब तक आप एडवोकेट जनरल की राय ले लें, अपने नये मन्त्रिमण्डल की राय ले लें, और उसके बाद इस बिल को लायें तो मुनासिब होगा। तो मैं समझता हूं कि आपकी तारीफ करूंगा यदि आप मेरी अन्तिम बात को पसन्द करेंगे और इस बिल को पास कराने के बजाय इसको वापिस ले लेंगे।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सभापति जी, यह जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है पारित कराने के लिए उसके बारे में जिस तरह की बहस हुई हैं उसके बारे में तो नहीं पड़ना चाहता। एक बात हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य से जरूर कहूंगा कि आप अपने नेता के अनुशासन में नहीं रहते हैं यह निश्चित रूप से हैं। आपके नेता जानें या न जानें, लेकिन हम लोग तो जान गये हैं। आपके नेता कहते हैं कि संशोधन को पारित करा लें और आप कहते हैं कि वापिस ले लें। पिछले बिल में भी इस तरह की बात कही थी तो आप नाराज हो गये थे। यह आपका और...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके दल की तरह इनमें भी फ्रेक्शन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दल आपका ...

श्री सभापति : हर बात का जवाब देना वाजिब नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका संगठन और हमारा संगठन अलग है। मैंने अपनी तरफ से बात कही है और नेता ने किस प्रकार से की यह उनकी राय है, लेकिन आपने जिस तरह से कहा है यह गलत है।

एक माननीय सदस्य : दल के नेता पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति : हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं हैं।

श्री चन्दनमल वैद : आज माननीय सदस्य घर जायेंगे तो खुश होकर जायेंगे। आपने 13 प्रापर्टी मेरे नाम पर बताई हैं तो एक प्रापर्टी तो मैं रख लेता हूं और बाकी की 12 प्रोपर्टीज आपको देता हूं। आप 20 लाख रुपये लेकर जा रहे हैं ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बेनामी है।

**श्री चन्दनमल बेद :** बेनामी है या मेरे नाम हैं यह तो आप जानें। जो आपने मेरी बताई हैं वह मैं आपको दे रहा हूं गिफ्ट में और अगर इस गिफ्ट पर टैक्स लगेगा तो मैं ही दूंगा वह भी। आप प्रापर्टी लेकर राजीखुशी घर जायं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** गिफ्ट जब तक मन्जूर न कर लें तब तक वह ट्रान्जेक्शन कम्पलीट नहीं होता है। मन्जूर है कि नहीं यह भी पूछ लें। उनसे गिफ्ट मन्जूर करा लें।

**श्री चन्दन मल बेद :** गिफ्ट मन्जूर करेंगे जब कि वह प्रोपर्टी बतायेंगे।

इसके बारे में दोनों ने जनसंघ के माननीय नेता ने और साम्यवादी पार्टी के नेता ने अलग अलग बातें कहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह लिमिट्स को डिफाइन करता है और उस लिमिट के अन्दर हमको चलना है। उस लिमिट के अन्दर चलते हुए हम एक संशोधन लाये हैं।

दूसरी बात जो आपने बताई है उस बात को सोचने के लिए बराबर विचार-विमर्श करना पड़ेगा। यह बहुत सम्भव है जैसा कि जनसंघ के माननीय नेता ने कहा कि एक प्रापर्टी 50 हजार की है लेकिन उसमें एक आदमी का हिस्सा 10 हजार का हो है तो गरीब आदमी जैसा कि आपने कहा कि सर्वहारा समाज पर वह आयेगा तो क्या आप चाहेंगे कि उस गरीब आदमी पर टैक्स लगे जबकि हमारी मन्शा यह है कि रियल मायने में जो प्रापर्टी है जो प्रापर्टी वाले है उन पर टैक्स लगे। मैंने पहले भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद भी हम अपने दिमाग को इस बात पर घुमाते चले जा रहे हैं कि जिन लोगों को छोड़ा है उनको वापिस गिरफ्त में कैसे ला सकते हैं। एक बार सरकम्स्टान्सेज ऐसे आये कि फाई डे को कोर्ट एडजोर्न होने वाली थी और मन्डे को वापिस हियरिंग होने वाली थी। हमको यह मालूम पड़ा कि मन्डे को हमारा एक्ट आफ आपरेशन स्टे होगा तो दो दिन के बीच में निर्णय लेना पड़ा, और उस निर्णय को इसलिए लेना पड़ा कि एक्ट की एक प्रोवीजन को छोड़कर बाकी जो सेक्शन्स हैं उनको बचाया जाय। लेकिन जो बात आप कहना चाहते हैं उस बात के लिए बहुत गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। हम सीधे से यह कह दें कि हर प्रापर्टी पर टैक्स होगा तो 50 हजार से ऊपर वाली जोधपुर और जयपुर में कई ऐसी प्रोपर्टी होंगी जिनमें 50 आदमी पार्टनर्स होंगे और उन पार्टनर्स की हालत यह है जो कि गरीब किस्म के लोगों की होती हैं। मान लें कि एक मकान 15-20 हजार का है वह आज 50 हजार का होगा, क्योंकि जोधपुर और जयपुर और बड़े बड़े शहरों में ऐसी प्रापर्टीज सैकड़ों ही मिलेगी जिनकी कीमत 50 हजार से ज्यादा नहीं है तो क्या ऐसे लोगों पर टैक्स लगाना चाहेंगे। सारे पहलुओं पर विचार करके, सोच-समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि प्रापर्टीड लोग हैं सचमुच में जो प्रापर्टी वाले हैं वह हमारी गिरफ्त से बाहर निकल जायं और जिन लोगों के पास 5 हजार, 2 हजार की प्रापर्टी है या एक कोठा है या किसी के पास दुकान है तो उसकी छत दूसरे के पास है उनको हैरेस किया जाय। यह मैं नहीं चाहूंगा। यह चीज अलवर में जितनी सरल है उतनी जयपुर में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत विचार-विमर्श करने के बाद में

(श्री चन्दनमल बैद)

बात करना पड़ेगी। इसी वास्ते आपकी बात के लिए जल्दी में हां नहीं भर रहा हूं क्योंकि यह एक काम्प्लीकेटेड मामला है, और यदि कम्प्लीकेसी के मामले में जल्दबाजी करूंगा तो मुझ पर आप फिर चार्ज लगायेंगे कि जल्दबाजी में काम किया इसलिए नुकसान उठाना पड़ा। मैं नहीं चाहता हूं कि प्रापर्टीड लोग इसकी गिरफ्त से बचें लेकिन साथ ही में, मैं यह भी नहीं चाहता कि गरीब आदमी इसकी गिरफ्त में आ जायं। दोनों बातों को सोचकर गम्भीरता से विचार करूंगा और इसके बारे में अगर जरूरत पड़ेगी तो एमेंडमेंट लाऊंगा। लेकिन यह जो जजमेंट हैं वह हमारी लिमिट को डिफाइन करता है। दोनों पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। तीनों चीजों के भीतर भीतर मूव करना है तीनों चीजों के अन्दर मूव करना है।

जहां तक टैक्स वसूल करने का सवाल है यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग कम से कम 30-35 लाख इस टैक्स से वसूल करेंगे और हमारा खर्चा 10 लाख से ऊपर नहीं होगा। अगले साल हमारी बचत ज्यादा होगी। इस साल तो हमारी मशीनरी सेटअप हुई है और अभी तक वालन्टरिली लोगों ने टैक्स जमा कराया है। बहुत से लोग इस बात को सोच रहे हैं कि यह टैक्स सिनेमा के लिए नहीं है और बहुत से वकील आप जैसे उन लोगों को गुमराह करते हैं जैसे कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मशीन इटाली तो क्या होगा। यह टैक्स लैण्ड और बिल्डिंग्स पर है।

और एक जो दूसरी शंका उठाई गई है कि यह टैक्स हमारी लिस्ट में नहीं है, वह गलत है। कान्स्टीट्यूशन के 75 शेड्यूल की लिस्ट नं. 2 में नं. 49 लैण्ड और बिल्डिंग लिखा हुआ है। तो टैक्स हम लगा सकते है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है लैण्ड एण्ड बिल्डिंग को एक ही यूनिट लेंगे और अगर आप एक यूनिट नहीं लेंगे तो प्रापर्टी इस तरह से हो जाती है। यह हमारे रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। कभी उस रोड़े को हम हटा सकते हैं या नहीं। लेकिन एक दिन के अन्दर नहीं हटा सकते हैं। किसी न किसी तरह से बचना ही था। न बचाते तो जैसा कि आप कह रहे थे, दो तीन साल तक केस कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट में केस लम्बे चले जाते हैं। उनका इलाज नहीं है। इस प्रकार से दोनों ही बातें कही गई हैं। मैं न तो यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो गया है, वह ठीक है। नहीं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ लिखा हुआ है वह ठीक है। हम यही देखते हैं कि कितना राज्य का फायदा कर सकते हैं। प्रापर्टी टैक्स कितना लगा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं बिल को पारित करने की प्रार्थना करता हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया जाये ?

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 6 नवम्बर, 1973 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बजकर 22 मिनिट पर मंगलवार दि. 6 नवम्बर, 1973 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

# परिशिष्ट—1

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोतर)

## उदयपुर दुग्ध वितरण योजना के वाहनों की लॉग बुक

121. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय दुग्ध वितरण योजना के वाहनों की कोई लॉग बुक अथवा अन्य हिसाब किताब नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में समय समय पर आडिट पार्टी द्वारा अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया ? यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। उनके आक्षेपों की परि-पूर्ति की गयी है।

## फलोदी तहसील में राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

122. श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर की फलोदी तहसील में एक ग्रेवल रोड चाडी, चौतीना, मानेबडा, चांपासर, रोहीना, बूंगडी से बीकानेर जिले की सरहद तक अकाल राहत के अन्तर्गत बनाने की स्वीकृति सन् 68-69, 69-70, 71-72 व 72-73 के अकालों में दी गई थी ? यदि हां, तो इस सड़क की कुल लम्बाई कितनी है ?

(2) प्रत्येक वर्ष में पी. डब्ल्यू. डी. एवं अकाल सहायता विभाग ने उक्त सड़क की प्रारम्भ में अनुमानित लागत कितनी बनाई थी ?

(3) उक्त अकालों में से प्रत्येक में इस सड़क पर अर्थ वर्क मुट की खुदाई व ढुलाई व अन्य कार्यों पर कितनी धन राशि व्यय हुई ?

(4) उक्त सड़क पर आज दिन तक कुल कितना खर्चा हो चुका है ? तथा प्रत्येक वर्ष में सड़क कितनी बनी और क्या यह सड़क अब पूरी बन गयी है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1968-69 में चौतीना से आपासर बूंगड़ी की स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 72-73 में चाडी से चांपासर बूंगड़ी होते हुए जिले की सीमा तक सड़क की स्वीकृति दी गई। इस सड़क की लम्बाई 36 किलो मीटर है। इसका भाग चौतीना चांपासर से बूंगड़ी की लम्बाई 29 किलो मीटर है।

(2) इस कार्य की आनुमानित लागत सन् 1968-69 में 11,89,000) रुपये बताई गई थी एवं वर्ष 72-73 में 10, 63,000) रुपये बताई गई थी।

(अकाल सहायता मन्त्री)

(3) इस कार्य पर वर्ष 68-69 में 10,99,349) रुपये एवं 72-73 में कुल 9,55,611) का खर्चा हुआ है।

(4) इस सड़क पर इन वर्षों में 20,54,960) रुपया खर्च हुआ है। इस सड़क पर वर्ष 68-69 में 29 किलो मीटर की लम्बाई में मिट्टी का कार्य अर्थ वर्क हुआ था एवं उसमें से चार किलो मीटर पर ग्रेवल बिछाया गया था। वर्ष 72-73 में इस सड़क की 36 किलो मीटर की कुल लम्बाई में से 29 किलो मीटर में कार्य हुआ जिसमें 6 किलो मीटर में ग्रेवल बिछाया गया व 23 किलो मीटर में केवल मिट्टी का कार्य हुआ। इसके लिये ग्रेवल खान पर खोद लिया गया है, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। कुल 36 किलो मीटर की सड़क में से 10 किलो मीटर में ग्रेवल बिछाया जा चुका है एवं 23 किलो मीटर में अर्थ वर्क हुआ है।

भरतपुर के उद्योगों को इम्पोर्ट लाईसेन्स

123. श्री करणसिंह (डींग): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर के कुल उद्योगों को इम्पोर्ट लाईसेन्स दिये गये हैं? यदि हां, तो जनवरी, 1971 से मार्च, 1973 तक किस किस उद्योग को कितने रुपयों के इम्पोर्ट लाईसेन्स किस मेटीरियल के दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर की री रोलिंग मिल्स की रोलिंग क्षमता उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो किस किस मिल की कितनी-रोलिंग क्षमता प्रति वर्ष निर्धारित की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि री रोलिंग मिलों की रोलिंग क्षमता निर्धारित करते समय उद्योग विभाग के अधिकारियों ने पक्षपात किया है, जबकि बराबर की मिलों की क्षमता में भारी अन्तर है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उसको जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वर्तमान में रोलिंग मिल्स की क्षमता, जो निर्धारित की गई है, वह प्रोविजनल है।

उद्योगों की स्थाई क्षमता निर्धारित करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है, जिसके निम्न सदस्य हैं।

1) स्थानीय उद्योग विभाग 'क' अधिकारी।

2) लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार का प्रतिनिधि।

3) स्थानीय लघु उद्योग संघ का प्रतिनिधि।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

[redacted]



## माण्डल तहसील में सिंचाई कार्य

124. श्री विजय सिंह राठौड़ (माण्डल): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माण्डल तहसील क्षेत्र में इस वर्ष सिंचाई हेतु चलाये गये कौन कौन से अकाल राहत कार्य अधूरे है तथा उनमें से कौन से सिंचाई विभाग से और कौन से पंचायत समिति के है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अधूरे कार्य पर क्या क्या काम बाकी है तथा ऐसे कार्यों को पूरा करने में प्रत्येक पर कितना कितना अनुमानित व्यय होगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त अधूरे कार्यों में से कौन कौन से पहले अधूरे थे और कौन कौन से इस वर्ष नये सिरे से आरम्भ किये गये और जो अधूरे रह गये है कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार के आदेशानुसार इस वर्ष अकाल राहत कार्यों को प्रारम्भ करने में प्राथमिकता उन्हीं कार्यों को दी गई थी जो पहले से अधूरे पड़े थे ? यदि हां, तो लम्बा समय और आवश्यकता से अधिक मजदूर मिलने पर भी ऐसे काम अधूरे क्यों पड़े हैं ?

### उत्तर

(1) माण्डल तहसील क्षेत्र में जो सिंचाई कार्य इस साल चलाये गये थे उनमें से अधूरे रहे कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। राहत कार्यों को आरम्भ करने में प्राथमिकता उन्हीं कार्यों को दी गई थी जो पहले से अधूरे थे। फिर भी कुछ नये कार्यों को उनकी उपयोगिता को देखते हुए एवं अभावग्रस्त लोगों को पर्याप्त संख्या में रोजगार देने के उद्देश्य से चालू करना पड़ा। जो काम अधूरे रह गये हैं उनमें से चोर बावडी बांध नया काम होने से पूरा नहीं हो पाया। शेष कार्यों में पक्का काम सीमेन्ट की कमी के कारण पूरा नहीं कराया जा सका।

## सम्वत् 2029 में कराये गये सिंचाई कार्यों में से अधूरे रहे कार्यों की सूची

| क्र०सं० | नाम कार्य | कार्य जो कराया जाना शेष है | कार्य को पूरा कराने की अनुमानित लागत | कार्य के अधूरे रह जाने का कारण | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **(क) सिंचाई विभाग के कार्य** | | | | | |
| 1. | दही माथा टैंक | सिल्यूस गेट, वेस्ट वियर एवं विग्स का निर्माण | 40,000) | सीमेन्ट की कमी | — |
| 2. | केरिया बांध | विग्स वाल्स का निर्माण | 15,000) | ,, | — |
| 3. | चोर बावड़ी योजना | सिल्यूस कैनाल और ट्रेन्च फीलिंग एवं बांध के विग्स का कार्य | 5,00,000) | नया कार्य है। ऐसी दशा में इसे समय में पूरा नहीं कराया जा सका। | — |
| **(ख) पंचायत समिति के कार्य** | | | | | |
| 1. | रीछी का बाडीया | वेस्ट वियर एन्ड सिल्यूस का निर्माण | 10,000) | सीमेन्ट की कमी | — |
| 2. | लक्ष्मी सागर टेंक | वेस्ट वियर विग्स | 10,000) | ,, | पूर्व के कार्य में विस्तार एव सुधार का काम इस वर्ष हाथ में लिया गया था जो पूरा नहीं हो पाया। सुधार का यह कार्य अधूरा रह जाने पर भी कार्य की उपयोगिता बनी रहेगी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | चांदसेन तालाब | वेस्ट वियर | 10,000) | सीमेन्ट की कमी | पूर्व के कार्य में विस्तार एवं सुधार का काम इस वर्ष हाथ में लिया गया था जो पूरा नहीं हो पाया। सुधार का यह कार्य अधूरा रह जाने पर भी कार्य की उपयोगिता बनी रहेगी। |
| 4. | लक्ष्मी पुरा | सिल्यूस का निर्माण | 2,000) | ,, | ,, |
| 5. | डोड सेरा | वेस्ट वियर, सिल्यूस की मरम्मत | 10,000) | ,, | ,, |
| 6. | जगदीश टैंक | वेस्ट वीयर | 5,000) | ,, | ,, |
| 7. | मोती सागर | वेस्ट वीयर एवं सेल्यूस | 10,000) | ,, | ,, |
| 8. | सुरेरी तालाब | वेस्ट वीयर | 10,000) | ,, | ,, |
| 9. | गोकुल पुरा | वेस्ट वियर विंगवाल | 10,000) | ,, | ,, |
| 10. | अलमास तालाब | सिल्यूस और वेस्ट वियर विंग को ऊंचा करना | 30,000) | ,, | अलमास इनीकट का कार्य 1969-70 में पूरा करा दिया गया था। परन्तु इस वर्ष इस बंधे में बदलने का कार्य चालू किया गया। मिट्टी का कार्य पूरा कराया जा चुका है, अब केवल पक्का काम बाकी है। |

सूची उन कार्यों की जो पूर्व में भी अधूरे थे, और इस वर्ष भी अधूरे रह गये ।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत

1. दहीमथा तालाब ।
2. केरिया तालाब ।

पंचायत समिति के अन्तर्गत

1. रिछी का बाडिया तालाब ।

## जिलाधीश सवाई माधोपुर के विरुद्ध ज्ञापन

125. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या मंत्री जन अभियोग निराकरण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सतर्कता आयोग समिति की बैठक गंगापुर सिटी के डाक बंगले में हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति के समक्ष नगर एवं ब्लाक देहात कांग्रेस के द्वारा जिलाधीश सवाई माधोपुर के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनैतिकता एवं पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि अध्यक्ष सतर्कता समिति ने ज्ञापन लेने से इन्कार कर दिया ? अगर हां, तो अध्यक्ष के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि डाक एवं तार द्वारा जिलाधीश के खिलाफ ज्ञापन राज्य सरकार को भेजा गया था ? अगर हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, यह सही है ।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है ।

(4) जन अभियोग निराकरण विभाग को ऐसा ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ ।

## हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियां

126. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971-72 और 1972-73 में कितनी नई पोस्टों पर हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जाति के लोगों को नियुक्त किया गया ? राजपत्रित व अराजपत्रित पोस्टों के लिए अलग अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि यह नियुक्तियां उनके लिए सुरक्षित की हुई प्रतिशत से कम हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति कर्त्ता अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 71-72 एवं 72-73 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को राज्य सेवा में दी गई नियुक्तियों का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) हां, यह सत्य है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को छोड़ कर अन्य पदों पर नियुक्तियां इनके लिए सुरक्षित की हुई प्रतिशत से कम है । इसके लिए विभागाध्यक्षों द्वारा निम्न कारण बताये गये हैं :—

1. अधिशेष व्यक्तियों का समावेश किया गया ।

2. अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए ।

3. वांछित योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे ।

4. योग्य अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं थे ।

वर्ष 1971-72 एवं 1972-73 में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को राज्य सेवा में दी गई नियुक्तियों का ब्योरा

| वर्ष | राजपत्रित | | | अधीनस्थ | | | मन्त्रालयीक | | | चतुर्थ श्रेणी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल नियुक्तियों की सं० | अनु० जाति/ जन जाति के लोगों को दी गई नियुक्ति संख्या | कुल नियुक्ति का प्रतिशत | कुल नियुक्तियों की सं० | अनु० जाति/ जन जाति के लोगों को दी गई नियुक्ति संख्या | कुल नियुक्ति का प्रतिशत | कुल नियुक्तियों की सं० | अनु० जाति/ जन जाति के लोगों को दी गई नियुक्ति संख्या | कुल नियुक्ति का प्रतिशत | कुल नियुक्तियों की सं० | अनु० जाति/ जन जाति के लोगों को दी गई नियुक्ति संख्या | कुल नियुक्ति का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71—72 | 467 | 113 | 24.2 | 2847 | 280 | 9.8 | 669 | 89 | 13.3 | 850 | 276 | 32.5 |
| 72—73 | 255 | 47 | 18.4 | 2098 | 223 | 10.6 | 366 | 79 | 21.5 | 466 | 171 | 36.6 |

नोट : — 139 विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति कर्ता अधिकारियों में से निम्न विभागाध्यक्षों से सूचना प्राप्त हुई है :—

| | |
|---|---|
| 1- 4-71 से 31-3-72 | 92 विभागाध्यक्ष |
| 1- 4-72 से 30-9-72 | 51 ,, |
| 1-10-72 से 31-3-73 | 38 ,, |

## राज्य से चने की निकासी

127. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान से चना बाहर न जावे इसके लिये राज्य सरकार ने बंदिश लगाई थी ? यदि हां, तो किस महीने में तथा यह बंदिश वापिस कौनसे महीने में हटा ली गई ? इसके हटाने के क्या कारण थे ? और फिर वापिस यह बंदिश इस वर्ष कब लागू की गई तथा फिर लागू करने के क्या कारण थे और अब इसे कब हटा दी गई ? कृपया सभी तारीख बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि चने से बंदिश के हटाने के फलस्वरूप जोधपुर, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से 11 हजार बोरी चना गुजरात भेज दिया गया और इस चने के बाहर पहुँचने के कुछ ही दिन बाद में फिर चना बाहर न भेजा जावे, इसके लिए बंदिश लागू कर दी ? यदि हां, तो यह चने भेजने वाला व्यापारी कौन था तथा इसको इजाजत किसने दी ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने मार्च 73 में राज्य से बाहर चने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जिलाधीशों को दिये थे। उक्त प्रतिबन्ध अभी तक लागू है, किन्तु दिनांक 11–6–73 राज्य सरकार के आदेश द्वारा राजस्थान क्रय विक्रय संघ को 25% लेवी देकर राज्य से बाहर निर्यात करने की अनुमति दी गई थी तत्पश्चात् दिनांक 12–9–63 के आदेश से कोई भी डीलर 20% लेवी देकर चना बाहर भेज सकता है।

(2) इस मामले की जांच की जा रही है।

## प्रतापगढ़–अमलावद–चोनियां खेड़ी ग्रामों में वाटर वर्क्स

128. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़, अमलावद और चोनिया खेड़ी ग्रामों में वाटर वर्क्स लगाने की रीजनल योजना बन चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों ग्राम एक दूसरे के पास पास हैं, व इन ग्रामों में हमेशा पीने के शुद्ध पानी की समस्या रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलने से नारु आदि की बीमारियां होती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, योजना मई, 72 में बनाई गई थी।

(2) जी हां। जी हां।

(3) इस विषय में अधिकृत जानकारी नहीं है।

## थाना सदर जयपुर में दर्ज मामला

129. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15-5-1973 को दिगम्बर जैन मन्दिर बगरू-वालान स्टेशन रोड, जयपुर में चोरी हो गई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

गई थी और जिसकी रिपोर्ट थाना सदर में दर्ज रजिस्टर करा दी गई थी ? अगर हां, तो उसमें माल की बरामदगी के विषय में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस मन्दिर में हुई चोरी का पता लगाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल हाऊस नं. 7 स्टेशन रोड, जयपुर एक सार्वजनिक अतिया राज वक्फ है इसके धर्मस्व का खुले आम एक अनाधिकृत व्यक्ति इस सम्पत्ति को अपनी बताकर धोखाधड़ी से किराया वसूल कर रहा है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस सार्वजनिक प्रोपर्टी की रक्षा के लिये पूरी जांच-पड़ताल करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। रिपोर्ट होने पर थाना सदर में मु० नं० 82 जेर दफा 380 ता० हि० दिनांक 15-5-73 को दर्ज कर फोरन तफतीश शुरू की गई जो अभी तक जारी है।

(2) यह प्रश्न गृह विभाग से सम्बंधित नहीं है और न ही इसका सम्बन्ध बिन्दु (1) से ही है। इस प्रश्न को सम्बन्धित विभाग से अलग से पूछा जा सकता है।

## जयपुर में श्रमिकों को आवास की सुविधा

130. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आज तक जयपुर में किन-किन स्थानों पर कितने कितने श्रमिकों को आवास के लिये क्वार्टर्स दिये हुए हैं ? क्या यह सही है कि शान्तिनगर में स्थिति श्रमिकों के क्वार्टर्स में अनेक पर नाजायज कब्जे हैं ? यदि हां, तो सरकारी नीति इस सम्बन्ध में क्या होगी और अभी तक उसके अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इन क्वार्टर्स पर श्रमिकों को मालिकाना हक देने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जयपुर में श्रमिकों के आवास के लिये राज्य सरकार द्वारा नेशनल बाल बयरिंग कम्पनी के सामने शान्तिनगर नामक औद्योगिक आवास योजना का निर्माण किया गया है, जिसमें 480 एक कमरे वाले 120 दो कमरे वाले भवन है। यह सही कि शांति नगर में स्थित श्रमिकों के क्वाटरों में अनेक नाजायज कब्जे श्रमिकों द्वारा कर लिये गये हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक भूगृहादि (अनाधिकृत अधिकारियों की बेदखली) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत राज्य के उपश्रम आयुक्तों को सम्पदा अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं ताकि उनके समक्ष बेदखली की कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकार का इरादा इन भवनों को किराया क्रय पद्धति के अनुसार श्रमिकों को देने का है। इस विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन चूंकि इन भवनों का निर्माण भारत सरकार से प्राप्त राशि द्वारा हुआ है, अतः यह नई योजना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लागू की जा सकती है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस विषय में आवश्यक पत्र भी लिख दिया है एवं समय

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

समय पर स्मरण पत्र भी भेजे जा रहे है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर फिलहाल 150 भवन जयपुर में इस आधार पर दिये जाने की योजना है।

### थाना डीग में दर्ज मामला

131. श्री मनोहर लाल (कामां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि एफ. आई. आर. 53, मई, 1972 थाना डीग जिला भरतपुर की केस फाइल सी. आई. डी. जयपुर में जेर तफतीश है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त केस में श्री रोशनसिंह, डी. वाई. एस. पी., सी. आई. डी. ने अपनी तफतीश पूरी करने मुलजिमान के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश डी. आई. जी., सी. आई. डी. से ले लिए थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि गिरफ्तारी आदेश जारी होने पर मुलजिमान की तरफ से दबाव पड़ने पर गिरफ्तारी आदेश पेंडिंग में डाल दिये है और केस को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ?

(4) मुलजिमान की तरफ से यदि दबाव नहीं पड़ा है तो गिरफ्तारी आदेश की पालना अभी तक क्यों नहीं हुई है ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। श्री रोशनसिंह डी.वाई. एस. पी. ने मुलजिमानों के खिलाफ उपलब्ध शहादत पर उन्हे गिरफ्तार करने की स्वीकृति चाही थी ताकि मुकदमें में सामान की बरामदगी की जाकर आगे की तफतीश की जा सके।

(3) जी नहीं।

(4) गिरफ्तारी के पहले मुलजिमानों ने एक दरख्वास्त श्री रोशनसिंह डी०वाई० एस० पी० तफतीश कुनिन्दा के खिलाफ दिनांक 5-9-73 को पेश की थी और उन्हें मुकदमे में गलत फंसाने की शिकायत की थी जिस पर एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मुकदमे की तफतीश की तसदीक करवाई जा रही है बाद तसदीक जैसी सूरत होगी कार्यवाही की जावेगी।

### सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों का कन्फरमेशन

132. श्री जयनारायण रोत (लसाड़िया) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग ने अभी अभी कुछ सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों का कन्फरमेशन किया है ? यदि हां, तो क्या उसमें ऐसे भी अधिकारी हैं, जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास नहीं की है और, उनके विरुद्ध घूस के अपराधों के सम्बन्ध में विभागीय जांच हुई है किन्तु फिर भी उनको कन्फर्म कर दिया है ?

(श्री जयनारायण रोत)

(2) क्या ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको केवल एक अधिकारी के सी. आर. के निर्णय पर चाहे वह ईमानदार अधिकारी है फिर भी कन्फर्म नहीं किया गया है ? कन्फरमेशन आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

**उत्तर**

(1) जी हां। इनमें ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास नहीं की है नियमों के अधीन इनके लिये विभागीय परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं था। ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जिसके सम्बन्ध में विभागीय जांच में घूस के आरोप सिद्ध हुए हों और उसे कन्फर्म किया गया हो।

(2) जी नहीं। स्क्रिनिंग कमेटी की सिफारिश जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त था के आधार पर Confirmation करने या न करने का निर्णय लिया गया। फिर भी किसी अधिकारी विशेष का नाम बताने पर इस विषयक जानकारी दी जा सकती है। कनफर्मेशन आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान सरकार

वित्त ( ग्रुप–4 ) विभाग

क्रमांक प 11 (85) वित्त/वा० कर/71 जयपुर, दिनांक, अगस्त 2, 1973

**आज्ञा**

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 के नियम 5 (5) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय निम्नांकित कार्यवाहक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को उनके पदों पर दिनांक 14-10-71 से स्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं :—

1. श्री गौतमपाल
2. ,, नन्दलाल शर्मा
3. ,, गिरधारी सिंह
4. ,, सज्जनसिंह
5. ,, योगेन्द्रसिंह
6. ,, मंगलसिंह
7. ,, पी. एस. मेहरा
8. ,, आर. एस. बेजल
9. ,, जी. एल. गहलोत .
10. ,, जी. एल. बोलिया
11. ,, टी. एस. बाफना
12. ,, जी. एस. सरुपरिया
13. ,, आर. एल. माथुर
14. ,, के. एल. तुनवाल
15. ,, भीमसिंह
16. श्री गोपीकिशन
17. ,, रघुवीर प्रसाद
18. ,, एस. एन. मेहरा
19. ,, जी, एम. सिंघवी
20. ,, जे. आर. सिंघवी
21. ,, चांदमल सिंघवी
22. ,, एस. एल. कोठारी
23. ,, सी. बी. अग्रवाल
24. ,, आई. डी. गुप्ता
25. ,, रामलाल
26. ,, पुष्करलाल
27. ,, आर. आर. माथुर
28. ,, सी. एस. रावल
29. ,, एस. एन. सिंह खन्ना
30. ,, आर. एस. अरोड़ा

31. श्री हंसराज कावरा
32. ,, तेज राज
33. ,, ओ. पी. माथुर
34. ,, डी. एस. गुप्ता
35. ,, एस. एन. माथुर
36. ,, बी. के. बैजल
37. ,, के. एल. अग्रवाल
38. ,, तेजराम गोयल
39. ,, एल. एम. भण्डारी
40. ,, शंकरलाल जैन
41. ,, आर. पी. कश्यप
42. श्री एन. सी. पांडिया
43. ,, डी. एस. भटनागर
44. ,, फूलसिंह
45. ,, गनपतराम
46. ,, एम. एल. नाटानी
47. ,, गनपतसिंह
48. ,, जी. एन. माथुर
49. ,, गदाधर शर्मा
50. ,, शिवकरण
51. ,, जी. एस. नलवाया
52. ,, मोहनप्रकाश व्यास

राज्यपाल की आज्ञा से,

एस० एल० जोशी

उप शासन सचिव

## थानेदार मोदरा के विरुद्ध शिकायत

133. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले के मोदरा थाने के थानेदार श्री साहेबराम के विरुद्ध उसके द्वारा रिश्वत लेने, झूठे मुकद्मे दर्ज करने एवं लोगों को मारपीट करने आदि की गंभीर शिकायतें राज्य सरकार एवं पुलिस के उच्चाधिकारियों को करीब 1 वर्ष पूर्व की गई थी ?

यदि हां, तो अब तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार द्वारा उसके विरुद्ध शिकायत करने वाले लोगों पर बेजा दबाव डालकर अपने पक्ष में बयान करवाने हेतु हरियाणा प्रान्त में फौजदारी मुकदमे दर्ज करवा दिये हैं और जिसकी रिपोर्ट भी मुख्य मंत्री को की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके विरुद्ध फ्री व फेयर जांच के लिए उसका तबादला डिवीजन से बाहर शीघ्र करने का विचार रखती है ? क्या सरकार रिश्वत लेने के आरोप में उसके विरुद्ध मुकदमा एन्टी करप्शन एक्ट के तहत दर्ज करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी हां। शिकायत का भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की गई। लेकिन श्री साहेबराम, थानेदार के विरुद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं होने से उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(2) इस सम्बन्ध में बिना पूर्ण विवरण के यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार की कोई शिकायत मुख्य मंत्री जी को पेश की गयी है। आरोप साबित हुए बगर थानेदार के स्थानान्तरण का भी कोई प्रश्न नहीं उठता है।

## अध्यक्ष, नगरपालिका, अलवर के विरुद्ध शिकायतें

134. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध क्या क्या शिकायतें जांच से साबित मानकर सरकार ने अध्यक्ष को मोअत्तिल किया है ? कृपया साबित चार्जेज की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि मोअत्तिल किये जाने के बाद अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर अलवर के पास पेश किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका के कुछ सदस्यों द्वारा अलवर कलेक्टर को व सरकार को रिप्रेजेन्ट किया कि मोअत्तिल शुदा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना अनुचित है ?

(4) राज्य सरकार के न्याय विभाग ने उक्त अविश्वास प्रस्ताव पर यह राय व्यक्त की है कि प्रस्ताव लाया जाना उचित नहीं है और सरकार ने अलवर कलेक्टर को सलाह दी कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाना चाहिए ?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(5) क्या सरकार की उक्त सलाह को अलवर कलेक्टर ने नहीं माना और अविश्वास प्रस्ताव मौअत्तिल अध्यक्ष के विरुद्ध पारित कर दिया ?

उत्तर

(1) श्री ईश्वरलाल सैनी भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपरिषद्, अलवर को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार जो आरोप पत्र दिया है उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) विधि विभाग द्वारा व्यक्त की गई राय के अनुसार जिलाधीश को सलाह दी गई।

(5) जिलाधीश, अलवर ने दिनांक 27-4-73 को दोनों पक्षों को सुनकर यह निर्णय दिया कि अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्व निर्धारित कार्य क्रम से बैठक बुलाई जाकर कार्यवाही सम्पन्न कराई जावे। दिनांक 28-4-73 को भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया।

## दौसा का कालेज भवन

135. श्रीमूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा कालेज में विभिन्न कक्षाओं व विषयों में अध्ययनशील छात्रों की संख्या कितनी कितनी है ?

(2) क्या वर्तमान कालेज भवन में छात्रों को बैठने व पढ़ने का पर्याप्त स्थान है ? यदि नहीं तो अधूरे भवन को कब तक पूरा करवा दिया जावेगा।

(3) इस वर्ष उक्त भवन निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है ? तथा निर्माण कार्य कब किया जावेगा ? और अब तक के विलम्ब का कारण क्या है ?

उत्तर

(1) दौसा कालेज में विभिन्न कक्षाओं व विषयों में अध्ययनशील छात्रों की संख्या का विवरण संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(2) वर्तमान नये कालेज भवन में समस्त छात्रों के बैठने का स्थान नहीं है। अतः कालेज अभी दो भवनों में चलाया जा रहा है। एक स्कूल भवन व दूसरा नया कालेज भवन में, नये कालेज भवन में अभी तक छः कमरे अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं जिनमें अधिक से अधिक विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार 350 छात्र अध्ययन हेतु बैठ सकते हैं। इन कमरों में समस्त वाणिज्य संकाय की कक्षाएं चल रही हैं। बाकी के 589 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था स्कूल भवन में चल रही है जो कि नये भवन के पूर्ण न होने के कारण से है। आशा की जाती है कि यह नया भवन इस वर्ष के अन्त तक पूरा तैयार हो जावेगा।

(3) इस कालेज भवन के अधूरे भवन को पूरा करने हेतु राज्य सरकार ने 4,06,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की है जिसमें महाविद्यालय का प्रशासनिक खण्ड छः कमरे व अधूरे भवन का निर्माण व महाविद्यालय से मेन रोड को मिलाने वाली सड़क का कार्य

(शिक्षा मंत्री)

भी शामिल है। उक्त राशि की स्वीकृति के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 13 जुलाई से निविदाएं आमंत्रित करना आरम्भ किया है। भवन का कार्य शीघ्र शुरू किया जावेगा।

## सिटी कोतवाली, जयपुर में दर्ज मामला

136. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करें:—

(1) जयपुर नगर की सिटी कोतवाली में, जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक श्री गोविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. आमेर रोड़ जयपुर के अध्यक्ष अथवा अन्य पदाधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी रपटें दर्ज हुई हैं ? ये रपटें किसके द्वारा और किस किस तिथि को दर्ज की गई है ? सभी रपटों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें और यह भी बतायें कि दर्ज रपटों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) श्री गोविन्द गृह निर्माण समिति लि., आमेर रोड़ के अध्यक्ष श्री विमलचन्द जैन के विरुद्ध नगर विकास न्यास जयपुर के सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी ने कोई रपट अक्टूबर, 1972 में सिटी कोतवाली जयपुर में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो रपट प्राप्त होने के बाद क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त रपट दर्ज होने के बाद श्री विमलचन्द जैन को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो फिर जमानत पर रिहा करना क्या पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था ? यदि हां, तो किन प्रावधानों के अन्तर्गत ?

(4) क्या उक्त मुकदमें का चालान अदालत में पेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में 2 रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज हुई है जिनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है। प्रथम रिपोर्ट, जो श्री सुरेशचन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 24-9-72 को प्राप्त हुई थी। उसे जांच हेतु पुलिस चौकी, ब्रह्मपुरी को उसी दिन भेज दिया बताया दूसरी रिपोर्ट सचिव नगर विकास न्यास जयपुर की दिनांक 12-10-72 को प्राप्त हुई थी जिस पर मुकदमा नं० 483 धारा 447 आई० पी० सी० में दर्ज किया जाकर तफतीश प्रारंभ की गई। इस मुकदमें के दर्ज हो जाने पर प्रथम रिपोर्ट को भी इस ही में शामिल कर दिया गया।

(2) भाग (1) के अनुसार कार्यवाही की गई।

(3) जी हां। दिनांक 13-12-72 को सर्वश्री विमलचन्द जैन अध्यक्ष और जगदीश सिंह मंत्री को मुकदमें मे गिरफ्तार किया जाकर पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था क्योंकि उनके विरुद्ध कथित अपराध काबिल जमानत थी जिसकी जमानत का पूरा अधिकार जेर दफा 496 जा० फौ० के तहत पुलिस को था।

(4) जी नहीं। मुकदमा राज्य अपराध शाखा में अभी तक जेर तफतीश है। यू० आई० टी० जयपुर से अभी तक रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। बाद प्राप्ति रिकार्ड जैसी होगी फौरन भिजवा दिया जावेगा।

## GOVERNMENT COLLEGE, DAUSA

Statement showing the total number of students in the classes :

| Classes | Arts | Science | Commerce |
|---|---|---|---|
| Pre University | 79 | 30 | 78 |
| First Yr. T. D. C. | 167 | 64 | 101 |
| 2nd Yr. T. D. C. | 153 | 39 | 70 |
| 3rd Yr. T. D. C. | 106 | 13 | 39 |
| Grand Total | 505 | 146 | 288=939 |

Statement showing the subject wise strength in the Classes

| Subject | Classes | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PUC | 1st Yr. | 2nd Yr. | 3rd Yr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ARTS | | | | |
| Gen. Hindi | 79 | 130 | — | — |
| Gen. English | 79 | 156 | — | — |
| Gen. Education | — | 86 | — | — |
| H. I. C. C. | — | 49 | — | — |
| Hindi Litt. | 56 | 151 | 112 | 80 |
| English Litt. | — | 7 | 4 | 5 |
| Economics | 32 | 88 | 77 | 48 |
| Pol. Sc./Civics | 74 | 87 | 130 | 98 |
| Sociology | 36 | 61 | 52 | 39 |
| History | 39 | 71 | 53 | 37 |
| Geography | — | 36 | 31 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| SCIENCE | | | | |
| Gen. Hindi | 30 | 64 | — | — |
| Gen. English | 30 | 64 | — | — |
| Gen. Education | — | 60 | — | — |
| Physics | 30 | 64 | 8 | 3 |
| Chemistry | 30 | 64 | 39 | 13 |
| Biology | 25 | 50 | | — |
| Mathematics | 5 | 14 | 8 | 3 |
| Botany | — | — | 31 | 10 |
| Zoology | — | — | 31 | 10 |
| COMMERCE | | | | |
| Gen. Hindi | 78 | 101 | — | — |
| Gen. English | 78 | 101 | — | — |
| Gen. Education | — | 42 | — | — |
| H.I.C.C. | — | 50 | — | — |
| Accounts & Stat. | 78 | 101 | 70 | 39 |
| Business Adm. | 78 | 101 | 70 | 39 |
| Applied Economics | 78 | 101 | 70 | 39 |
| Commerce Geog. | 38 | — | — | — |
| Banking/Co-operation | 40 | — | 42 | 21 |
| Cost & Quant. Methods | — | — | 28 | 18 |

Sd/—
*Principal*
*Government College, Dausa*

[redacted] **Page No.162**



सेवामें,

श्रीमान इन्चार्ज साहब,

थाना कोतवाली, जयपुर।

विषय :—नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा आमेर रोड़ जयपुर की पश्चिमी दीवार को अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तोड़े जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आज दिनांक 24 सितम्बर 1972 को मध्यान्ह पश्चात् लगभग 5.20 बजे सायंकाल हम दोनों आमेर रोड पर नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा निर्मित उद्यान के पास खड़े थे, कि आमेर की ओर से श्री विमलचन्द जैन अध्यक्ष श्री गृह गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर सवं श्री गोपाल जैन ओवरसियर तथा अन्य 5–6 व्यक्तियों सहित आये और उद्यान के पश्चिम की ओर नगर विकास न्यास द्वारा निर्मित दीवार को तोड़ने लगे। जब श्री विमलचन्द जैन दीवार तोड़ रहे थे तो हम दोनों ने उनके नजदीक जाकर दीवार तोड़ने का कारण पूछा। इतना पूछते ही श्री विमलचन्दजी जैन ने आप कौन हैं जो कारण पूछते हैं। इस पर श्री सुरेशचन्द्र शर्मा ने कहा कि हम जयपुर के निवासी नागरिक हैं, और आप सरकारी सम्पत्ति का विनाश कर रहे हैं जो जयपुर की सुन्दरता को बढ़ाने एवं अन्य कारणों से बनाई गई है, जिसको तोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं हो सकता है।

इतना कहते ही श्री विमलचन्द जैन झगड़ने को तैयार हो गये तथा उनके साथी भी आमादा झगड़ा हो गये तथा विभिन्न गालियों की बौछार छोड़ दी। हम दोनों निस्सहाय चुप हो गये और उन्होंने हमको मारपीट करने की धमकी दी तथा थोड़ी दीवार तोड़ने के पश्चात वापिस चले गये।

हम दोनों प्रातः उद्यान पर जाते हैं, किन्तु आज की घटना से हमको पूरा पूरा भय है कि श्री विमलचन्द जैन अपने सहयोगी श्री गोपाल जैन ओवरसियर व अन्य लोगों की सहायता से भी हमारी मारपीट कर सकते हैं तथा हमको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं।

अतः सूचनार्थ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे और सरकारी सम्पत्ति का नष्ट करने वालों को दण्डित किया जावे।

भवनिष्ठ

ह०— ह०—

24–9–72 आमेर रोड़ ब्रह्मपुरी, जयपुर दरीबापान, जयपुर

आई० सी० चौकी ब्रह्मपुरी बाद जांच शीघ्र रिपोर्ट एस० एच० ओ० कोतवाली के समक्ष पेश करें— ह० अश्वनी कुमार, एस० आई० 24-9-72.

**कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर**

क्रमांक- 16584 दिनांक 11-10-72

एस० एच० ओ०
थाना कोतवाली,
जयपुर।

**विषय :**—नगर न्यास सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कानूनी कार्यवाही हेतु।

महोदय,

विविध आवेदकों द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत कर अगाह किया गया है कि आमेर रोड़ पर नगर न्यास द्वारा निर्मित दीवार को तोड़ कर गोविन्द गृह निर्माण समिति द्वारा न्यास की बिना अनुमति के अवैध कब्जा किया जा रहा है और न्यास की सम्पत्ति नष्ट की जा रही है। इस रिपोर्ट पर न्यास के सहायक निरीक्षक श्री नारायणलाल की रिपोर्ट दिनांक 11-10-72 को प्राप्त की गई। प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन मय सहायक निरीक्षक की मूल रिपोर्ट इसके साथ भेजते हुये लेख है कि नगर न्यास की कम्पाउण्ड वाल पर किये जा रहे अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण के प्रतिकूल वैधानिक कार्यवाही किये जाने के प्रति यह शिकायत पत्र आपके रिकार्ड में इन्द्राज कर वैधानिक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कर न्यास को सूचित करें।

भवदीय,
ह०—
11-10-72
सचिव,
नगर विकास न्यास, जयपुर।

संलग्नः—मूल आवेदन पत्र एवं स० निरीक्षक
की मूल रिपोर्ट मय आदेश के।

आवश्यक

मौके पर जाकर जांच करने पर मालूम हुवा कि आमेर रोड पर पार्क के सामने यू०आई०टी० द्वारा जो पुख्ता कम्पाउन्ड वाल बना रखा था उसे श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि० के अध्यक्ष श्री विमलचन्द जैन ने पांच जगह से तोड़ कर रास्ता बना लिया है जिसमें दो गेट 20 फीट के व 3 गेट 10 फीट के करीब तोड़े गये हैं। समिति का बोर्ड मौके पर लगा हुवा है।

इसके अलावा मौके पर एक वर्क शाप यू० आई० टी० कम्पाउन्ड वाल पर बना रहे हैं। जो कि करीब 20-24 फीट के हैं वर्क शाप का नाम जयपुर आटो मोबाइल व लेथ वर्क्स सहकारी समिति लिमीटेड है व वर्क शाप के चारों तरफ पुख्ता नींव करीब 60-73 फीट के बिना इजाजत कृषि भूमि पर भी भरी जा रही है।

रिपोर्ट आज्ञार्थ पेश है।

ह० नाराजलाल सोनी
11-10-72

ह०
सचिव,
नगर विकास न्यास, जयपुर।

## कारवाई पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पत्रादि द्वारा डाक सचिव, नगर विकास न्यास जयपुर से प्राप्त हुए जिनकी नकल हरूफ बहरूफ की गई मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 447 ता. हि. का वकुवा में आना पाया जाता है अतः मुकदमा नं. 483 व धारा मजकूर कायम कर अनुसंधान सुपुर्द श्री हिम्मतसिंह जी एस. आई. के की गई प्रतिलिपियां नियमानुसार जारी की गई।

एस. एच. ओ. पी. एस. कोतवाली, जयपुर।
12-10-72

### अकलेरा कस्बे की नल योजना

137. श्री भैंरूलाल (अकलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कस्बा अकलेरा (जिला झालावाड़) की नल योजना का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ एवं अब तक उक्त योजना पर कितनी धनराशि व्यय हुई !

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना का निर्माण-कार्य काफी दिनों से बंद है !

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा के गत सत्र में इसी योजना को शीघ्र सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में संबन्धित मंत्री महोदय ने उक्त योजना के शेष कार्य को सितम्बर सन 73 तक सम्पन्न करा दिये जाने का सदन में आश्वासन दिया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि गत सत्र के पश्चात इस योजना का शेष निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के प्रयोजनार्थ आज तक इससे सम्बन्धित कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब ये शेष कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जावेगा ?

#### उत्तर

(1) कस्बा अकलेरा (जिला झालावाड़) की नल योजना का कार्य जून, 71 से प्रारम्भ हुआ एवं अब तक 2,26,000/रु० व्यय हो चुका है।

(2) योजना का निर्माण कार्य मई 73 से बन्द है क्योंकि कूओं में पानी की आमद कम होने के कारण कूओं का निर्माण कार्य, जिसका कि योजना में प्रावधान था नहीं कराया गया व नदी से पानी लाने की योजना के तकमीन बनाये जा रहे हैं। इस कारण कार्य बंद है योजना के शेष कार्य पूरे हो चुके हैं।

(3) जी हाँ।

(4) योजना के कूओं का निर्माण कार्य सितम्बर 73 तक सम्पन्न नहीं कराया जा सका। क्योंकि सीनियर ज्योग्रालाजिस्ट ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा इलाके का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट कर दी कि नये कूएँ खोदने पर भी जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा अब नदी (अमलादेह) से पानी लाने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है व योजना बनाई जा रही है। योजना प्राप्त होने पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

### कृषकों को बोनस

138. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पड़ौसी राज्य पंजाब में सरकारी एजेन्सियों को किसानों द्वारा गेहूं बेचने पर गेहूं की कीमत $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत किसानों को बोनस के रूप में दिया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार राजस्थान के किसानों को भी बोनस देने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो कितना, कब तक और किस आधार पर ?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां, विस्तृत योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

## भू-तल जल की सर्वे

139. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या भू तल जल बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किन २ जिलों में भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण किया है उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है? यदि हां, तो उपेक्षा के क्या कारण हैं?

(3) क्या राज्य सरकार 1973-74 में बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लेकर युद्ध स्तर पर करेगी!

(उत्तर)

(1) राजस्थान राज्य के किसी भी जिले में भू-जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है? अतः सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न हा नहीं उठता।

(2) बाडमेर जिले में भू-जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जेसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र में यू०एन०डी० पी० द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण 7500 स्क्वायर किलोमीटर ऐरिया में किया गया है। उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

## औद्योगिक क्षेत्र, झोटवाड़ा के भू-खण्ड

140. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में बड़े भू-खण्ड ख़ाली हैं? यदि नहीं, तो किस किस व्यक्ति को तथा उद्योग को कब कब कितना कितना बड़ा भू-खण्ड दिया गया!

(2) क्या यह सही है कि अनेकों भू-खण्डों में भूमि के दस प्रतिशत भाग में उद्योग लगा लिए हैं और शेष का उपयोग उद्योग के बजाय कृषि कार्य, बागवानी तथा फल-सब्जी उत्पादन में होता है? यदि नहीं, तो इस क्षेत्र का निरीक्षण कब कब किया गया और क्या कार्यवाही की गई!

उत्तर

(1) जी नहीं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के पहिले नक्शा विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। चारों ओर भूमि छोडना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भविष्य में उद्योग के विस्तार हेतु भी भूमि का प्रावधान रखा जाता है। इनका उल्लंघन करने पर ही अधिक भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### यूरिया खाद की निर्धारित कीमत

141. **श्री उम्मेदीलाल** (हिण्डौन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में दिनांक 22-12-72 को श्रीराम यूरिया खाद की काश्तकारों की बिक्री के लिये निर्धारित रेट क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि रामेश्वरदास राधारमण खाद डीलर हिण्डौन ने विक्रय मूल्य से अधिक दर पर कृषकों को खाद बेचा है ? अगर हां, तो इनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? अगर कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों ?

### उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 22-12-72 को श्रीराम यूरिया खाद की काश्तकारों की बिक्री दर रु० 50)10 प्रति कट्टा (50 किलो) थी जिसमें राजस्थान सेल्स टैक्स भी शामिल है।

(2) उक्त डीलर ने 22-12-72 को कोई श्रीराम यूरिया खाद नहीं बेचा। तथा उक्त तिथि के पश्चात् जो खाद बढ़ी हुई दर पर बेचने को जानकारी मिली है इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### राज्य में शराब बन्दी

142. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पूर्ण शराबबन्दी लागू करने की सम्भावनाओं पर विचार करने हेतु सम्बन्धित मंत्री व मुख्य मंत्री से श्री गोकुल भाई भट्ट व अखिल भारत नशाबन्दी समिति के सदस्य पिछले दिनों मिले थे ?

(2) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी राज्य सरकार को राज्य में शराब बन्दी करने की सम्भावनाओं पर विचार करने एवं श्री गोकुल भाई भट्ट द्वारा प्रेषित योजना पर विचार करने को कहा था ?

(3) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री ने अभी हाल ही में पुनः राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर शराब बन्दी लागू करने की दिशा में कुछ कदम उठाने हेतु सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो ये सुझाव क्या है ? क्या राज्य सरकार ने उक्त सुझावों को मानकर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कृपया ऐसी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां

(2) जी हां

(3) प्रधान मंत्री ने गत 2 अगस्त, 1973 को श्री गोकुल भाई भट्ट तथा उनके साथियों के कतिपय सुझाव राज्य सरकार को भेजे हैं। ये सुझाव निम्न हैं :—

(1) विदेशी शराब के लाइसेंस दिये जाना बन्द किया जाय।

(2) सकल और धार्मिक स्थानों के पास की शराब की दुकानें बन्द की जाय।

(3) जहां स्थानीय विरोध है वहां शराब की दुकाने बन्द की जाय।

जहां तक पहले सुझाव का प्रश्न है सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। दूसरे सुझाव के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (REVENUE & ACCOUNTS-I) DEPARTMENT

No. F.4(13)FD/EX/72. Jaipur, dated the 15 May, 1972

CIRCULAR

*Sub:*—**Location of Country Liquor Shops**

Under Rule 75 of the Rajasthan Excise Rules, 1956, a shop for retail sale of country liquor cannot be located in close proximity to a school, hospital, dispensary or places of worship or in the neighbourhood of a textile mill, labour colony or places of public resort. The question of laying down suitable guide lines regarding minimum distance which may be kept between a country liquor shop and places covered by rule 75 has been under consideration of the Government for quite some time. The Government has decided upon adoption of the following guide lines in this respect:—

I. minimum distance of 250 metres may be kept between country liquor shop and labour colonies including textile factories; and

II. minimum distance of 200 metres should be kept between country liquor shop and all other places mentioned in Rule 75.

2. Such distances would mean the distances along regular approach roads in existence and in constant use. It should not be measured as a crow flies. Further the distance should normally be between the actual building or structure covered by Rule 75 and a country liquor shop. Sometimes such structures have spacious compounds. In these cases, liquor shops may be located at a distance of minimum 100 metres from such compound walls. For the purpose of these guide lines places of worship would mean much frequented and well recognised public places of worship which have been in existence for at

least a decade. As regards the statue of Mahtama Gandhi, minimum distances of 100 metres may be kept between the statue and country liquor shops.

3. The above norms will be observed in future in approving location of country liquor shops by the District Excise Officers. It may well happen that dispute may arise about location of particular shop inspite of the fact that it fulfils the above norms. In such cases, dispute will be resolved by the District Excise Officer under the advice of the District Magistrate concerned whose advice in such cases will be binding. This is issued in supersession of all the previous instructions on the subject.

Sd/— R. Ramakrishnan
Special Secretary to Govt.

## भारत सरकार द्वारा उद्योगों के लिये जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र

143. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) भारत सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु गत 5 वर्षों में किस किस उद्योग के लिए आशय-पत्र, लाईसेन्स, अनुज्ञा-पत्र एवं सी. ओ. बी. पत्र किस किस पार्टी को प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त आशय-पत्र, लाईसेन्स, अनुज्ञा-पत्र एवं सी. ओ, बी. के आधार पर किस किस पार्टी ने राजस्थान में अपने उद्योग की स्थापना की व किस स्थान पर ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत सरकार द्वारा कम प्रोत्साहन दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

### उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सूची में प्रदर्शित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

## झालावाड़ तथा झालरापाटन शहर के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में नल की लाइने

144. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ व झालरापाटन शहर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में नल की लाइनें पूरी नहीं बिछाई गई और जो भी लाइन बिछाई गई वह मुकम्मिल नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि इन मोहल्लों में (झालावाड़) पी. एस. पी. भी नहीं लगाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) झालावाड़ में लाइनें पूरी बिछाई गई हैं व चालू कर दी गई हैं।

झालरापाटन की निम्न मुख्य लाइनें बिछा दी गई हैं व चालू हैं :—

1. सूरजपोल बाहर (रेगर मोहल्ला)

2. सूरजपोल बाहर (हरिजन मोहल्ला)

3. सूरजपोल बाहर (चमार मोहल्ला)

4. तलाई चौक, एवं इसके अतिरिक्त पांच मोहल्लों में थोड़ी पाईप लाईन डाली जानी है, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं, झालावाड़ के निम्न मोहल्लों में लाइनें डाली गई व पी. एस. पी. लगा दी गई हैं।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

1. हरिजन ~~मोहल्ला~~ एवं कुम्हार मोहल्ला कालेज के पीछे।

2. हरिजन मोहल्ला हायर सेकण्डरी स्कूल के पीछे।

3. हरिजन मोहल्ला मोटर स्टेण्ड।

**सवाई माधोपुर जिले में जब्त किया गया अनाज**

145. श्री खेतराम (टोडा भीम) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में टोडाभीम, गोपालपुरा, शहर आदि स्थानों पर गेहूं के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों ने गल्ला जब्त किया था ? यदि हां, तो किस किस किस तारीख को किस किस स्थान पर ?

(2) क्या यह सही है कि गल्ला तोला नहीं गया और किसानों को निर्धारित मात्रा की छूट को देखे बिना ही उनका गल्ला जब्त किया गया था ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ?

(3) जिन जिन किसानों का गल्ला जब्त किया गया, उनसे कितना गल्ला जब्त किया गया ? उनके यहाँ कितना कितना गल्ला था और उनके परिवार की संख्या भूमि मात्रा, गेहूं का बुवाई क्षेत्र कितना कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों के ये कार्य दोषपूर्ण है ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कृषकों के विरुद्ध मुकदमें चल रहें हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम शहर में दिनांक 2-6-73 तथा टोडा भीम में व गोपालपुरा में दिनांक 16-6-73 को गल्ला जब्त किया गया है।

(2) यह सत्य है कि गल्ला नहीं तोला गया, परन्तु स्वयं उन किसानों ने जिनका गल्ला जब्त किया गया वह स्वीकार किया है कि गल्ला निर्धारित मात्रा से अधिक था। दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बाबत जानकारी की जा रही है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, दोषी अधिकारियों की जानकारी की जा रही है।

(5) जी हां, पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

[redacted]



पैरा सं० 3 में उल्लेखित तालिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

| क्र० सं० | कृषक का नाम जिसका गल्ला जब्त किया गया | स्टाक खाद्यान्न जो कृषक के पास था | खाद्यान्न जो जब्त किया | परिवार सदस्य सं० | कृषि का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री किशनलाल कल्याण प्रसाद पुत्र श्री जगनलाल महाजन निवासी करीरी, तहसील टोडाभीम | 80 क्वी० गेहूं | 80 क्वी० गेहूं | 13 | 5 बीघा |
| 2. | श्री हजारीलाल पुत्र श्री– जगनलाल महाजन, निवासी करीरी तहसील, टोडाभीम । | 22 क्वी० गेहूं | 22 क्वी० गेहूं | 12 | 5 ,, |
| 3. | श्री शिवराम पुत्र भोरीया मीना, नि० गोपालपुरा तह० टोडा भीम | 160 क्वी० गेहूँ<br>25 क्वी० गो चनी | 160 क्वी. गेहूं<br>25 ,, गो चनी | 20 | 54 ,,<br>हिस्सा 1/3 |
| 4. | श्री काडू पुत्र घन्टोली मीना, नि० गोपालपुरा तह० टोडाभीम | 90 क्वी० गेहूं | 90 क्वी० गेहूं | 9 | 7 ,, |
| 5. | श्री रामसिंह नि० शहर तह० नादोती | 45 क्वी गेहूं | 45 क्वी० गेहूं | — | — |
| 6. | श्री गोपी नि० शहर तह० नादोती | 62 क्वी० गेहूं | 62 क्वी० गेहूं | – | – |

ह०

जिलाधीश (रसद)
सवाई मधोपुर

### सांचौर कस्बे में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में बिजली एवं पानी की सुविधा

146. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचोर कस्बे में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में बिजली लगाने एवं पाईप लाइन डालने के लिए विभाग द्वारा गत वर्ष कोई धनराशि मंजूर की गई थी ? अगर हां, तो कब व कितनी तथा यह धनराशि सम्बन्धित विभागों को कब हस्तान्तरित की जा चुकी है ?

(2) क्या उपरोक्त धनराशि के अनुसार सांचोर कस्बे के उक्त मोहल्लों में बिजली एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था करवा दी गई ? अगर हां, तो कब? अगर नहीं, तो अब कब तक करवा दी जावेगी ?

(3) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मकानों की कालोनी बनाने के लिये मकान अनुदान एवं ऋण प्रदान करने के लिये सांचोर कस्बे की कोई योजना सरकार को प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्या सरकार विभाग द्वारा इस प्रकार की योजना शीघ्र बनवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

#### उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। "दी" राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि० जयपुर से गृह निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए सहकारी समिति पंजीकृत हो कर नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो उन पर विचार किया जावेगा।

### स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-10-73)

### औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में दिये गये प्लाट

16. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये प्लाट सरकार द्वारा दिये जाते हैं ? यदि हां, तो किन शर्तों और किस आधार पर दिये जाते हैं ?

(2) राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में 1967 से अब तक किन किन व्यक्तियों को किस किस उद्योग के लिए प्लाट दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बहुत से व्यक्तियों ने जिन शर्तों पर उन्हें यह प्लाट दिये गये हैं उनका उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो वे कौन कौन व्यक्ति हैं ?

# Page No.174



उत्तर

(1) जी हां।

उद्योग विभाग द्वारा प्लाटों का आवंटन राजस्थान इण्डस्ट्रियल एरिया अलाटमेंट रूल्स, 1959 के अन्तर्गत किया जाता है। राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा (सूची 'क') में दिये गये मुख्य आधार एवं शर्तों पर दिये जाते हैं।

(2) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

जिन उद्योगपतियों ने भू-आवंटन नियमों का उल्लंघन किया, और जिनके आवंटन निरस्त किये जा चुके है उनकी सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## परिशिष्ट 2

( अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची )

| नाम चौकी | उपमहा नि० पुलिस | पुलिस अ० | पुलिस अपर अ० | पुलिस उप अधीक्षक | विशेष अभि० | उप नि. | मु.आ. | आरक्षक | ओ.ए. | लेखाकार | व.लि. | क.लि. | स्टेनो | चतुर्थ क. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्यालय (सी० पी० एस०) | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | — | 14 | 54 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 |
| जयपुर नगर | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | | — | — | 1 | — | 1 |
| जयपुर देहात | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | — |
| अजमेर | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| भरतपुर | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| गंगानगर | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| जोधपुर | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| कोटा | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| पाली | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| टोंक | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| उदयपुर | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| झूंझनू | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| बीकानेर | — | — | | 1 | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| योग— | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 12 | 26 | 100 | 1 | 1 | 4 | 22 | 4 | 15 |
| नई स्वीकृति— | | | | | | | | | | | | | | |
| मुख्यालय | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| हनुमानगढ़ | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

नोट— राज्य सरकार ने एक पुलिस अधीक्षक एवं तीन उप अधीक्षक उनके आदेश संख्या एफ 1(43) गृह (ग्रुप-2)/73 दिनांक 10-9-73 व एफ 4(10) फोर्स (ए-1) 73 दिनांक 13-9-73 द्वारा पदों की स्वीकृति प्रदान की है ।

## परिशिष्ट 3

( अतारांकित प्रश्न संख्या 89 की सूची )

संचालक मण्डल के सदस्य जिन संस्थानों से सम्बन्धित हैं या थे की विवरणिका

| क. सं. | संस्थान का नाम | संबंधित संचालक का नाम | | जितनी बार सहायता दी गई | कुल सहायता राशि | सम्बन्ध | विशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मै. बीकानेर जिप्सम लि०, बीकानेर | 1. श्री ए० के० राय<br>2. श्री जी० एस० पुरोहित | राज्य सरकार द्वारा मनोनीत | 3 | 14,65,000.00 | संचालक मंडल के सदस्य | पूरी रकम वसूल हो गई |
| 2. | मै. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विवींग लि०, भीलवाड़ा | श्री डी० के० सक्सेना | | 3 | 23,96,000.00 | " | — |
| 3. | मै. श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज, कोटा | श्री जी० डी० सोमानी | | 5 | 34,64,000.00 | " | — |
| 4. | मै. जयपुर स्पिनिंग एण्ड विवींग मिल्स लि० जयपुर | 1. श्री कमलनयन बजाज<br>2. श्री० जी० डी० सोमानी<br>3. श्री रामनाथ ए० पोद्दार | | 2 | 5,22,900.00 | " | एक खाते की रकम वसूल हो गई |
| 5. | मै. मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, जयपुर | श्री जे० एम० लालवाणी | राज्य सं०म० | 2 | 14,66,000 00 | " | — |
| 6. | मै. पोद्दार मिल्स लि० जयपुर | श्री रामनाथ ए० पोद्दार | | 1 | 5,89,200 00 | " | पूरी रकम वसूल हो गई |

Page No.177



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | मै. आदित्य मिल्स लि०, किशनगढ़ | 1. श्री टी० एन० चतुर्वेदी रा०स० म०<br>2. श्री डी० आर० मेहता ,, | 2 | 23,00,000.00 | संचालक मंडल के सदस्य | पूरी रकम वसूल हो गई |
| 8. | मै. ओरियन्टल पावर केबल्स लि०, अलनियां (कोटा) | 1. जे० एम० लालवानी ,,<br>2. टी० एन० चतुर्वेदी ,, | 1 | 20,00,000.00 | ,, | — |
| 9. | मै.. जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर | 1. श्री रामनाथ ए० पोद्दार ,,<br>2. श्री डी० के० सक्सेना ,, | 1 | 20,00,000.00 | ,, | — |
| 10. | मै. ऐसोसियेटेड सोप स्टोन डिस्ट्र-ब्यूटिंग कम्पनी प्रा० लि०, जयपुर | श्री एच० सी० गोलेछा — | 1 | 4,43,000.00 | ,, | — |
| 11. | मै. इण्डिया माइका ग्राईन्डर्स प्रा० लि०, जयपुर | श्री सी० बी० देसाई — | 1 | 1,22,500.00 | ,, | — |
| 12. | मै. राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार-पोरेशन लि०, जयपुर | 1. डी० के० सक्सेना राज्य सरकार द्वारा मनोनीत | 1 | 24,00,000.00 | ,, | ऋण का वितरण अभी नहीं हुआ है |
| 13. | मै. जे. के. सिन्थैटिक्स लि०, जयपुर | 1. श्री एस० एस० एल० मेथ्यू राज्य सरकार द्वारा मनोनीत | 1 | 20,00,000.00 | ,, | ,, |

टिप्पणी:—राज्य वित्त निगम संशोधन अधिनियम (1972) के अन्तर्गत अब किसी ऐसे संस्थानों को जिनमें राज्य वित्त निगम के संचालक का कोई हित (Interest) हो, ऋण नहीं दिया जा सकता ।

परिशिष्ट 4

सूची 'अ'

( अतारांकित प्रश्न संख्या 104 की सूची )

LIST OF VETERINARY HOSPITAL BUILDING

| | |
|---|---|
| 1. Ajmer Distt. | 1. Ajmer. |
| | 2. Beawar. |
| | 3. Pushkar. |
| | 4. Nasirabad. |
| | 5. Kekri. |
| | 6. Masuda. |
| | 7. Pisangan. |
| 2. Alwar Distt. | 1. Alwar. |
| | 2. Tijara. |
| | 3. Thanagazi. |
| 3. Bharatpur Distt. | 1. Bharatpur. |
| | 2. Kumher. |
| 4. Jhunjhunu Distt. | 1. Jhunjhunu. |
| | 2. Khetri, |
| | 3. Udaipurwati. |
| 5. Jaipur Distt. | 1. Jaipur. |
| | 2. Phulera. |
| | 3. Bassi. |
| | 4. Amarssar (Donated). |
| | 5. Kaladera (Donated). |
| | 6. Jamwaramgarh. |
| | 7. Bagru (Donated). |

| | |
|---|---|
| 6. S. Madhopur Distt. | 1. S. Madhopur. |
| | 2. Hindon. |
| 7. Sikar Distt. | 1. Sikar. |
| | 2. Reengus. |
| 8. Tonk Distt. | 1. Tonk. |
| | 2. Malpura |
| | 3. Niwai. |
| | 4. Deoli. |
| 9. Udaipur Distt. | 1. Udaipur. |
| | 2. Rajsamand. |
| 10. Bhilwara Distt. | 1. Bhilwara. |
| | 2. Jhahazpur (Donated). |
| 11. Banswara Distt. | 1. Banswara. |
| 12. Chittorgarh Distt. | 1. Chittorgarh. |
| 13. Dungarpur Distt. | 1. Dungarpur. |
| | 2. Bankoda. |
| 14. Kota Distt. | 1. Kota. |
| | 2. Baran. |
| 15. Bundi Distt. | 1. Bundi. |
| | 2. Talera. |
| 16. Jhalawar Distt. | 1. Jhalawar. |
| | 2. Dug. |
| 17. Bikaner Distt. | 1. Bikaner. |
| | 2. Nokha (Donated). |

| | | |
|---|---|---|
| 18. | Churu Distt. | 1. Churu (Donated). |
| | | 2. Doongargarh (Donated). |
| | | 3. Sujangarh (Donated). |
| | | 4. Bidasar. |
| 19. | Ganganagar Distt. | 1. Ganganagar. |
| | | 2. Hanumangarh. |
| | | 3. Nohar. |
| | | 4. Suratgarh. |
| | | 5. Sangria. |
| | | 6. Baropal. |
| | | 7. Birman. |
| 20. | Jodhpur Distt. | 1. Jodhpur. |
| | | 2. Baleshwar. |
| 21. | Barmer Distt. | Nil. |
| 22. | Jaisalmer Distt. | 1. Jaisalmer. |
| 23. | Jalore Distt. | 1. Jalore. |
| | | 2. Malawara (Donated). |
| 24. | Nagaur Distt. | 1. Nagaur. |
| 25. | Pali Distt. | 1. Pali. |
| | | 2. Bali (Donated). |
| | | 3. Sadri (Donated). |
| 26. | Sirohi Distt. | 1. Mt. Abu. |
| | | 67 Out of which 11 are donated by private parties. |

[redacted]



## परिशिष्ट -5

( अतारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची )

### गम्भीरी नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सूची

**तहसील हिन्डौन**

1. नौरंगाबाद
2. महूखास
3. महु दलालपुर
4. महू इब्राहीमपुर
5. दुब्बी
6. करई
7. रेवई
8. घोंसला
9. खेडली गूजर
10. अठखोली
11. मुराली
12. रींझवास
13. गुडापाले
14. सितापुर
15. सगान जट

**तहसील टोडाभीम**

1. किरवाड़ा
2. मांगल शेरपुर
3. खिलचीपुर
4. किरवाडी
5. पेंचला
6. लपावली
7. भोंटवाड़ा
8. पीलवा मानपुरा
9. महमदपुर
10. बलेडी
11. तिघरिया
12. जगदीशपुरा-रनोली

### सूची उन ग्रामों की जिन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाया गया

**तहसील हिन्डौन**

1. महू खास
2. महू दलालपुर
3. महू इब्राहीमपुर
4. दुब्बी
5. करई
6. घोंसला
7. खेडली गूजर
8. अठखोली

[redacted]



तहसील टोडा भीम

1. किरवाडा  
2. नांगल शेरपुर  
3. किरवाड़ी  
4. पेंचला  
5. लपावली  
6. मोटवाड़ा  
7. पीलवा मानपुर  
8. बलेडी  
9. तिमरिया  
10. जगदीशपुरा–रानोली

गम्भीरी नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की सूची जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर नहीं बसाया गया

तहसील हिन्डौन

1. नौरंगाबाद  
2. रेवई  
3. मुराली  
4. गुढापोल  
5. सिगानजट  
6. रीझवास  
7. सीतापुर

तहसील टोडाभीम

1. खिलचीपुर  
2. महमदपुर

# शुद्धि पत्र

सोमवार, दिनांक 5 नवम्बर, 1973

| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 27 | नीचे से 16 | जातिय्यां | जातियां |
| 37 | ऊपर से 1 | खर्ष | खर्च |
| 114 | ऊपर से 1 | नहों | नहीं |
| 114 | ऊपर से 5 | जबकि | जब तक कि |
| 118 | नीचे से 16 | करुगा | करूं |
| 159 | ऊपर से 16 | तमान | तमाम |
| 160 | नीचे से 19 | चांसलर | चांसलर के |
| 191 | नीचे से 1 | presued | pursued |
| 207 | ऊपर से 11 | गथे | गये |
| 208 | नीचे से 13 | विश्विद्‌यालय | विश्वविद्‌यालय |
| 256 | नीचे से 14 | वेद | बंद |